राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2) विधान सभा के द्वितीय सत्र का तीसरा दिवस संख्या 3

गुरुवार,

दिनांक 4 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी

चारणवाली हैड से पानी छोड़ने से मुख्य नहर को क्षति

61. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर में चारणवाली हैड से पानी कब छोड़ा गया एवम् इस पानी को छोड़ने का क्या उद्देश्य था ?

(2) इस स्थान पर नहर की डिजाइन केपेसटी क्या हैं एवम् इसमें कितना पानी छोड़ा गया ? यह पानी कितने दिन बाद बन्द कर दिया एवम् पानी बन्द करने के क्या कारण थे ?

(3) पानी छोड़ने से पानी का रिसाव कहां-कहां हुआ एवम् मुख्य नहर कहां-कहां टूटी एवम् कब टूटी ? इस रिसाव एवम् टूटने के क्या कारण थे ? नहर टूटने से कितनी हानि हुई ?

(4) क्या इस टूटने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) इस मुख्य नहर को ठीक करने में कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : आप सुनें तो सही, मानते हैं कि स्थगित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

इन्दिरा गांधी नहर मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दिया जाये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 13 अक्टूबर, 1983 को इसकी जानकारी विभाग ने ले ली, इसकी जांच हो गई है और ठीक करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च हो गये। मंत्री महोदय किस बात के लिए

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इसको स्थगित कर रहे हैं, क्या तथ्य छिपाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : कोई तथ्य नहीं छिपाना चाहते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जब सारी बात अपने सामने हो गई....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय बाद में जवाब दे देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह हमें कंविस करें, यह कोई तरीका नहीं है कि स्थगित कर दिया।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : इस प्रश्न के जवाब के लिए तो बीकानेर और हैड क्वार्टर से पूछने की आवश्यकता नहीं है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जिस बात की जांच हो गई, कहां-कहां टूटा है इसका पता लग गया है, पिछली विधान सभा में इसी सवाल के सन्दर्भ में प्रत्युत्तर दिया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आन्धी आ रही है ..

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, साधारण सा प्रश्न है ..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : शायद मंत्री महोदय करोड़ों रुपयों का जो नुकसान हो गया है उसको छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मार्च, 1984 में काम पूरा हो गया था राजीव गांधी पधारे थे उन्होंने इसका उद्‌घाटन कर दिया, वह टूट गया, इसलिए इसको स्थगित करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का जवाब आ जायेगा, इन्हें एक मौका तो दे दो। प्रश्न का जवाब तो आयेगा।

श्री शोपत सिंह : कितने दिन में आयेगा, 15, 20 या महीने भर में ?

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : इसमें टाइम लिमिट होती है कि सवाल का जवाब कितने दिन में आयेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इससे दूसरे प्रश्न भी रह जायेंगे, आप बोलेंगे मैं बैठा रहूंगा।

श्री नाथूसिंह : सरकार को निश्चित रूप से प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। एक सवाल का जवाब आने की निश्चित अवधि होती है।

श्री देवीसिंह भाटी : कल भी इन्होंने प्रश्न स्थगित करवाये थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसका जवाब तो दिलायें, अध्यक्ष महोदय, इस पर जो कार्य हुआ है उसका।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो आयेगा ही ।

श्री शोपत सिंह : जवाब कब देंगे ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया है, इसी सत्र में जवाब आयेगा ।

श्री शोपत सिंह : This is very vague answer.

श्री अध्यक्ष : No vague, मैं कह रहा हूं, आप चैलेंज कर रहे हैं चेयर को, मैंने स्थगित कर दिया है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपकी अनुमति से वह बोलना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप समय न लें; दूसरे प्रश्न रह जायेंगे । स्थगित ही किया है । प्रश्न की इम्पोर्टेंस खत्म नहीं की है । अगला प्रश्न । 62

समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद

62. **श्री जगमालसिंह यादव** (तिजारा)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) एवं

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक कितनी सरसों किन किन केन्द्र पर तथा किन-किन एजेन्सियों द्वारा खरीदी गई है ? कृपया जिलेवार केन्द्रवार विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सरसों की छनाई करने के बाद सरसों खरीदी जाती है ? यदि हां, तो इसमें कितनी प्रतिशत सरसों किसान की छीजत में चली गई ? कृपया केन्द्रवार विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या सरकार के पास समर्थन मूल्य पर सरसों क्रय न करने बाबत शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कितने तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(4) किसानों को सरसों खरीद का मूल्य नगद दिया गया या चैक द्वारा भुगतान किया गया है ?

(5) अलवर जिले में किसानों की सरसों की फसल को खरीदने की कहां-कहां व्यवस्था की गई है ?

(6) क्या राज्य सरकार नियमित रूप से विभिन्न किस्म के कृषि उत्पादों को समर्थित मूल्य पर खरीदने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 56258 मैं. टन सरसों राजस्थान क्रय-विक्रय सहकारी संघ द्वारा खरीदी गई है । जिलेवार व केन्द्रवार

(५)

(श्री रामपाल उपाध्याय)

खरीद की गई सरसों का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) यह सही है कि सरसों की छनाई करने के बाद सरसों की खरीद की जाती है। छीजत में निकली हुई सरसों किसान स्वयं वापिस ले जाता है। अतः छीजत में कितनी सरसों निकली का विवरण दिये जाने में असमर्थता है।

(3) राज्य सरकार के पास कतिपय शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे। प्राप्त शिकायती पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की गई और की जा रही है।

(4) किसानों को पांच हजार रुपये तक की राशि का भुगतान बीयरर चौक द्वारा किया जाता है। इससे अधिक राशि का भुगतान अकाउन्टपेई चौक द्वारा किया जाता है।

(5) अलवर जिले में किसानों से सरसों खरीदने के लिये अलवर, खैरथल, खेडलीगंज एवं राजगढ़ में क्रय विक्रय समितियों द्वारा व्यवस्था की गई है।

(6) कृषि उत्पादकों का मूल्य स्थिर रखने तथा कृषकों को शोषण से बचाने के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार समय-समय पर समर्थित मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय करने की योजना बनाई जाती है। इसी के अनुसार राज्य सरकार समय-समय पर खाद्यान्नों की खरीद की कार्यवाही करती है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने बताया कि छीजत कितनी हुई यह वह नहीं बता सकते। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो छीजत होती है वह आपकी सोसाइटी, एजेंसियों के अफसर अपने पास रख लेते हैं, किसान को वापिस नहीं देते हैं। इसलिए उनसे पूछा जाये कि कहां चली गई, वह ब्लैक में गई है। इसके लिए क्या विभाग ने सक्षम प्रबन्ध किया था, अगर किसान को वापिस दी गई तो रिकार्ड मेंटेन क्यों नहीं किया गया। दूसरे, मैं यह पूछना चाहता हूं कि किन-किन इलाकों से किन-किन संस्थाओं या कौन-कौन से व्यक्तियों से शिकायत आई, उनकी शिकायतों का क्या समाधान किया गया, यह प्रश्न बहुत स्पष्ट तौर पर पूछा गया था, लेकिन उसको छिपाया गया है। चौक से भुगतान की बात कही, चूंकि चौक का भुगतान किसान को दो-दो महीने तक नहीं मिलता है इसलिये जानकर यह प्रणाली चलाई है। किसान चौक लेकर घूमते रहते हैं। मैं अपने इलाके में गया तो पता लगा किसानों को डेढ़-डेढ़ महीने से चौक का भुगतान नहीं किया गया और वह कहते हैं कि पैसा राज्य सरकार से या दिल्ली की एजेन्सी से नहीं आ रहा है इसलिए भुगतान नहीं हो सकता, इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने

(श्री जगमालसिंह यादव)

किसान राजस्थान में हैं जिनके चैक का भुगतान समय पर नहीं किया गया है ? कृपया उसका भी विवरण बताने की कृपा करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में बहुत स्पष्ट निवेदन किया है कि छीजत की जो सरसों बेचते हैं उसका विवरण मैं नहीं दे सकता फिर भी माननीय सदस्य की किसानों के हित में उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए यदि इस प्रकार की कोई बात हुई है तो मैं इसके ऊपर ध्यान दूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस समय इसका विवरण मेरे पास नहीं है।

नम्बर 2 जो आपने भुगतान के बारे में फरमाया है इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अब तक सरसों की 64 हजार मैं ट खरीद की गयी है जिसमें से अकेले राजस्थान में 59 हजार मैं ट सरसों की खरीद की गयी है और इसकी कीमत लगभग 23 करोड़ रुपये है और इसमें से अब तक 19. 73 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। आपने कहा कि भुगतान दो-दो और तीन-तीन महीने तक नहीं हो रहा है, मैं आपकी सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूं कि विगत दो दिनों में डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। बाकी मैं यह स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा कि हमने विभिन्न क्रय विक्रय सहकारी समितियों को दो करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट दे रखी है। उसके उपरान्त राजफैड, नाफेड क्रय विक्रय सहकारी समिति, रिजर्व बैंक भारत सरकार का मन्त्रालय इन सभी की एक मिलीजुली कमेटी बना रखी है और कोशिश करते हैं कि जल्दी भुगतान करें। मुझे यह स्वीकार करने में एतराज नहीं है कि भुगतान में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है लेकिन एक सर्किल जिस तरह से चलता है उसमें विलम्ब हुआ। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसानों को अविलम्ब भुगतान करने का प्रयत्न किया जायेगा।

नम्बर 3—आपने शिकायतों के बारे में कहा। यह सही है कि कुछ शिकायतें कृषि उपज मण्डी समिति से आई हैं, कुछ किसानों से आई हैं, कुछ शिकायतें वहां के मण्डी के दलालों से आई हैं और दूसरी शिकायतें जनता जनार्दन से भी आई हैं। विभिन्न स्तरों की शिकायतों को विभिन्न स्तरों पर निपटाया जा रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार का किंचित मात्र भी यह प्रयत्न नहीं होगा कि किसी प्रकार की शिकायत को दबाया जाये। जो दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होगी और उसको सख्त से सख्त सजा दी जायेगी।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, सरसों की सपोर्ट प्राइस कब घोषित की गयी और इसको खरीदने के लिए एजेन्सी कब आई मार्केट में और इस दौरान में क्या यह सही है कि सरसों के भाव 345 और 350 से ज्यादा बढ़े हैं ?

6

श्री रामपाल उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट है कि इस समर्थन मूल्य का निर्धारण ही इसलिए होता है कि उससे भाव नीचे गिरते हैं तो खरीद होती है और उससे भाव ऊंचे होते हैं तो खरीद नहीं होती। जब 59 हजार मै० ट० सरसों की खरीद की गयी और जिन-जिन जिलों में, मैं मानता हूं अलवर जिला, भरतपुर जिला, सवाई माधोपुर जिला जहां कि सरसों में तेल की मात्रा ज्यादा है जहां पर सरसों को पेरने के लिए अलग-अलग मिलें हैं वहां व्यापारी खरीदते हैं और मैं तो यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजफेड, नाफेड द्वारा और क्रय-विक्रय सहकारी समिति और राज्य सरकार के विशेष प्रयत्नों के द्वारा रेलवे वैगन जो उपलब्ध नहीं होते थे उनको उत्तरी पूर्वी प्रदेश में उपलब्ध कराया गया और वहां पर ज्यादा से ज्यादा सरसों की जो खरीद हुई वह व्यापारियों ने ली। यह मैं मान सकता हूं कि भाव नीचे गये हैं जो हमारे 'ए' और 'बी' ग्रेड में नहीं आते हैं। मेरा यह निवेदन है कि जहां तक समर्थन मूल्य का प्रश्न है, सरकार ने इसमें कोई कोताही नहीं रखी है बल्कि देश में कीर्तिमान स्थापित किया है।

श्री केदारनाथ : राज्य सरकार ने किस तारीख को सपोर्ट प्राइस घोषित की और कब सरकार ने खरीद शुरू की ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह बताया कि राजस्थान में सरसों के भाव इतने नीचे गये इस कारण से क्या यह सही है कि राजस्थान में आज भी गेहूं और सरसों मण्डियों मे आती हैं और जो खरीद केन्द्र बना रखे हैं लेकिन किसान को अपने माल को फिर भी वापिस ले जाना पड़ता है क्योंकि वह खरीदने के लिए तैयार नहीं है। किसानों को छीजत के नाम पर 340 और 350 रुपये में व्यापारी खरीदते हैं उस सरसों को 385 रुपये में सरकार द्वारा खरीदा गया। आज भी हजारों बोरियां सरसों की सीकर जिले में पड़ी हुई हैं और रोज लड्ढे और गाड़ों में किसान लाते हैं और सरकार खरीदती नहीं है। सरकार द्वारा छानने के नाम पर छालना लगाया गया है और जिस किसान ने 50 रुपये 20 रुपया प्रति बोरी देने की बात कही तो उसकी सरसों को नहीं छाना गया है और बाकी को छाना गया है और कहा गया कि हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरा निवेदन और करूंगा कि आज भी अध्यक्ष महोदय, छानने के नाम पर बेईमानी करके सरसों खरीदने की बात करते हैं तो सरसों आज भी पड़ी हुई है और सरसों देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने जान-बूझकर कोताही की है और सरकार खरीदने के लिए तैयार नहीं है।

श्री शोपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सवाल है। राजस्थान के अन्दर कुल कितना प्रोडक्शन हुआ सरसों का और आपने उसमें से कितनी प्रतिशत खरीदी ? अराइवल कितना हुआ मण्डियों में अब तक, और खरीदी कितनी आज तक ? खरीदी है वह सस्ते दामों पर, लूटा गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, 385 के हिसाब से क्यों खरीदी और 385 के नीचे के भाव में कितनी

(श्री दाऊदयाल जोशी)
खरीदी ? सारी की सारी 385 रुपये मे नीचे के दामों पर खरीदी है।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि किसानों के द्वारा यह शिकायत भी प्राप्त हुई है कि बिचौलिये और अधिकारीगण 100-100 और दो-दो सौ रुपये लेकर बोरियां खरीद रहे हैं और क्या यह भी सही है कि इससे सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है ?

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में कितनी कृषि मण्डी समितियां एवं मार्केटिंग सोसाइटीज हैं ? क्या समस्त जगहों पर आपने विक्रय केन्द्र खोले हैं या नहीं ?

नम्बर 2— आपने जहां सरसों के विक्रय केन्द्र खोले हैं वहां क्वालिटी कन्ट्रोल के अलावा कितने अधिकारियों को उसमें मेम्बर रखा है। एक ही आदमी सरसों के भावों को तय करता है या उसके साथ में कोई कृषि मण्डी का सेक्रेटरी है या लोकल प्रधान हैं या पंचायत समिति का कोई सरपंच है या किसी और को भी रखा है या एक ही आदमी के भरोसे पूरे एरिया को छोड़ रखा है ?

नम्बर 3—राजस्थान के अन्दर काफी जगहों पर आपके यहां से अधिकारियों ने पहले ही 'बी' ग्रेड तय करके भेज दिया है चाहे कितनी ही अच्छी सरसों हो। तो ऐसे काश्तकार जिनकी बहुत ही बढ़िया किस्म की सरसों है क्योंकि यहां से तय हो गया है इसलिए 375 से ही खरीदनी पड़ती है, क्या यह सही है ? अगर है तो उसके निवारण के लिए आप क्या उपाय करेंगे ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमुवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम में तिलहन के ऊपर विशेष जोर दिया गया है --

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये, भूमिका मत बांधिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक तरफ रेपसीड आयल 11 रुपये, 12 रुपये किलो बांटने की बात करते हैं दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के किसान के भाग्य से टाइम पर वर्षा हो गई या उन्होंने मेहनत करके सरसों उगाई....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : क्या सरकार इस प्रकार के तिलहन की खास तौर से सरसों की जो फसल है उसकी खरीद में किसानों के साथ हुई ज्यादतियों के लिये कोई जांच करने के लिये कमीशन बैठायेगी ताकि भविष्य में गड़बड़ न हो ?

श्री अध्यक्ष : श्री कालवी।

श्री कल्याणसिंह कालवी (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना सा जानना चाहता हूं राजस्थान के अन्दर सरसों खलिहान से निकल कर बाजार में आना कब शुरू हुआ, समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया, खरीद कब शुरू हुई;

(8)

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

बाजार में कितना सरसों आया और कितना खरीद लिया गया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : बीकानेर जिले में और गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा सरसों मण्डियों में आती है, क्या यह सही है कि वहां पर किसानों से सीधे खरीदने की व्यवस्था नहीं कराई है यदि हां, तो क्यों नहीं कराई गई ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय : मुझे बहुत प्रसन्नता है ...

एक माननीय सदस्य : हमें दुख है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य सुनने की कृपा करें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सही है ...

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कि राजस्थान कैनाल पर इन्होंने व्यापारियों से मिलकर काश्तकारों से सरसों की खरीद की है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें। मन्त्री महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं यह दोहराना चाहता हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता है

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : फिर प्रसन्नता कह रहे हैं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : प्रसन्नता इस बात की है कि किसानों को खूब लूटा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आर्डर प्लीज।

श्री माणकचन्द डाणी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं डालें।

श्री रामपाल उपाध्याय : विधायकों ने जो प्रश्न पूछे हैं, इसलिये मैं प्रसन्नता की बात कहता हूं। माननीय सदस्य, मेरा भाव समझें। सबसे पहले प्रश्न यह आया कि सरसों के समर्थन मूल्य से खरीद कब शुरू हुई। सरसों दिनांक 28 मार्च, 85 से खरीदी गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस दिन घोषणा हुई, शुरू नहीं की। शुरू कब की ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप नोट कर लीजिये। बीच में व्यवधान न डालें।

श्री रामपाल उपाध्याय : उस दिन प्रारम्भ हुई। 10 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा। उसके बाद 20 हजार फिर 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार और अब 60 हजार टन कर रहे हैं। आवश्यकता को देखते हुए, एक लाख मीट्रिक टन, दो लाख मीट्रिक टन जितनी जरूरत आयेगी, हम लेंगे।

श्री शोपत सिंह : कितने पर्सेन्ट खरीदी है। कुल एराइवल कितना हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : जहां तक इस प्रदेश में कितनी सरसों पैदा हुई, यह कृषि विभाग के पास आंकड़े होंगे, यह अलग से प्रश्न है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : आपने कितने पर्सेन्ट खरीदी।

श्री रामपाल उपाध्याय : नं० 3, मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय विश्नोई साहब, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा। सारे राजस्थान में क्रय-विक्रय सहकारी समितियां बनी हुई हैं उन्हीं को नियुक्त किया गया है उनमें जन प्रतिनिधि हैं, उनके मैनेजर हैं, सारे लगे हुए हैं....

श्री हरीश शर्मा : जन प्रतिनिधि नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको पता नहीं है, कोई जन प्रतिनिधि नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इनके अधिकारी सारे व्यापारियों से मिले हुए हैं, यह हमारा आरोप है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। जवाब सुनने की कृपा करें। आपका जवाब दिलवा रहा हूं। बीच में व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं दूसरा यह निवेदन कर रहा था जो भी क्वालिटी इन्सपैक्टर हैं, मार्केटिंग सोसाइटी से सम्बन्धित व्यक्ति हैं इस तरह खरीद की व्यवस्था करते हैं और दूसरा 'ए' ग्रेडेशन या 'बी' ग्रेडेशन की व्यवस्था करते हैं। तीसरा, जगह-जगह हमने सैम्पल भी रखे हैं इसके आधार पर क्रय करने की कोशिश करते हैं। जहां तक बाजार में खलिहान से सरसों आती है, सप्लाई और डिमाण्ड का सामान्य सिद्धान्त है। जब डिमाण्ड कम सप्लाई ज्यादा हो तो सस्ता हो जाता है और जब डिमाण्ड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, महंगा हो जाता है। सामान्य सिद्धान्त है। एक साथ सरसों आती है उस आधार पर समर्थन मूल्य की आवश्यकता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान के लिये एक बहुत बड़ी बात है। देश में सबसे पहले समर्थन मूल्य घोषित किया है। दूसरा निवेदन

(श्री रामपाल उपाध्याय)

करना चाहता हूं इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें ज्यादा ब्लेक में आया है, इस तरह की व्यवस्था है जिसमें सहकारी समितियों के मामले में, मैं समझता हूं देश में राष्ट्रीय लेवल पर सहकारिता की एक पद्धति है। ग्राम सेवा सहकारी समिति का इसके आधार पर सारा काम होता है। इसमें कोई गड़बड़ होती है तो निश्चित तौर पर जांच करने में कोई तकलीफ नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करूं, माननीय सदस्य बिचोलियों की बात कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूं सहकारिता की पद्धति से किया है। इसलिये मेरा अनुरोध है आप सबसे, मैं यह नहीं कहता सारी व्यवस्था में शिकायतें नहीं हैं। राज्य सरकार के पास हैं, मैं समझता हूं शिकायतें 40 या 50 से ऊपर होगी। मैंने उन शिकायतों को तुरन्त गति से सबके पास भेजा है। जो दोषी पाये जायेंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन को विश्वास दिलाता हूं किसान के प्रति किसी भी प्रकार का किया गया अन्याय, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक प्रश्न रह गया है, जो मूल बात थी वह शायद नोट नहीं की है—यह सरसों किसी व्यापारी से तो नहीं खरीदी गई है, इसको स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : आपकी भावना समझ गया। मैं मन्त्री महोदय से उत्तर दिलवा रहा हूं।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर पिछली बात को कहूंगा और आप नाराज होंगे। मैं यह कहना चाहता हूं बहुत से बिचौलिये सरसों सस्ते भाव से खरीद कर क्रय-विक्रय संघ और सहकारी समितियों को सप्लाई करना चाहते हैं किन्तु सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि उनसे खरीद नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, कोई व्यवस्था नहीं है।

(व्यवधान)

व्यापारी से खरीद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस तरह तो कुछ भी अंकित नहीं होगा। मन्त्री महोदय क्या कह रहे हैं, आप उनकी सुन लें। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह फैक्ट है कि गंगानगर जिले से समय पर सरसों की खरीद नहीं होने से 20 हजार मैट्रिक टन पंजाब और हरियाणा में बेची जा रही है जिससे राज्य सरकार को मिलने वाला टैक्स भी मिलने से वंचित रह गया। यह आपकी खरीद में देरी हुई, इसके कारण ही ऐसा हुआ है। मैं पूरे जिले में खरीद के बारे में कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। माननीय मन्त्री महोदय, सरकारी पक्ष की पैरवी कर रहे हैं। उन चोरों की जो किसानों का खून चूस रहे हैं।

(श्री देवीसिह भाटी)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिला ही नहीं अलवर, भरतपुर सब जिलों में किसानों के साथ अन्याय हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री हरीश कुमार शर्मा : + + +

श्री बाऊदयाल जोशी : + + +

श्री देवीसिह भाटी : + + +

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य आपस में वातचीत नहीं हो। आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दिया जाय मन्त्री महोदय से।

श्री देवीसिह भाटी : कितनी सरसों खरीदी, मन्त्री महोदय, बता दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री देवीसिह भाटी : यह हजारों किसानों के साथ अन्याय हुआ है और हम चुपचाप बैठे रहें, यह कौनसी व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। इस चर्चा को समाप्त करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, कृपया बैठिये। इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है, अब इस चर्चा को और किसी तरीके से उठाना चाहें तब उठा लें।

अनेक माननीय सदस्य : आधे घन्टे की चर्चा के लिये रख लें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री नाथूसिह।

(व्यवधान)

श्री रामसिह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नेक्स्ट प्रश्न ले लिया है मैंने।

श्री यदुनाथ सिह : इससे भी ज्यादा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या ?

श्री अध्यक्ष : हर सदस्य के लिये अपना प्रश्न महत्वपूर्ण है।

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री यदुनाथ सिंह : पूरे राजस्थान से सम्बन्धित है यह प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों का उल्लंघन न करें। मैंने आपको छूट दे दी है इस प्रश्न को और तरीके से उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह : माननीय मन्त्री जी ने जो बात कही है ...

(व्यवधान)

मेरे पास क्रय-विक्रय संघ झुंझुनू का....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। कृपया बैठ जायं।

श्री नाथूसिंह।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री नाथू सिंह।

वायु एवं जल प्रदूषण

63. **श्री नाथू सिंह** (टोडारायसिंह) : क्या पर्यावरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वायु व जल प्रदूषण का गम्भीर खतरा विद्यमान है ? यदि हां, तो कहां-कहां व किस प्रकार के प्रदूषण का ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उक्त प्रदूषणों को रोकने हेतु कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है ? यदि हां. तो क्या ? कृपया उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

पर्यावरण मन्त्री (श्री शीशराम ओला) : (1) प्रदेश में जल एवं वायु प्रदूषण का खतरा अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत कम है। राज्य में पाली, जोधपुर व बालोतरा में जल प्रदूषण की तथा कोटा, उदयपुर, खेतड़ी व अलवर में जल और वायु प्रदूषण की समस्या विशेष है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रदूषण की रोकथाम हेतु राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने बड़े व मध्यम औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित जल के उपचार हेतु 43 उपचार संयंत्र लगवाये हैं। बड़े एवं मध्यम उद्योगों में दूषित वायु के उपचार हेतु 22 संयन्त्र लगाये जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त अन्य औद्योगिक इकाइयों हेतु विस्तृत योजना बनवाकर उपचार संयन्त्र लगाने को बाध्य किया जा रहा है।

(3) जी हां, सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो विवरण दिया गया है, उसके अनुसार

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोपित की गई।

(श्री नाथू सिंह)

9 जिले ऐसे हैं जिनमें अधिक प्रदूषण है, जिसमें इन्होंने कहा है खतरा कम है। 9 ऐसे जिले हैं जो मध्यम प्रदूषण के हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें बहुत कम प्रदूषण है। अध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट मुझे दी है उसमें इन्होंने 27 जिलों को माना है। मंत्री महोदय की लिस्ट के अनुसार मंत्री महोदय ने कहा है प्रदूषण कम है। मुझे मालूम नहीं इन्होंने किस हिसाब से कहा है। 43 इण्डस्ट्रीज में से 22 में ट्रीटमेंट प्लांट लगवा दिये लेकिन 125 इण्डस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें अभी तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगवाये गये हैं। उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं नम्बर एक ? नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय, 44 उद्योग ऐसे हैं जिनमें खतरनाक रसायन काम में लिया जा रहा है और उनमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? नम्बर तीन, अभी आपके प्रधानमन्त्री ने कहा है कि खतरनाक रसायनों के उद्योगों में हम व्यापक रूप से फेर बदल कर रहे हैं तो क्या केन्द्र सरकार से राजस्थान की सरकार को कोई निर्देश प्राप्त हुए हैं और उनमें आप क्या फेर बदल कर रहे हैं ? चौथा सवाल मेरा यह है, अध्यक्ष महोदय, कि आपके इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट और पोल्यूशन डिपार्टमेन्ट क्योंकि दोनों का जुड़ा हुआ मामला है क्या आपने दोनों में सामंजस्य बैठाने के लिए कोई कदम उठाया है कि इण्डस्ट्रीज डालने से पहले प्रदूषण रोकने के व्यापक प्रबन्ध कर लिये जायं। अब आप यह कहेंगे कि एन.ओ.सी. की व्यवस्था है लेकिन यह एन.ओ.सी. तो पहले ही ले ली जाती है और इण्डस्ट्रीज लगाने के बाद ट्रीटमेन्ट प्लांट नहीं लगाया जाता है। तो मैं यह जानना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि क्या जिन उद्योगों में उद्योग लगने के बाद ट्रीटमेन्ट प्लांट नहीं लगे हैं एन. ओ. सी. लेने के बाद उनके विरुद्ध क्या लीगल एक्शन आप लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेंगे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। जवाब आने दीजिए।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि एक सदस्य राजस्थान में उद्योगों से होने वाले दूषित प्रभावों से चिन्तित हैं।

(व्यवधान)

आप जरा गरिमा में रहें तो उचित होगा। जो इण्डस्ट्रीज नयी लगती हैं उन्हें एन. ओ. सी. लेनी पड़ती है ऐसा अनिवार्य कर दिया गया है और एन. ओ. सी. लेने से पहले वह सारी शर्तें इण्डस्ट्री लगाने वाले को बता दी जाती हैं जिनके तहत दूषित वातावरण न बने, प्रदूषण न बढ़े, स्वच्छ वातावरण बने और अगर उसमें कहीं उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ चालान हो, कार्यवाही हो और इसके लिए नियम बने हैं और उनके तहत कार्यवाही होती है। 43 इण्डस्ट्रीज को और 22 इण्डस्ट्रीज को प्रदूषण संयंत्र लगाने की कार्यवाही कर रही हैं जिनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। 100 इण्ड-

(१५)

(श्री शीशराम ओला)

स्ट्रीज ऐसी हैं जो खुद प्रदूषण की रोकथाम नहीं कर रही हैं और जिनके खिलाफ केसेज अदालत में हैं। 18 केसेज में फैसला हुआ है और 82 केसेज उनके खिलाफ अदालत में चल रहे हैं और हमारे यहां इसलिए प्रदूषण की गुंजाइश बहुत ही कम है, बहुत कम इण्डस्ट्रीज हैं, बरसात कम होती है 24 घण्टे सूखा पड़ा रहता है इसलिए प्रदूषण खराब न हो ऐसी कोशिश की जाती है। यह जो कुछ भी हुआ है यह इण्डस्ट्रीज के माध्यम से ही हुआ है इसलिए पूछने की बात क्या है।

श्री दाऊदयाल जोशी : प्रदूषण और पर्यावरण में क्या फर्क है।

श्री ग्यारसी लाल परिड़वाल (निवाई) : आपको प्रदूषण और पर्यावरण का ही मालूम नहीं है।

श्री शीशराम ओला : माननीय सदस्य ने जो पूछा है मैं मेरी बात तो कह दूं। कोई भी औद्योगिक संस्थान यदि कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही होगी, उसको बख्शा नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री नाथू सिंह : अभी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि अभी यहां इंडस्ट्रीज बहुत कम हैं इसलिए प्रदूषण का खतरा नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि पाली में 56 प्रतिशत जमीन प्रदूषण की शिकार हो चुकी है, पूरे जिले में 31 प्रतिशत जमीन प्रदूषण की शिकार हो चुकी है, 66 परसेन्ट पब्लिक प्रदूषण की शिकार हो रही है। अध्यक्ष महोदय, कोटा और अलवर में भी और कई जगह तो तीन तरह का प्रदूषण है भूमि, जल और वायु का और बालोतरा वगैरह में तीन तरह का प्रदूषण है। कहीं कोई ज्यादा है और कहीं कोई कम है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लीगल प्रोसेस में तो कई साल लग जाते, हैं यह कोर्ट में केसेज चलते हैं और इण्डस्ट्रीज भी केसेज चलाती है वह चलता रहता है और 3-4 साल उसमें लग जाते हैं और प्रदूषण से जनता को नुकसान होता है। मैं जानना चाहता हूं कि लीगल एक्शन के बजाय क्या आप इस तरह का प्रावधान करेंगे कि उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लें, आप लीगल एक्शन के बजाय, कोर्ट में जाने के बजाय इण्डस्ट्रीज और पोल्यूशन डिपार्टमेंट मिलकर इस तरह का एक्शन लें। इस तरह की कोई व्यवस्था करेंगे क्या ?

श्री शीशराम ओला : आप आपके सुझाव फरमाइये कि आपके क्या सुझाव हैं। उनसे कानून से कैसे निपटें।

श्री नाथू सिंह : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई इण्डस्ट्री ट्रीटमैंट प्लाण्ट इण्डस्ट्री लगने के बाद....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके जो भी सुझाव हों उन्हें आप लिखकर दे दीजिए मन्त्री महोदय को।

श्री नाथू सिंह : मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ट्रीटमेन्ट प्लांट नहीं लगायेगा, उस इण्डस्ट्री के खिलाफ इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट से मिलकर आप जो उसे सुविधायें दी जाती हैं वे सुविधायें रोकेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं रोकें। आर्डर प्लीज। कुमारी पुष्पा। मैंने नाम पुकार लिया।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने बताया है मैं ज्यादा तो नहीं समझ पायी लेकिन मुझे लगा कि कुछ केसेज के मुताल्लिक बात कही कि उन लोगों के खिलाफ केसेज चल रहे हैं जो जल प्रदुषण कर रहे हैं। मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि केसेज अपनी जगह हैं। आज पाली में 230 कुए जल प्रदूषण से बेकार हो चुके हैं, 5300 हैक्टेयर जमीन बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। जिससे 20 गांवों के लोग रोटी रोजी के लिए हताश हैं। बंजर हो चुकी है जिससे 20 गांवों के लोग रोटी राजी के लिए हताश हैं। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि आपकी जानकारी में है कि 1980-81 में जो सर्वे कराया गया उसमें पाली में गैस सम्बन्धी ज्यादा बीमारियां पायी गयीं और पशुओं में चमड़ी की बीमारियां पायी गयी हैं और 150 जानवर इससे मर गये हैं। यदि आपको जानकारी है इतने लोगों की और इतने पशुओं की जो रोजी रोटी से बेकार हैं और जो मर रहे हैं उनके बारे में तो सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें। आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। श्री मुक्तिलाल।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष जी, कोटपूतली में जो सीमेंट फैक्ट्री लगी है और जो रीको की सीर में लगी है। माननीय अध्यक्ष जी, आज वहां पर इससे काफी बीमारियां फैल गयी हैं और जो सीमेंट फैक्ट्री लगी है उसमें से जो लाइम की गैस निकलती है उससे काफी लोगों को बीमारियां होनी शुरू हो गयी हैं और इसके अन्दर कोई संयंत्र नहीं लगा है जो रीको की सीर में है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है।

श्री विजेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द) : क्या यह सही है कि पाली और बालोतरा के अन्दर वाटर पोल्यूशन से फ्लोरेसिस नाम की बीमारी, जो बहुत खतरनाक बीमारी है वह फैली हुई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदमल जी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : इण्डस्ट्रीज के कारण जो पोल्यूशन हो रहा है जो सबसे अधिक मात्रा में जोधपुर, बालोतरा और पाली में है, जो टोप पर बताया है तो क्या सरकार वहां इस प्रकार

(श्री बिरदमल सिंघवी)

के कामन ट्रीटमेंट प्लांट, अलग-अलग इण्डस्ट्री वाले लगाते हैं, क्या कामन ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर इस सारे पानी को ठीक करने का विचार करती है और यदि नहीं, तो इसमें सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या कोटा में डी. सी. एम. कारखाने के कारण जो पर्यावरण प्रदूषित होता है उससे कोटा नगर में आने वाले 5 वर्ष में तेजाब की वर्षा होगी जिससे सैकड़ों आदमी मरेंगे । क्या इस तरह की सरकार को रिपोर्ट मिली है। अगर मिली है तो सरकार ने उसके लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री भंवर लाल ।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आपस में बातचीत नहीं माननीय सदस्य ।

श्री भंवर लाल शर्मा : मन्त्री महोदय सुन नहीं रहे हैं जवाब क्या देंगे । मेरा प्रश्न यह है, आपने फरमाया कि जो न्यायालय में मुकदमें चल रहे हैं उनमें 18 कैसेज में निर्णय हुआ है । वह निर्णय क्या हुआ है ? उस निर्णय की पालना में आपने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री शीशाराम ओला : ऐसे दो निर्णय हुए हैं जो सरकार के पक्ष में हैं । 18 निर्णय खिलाफ में हुए हैं । जो सरकार ने मसौदे पेश किये थे उसमें उदाबेगदाब में फैसला दिया, अदालत ने विपरीत दिया ।

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : यानी 16 में तो आप हार गये । उनमें क्या किया आपने ? जिनमें आप जीते उनमें क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मंत्री महोदय दूसरे प्रश्नों का जवाब दीजिये ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय, आप दूसरे प्रश्नों का जवाब दीजिये ।

श्री शीशराम ओला : मैं दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : तो बोलिये फिर ।

श्री शीशराम ओला : सरकार ने इसकी अपील अदालत में की हुई है । इसके बाद में जो फैसले हुए हैं उनकी अपील की हुई है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया बैठें । आर्डर प्लीज । आर्डर माननीय सदस्य । जवाब सुनिये पहले । आर्डर माननीय सदस्य । जवाब तो सुनिये पहले एक बार । आर्डर प्लीज । जवाब तो सुनिये इनसे पहले । आर्डर प्लीज । आप

(श्री अध्यक्ष)

क्यों खड़े हो रहे हैं। क्या करेंगे मंत्री महोदय। आप तो खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं मंत्री महोदय की आवाज आप तक पहुंचेगी नहीं। आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, व्यवधान न डालें। आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय।

श्रीमती हमीदा बेगम (चुरू) : आप सुनिये तो सही। सुनते तो हैं ही नहीं। पहले तो आप ही सही नहीं बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्या।

आपस में बातचीत में टाइम खराब कर रहे हैं आप। मुझे तकलीफ इस बात की है आज केवल दो प्रश्न हुए हैं। माननीय सदस्यों के तीस प्रश्न पूछे जाने वाले थे, केवल दो प्रश्न पूछे गये हैं और माननीय सदस्य सहयोग करना नहीं चाहते।

श्रीमती हमीदा बेगम : इनकी आदत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अगर मंत्री लोग तैयारी करके नहीं आयेंगे तो मुझे आशा नहीं दो से ज्यादा होंगे। वह तैयार होकर आयें।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, जवाब दे रहे हैं।

श्री शीशराम ओला : अभी पाली के लिये माननीय सदस्या ने जो पूछा था, आगे के लिये पाली में कोई इण्डस्ट्री लगाने का लाइसेंस नहीं दिया जाये इसके लिये हमने उद्योग विभाग को लिखा है।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : पहले वालों का क्या होगा। जो पचास गांवों की जमीन बरबाद हो गई है, उन काश्तकारों का क्या होगा? उनका सरकार निर्णय करे। वहां जांच आयोग बैठायें। जब तक जांच आयोग नहीं बैठेगा वहां पर, इसका निर्णय नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नहीं आ रहा है, मुझे मालूम है। आप बैठें।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में प्रदूषण की रोकथाम के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने फरमाया, आइन्दा से लाइसेंस नहीं देंगे फैक्ट्री के लिये, क्या यह कह देना इतने लोगों के लिये पर्याप्त होगा जिनकी जमीन आज बंजर हो चुकी है। जिनके पास खाने कमाने का कोई साधन नहीं है, जो आज बीमारियों का शिकार होकर बेमौत मर रहे हैं, जो पशुधन से बेकार हो गये, बेजार हो गये? क्या उन सब लोगों के लिए यह कह देना पर्याप्त होगा कि आइन्दा से फैक्ट्री के लिये

(सुश्री पुष्पा जैन)

लाइसेंस नहीं देंगे । सवाल यह है कि जो अब तक बरबाद हो चुके हैं उनकी बरबादी को दूर करने के लिये आप क्या कर रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहती हूं, पाली में जो ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने लगाया है, मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या वह ट्रीटमेंट प्लांट पर्याप्त है ? क्या आज उससे जल-प्रदूषण रोका जा सकता है ? आपकी जानकारी में अगर है तो कृपया बतायें और संवेदनशील बनें । यह लोगों की जिन्दगी और मौत का सवाल है । महज इसे इतना कह कर न उड़ायें कि आइन्दा से आप लाइसेंस नहीं देंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आरोप लगाना चाहती हूं राज्य सरकार पर, निरन्तर बिना लाइसेंस के फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं । जो जल प्रदूषण बोर्ड है, वह खाने के लिये वहां पर बैठा है । सरकारी अफसर पैसा खाते हैं । बिना एन.ओ.सी. के फैक्ट्री लग जाती है । ये कहते हैं आगे से लाइसेंस नहीं देंगे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर प्रश्नकाल में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्नकाल में बड़ा जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर तो होता नहीं । आप अपनी बात कह दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मानता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर । मैं दे रहा हूं । प्रश्नकाल में पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय नेता महोदय, होता नहीं । आपकी कोई बात हो तो ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई विधान सभा के अन्दर प्रवेश कर जाये तो पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठेगा ?

श्री अध्यक्ष : कौन प्रवेश कर गया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्नकाल में कोई विधान सभा के अन्दर प्रवेश कर जाये तो पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठेगा ?

श्री अध्यक्ष : मुझे जानकारी दीजिये उसकी ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : वह मैं जानकारी दे रहा हूं । तो आपने यह कह दिया तो पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री **अध्यक्ष** : This is no point of order. आप मुझे बता दें । This is information. आप मुझे बता दीजिये, कौन विधान सभा में है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह कोई ब्रह्मा जी का वाक्य नहीं है कि क्वेश्चन आवर में पाइन्ट आफ आर्डर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं उठेगा । केवल प्रश्नों से संबंधित पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं उठेगा, यह व्यवस्था है ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप क्या कहना चाहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कहना चाहता हूं, क्या ग्राप उचित समझते हैं कि बार बार मन्त्रिमण्डल के सदस्य जाकर ट्रेजरी बैंचेज से सलाह लेकर ग्रसेम्वली में उत्तर दें, हर प्रश्न के ऊपर ? क्या यह ग्रसेम्वली के डेकोरम के ग्रगेंस्ट नहीं है ? क्या ग्राज तक की माननीय व्यवस्थाग्रों के विपरीत नहीं है ?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रावश्यक सूचना ली जा सकती है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ली जा नहीं सकती है, ग्रावश्यक सूचना दी जा सकती है ।

श्री ग्रध्यक्ष : ली जा सकती है, ग्रावश्यक सूचना मांगी जा सकती है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ले लें, लेकिन मन्त्री नहीं जायं । वह लिखकर दें, वह भेज दें, चिट पर लिख कर भेज दें मुझे कोई ग्रापत्ति नहीं है । लेकिन बार बार मिनिस्टर ट्रेजरी बैंचेज के पास जाकर सूचना लें, यह उचित नहीं है ।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं ग्रापकी भावनाग्रों को समझ रहा हूं । ग्रापकी भावनाग्रों को मैं समझ रहा हूं । माननीय सदस्य, मैं यह कह रहा था ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इतना नहीं है, मेरा यह निवेदन है, एक बात ग्रौर है ग्राखिर इस हाउस के डेकोरम को ग्राप मेन्टेनं रखिये । यहां प्रश्न हो रहा है ग्रौर ग्राप ग्रादेश दे दें प्रश्न के लिये, मन्त्रीजी वहां जाकर सलाह-मशविरा करें....

श्री ग्रध्यक्ष : एक ही बात हुई ना । विपक्ष के नेता महोदय ने जो बात कही वही ग्राप दोहरा रहे हैं ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ग्रापकी भी नहीं सुन रहे हैं वह ।

श्री ग्रध्यक्ष : मेरी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, छोड़िये ।

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज । माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा था, पर्यावरण पर बजट की डिमांड....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, पर्यावरण, प्रदूषण दोनों बातें कही हैं । पर्यावरण विभाग में हो कोई, इसकी बात नहीं कह रहा हूं । इस पर डिमांड रखी हुई है । पूरा दिन इस पर बहस होगी । माननीय सदस्य इस सम्वन्ध में ग्रौर विस्तार से जो कुछ बात कहना चाहेंगे उस वक्त कोई लिमिटेशन्स भी नहीं

(श्री अध्यक्ष)

होंगी। अभी तो प्रश्न के हिसाब से सूचना आती है। सारे राजस्थान की सूचना संभवत: मन्त्री महोदय के पास नहीं है। चूंकि जनरल प्रश्न पूछा गया है इसलिये सारे राजस्थान की सूचना मन्त्री महोदय के पास मिलना सम्भव नहीं हो सकता आज के प्रश्नकाल के समय में। उस समय चूंकि डिमांड होगी-सूचना भी होगी और आप लोग जो भी चाहेंगे, प्रश्न अपने उठा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उस पर जवाब उस रूप से आ सकता है। सारे राजस्थान की चर्चा भी उस समय की जा सकती है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि इस प्रश्न को अब समाप्त किया जाय। नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था तो दीजिये। व्यवस्था तो इस बात पर दीजिये कि मन्त्री महोदय का ...

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

मन्त्री महोदय प्रश्नों के सम्बन्ध में ...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। आप बैठें, मैं खड़ा हूं। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मन्त्री महोदय प्रश्नकाल में जवाब देते समय यदि कोई सूचना अपने अधिकारियों से लेना चाहें तो वे मांग सकते हैं। कृपया बार बार अधिकारियों के पास जाकर उनसे सूचना लेना, यह थोड़ा आकवर्ड लगता है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज नेक्स्ट।

माननीय सदस्य, कृपया बैठें। मैंने आपको इजाजत नहीं दी। कृपया बैठें।

माननीय सदस्य, प्रश्नकाल है। कृपया बैठें: मैं आपसे कहता हूं कृपया बैठें।

श्री शोपत सिंह : पता नहीं ये कहां से ले आये उठाकर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्नकाल समाप्त हो रहा है। एक क्वेश्चन अलाउ कर रहा हूं, सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं करूंगा।

श्री शोपत सिंह : साहब, इनको रोकें, इनको सुनाई नहीं देता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बहुत व्यवधान डाल रहे हैं, कृपया बैठें।

शोभावती नदी पर बहुउद्देशीय बांध

61. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले में सीकर तहसील में शोभावती नदी पर शोभा स्थान पर सिंचाई एवं पेयजल हेतु बांध बनाने का प्राथमिक सर्वे किया गया था? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

(2) क्या यह भी सही है कि यहां पर बांध न होने के कारण यह पानी बहकर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रेवाला झील में जाता है तथा इस कारण बहुत बड़ा नमक क्षेत्र खराब हो रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि शोभावती नदी के पास गांव श्यामगढ़, राजपुरा गुढ़ाकलां, गुढ़ाखुर्द, प्लासरा, हात्याज आदि गांवों में पेयजल एवं भूमिगत जल नहीं है और अब यदि यह बांध बन जावे तो दोनों बस्तियों के लिये हितकर होगा ?

(4) क्या उद्योग, पेयजल, सिचाई एवं पर्यटन के प्रमुख क्षेत्र होने के नाते सरकार केवल बी सी रेश्यो के बजाय उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर बांध बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक तथा कितनी लागत आयेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सिचाई मन्त्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां परन्तु सिर्फ सिंचाई की दृष्टि से। योजना की लागत लाभ के अनुपात में काफी ज्यादा होने से आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(2) जी हां, परन्तु बहुत बड़ा नमक क्षेत्र खराब होने की सम्भावना नहीं है।

(3) पेयजल एवं भूमिगत जल का सर्वेक्षण सिंचाई विभाग द्वारा नहीं करवाया जाता। बांध का बनना इस बस्तियों के लिये हित कर होगा।

(4) बांध स्थल पर पानी की कुल आवक करीब 40 मिलियन क्यूबिक फीट है जिससे सिंचाई, उद्योग व पेयजल सभी की मांग पूरा करना व पर्यटन की दृष्टि से तालाब में पानी भरा रखना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखकर भी बांध बनाने का औचित्य नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं; शोभावती नदी के बांध का सर्वे हुआ, केवल बी. सी. रेश्यो को कम होने के कारण उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दूसरे ग्राउंड्स आपने नहीं देखे। रेवाला झील में शोभावती का पानी बहकर जाता है इससे लगा क्षेत्र खराब हो रहा है। एक मेरा प्रश्न है, वहां पर बहुत बढ़िया पर्यटन का क्षेत्र है। अगर वहां बांध बन जायगा, थोड़ा बहुत उसमें पानी रहेगा तो पर्यटन का विकास होगा। दूसरी बात, आसपास के जितने पठारी गांव हैं इस नदी पर बांध बन जाने पर उन गांवों के कुओं में पानी बढ़ जायेगा, उनको पेयजल मिल सकेगा। इस हिसाब से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे जिले में और कोई सिचाई का साधन नहीं है। आप बढ़े बढ़े सिंचाई साधनों पर खर्च करते हैं, अगर बी सी रेश्यो कम बैठता है तो थोड़ा उद्योग विभाग से, थोड़ा अन्य विभाग से लें। अगर आप बांध बनायेंगे तो हमारे जिले में इससे अधिक बी सी. रेश्यो बैठने वाला नहीं है। कृपा करके इन बातों को ध्यान में रखकर आप इस बांध के बारे में जवाब दें।

(12.00 मध्यान्ह)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सिंचाई एवं पर्यटन की दृष्टि यानि दोनों ही कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। पर्यटन की दृष्टि से यदि कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग द्वारा प्राप्त होता है तो विचार किया जा सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय सवाल यह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले चार सत्र से लगातार पूछ रहा हूं. सारी सिंचाई का पैसा, गंगानगर हो, चाहे कोटा हो यहां तक आता है और हमारे जिलों की सिंचाई का पैसा कट होता है, हमारे सीकर झुंझुनूं को सिंचाई का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की योजना बनाते वक्त निर्धारित माप दण्ड का अनुसरण करना पड़ता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान का सवाल नहीं है, जिलों का भी सवाल है....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग का काम है, पर्यटन विभाग ही करेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारी योजनाओं पर खर्चा होता है और हमारे जिलों के साथ में इस प्रकार भेदभाव किया जायेगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक नहीं है।

श्री बी. डी. कल्ला (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

एक मिनट, पाइन्ट ऑफ आर्डर। सदन की यह परम्परा रही है कि मन्त्रीगण जब कोई वक्तव्य ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने इस पर व्यवस्था दे दी है। कृपया बैठें। मैंने व्यवस्था दे दी है। आर्डर प्लीज।

श्री बी. डी. कल्ला : इसके सम्बन्ध में प्रस्ताव रखता हूं, व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक तो प्रश्नकाल में व्यवस्था का कभी भी कोई प्रश्न नहीं उठता, इसका कोई औचित्य नहीं था। दूसरी बात ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। मैं व्यवस्था दे चुका हूं, इस सम्बन्ध में कोई चीज सुनने को तैयार नहीं हूं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री बी. डी. कल्ला : परम्परा रही है, पहले भी व्यवस्था दी जाती रही है....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। परम्परा मुझे मालूम है। ग्रार्डर प्लीज।

(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर जिले में लकड़ी की अवैध कटाई

71. **डा. उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जयपुर नगर तथा जिले में अवैध लकड़ी काटने, विक्रय करने के कितने मामले गत पांच वर्षों में पकड़े गये ? कृपया नाम, स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वन विभाग के कितने कर्मचारी इस अवैध बेचान में शामिल थे ? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अवैध जंगलों की कटाई रोकने व दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में जयपुर शहर में 1688 तथा जिले (ग्रामीण) में 3523 वन अपराध केसेज पकड़े गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अवैध बेचान में वन विभाग का कोई कर्मचारी शामिल नहीं पाया गया है।

(3) जंगलों की अवैध कटाई को रोक थाम के लिये सुरक्षा कर्मचारियों से मुशतैदी से गश्त करवाई जाकर जंगलों की सुरक्षा करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जंगल काटन व अन्य वन अपराधों की रोकथाम के लिये जयपुर में एक गश्तीदल भी कार्य कर रहा है। जंगल कटान करवाने में लिप्त या जंगलों की सुरक्षा करने में शिथिलता बरतने में दोषी पाये गये कर्मचारियों को दंडित किया गया है। जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे

72 **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग की भूमि पर 1971 से पूर्व जिन-जिन कृषकों के निरन्तर कब्जे चले आ रहे थे, उन्हें कब्जा काश्त के आधार पर राज्य सरकार ने नियमन करने के आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो जिला बांसवाड़ा में कितने कृषकों की भूमि का नियमन किया गया है ?

(5) नियमन से वंचित और कितने

(श्री बहादुर सिंह)

प्रकरण हैं और उनका कब तक नियमन हो जायेगा ? कृपया ऐसे प्रकरणों की तहसीलवार संख्या सदन पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां ! बांसवाड़ा वन मंडल के अन्तर्गत वन क्षेत्र पर 218 अतिक्रमियों के कब्जों का नियमन किया गया है।

(2) शेष रहे 140 प्रकरणों का सर्वे समिति द्वारा मौका निरीक्षण करने के पश्चात 90 प्रकरण नियमन योग्य एवं शेष 50 प्रकरण नियमन के अयोग्य माने गये हैं। समिति की ऐसी रिपोर्ट के साथ ये समस्त प्रकरण जिला नियमन समिति में जिला कलेक्टर के विचाराधीन है।

बाघ अभयारण्य, सवाई माधोपुर, के क्षेत्रीय निदेशक

73. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान क्षेत्रीय निदेशक, बाघ अभयारण्य सवाईमाधोपुर कब से कार्यरत हैं ?

(2) इस बाघ अभयारण्य में कुल कितने वाहन हैं ? उन पर कितना खर्च आता है, और उनका क्या उपयोग है ?

(3) क्या क्षेत्रीय निदेशक को क्षेत्र से बाहर जाने के लिए उच्च अधिकारी की स्वीकृति लेना आवश्यक है ?

(4) वर्तमान क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पिछले चार वर्षों में कुल कितना यात्रा भत्ता उठाया गया है, और यात्राओं का क्या कारण रहा ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या नियमानुसार क्षेत्रीय निदेशक के यात्रा बिलों की तस्दीक होना आवश्यक थी ? यदि हां तो क्या तस्दीक की गई, यदि नहीं, तो बिल कैसे उठाये गये ?

उत्तर

(1) वर्तमान क्षेत्र निदेशक, सवाई माधोपुर में दिनांक 7 7.1979 से कार्यरत है।

(2) इस बाघ परियोजना में तीन जीपें एवं एक मीनी बस तथा तीन मोटर साईकिलें है। इन पर गत तीन वर्षों में कुल 3,18,255/–राशि का व्यय हुआ है। इनका उपयोग अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के प्रबन्ध व सुरक्षा के लिए किया जाता है तथा मिनी बस का उपयोग अवैध शिकार व कटाई की रोकथाम के लिए गठित उड़नदस्ता स्टाक द्वारा किया जाता है।

(3) जी हां।

(4) वर्तमान क्षेत्र निदेशक द्वारा पिछले चार वर्षों में कुल 14,117/- के यात्रा भत्ता बिल उठाये गये हैं। इन यात्राओं का कारण राष्ट्रीय उद्यान एवं टेरिटोरियल बन क्षेत्र की सुरक्षा तथा क्षेत्र से बाहर मिटिंग्स एवं आवश्यक कार्य है।

(श्री दिग्विजय सिंह)

(5) जी हां। तस्दीक नहीं की गई। क्षेत्र निदेशक द्वारा डायरियों के आधार पर एवं लेखाकार द्वारा पूर्ण जांच के बाद यात्रा बिल उठाये गये।

उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति लि., द्वारा दूध संकलन

74. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूनकरणसर):-क्या पशुपालन (दुग्ध विकास) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति लि., (उमूल) द्वारा बीकानेर जिले के किस किस गांव से पिछले छः माह में कितने औसत दूध का संकलन किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार ने बीकानेर जिले में गत अकाल में किस-किस गांव को कितनी गायों के लिये सस्ते चारे की स्वीकृति प्रदान की ?

(3) क्या यह सही है कि कलेक्टर, बीकानेर द्वारा जो गायों के चारे का वितरण किया गया उसमें दूध संकलन का कोई आधार नहीं रखा गया था ?

(4) क्या यह सही है कि अकालग्रस्त गांवों के एक तिहाई से भी कम गांवों में उक्त सस्ते चारे का वितरण किया गया, और शेष अकालग्रस्त गांव उक्त सस्ते चारे की सुविधा से पूर्णतया वंचित रहे ?

उत्तर

(1) उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. द्वारा बीकानेर जिले में संलग्न सूची में वर्णित ग्रामों/समितियों से पिछले 6 माह में निम्न अनुसार औसतन प्रतिदिन दुग्ध का संकलन किया गया :—

दिसम्बर, 84	-121677	कि.ग्रा./प्र.दि.	
जनवरी, 85	-135980	,,	,,
फरवरी, 85	-143132	,,	,,
मार्च, 85	-156927	,,	,,
अप्रेल, 85	-163589	,,	,,
मई, 85	-150272	,,	,,

(2) राज्य सरकार द्वारा बीकानेर जिले में उरमूल डेयरी, बीकानेर के माध्यम से गत अकाल में सस्ते चारे के लिये कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी।

(3) गांव के पशुओं की संख्या की सूची बनाई जाती है जिसे पटवारी व तहसीलदार प्रमाणित करते हैं जिसके आधार पर चारा वितरण कराया जाता है। संबंधित गांवों में पशुओं की जनसंख्या के आधार पर चारा वितरण किया जाता है।

(4) जिले में 546 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये थे जिनमें से उरमूल डेयरी बीकानेर द्वारा 261 ग्रामों (समितियों) पर सस्ता चारा उपलब्ध कराने हेतु

(पशुपालन मंत्री)

स्वीकृति प्राप्त हुई है। राज्य सरकार से अधिक स्वीकृति प्राप्त होने पर शेष गांवों को लाभान्वित किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सवाई माधोपुर जिले का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र

75. **श्री मोती लाल मीणा** (सवाई माधोपुर) :—क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सन् 1981 में जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति बामनवास, बोंली, खण्डार, सवाईमाधोपुर के बाढ़ ग्रस्त गांवों के कितने कितने व्यक्तियों को किस-किस कार्य हेतु कितनी कितनी राशि जिला ग्रामीण विकास कार्यालय, सवाई माधोपुर द्वारा प्रदान की गई ? कृपया सूची सदन पटल पर रखें।

उत्तर

सन् 1981 में आई बाढ़ से ग्रस्त गांवों में पंचायत समिति क्षेत्र बामनवास में 182 व्यक्तियों को 47.375/- रु. बोंली में 1622 व्यक्तियों को 5,39,116/-रु. खण्डार में 227 व्यक्तियों को 81.987/- रु. एवं सवाई माधोपुर में 151 व्यक्तियों को 95,310/- रु. की सहायता राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रदान की गई है। पंचायत समिति-वार एवं उद्देश्यवार लाभान्वित परिवारों की संख्या एवं उन्हें दी गई राशि संबंधि विवरण की सूचना संलग्न परिशिष्ट "क" में दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

जयपुर जिले में बाढ़ राहत के अन्तर्गत राशि वितरण

76. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) :—क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में कितनी धन राशि बाढ़ राहत के अन्तर्गत जुलाई, 1981-82 के बाद से अब तक डी.आर.डी.ए. के अधिकारियों द्वारा वितरित की गई ?

(2) डी.आर.डी.ए. के अधिकारियों द्वारा उक्त राशि वितरण करने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(3) जयपुर जिले में बाढ़ राहत में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की कौन कौनसी व कितनी कितनी शिकायतें सरकार के किन किन विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं, और कितनों पर निर्णय हो गये ?

(4) प्रमुख तौर पर वे शिकायतें किस प्रकार की थीं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार से प्रदत्त कुल राशि रु. गये 166.84 लाख में से 31 मार्च, 1984 के अन्त तक 93.75 लाख

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

रुपये की राशि अनुदान के समय में जयपुर जिले के बाढ़ प्रभावित परिवारों में वितरण की गई है। शेष बची राशि में से 49.50 लाख रुपये सिंचाई विभाग को वर्ष 84-85 में हस्तान्तरित किए गये। वर्ष 85-86 में 23.59 लाख रु. की शेष राशि सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

(2) बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने की प्रक्रिया बाबत परिपत्र संलग्न "क" है।

(3) इस संबंध में केवल एक ही शिकायत प्राप्त हुई थी जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर के स्तर पर विचाराधीन है।

(4) यह शिकायत बाढ़ग्रस्त परिवारों की सूची से सम्बन्धित थी।

(परिपत्र के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

तेजाजी पशु मेला परबतसर

77. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)—क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तेजाजी पशु मेला परबतसर में तेजाजी का प्रसाद नीलाम किया जाता है? यदि हां, तो विगत 5 वर्षों में प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि का प्रसाद नीलाम किया गया, और उसका क्या उपयोग हुआ ?

(2) क्या उक्त राशि में से मंदिर पर भी व्यय किया गया है ? यदि हां, तो प्रतिवर्ष किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय किया गया ?

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार अब मंदिर की मरम्मत, साज-सज्जा व आसपास के स्थान के विकास पर इस राशि में से व्यय करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं प्रसाद नीलाम नहीं किया जाता है, अपितु मेले से पूर्व समस्त चढ़ावे का ठेका होता है।

गत 5 वर्षों में प्रसाद के ठेके से कुल 42,619/- रुपये की आय हुई जो कि नियमानुसार राज्य कोष में जमा करा दी गई।

गत वर्षों में प्राप्त आय का वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	प्रसाद का ठेका
1980	8,001.00
1981	7,615.00
1982	9,000.00
1983	9,501.00

(पशुपालन मन्त्री)

1984		8,501.00
	योग	42,619,00

(2) जी, नहीं ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग की सातवीं योजना के प्रारूप में पशु मेलों के विकास हेतु 50.00 लाख का प्रावधान सम्मिलित किया गया है जिसमें से उपयुक्त समय पर अन्य मेलों के विकास सहित तेजाजी पशु मेला स्थल के विकास हेतु भी अनुपातिक व्यय किया जावेगा ।

अकाल हेतु केन्द्र से प्राप्त सहायता

78. **श्री नाथू सिंह** (टोडारायसिंह) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष अकाल का सामना करने हेतु राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से सहायता की मांग की थी ? यदि हां, तो कब व कितनी सहायता की ?

(2) केन्द्र सरकार ने उक्त सहायता के मद में कितनी राशि स्वीकृत की व राज्य सरकार को कब-कब भेजी ?

(3) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों को यह राशि कब भेजी गई ? कृपया जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा सूखे सम्बन्धी राहत कार्यक्रम हेतु ज्ञापन दिनांक 15.12.84 के अन्तर्गत अभाव अवधि दिसम्बर, 84 से जुलाई, 85 के लिए 141.79 करोड़ रुपये की मांग की गई ।

(2) उपरोक्त मांग के प्रति भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.2.85 को 542.85 लाख एवं दिनांक 1-4-85 को 2588.56 लाख रुपये की सहायता राज्य सरकार को स्वीकृत की गई ।

(3) जिन मामलों में विभाग द्वारा गैर आयोजना मद में जिलेवार राशि स्वीकृत की गई है, उसकी सूची संलग्न है । आयोजना मद में राशि का आवंटन सम्बन्धित अभिकरणों विभागों को इस विभाग द्वारा किया जाता है तथा जिलेवार राशि का आवंटन उनके द्वारा किया जाता है । अतः जिलेवार स्वीकृत राशि की सूचना विभाग में अभी उपलब्ध नहीं है । सम्बन्धित अभिकरण से प्राप्त कर भिजवादी जावेगी । आयोजना मद में पेयजल व्यवस्था हेतु निर्धारित व्यय सीमा रुपया 1112.61 लाख का आवंटन मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग राजस्थान जयपुर को किया गया है, जिसकी जिलेवार सूचना संलग्न है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें) ।

कठूमर क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण

79. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बाबूलाल बैरवा)

(1) निर्वाचन क्षेत्र कठूमर के कौन-कौन से गांव का विद्युतीकरण किया जा चुका है, तथा कौन-कौन से गांवों का विद्युतीकरण स्वीकृत किया जा चुका है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विद्युतीकरण हेतु नये ग्रामों को योजना में स्वीकृति प्रदान करने का क्या मापदण्ड है ?

(3) निर्वाचन क्षेत्र कठूमर के शेष ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र कठूमर के 80 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 34 ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विभिन्न पंचायत समितियों में ग्रामों के विद्युतीकरण का स्तर विद्यमान विद्युत प्रणाली की क्षमता तथा कृषि कार्य हेतु उपयुक्त भू-जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये नये ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु योजनायें बनाई जाती हैं। क्षेत्र की आर्थिक विकास की स्थिति तथा विद्युतीकरण के स्तर के आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा निर्धारित उपादेयता प्राप्त होने पर नये ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु योजनायें स्वीकृत करवाई जाती हैं।

(3) निर्वाचन क्षेत्र कठूमर के शेष-ग्रामों को विद्युतीकरण करने की अभी कोई योजना नहीं है। इस क्षेत्र में जो योजना पहले से चल रही है, उसका कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नई योजना बनाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)।

गांधीनगर, जयपुर के राजकीय आवासों में विद्युत फिटिंग

80. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांधीनगर, जयपुर स्थित एच टाइप सरकारी आवास गृहों में निर्माण काल से बिजली की फिटिंग नहीं बदली गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि फिटिंग की स्थिति शोचनीय होने के कारण वर्षा ऋतु में शोर्ट सर्किटिंग आदि के कारण जनधन की हानि का खतरा सदैव बना रहता है ? यदि हां, तो वहां के निवासियों के हित में बिजली की नयी फिटिंग कब तक करवाने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। समय-समय पर आवश्यकतानुसार मरम्मत कराई जाती है।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(2) गांधीनगर स्थित एच टाइप के आवासों में बिजली फिटिंग की स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि जिससे वर्षा ऋतु में शोर्ट सर्किटिंग से जनधन को खतरा उत्पन्न होने का अन्देशा हो।

जयपुर ग्रामीण के पुलिस थानों हेतु वाहन

81. **श्री परसादी लाल** (लालसोट) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिला ग्रामीण क्षेत्र के किस-किस थाने में वाहन सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या थाना लालसोट में भी वाहन सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब वहां कब तक वाहन उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के थानों चन्दवाजी, चौमू, दौसा, चाकसू, बगरू, एवं बांदीकुई पर वाहन सुविधा उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। थानों को वाहन पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि से उपलब्ध कराये जाते हैं तथा यह राशि सीमित होने के कारण सीमित संख्या में ही वाहन उपलब्ध होते हैं। जो प्राथमिकता के आधार पर थानों को आवंटित करा दिये जाते हैं ऐसी स्थिति में यह कहना सम्भव नहीं है कि लालसोट थाने को वाहन कब उपलब्ध कराया जायेगा।

एडवोकेट जनरल व एडिशनल एडवोकेट जनरल को अतिरिक्त पारिश्रमिक

82. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान के एडवोकेट जनरल एवं एडिशनल एडवोकेट जनरल को माहवारी वेतन के अतिरिक्त मुकदमों की पैरवी करने हेतु न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिये प्रति पेशी रु. 300/- के हिसाब से लगभग रु. 10,000/- से रु. 15,000/- तक का अतिरिक्त भुगतान राज्य कोष से किया जाता है ?

(2) यदि नहीं, तो वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 में प्रति माह वेतन के अतिरिक्त उक्त कारण से कितना भुगतान किया गया एवं कितने बिल भुगतान हेतु लम्बित हैं ? कृपया माहवार सूची सदन पटल पर रखें ?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि महाधिवक्ता को मासिक रिटेनर के अतिरिक्त न्यायालय में पैरवी करने के लिए मुख्यालय पर रु. 300/- प्रतिदिन प्रति मामला व बाहर के स्थानों के लिए रु. 500/- प्रतिदिन दिया जाता है जबकि अति. महाधिवक्ता को दी जाने वाली राशि, जोधपुर, जयपुर व बाहर के स्थानों के लिए क्रमशः प्रतिदिन रु 200/-, 250/- व 350/- दी जाती है।

(विधि मन्त्री)

(2) वर्ष 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 में महाधिवक्ता एवं अति. महाधिवक्ता को रिटेनर के अलावा निम्नलिखित कानूनी फीस का भुगतान किया गया है जिसका मासिक विवरण निम्न प्रकार है :—

महाधिवक्ता

वर्ष 1982-83

दिसम्बर	फरवरी	मार्च	योग
8700/-	16500/-	4800/-	30,000/-

वर्ष 1983-84

जून	जुलाई	अगस्त	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	
8300/-	1500/-	9600/-	16700/-	12600/-	1200/-	35416.80	83,316.80

वर्ष 1984-85

मई	अक्टूबर	नवम्बर	जनवरी	मार्च	
1500/-	100/-	300/-	18610/-	16500/-	37,010/-

अति० महाधिवक्ता

वर्ष 1982-83

मई	जून	जुलाई	सितम्बर	नवम्बर	फरवरी	मार्च	
800/-	600/-	3480/-	1400/-	2600/-	3200/-	6200/-	18,280/-

वर्ष 1983-84

जून	जुलाई	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	
1400/-	600/-	1600/-	3200/-	400/-	5600/-	1900/-	36300/-	51,000

वर्ष 1984-85

अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	फरवरी	मार्च	
4800/-	2200/-	1000/-	29800/-	4400/-	42,200/-

योग रु. 2,61,806 80

अब विभाग में महाधिवक्ता का कोई बिल विचाराधीन नहीं है तथा अति. महाधिवक्ता का केवल एक बिल 7000/- रु. का विचाराधीन है।

तहसील नवलगढ़ में बांध निर्माण

83. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील नवलगढ़ में झाड़ी वाले तथा रामदास के नाले ग्राम किरोडी नोहरा तथा चिराना परशुरामपुरा नदी पर बांध बनाने का सुझाव राज्य सरकार के पास आया है ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(3) क्या जन-धन की हानि को देखते हुए सरकार इस सिंचाई बांध के निर्माण का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रस्तावित बांध बनाने के सुझाव पर प्राथमिक तकनीकी मूल्यांकन एवं जांच की जा रही है।

(3) तकनीकी प्रतिवेदन बन जाने के पश्चात् ही उक्त प्रस्ताव की उपयोगिता के बारे में पता चल सकेगा तथा तदुपरान्त ही विचार किया जायेगा।

राजकीय अस्पताल, नागौर के पिछवाड़े की भूमि

84. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय अस्पताल, नागौर के पिछवाड़े की सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा है ? यदि हां, तो क्या जांच करवाई जाकर उसे खाली करवाने का प्रयास किया गया है ?

(2) नाजायज कब्जा कराने के लिये कौन जिम्मेदार है, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय नागौर की भूमि पर चारो ओर चार दिवारी बनी हुई है एवं अस्पतलाल की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

पीसांगन (अजमेर) के गांवों का विद्युतीकरण

85. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कायमपुरा मानपुरा की ढाणी, पंचायत समिति श्रीनगर एवं ग्राम करनोस, ग्राम पगारा, ग्राम सोमलपुर (पंचायत समिति पीसांगन), अजमेर में विद्युतीकरण हो गया है ? यदि हां, तो कब हुआ ?

(2) क्या इन गांवों के ग्रामवासियों ने विद्युत कनेक्शन लेने के लिये फार्म भर रखे हैं ? यदि हां, तो कितने और कब से ?

(श्री रमजान खां)

(3) प्रार्थियों को कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं । केवल ग्राम सोमलपुरा का दिनांक 31.3.70 को विद्युतीकरण किया गया है, जो कि वर्ष 1981 की जनगणना-पुस्तिका के अनुसार अजमेर शहर का एक भाग हो गया है । कायमपुरा व मानपुरा की ढाणी के ग्राम जिला अजमेर की जनगणना पुस्तिका में अंकित नहीं है । ग्राम करनोल व पगारा, पंचायत समिति पीसांगन की स्वीकृत योजना में सम्मिलित हैं तथा उनका विद्युतीकरण किया जाना शेष है ।

(2) चूंकि सोमलपुरा अजमेर शहर का एक भाग है अतः उक्त ग्राम में विद्युत कनेक्शनों का अलग से विवरण संकलित नहीं किया जाता ।

(3) अजमेर शहर में अन्य कनेक्शनों के साथ इस भाग में भी प्राथमिकता के अनुसार विद्युत कनेक्शन दिये जायेंगे ।

राज्य में पुलिस फोर्स में वृद्धि

86. **श्री नारायण राम बेड़ा** (भोपालगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सन् 1952 से आज तक जिस अनुपात में अपराधों की वृद्धि हुई, क्या उसी अनुपात में अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस फोर्स की वृद्धि की गई है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

(2) क्या सरकार भविष्य मे अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस फोर्स बढ़ाने की मंशा रखती है ?

उत्तर

(1) शान्ति व्यवस्था एवं अपराधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार समय-समय पर पुलिस फोर्स में वृद्धि की गई है ।

(2) जी हां ।

एस. एन. पी. के तहत अजमेर में किए गए कार्य

87. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एस. एन. पी.) के तहत अजमेर जिले की अजमेर तहसील में कितने काम 31 मार्च, 1985 तक चालू थे परन्तु पूरे नहीं हुए ?

(2) इन कामों को पूरा करने के लिए कितनी धन राशि चालू वर्ष में दी गई है ? कृपया कार्यवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(3) कितने ऐसे अधूरे कार्य हैं जिन के लिए कोई भी धन राशि पूरा करने के

(34)

(श्री गोविन्द सिंह)

लिए आवंटित नहीं की गई है, यदि हां, तो क्यों ? कृपया ऐसे कार्यों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) 31 मार्च, 1985 तक अजमेर जिले की अजमेर तहसील में 4 कार्य चालू थे। (सूची "अ" संलग्न है)

(2) इन कार्यों को करने के लिए सूची 'ब' के अनुसार आवंटन किया गया है।

(3) कोई भी ऐसा अधूरा कार्य नहीं है जिसके लिये धनराशि का आवंटन न हो।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—9 देखें)

गंगानगर जिले में विद्युत मण्डल वृत्त कार्यालय

88. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरी-सिंहपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में गंगानगर जिले में विद्युत मण्डल का वृत्त कार्यालय खोलने की योजना थी ?

(2) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1979 में गंगानगर जिले में विद्युत मण्डल का वृत्त कार्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव बनाये गये थे।

(2) अब पुनः बीकानेर वृत्त का, वर्तमान स्थिति को देखते हुए पुर्नगठन कर गंगानगर जिले में भी मण्डल वृत्त कार्यालय खोलने के प्रस्तावों की मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधा) द्वारा जांच की जा रही है।

विद्युत अभियन्ताओं के विरुद्ध विद्युत चोरी की शिकायतें

90. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विद्युत विभाग के किन-किन अभियन्ताओं के विरुद्ध विद्युत चोरी की शिकायतों के सम्बन्ध में किस-किस स्तर पर कब-कब से जांच चल रही है ?

(2) ऐसे अभियन्ताओं के विरुद्ध अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल के जिन अभियन्ताओं के विरुद्ध विद्युत चोरी की शिकायतों की जांच चल रही है उनकी सूची 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची के क्रम संख्या 1 पर अंकित अभियन्ता के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है तथा शेष अभि-

(ऊर्जा मंत्री)

यन्ताओं से जुर्माने की रकम वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है एवम् मुख्य अभियन्ता, थर्मल प्रोजेक्ट, कोटा इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रहे हैं।

बून्दी में मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद का सृजन

91. **श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी)** : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का नया पद सृजित करने पर विचार किया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो किस स्थान पर यह पद सृजित किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए बूंदी जिले में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का नया पद सृजित करने का विचार नहीं किया जा रहा है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

डकैतों द्वारा मारे गये उपनिरीक्षक पुलिस के परिवार को राहत

94. **श्री सम्पत सिंह (नगर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) दिनांक 18.11.1979 को उप-निरीक्षक पुलिस, श्री श्याम लाल को सरमथुरा (धौलपुर) में डकैतों द्वारा गोली से मारने पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 22.11.1979 राजस्थान पत्रिका, पृष्ठ 8, कालम 5 पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, श्री गौड़ ने जमीन देने एवं मृतक उप निरीक्षक के बच्चों को शिक्षा सुविधा की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या वह पूर्ण हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस प्रकरण में अपराध संख्या 85/79 धारा 302 आईपीसी थाना सरमथुरा पर पंजीबद्ध किया जाकर बाद अनुसंधान मुलजिम बाबू पुत्र सुक्को के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी व रामविलास के विरुद्ध धारा 302, 299 आईपीसी के अन्तर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मुलजिम रामविलास दिनांक 4.7.81 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तथा मुलजिम बाबू दिनांक 7.1.83 को अपर सेशन न्यायाधीश, धौलपुर के यहां से बरी हुआ।

(2) रिकार्ड के अनुसार यह पाया गया कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री

(गृह मंत्री)

गौड़ ने 25 बीघा जमीन खेती की मृतक के परिवार को आवंटन के लिए जिलाधीश भरतपुर को दिनांक 19.12.79 को एक पत्र लिखा। सिवाय चक्र भूमि उपलब्ध नहीं होने से जिलाधीश ने तमाम ग्राम पंचायतों को पंचायत में चरागाह की भूमि होने के संबंध में सूचना मांगी है ताकि मृतक उप-निरीक्षक के परिवार को भूमि का आवंटन किया जा सके। शिक्षा सुविधा देने के संबंध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

सचिवालय कर्मचारियों को विशेष वेतन

95. **श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि शासन सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष वेतन स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो किस आधार पर? कृपया आदेशों की प्रति सदन पटल पर रखे।

(2) क्या राज्य सरकार शासन सचिवालय के समकक्ष अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को यह विशेष वेतन स्वीकृत करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि जो आदेश जारी किये गये हैं उनमें विशेष वेतन स्वीकृति संबंधी कुछ शर्तें लगाई गई हैं? यदि हां तो वे शर्तें कौन-कौन सी हैं, तथा क्या सरकार इन शर्तों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि विशेष वेतन को सभी प्रयोजनार्थ, यथा ऋण लेने ग्रेच्यूटी एवं पेंशन में गणना हेतु, डी.ए. के सन्दर्भ में, शहरी क्षति-पूर्ति भत्ते व मकान किराया भत्ते आदि के लिए वेतन में शामिल नहीं करने का उल्लेख उस स्वीकृति आदेश में है? क्या राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषित विशेष वेतन, की परिभाषा के विपरीत हैं? यदि हां, तो नियमानुसार आदेश को कब तक संशोधित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान विधान सभा सचिवालय एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग को छोड़कर। कार्य की प्रकृति में अन्तर के कारण अन्य विभाग में विशेष वेतन देना संभव नहीं है।

(3) जी हां। शर्तें आदेश में उल्लेखित हैं जिसकी प्रति खंड 1 के उत्तर में सदन के पटल पर रख दी गई है। जी नहीं क्योंकि विशेष वेतन इन शर्तों के साथ स्वीकृत किया गया है।

(वित्त मंत्री)

(4) जी नहीं । प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(आदेश के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

देसूरी का उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय

96. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पिछले दिनों ग्राम जानून्दा व कोट सोलंकिया तहसील देसूरी जिला पाली में उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या आधार था ?

(2) क्या यह सही है कि वहां लड़कियों की संख्या नगण्य है ?

(3) क्या ऐसी स्थिति में सरकार यह उचित समझती है कि उक्त स्कूल को छात्र छात्राओं के सामान्य विद्यालय का रूप दे दिया जाय ?

उत्तर

(1) जी हां, क्षेत्रीय आवश्यकता एवं स्थानीय मांग के कारण ग्राम जानून्दा व कोट सोलंकिया तहसील देसूरी जिला पाली में उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय सत्र 1984-85 में खोले गये हैं ।

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालय जानून्दा में 39 व कोट सोलकियान में 25 छात्रायें नामांकित हैं एवं छात्रों की संख्या क्रमशः 133 व 78 है ।

(3) उक्त विद्यालयों में छात्र व छात्रायें दोनों ही अध्ययनरत हैं इसलिए महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इनके स्वरूप में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

महिला शिक्षा सुधार योजना

97. **श्री अश्क अली** (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या सरकार महिला शिक्षा में सुधार के लिए कोई योजना लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? कृपया योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा महिला शिक्षा के विकास एवं सुधार हेतु निम्न प्रयास किये जा रहे हैं :--

प्राथमिक शिक्षा हेतु छात्राओं को आकर्षित करने हेतु उपस्थिति छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । छात्राओं के लिए पृथक से अध्ययन हेतु छात्रा विद्यालय भी खोले जाते हैं । महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु शिशु क्रीड़ा केन्द्र भी चलाये जा रहे हैं । महिला शिक्षा के लिये 3000

(शिक्षा मन्त्री)

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भी चलाये जा रहे हैं।

उच्च प्राथमिक स्तर तक सभी छात्राओं से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता एवं जिन छात्राओं के अभिभावक आयकर नहीं देते उनसे कालेज स्तर तक शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। महिलाओं के उपयोग में आने वाले विषय-सिलाई, गृह विज्ञान, चित्रकला आदि पढ़ाने को विशेष व्यवस्था की जाती है। सभी स्तरों के विद्यालय खोलते समय छात्रा विद्यालयों की मांग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। छात्राओं को शिक्षा हेतु महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति को भी प्राथमिकता प्रदान की जाती है। बी. एस. टी सी. एवं बी.एड. प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छात्राओं के लिये स्थान आरक्षित किये हुये हैं।

चंडावल के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

99. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सोजत के चण्डावल ग्राम के सरपंच के खिलाफ पंचायत धन के दुरुपयोग की जांच सम्बन्धी कई मामले जिलाधीश पाली के यहां लम्बे समय से जांच में चल रहे हैं ?

(2) ऐसे कितने मामले जांच में चल रहे हैं तथा कितने मामलों की जांच पूर्ण हो गई है ? अब तक जांच पूरी नहीं होने क्या कारण हैं ?

(3) कृपया उक्त सरपंच के खिलाफ चल रही जांच के ब्यौरे तथा उसके खिलाफ की गई कार्यवाही से भी अवगत कराया जावे।

उत्तर

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, चण्डावल के विरुद्ध एक शिकायत राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच कराई जाकर जांच प्रतिवेदन जिलाधीश, पाली से राज्य सरकार को 27-8-81 को प्राप्त हुआ। जांच में सरपंच के विरुद्ध सभी आरोप निराधार पाये जाने पर आदेश दिनांक 30-10-81 द्वारा यह मामला समाप्त कर दिया गया है।

(2) उक्त सरपंच के खिलाफ अब कोई मामला जांच में विचाराधीन नहीं है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायकों की वरिष्ठता

100. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायकों की डी. पी. सी. की बैठक वर्ष 1971 में अब तक कब-कब हुई ?

(श्री हरीश शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि कार्यालय आदेश क्रमांक एस्ट/डी ई. एस./मिस/ 0/47662, दिनांक 12-12-1980 एवं 4766, दिनांक 30-1-1981 द्वारा डी. पी. सी. से नियमित एवं सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सांख्यिकी सहायकों की सम्मिलित (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई थी ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने से पूर्व एक माह की अवधि में ठोस आधार पर आपत्ति पत्र मांगे गये थे ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों के आपत्ति-पत्र प्राप्त हुए ? और किन-किन आधार पर उनकी आपत्तियों को नहीं माना गया ? कृपया कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कार्यालय आदेश संख्या क्रमांक एस्ट/डी. ई. एस /मिस/80/4521, दिनांक 30-1-1981 एवं क्रमांक 10572 दिनांक 6-3-1981 द्वारा अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी करदी गई ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या वर्ष 1984 में सांख्यिकी सहायकों की वर्ष 1971 से 1982 तक की डी. पी. सी. रिव्यू की गई है ? यदि हां, तो किस नियम/आदेश के अन्तर्गत की गई ? कृपया निकाली गई प्रोविजनल सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या जिन कर्मचारियों की आपत्तियों को वर्ष 1981 की डी. पी. सी. ने नहीं माना उन्हीं कर्मचारियों को वर्ष 1984 की डी. पी. सी. में ऊपर कर दिया गया ? यदि हां तो किस आधार पर किया गया ?

(7) क्या जिन कर्मचारियों को वर्ष 1981 की डी. पी. सी. ने वर्ष 1978 के कोटे में नियत किया गया था उनको वर्ष 1984 की डी. पी. सी. ने कौन से वर्ष में रखा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सांख्यिकी सहायकों की वर्ष 1971 से डी. पी. सी. निम्न दिनांकों को हुई हैं। 5-12-80, 30-12-80, 6-6-81, 20-10-82, 30-4-84, 22-4-85.

(2) जी हां।

सूचियां संलग्न हैं (परिशिष्ठ क व ख ग)।

(3) जी हां।

सूची संलग्न है। आवेदनों के कारणों पर किये गये निर्णय का विवरण है। (परिशिष्ट-ग)।

(4) जी हां।

सूची संलग्न है (परिशिष्ट क एवं ख)।

(5) जी हां।

रिव्यू डी. पी. सी. राजस्थान अधिनस्थ सांख्यिकी सेवा नियम, 1971 की धारा

(५०)

(सांख्यिकी मन्त्री)

9 में हुये संशोधनानुसार की गई है। अन्तिम वरिष्ठा सूची संलग्न है (परिशिष्ट छ)।

(6) वर्ष 1981 की डी. पी. सी. करते समय सीधी भर्ती के अनुपात में पदोन्नति कोटा निर्धारित करते हुये पदोन्नतियों को नियमित किया गया था।

वर्ष 1984 में जिन कर्मचारियों को पार किया गया है उनको राजस्थान अधिनस्थ सांख्यिकी सेवा नियम, 1971 की धारा 9 में संसाधन होने के कारण स्थिति में परिवर्तन आया है। (परिशिष्ट-छ)।

(7) वर्ष 1981 की डी. पी. सी. में किसी कर्मचारी का वर्ष 1978 का कोटा नहीं दिया गया। वर्ष 1981 की डी. पी. सी. में 16 कर्मचारियों की पदोन्नतियों को नियमित किया गया था। वर्ष 1984 में हुई रिव्यू डी. पी. सी. से उक्त 16 कर्मचारियों में से ब्रह्मानन्द गोपालिया को वर्ष 1978 का एवं शेष का वर्ष 1979 एवं 1980 के कोट में लिया गया है। (परिशिष्ट-छ)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

साहबा सिंचाई जलोत्थान योजना

101. **श्री इन्द्र सिंह पूनिया** (सादुलपुर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) साहबा सिंचाई जलोत्थान योजना में कितने गांव शामिल किये गये हैं? योजना शुरू होने से मार्च 1985 तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? क्या योजना के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां तो किस प्रकार का परिवर्तन? नहीं, तो किस आकार में पूर्ण की जावेगी?

(2) 1985-86 में इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय करनी प्रस्तावित है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के संशोधित प्रारूप 1984 के अनुसार साहबा सिंचाई जलोत्थान योजना में श्री गंगानगर, व बीकानेर जिलों के 235 गांव शामिल किये गये थे। योजना शुरू होने से मार्च 1985 तक कुल 22.74 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। नहर को आगे बढ़ाकर चूरू, सीकर और झुन्झुनू नगरों को पीने का पानी तथा अन्य उपयोग हेतु पानी पहुंचाने तथा 60 मीटर लिफ्ट तक के ब्लोक के स्थान पर लिफ्ट नहर के दोनों ओर 4 किलोमीटर तक की सीमा में सिंचाई किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) योजना पर वर्ष 1985-86 में 216 लाख रुपये व्यय करने प्रस्तावित हैं।

देशनोक का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

103. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री देवीसिंह भाटी)

(1) राजस्थान में पर्यटन विभाग के अन्तर्गत कुल कितने पर्यटन केन्द्र संचालित हैं? कृपया जिलेवार केन्द्रों के विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) सरकार की पर्यटन विकास हेतु अन्य जिलों में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने की क्या योजना है तथा कौन-कौन से जिलों में कहां-कहां केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित हैं? कृपया स्थान व चरणवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार जिला बीकानेर के दर्शनीय स्थल-देशनोक में विदेशी पर्यटकों व दर्शनार्थियों की भारी संख्या को देखते हुए केफिटेरिया बनाने तथा पर्यटन स्थल पर्यटक नक्शे में इंगित करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) पर्यटन विभाग ने राजस्थान नहर पर पर्यटकों को आकर्षित करने व पर्यटन स्थल विकसित करने हेतु अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं? क्या राज्य सरकार इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कोई योजना बना रही है? यदि हां तो योजना का विवरण दें।

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पर्यटन सूचना केन्द्र कार्यरत है, पर्यटन केन्द्र नहीं। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सातवीं पंच वर्षीय योजना में सीकर में पर्यटक सूचना केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

(3) बीकानेर जिले के दर्शनीय स्थल देशनोक में कैफ्टेरिया बनाने का वर्तमान में कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि निगम के सीमित वित्तीय साधनों, उक्त स्थल पर सम्भावित व्यापार एवं अन्य प्राथमिकताओं के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है। देशनोक पर्यटक स्थल का उल्लेख पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित बीकानेर जिले के साहित्य एवं पर्यटन स्थल में किया हुआ है।

(4) यह प्रकरण विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें)।

कोटा के शरणार्थी सिन्धी परिवार

104. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में भारत विभाजन के समय सिंध से आये सिंधी शरणार्थी परिवार अभी तक गाडी खाना आदि अन्य स्थानों पर रह रहे हैं? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने-कितने परिवार किस-किस स्थान पर कब-कब से रह रहे हैं? क्या सरकार इन परिवारों को स्थायी रूप से बसाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

(2) क्या यह भी सही है कि इन परिवारों के विरुद्ध किराया वसूल करने की कार्यवाही भी सरकार द्वारा की गई है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

गाड़ीखाना मवेशी अस्पताल में 118 तथा गौशाला में 40 परिवार वर्ष 1949 से रह रहे हैं।

जी, हां।

(2) जी, हां।

पंचायत समिति कपासन के अहाते में निर्मित मकान

106. **श्री दीनबन्धु वर्मा** (कपासन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति कपासन के कार्यालय अहाते में कितने मकान पंचायत समिति के अधिकारियों एवं स्टाफ के लिए बनवाये गये थे ?

(2) उपरोक्त मकानों में वर्तमान में कौन-कौन अधिकारी रह रहे हैं, तथा बाकी में न रहने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, कपासन के अहाते में अधिकारियों एवं स्टाफ के लिये 12 क्वाटर बनाये गये हैं।

(2) सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें)।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री शोपत सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी बैंक के कर्ज की जबरन वसूली से किसानों में रोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री रमजान खां और श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से से कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर के बन्द होने से श्रमिकों में बेरोजगारी के कारण असन्तोष के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरीश शर्मा और श्री गणेश लाल वैरागी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर में कानूनी अव्यवस्था से हत्याओं के सम्बन्ध में।

(4) श्री मोहनलाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से बोरावड निवासी छोटूडी पत्नी श्री नानूराम के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में।

(5) श्री चुन्नीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुजानगढ़ निर्वाचन

(श्री अध्यक्ष)

क्षेत्र में पानी के अभाव से जन जीवन और पशु धन के लिए विकट समस्या के सम्बन्ध में।

(6) श्री नवरंग सिंह और श्री शिवचरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से अमरावती और शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त डिग्री व डिप्लोमा प्रमाण-पत्रों की मान्यता समाप्त करने से असन्तोष के सम्बन्ध में।

(7) श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम बूली तहसील बानसूर निवासी चमेली नामक विवाहिता के साथ उसके पति की सहमति से बलात्कार व दोषियों को गिरफ्तार नहीं करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री नारायण राम बेड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले के 422 गांवों में पीने के पानी के अभाव के सम्बन्ध में।

(9) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान नहर की सूरतगढ़ ब्रान्च और लूणकरणसर लिफ्ट नहर में पानी की बन्दी से फसलें बरबाद होने के सम्बन्ध में।

(10) श्री लालचन्द डूडी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भादरा तहसील के गांवों में 4 सालों से चीनी का वितरण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से 24 जून को झुंझुनूं में साक्षात्कार के लिए आये व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में।

(12) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में चल रही मिनी बसों में अधिक सवारियां भरने और तेज गति से चलाने के संबंध में।

(13) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से आलनिया नदी पर स्थित डाबरा गांव के ग्रामीणों का पानी के अभाव के कारण पलायन के संबंध में।

(14) श्री चम्पालाल बांठिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में कम अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

(15) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड द्वारा रेकार्ड जलाये जाने के संबंध में।

(16) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से घरेलू उपभोग की वस्तुएं विशेष कर चीनी के भावों में अत्यधिक वृद्धि के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय किया जायेगा।

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री बिरदमल सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कंदोई बाजार जोधपुर में गटर का पानी ओवर फ्लो होने से गन्दगी के संबंध में ।

(2) श्री दाऊदयाल जोशी और श्री हरिकुमार औदिच्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से महाराव भीम सिंह अस्पताल में चिकित्सकों के पदों में कमी से अव्यवस्था के संबंध में ।

(3) श्री फूल चन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से कपिल चिकित्सालय नीम का थाना का भवन खराब होने के सम्बन्ध में ।

(4) श्री डूंगर राम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में अध्यापकों के अभाव के बारे में ।

(5) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर में रेजगारी की कमी के सम्बन्ध में । यह विषय केन्द्र सरकार से संबंधित है और प्रस्ताव भी अस्पष्ट है ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार किये हैं, उन्हें मैं क्रमशः पुकारूंगा वे दो मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त करेंगे ।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

सत्रावधि में पत्रकार सम्मेलन में वित्त सचिव द्वारा बढ़ी हुई विद्युत दर के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर । अध्यक्ष महोदय, कल राजस्थान के वित्त सचिव महोदय ने ...

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर है ।

श्री नाथूसिंह : मैं वही निवेदन कर रहा हूं, पहले सुन लीजिये । राजस्थान के वित्त सचिव महोदय ने एक प्रेस कान्फ्रेंस की थी जो आज समाचार पत्रों में छपी है। अध्यक्ष महोदय, इसकी दो लाइन पढ़ कर मैं आपको सुनाना चाहूंगा—विधान सभा में वर्ष 1985-86 का बजट पेश किये जाने के बाद सरकार की ओर से सफाई देते हुए नरेश चन्द्र ने कहा कि बिजली की बढ़ी हुई दरों के कारण सम्पन्न वर्ग ज्यादा प्रभावित होगा, अब आगे उन्होंने पूरी डिटेल दी है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के बजट पेश किये जाने के बाद सरकार की ओर से सफाई स्पष्टीकरण दिया उन्होंने । अध्यक्ष महोदय, रूल्स में स्पष्ट प्रावधान है कि जब सदन चल रहा हो विधान सभा का तो उस समय कोई भी ऐसी सूचनाएं या स्पष्टीकरण पहले सरकार को माननीय सदस्यों को सदन में देना चाहिए । यह पहली बार

(श्री नाथूसिंह)

परम्परा सामने आयी है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने डाली है। ऐसी बात सरकार की ओर से ...

श्री अध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री नाथूसिंह : मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आया, इससे क्या होगा, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर भाषण देना है तो है अलाउ नहीं करूंगा। आपका रुल्स में आता है, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री नाथूसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैंने —

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य मैं भाषण को ...

श्री नाथूसिंह : राजस्थान के वित्त सचिव और राजस्थान के वित्त मंत्री के विरुद्ध मैंने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर दिया है तो विचारार्थ आयेगा, मैं देखूंगा उसको जब उस पर बात करूंगा। माननीय सदस्य कृपया बैठें। आपने यदि विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया है तो मैं उसको एग्जामिनेशन करवाऊंगा। कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : नहीं, उसी लाइट में आप एग्जामिनेशन ...

श्री अध्यक्ष : उस पर मैं अभी इस समय इजाजत नहीं दूंगा बोलने की। आपका प्रस्ताव आयेगा तब मैं बात करूंगा। माननीय सदस्य कृपया बैठें।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर। ...

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा जानकारी देने में विलम्ब

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान नहर जो कि गत चार महीनों से लगातार बन्द चल रही है उसके ऊपर एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियमों की पालना करें, माननीय सदस्य, मैंने इस पर जानकारी कराई है। इसके महत्व को देखते हुए कराई है। आपके स्थगन प्रस्ताव के महत्व को देखते हुए मैंने जानकारी मांगी है। मैंनें यह नहीं कहा है अविलंबनीय लोक महत्व का नहीं है कि

(श्री अध्यक्ष)

मैं खारिज करता हूं। मैंने जानकारी मांगी है। मैंने अभी व्यवस्था नहीं दी है। मेरी व्यवस्था होने के बाद आप बोलिए इस पर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि एडजोर्नमेंट मोशन का क्या मतलब है इसके लिए जो तुरन्त अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न हैं उसके लिए यह सरकार चाहे कहीं से मंगाए चाहे वो स्पेशल मेसेंजर से हो, चाहे टेलीफोन से सूचना मंगा करके उसी दिन इसको हाउस में रखना चाहिए। अगर एडजोर्नमेंट मोशन का यह मतलब है कि इन्तजार कराएं, अध्यक्ष महोदय, तो आज फसलें बरबाद हो रही हैं, सिंचाई हो नहीं सकती, लोग प्यासे मर रहे हैं, फसलें बरबाद हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एडजोर्नमेंट मोशन का मतलब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, सदन में न आप नये हैं, न मैं नया हूं, परम्परा आपको भी मालुम है। कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : गलत परम्परा पड़ रही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : गलत परम्परा नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : आज लोग प्यासे मर रहे हैं, आज वहां सिंचाई समय पर हो नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में अन्य माननीय सदस्यों के भी प्रस्ताव आये हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : तो उसकी गंभीरता को देखते हुए आप वक्तव्य दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष : मैं सूचना आने पर जैसा उचित समझूंगा, अगर वक्तव्य दिलाना होगा तो जरूर वक्तव्य दिलाऊंगा, माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। यह सरकार न तो अकाल राहत कार्य खोल रही है न और कुछ कर रही है। इनमें ऐसा कोई भी माई का लाल नहीं है जो पंजाब से जाकर पानी ले आए। यह न तो पूरा पानी ला सकते हैं, लोगों को प्यासा मार रहे हैं, न राहत कार्य खोल सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : इसलिए यह सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है।

श्री अध्यक्ष : जवाब आने पर निर्णय लेगें माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हमको कोई एतराज नहीं है। हम नहीं बोलेंगे इस पर। हमने जो स्थगन प्रस्ताव के जरिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है मुझे लगता नहीं कि इस सेशन में कोई भी मंत्री हमारे किसी भी स्थगन प्रस्-

(श्री शोपतसिंह)

ताव पर जवाब देने की हालत में है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप यह पहले ही मान कर चल रहे हैं।

श्री शोपतसिंह : स्थगन प्रस्ताव हम देगें नहीं, अगर स्थगन प्रस्ताव की इम्पोर्टेंस इस तरह से कम कर दी जाय और उसका कोई ठीक वक्त पर जवाब नहीं मिले, तो फिर हम सोचेगें कि हमें स्थगन प्रस्ताव देना चाहिए या नहीं।

श्री अध्यक्ष : जल्दी जवाब मंगायेगें माननीय सदस्य।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, व्यवस्था का प्रश्न आ गया, मेरे सामने माननीय सदस्य।

श्री चम्पालाल बांठिया : बोर्डर पर पाकिस्तानियों द्वारा डकैती कर, वहां से मवेशी और माल को लूट कर ले जाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको मालुम है कल व्यवस्था दी थी इस पर जवाब मांगा है, जवाब आने पर व्यवस्था दी जाएगी, माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात, एक सूचना देना चाहता हूं, सूचना यह है कि विधान सभा के सामने वे शिक्षक बैठें हैं जिन्होंने फिजीकल ट्रेनिंग की है, अध्यक्ष महोदय, आप भी आते-जाते उनके नारे सुन रहे हैं, सरकार भी सुन रही है इसलिए मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य, नियम बने हुए हैं।

श्री नवरंगसिंह : वह ठीक है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियम बने हुए हैं, नियमों का ध्यान करें।

श्री नवरंगसिंह : यहां तक आवाज आ रही है उनकी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, आपकी ओर से व्यवस्था है, उस नाते से दिलाना चाहता हूं, आज एक व्यक्ति कालाडेरा में और मर गया मैंने कल निवेदन किया था, 8 मरे हैं, फिर तीन मरे, फिर दो मरे। मरते ही चले जा रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कल आपने कहा था, मैंने सूचना मंगाई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : किस सीमा तक इन्तजार करें अध्यक्ष महो-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दय, एडजोर्नमेंट मोशन आप रिजेक्ट कर दें, हमें आपत्ति नहीं। एडजोर्नमेंट मोशन के लिए सरकार से आप जानकारी प्राप्त करें और सरकार जानकारी नहीं दे और जिसको आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने रिजेक्ट नहीं किया उसकी इम्पॉरटेंस को आपने महसूस किया, सरकार से आपने जवाब मांगा, सरकार तीन दिन तक जवाब नहीं दे, लोग मरते जायं तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे और आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार से जवाब मंगाया है, जल्दी से जल्दी जवाब मांगा गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जल्दी से जल्दी की कोई सीमा होगी ?

श्री अध्यक्ष : जवाब के लिए मैंने आज के लिए कहा है, आज जवाब आ जाएगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या राज्य सरकार चाहती है कि जितने मरते हैं मर मरा जायं तब जाकर बात की जाय, आखिर कुछ सीमा तो होगी साहब, केस इतना इम्पारटेंट, इतने दिन पहले हुआ है, सरकार सो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब आने दें, यह तो जवाब के लिए रूकेगा या एक्शन से रूकेगा ? यह तो एक्शन से रूकेगा, जवाब से थोड़े ही रूकेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा यही तो कहना है, पशु मरते जा रहे हैं, कितना दुख होता है।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवा महल) : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, फिर हाउस सम्मन करने का मतलब क्या हुआ, यह तो कोरस्पोंडेंस से कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। मैं मौका दूंगा। आर्डर प्लीज।

प्रश्नों का स्थगन एवं स्थगित प्रश्नों के उत्तर

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्नकाल में प्रश्न रखे जाते हैं उनकी प्रक्रिया ऐसी जटिल है कि महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वह तो कई बार रह जाते हैं और साधारण प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं खैर यह तो व्यवस्था अलग है लेकिन जब प्रश्न आ जाते हैं, लाल किताब में अंकित हो जाते हैं उसमें बाद में क्या होता है, जैसे कल था, कल 10 सवाल पूछे गये उनमें से चार सवालों को स्थगित करा दिया सरकार ने

श्री अध्यक्ष : उनके जवाब तो आ जायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह मतलब नहीं, आगे जब आयेंगे, सवाल मेरा यह है कि

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यह जो स्थगित करा देते हैं, आप एडजोर्नमेंट के लिए तो कह देते हैं कि सरकार तैयार नहीं थी, आज आपने दिया है, जानकारी लेंगे, लेकिन सवाल तो पहले ही तैयार होते हैं क्योंकि सूचना पहले ही उनके पास चली जाती है फिर भी जवाब नहीं देते हैं यह आप देखते हैं, उनको आप मौका दे दें, लेकिन मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि कम से कम यह तो बताया जाय कि यह जो पोस्टपोनमेंट मांगते हैं, उनका ग्राउण्ड जेनूइन, सेटिस्फेक्ट्री है या नहीं, हाउस को यह तो बतायेंगे या नहीं ? आप इसमें क्या व्यवस्था देंगे, यह एडजोर्न करा लेते हैं, उनके रीजन्स तो होंगे। इसलिए मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आप यह व्यवस्था कर कि यह जो पोस्टपोन कराना चाहते हैं तो उसके रीजन्स की जानकारी हाउस को दी जानी चाहिए। We should now the reasons at least.

स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार-अस्वीकार करने, उन पर राज्य सरकार से जानकारी करने की प्रक्रिया

श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, आज जो भी सदन में एडजोर्नमेंट के बारे में सवाल उठे हैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, इस संबंध में

श्री मोहन छंगाणी : हां, इसी संबंध में, विपक्ष के नेता महोदय ने एडजोर्नमेंट की प्रक्रिया के बारे में —

श्री अध्यक्ष : क्वशचन एडजोर्नमेंट का है आप कंफ्यूज कर रहे हैं, यह प्रश्न-काल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यह पाइन्ट आफ आर्डर उसका था।

श्री मोहन छंगाणी : उसी के संबंध में, यह बात सही है कि आपके एडजोर्नमेंट मोशन रोज 8, 10, 15 आते हैं, विपक्ष के नेता महोदय ने जो प्रश्न उठाया, उसी के बारे में मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन में एडजोर्नमेंट मोशन की प्रक्रिया के बारे में प्रश्न उठे कम से कम उसके बारे में निश्चित निर्णय लें क्योंकि यह सही है, चतुर्वेदीजी ने जैसा कि निवेदन किया कि कोई एडजोर्नमेंट मोशन अगर हम सोचते है कि महत्वपूर्ण है, और आप उसको महत्वपूर्ण उतना नहीं मानते जितना मानना चाहिए, क्योंकि एडजोर्न सारी कार्यवाही होनी चाहिए-इस बारे में आपका निर्णय हमेशा शिरोधार्य है पर कभी कभी ऐसे भी इश्यू आ जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और हमारे सब के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं, उसको एडजोर्नमेंट मोशन के हिसाब से कभी कभी मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, लेना चाहिए और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो 10-15 एडजोर्नमेंट मोशन रोज के लिए हैं उन पर 2-2 मिनट बोलने की इजाजत दी जाती है इसका भी कोई न कोई हल निकालना चाहिये ताकि इस प्रक्रिया पर जो दवाब

(श्री मोहन छंगाणी)

पड़ रहा है सदन में, वह कम हो । यह परंपरा मैं मानता हूं, अच्छी नहीं है और इसमें विपक्ष और सारे सदन के सामने प्रश्न उठ जाय तो उस पर क्या किया जा सकता है इस पर आप निश्चित रूप से निर्णय करें अध्यक्ष महोदय, जिससे कभी कोई एडजोर्नमेंट सचमुच में हो और हम लेना भी चाहते हैं तो उसके बारे में एड-जोर्नमेंट मोशन की प्रक्रिया अवेलेबल तो है इस सदन में, अगर अमल में नहीं आती तो एडजोर्नमेंट मोशन की प्रक्रिया बनी कैसे ? इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप सदन के नेता महोदय से इस पर विचार करें, इसके बारे में निश्चित रूप से निर्णय करें ताकि कम से कम हम एडजोर्नमेंट मोशन लाएं तो आप आश्वस्त तो हों ।

श्री अध्यक्ष : इस पर विचार करेंगे,

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशन-पोल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो व्यवस्था का प्रश्न तो दीजिए, कोई और बात कहनी हो, भाषण देना हो तो मैं अलाऊ नहीं करूंगा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप मत करिए अलाऊ ।

श्री अध्यक्ष : तो मुझे एक व्यवस्था का जवाब देने दीजिए । जब भी किसी व्यवस्था का, एडजोर्नमेंट मोशन का प्रश्न आता है तो उसके रीजन्स लिखित में पहले भेज दिए जाते हैं इसलिए जो प्रश्न एड-जोर्न किया था आज का भी और कल का भी उसकी इनराईटिंग सूचना पहले विधान सभा सचिवालय के पास आ गई थी उसमें रीजन्स थे तभी हमने कहा कि इसको स्थगित किया जाय, रीजन्स आने चाहिये, रीजन्स आते है, ऐसी बात नहीं है कि रीजन्स नहीं आते ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : हाउस को इसकी जानकारी दी नहीं जाती ।

श्री अध्यक्ष : हाउस चाहे जाने या नहीं ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रश्नों की जानकारी, क्योंकि डिपार्टमेंट के अन्दर प्रश्न 15 दिन पूर्व ही चले आते हैं, लेकिन प्रश्न सूची में लग जाते हैं उसके बाद सूचना देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें, मैं समझ गया आपकी बात को ।

श्री देवीसिंह भाटी : यह जो परम्परा है यह बिल्कुल गलत है कि लिस्ट में आ जाने उस वक्त रिजेक्ट करते हैं जबकि यह सूचना डिपार्टमेंट में जब प्रश्न जाते हैं उस वक्त देनी चाहिए । जिससे लिस्ट में भी साया न हो । माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में भी सूचना दी जानी चाहिए ।

श्री भंवर लाल शर्मा : अध्यक्ष महो-दय, आपकी व्यवस्था यह रहेगी कि आइन्दा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

स्थगित होंगे तो उसके रीजन्स हाउस में बताये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : चेयर से बता दिये जायेंगे। अगर मेरे पास आ गये तो मैं बता दूंगा। श्री विरदमल सिंघवी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने जो बात कही है उसके सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं आप चाहें अस्वीकार कर दें। कल हाउसिंग बोर्ड में शाम को ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। मैंने इस पर व्यवस्था दे दी है आप कृपया बैठें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी हाउस में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने इस पर व्यवस्था दे दी है, इसको मैं नहीं सुनूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हाउसिंग बोर्ड में कल सात बोरे जलाए गये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने जानकारी मांगी है, जब तक जानकारी मुझे मिले। आर्डर प्लीज, अंकित न हो।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : XXX

श्री अध्यक्ष : यह यहां पर चर्चा की बात नहीं है। मेरे कक्ष में आकर कह दें। मेरी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चैलेंज नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह चैलेंज बराबर ही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं मैं इस पर बोलूंगा नहीं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, परम्परा रही है कि....

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह सारे कागजात टेबल पर रखने को तैयार हूं। मैं यह टेबल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे दी जाती है, स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा होती है। कई बातें हो सकती हैं। सरकार से जानकारी लेनी है। यहां से पत्र लिखा गया है। भविष्य में फिर लिखा जा सकता है। यहां सदन का समय लें उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप मुझ से मिलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं चैम्बर में मिलकर सन्तोष करा दूंगा।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खाराबेरा में लोगों के मरने के विषय में स्थगन प्रस्ताव रखा गया था उससे स्पष्ट है कि गन्दगी के कारण ..

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न जोधपुर के गटर....

श्री बिरदमल सिंघवी : मैं उसी पर आ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा नहीं लेंगे ।

श्री बिरदमल सिंघवी : मैं बिल्कुल नही लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : दूसरे की बात नहीं करेंगे । आप उसका जिक्र भी नहीं करेंगे ।

श्री बिरदमल सिंघवी : अच्छी बात है ।

जिस प्रकार की स्थिति आज जोधपुर नगर की बन रही है । जोधपुर नगर का सबसे व्यवस्त चौराहा कंदोई बाजार का चौराहा है जहां पर लगभग 20 हजार आदमी प्रति दिन कम से कम उससे होकर गुजरते है । सारे लोग इस चौराहे से होकर गुजरते हैं । और इस बाजार में से होकर सारे मन्दिर इत्यादि के रास्ते उसी से होकर गुजरते हैं । परन्तु पिछले कुछ समय से इस चौराहे पर गटर का पानी बहता रहता है । सारे गटर खुले पड़े हैं । वहां पर 1 फुट और 6 इन्च तक गटर का पानी बहता रहता है । सारे गटर खुले पड़े हैं । इस प्रकार की स्थिति जोधपुर नगर की बनी हुयी है उसके कारण वहां पर भयंकर बीमारी फैलने की आशंका है सारे गटर का पानी ऊपर से होकर बहता है । उसके कारण वहां का बाजार जो कि कंदोई बाजार है जहां पर मिठाई की दूकानें हैं । इन सारी दूकानों पर इस गन्दगी का असर होता है । उसके कारण वहां पर भयंकर बीमारी फैलने के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं । पास ही में एक छात्राओं का स्कूल है छोटी-छोटी छात्रायें हैं, उन स्कूलों में जाती हैं । सुबह का स्कूल का समय हैं वहां पर सुबह के समय यह पानी बहुत अधिक मात्रा में ज्यादा तेजी से बहता है उस समय उन छात्राओं की हालत इस प्रकार की खराब होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है । महिलायें मन्दिर जाती हैं सबसे प्रसिद्ध वहां पर जो मन्दिर है वह है कुंज बिहारी का मन्दिर, वह भी उसी चौराहे पर पड़ता है उसी चौराहे से होकर जाना पड़ता है । महिलायें सुबह दर्शन के लिए जाती हैं और उनको इस गन्दे पानी से होकर गुजरना पड़ता है । उस समय करीब 6 से 8 इन्च और 1 फुट तक पानी बहता है । उनके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं और कई बार इसके कारण से महिलायें फिसलकर गिर पड़ती हैं और दृश्य बड़ा विभत्स हो जाता है । अध्यक्ष महोदय, आप कल्पना करें जिस समय महिलायें जा रही हैं और

(श्री बिरदमल सिंघवी)

फिसलकर गिर पड़े उसके कारण कितनी खराब स्थिति हो जाती है। तो वहां पर इस प्रकार का वातावरण बनता है। उसके कारण मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो नाला है उस गटर के पानी को तुरन्त बन्द करना चाहिए। बन्द करने की सरकार कृपा करे। मैं निवेदन करूंगा यह गटर का पानी जो ऊपर से होकर बहता है यह पानी की पाइप लाइन के ऊपर से होकर बहता है, उसके कारण पाइप लाइन के जो ज्वांइट्स हैं उन ज्वांइट्स मे वह गन्दा पानी एन्टर हो रहा है। इस प्रकार की कई प्रकार की शिकायतें वाटर वर्क्स को मिली हैं कि दूषित जल मिला हुआ है और इस प्रकार के उन्होंने टेस्ट भी कराके देखे हैं। दूषित जल इस प्रकार का है जिसको पीने से आदमी भयंकर रूप से बीमार हो जायेगा, मर भी सकता है। इस प्रकार की स्थिति जोधपुर नगर की हो गयी है। कीचड हर समय बना रहता है। वाहन जा नहीं सकते हैं चक्कर काटकर जाना पड़ता है। इस चौराहे को एवोइड करते हुए उतरना पड़ता है वाहन से। जोधपुर नगर की इस प्रकार की स्थिति है भयंकर बदबू है सारा वातावरण खराब है। मिठाई खरीदने इन दूकानों में कोई जाना पसन्द नहीं करता है। मन में यह भय होता है कि यहां गन्दगी है। मावे की कचोरी की जो मशहूर दूकानें हैं वह वहां पर ही हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मावे की कचोरी वहां की प्रसिद्ध मिठाई है। वहां पर मिठाई खरीदने कोई जाना पसन्द नहीं करता है। वहां कौन जाकर खड़ा होगा जहां पर इसके नीचे गन्दा पानी बह रहा है। क्योंकि गन्दगी में कौन खड़ा होगा। पानी बह रहा है, जूते खराब हो रहे हैं, कपड़े खराब हो रहे हैं

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बिरदमल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं खारावेरा का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता था कि वह तो गांव का मामला था परन्तु यदि यह बीमारी नगर में फैल गयी, नगर में पीने के पानी के कारण अगर इस प्रकार की बीमारी फैल गयी तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। उसको रोकना बड़ा कठिन काम हो जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको तुरन्त रोकिये। एक निवेदन और करना है गटर की अलटरनेटिव लाइन वहां पर बनायी गयी है इसका कारण पानी का प्रेशर बहुत अधिक होता है। वहां पर पानी की डबल डबल लाइन चल रही है उसके बाद भी वह निकलता नहीं है ओरिजनल जो गटर लाइन वहां पर है वह 7 इन्च की थी आज शहर की स्थिति को देखते हुए वह 9 इन्च की लाइन पर्याप्त नहीं है। जो लाइन 18 इन्च की सोजती गेट की ओर मोड़ी गयी है वह आज काफी समय से बन्द पड़ी है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि काफी समय से आज तक उसका आधा हिस्सा नहीं बना है। बन्द है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

(54)

श्री बिरदमल सिंघवी : मैं बिल्कुल संक्षेप में निवेदन करूंगा। उस गटर लाइन का उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं खोदी गयी है कोई नहीं जानता है। आज तक उस पर एक करोड़ रुपया लग चुका है। परन्तु क्योंकि वह गटर लाइन कुछ स्थानों पर नहीं बन पायी है इसके कारण से उसका उपयोग नहीं हो रहा है। गटर लाइन का उपयोग हो सके इसके लिये उसको पूरा करवाने की तुरन्त व्यवस्था कर दी जाय जिससे कि प्रेशर कम होगा और चौराहा साफ होगा। जोधपुर में आज म्युनिसपल्टी जो नरक का दृश्य उपस्थित कर रही है वह नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : हम कोटा नगर के निवासी इस बात की आकांक्षा रखकर चलते थे कि अब कोटा में मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद सही चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सकेगी। लेकिन दुर्भाग्य है सदन में वित्त मन्त्री ने जब बजट पेश किया तो पिछले सत्र में आश्वासन के बावजूद कोटा को मेडिकल कॉलेज मिलने की बात इसमें गायब है।

कहने को राजस्थान में कोटा नगर का एम. बी. एस. और जे. के. लोन हॉस्पिटल सबसे बड़ा अस्पताल है। 530 और 130 शैय्याओं के दो हॉस्पिटल हैं उनकी दुर्व्यवस्था से हम परेशान थे ही चिकित्सा सुविधा समय पर नहीं थी डाक्टरों की अव्यवस्था से सारे लोग त्रस्त थे। डाक्टरों की भ्रष्टाचार की नीतियों के कारण परेशान थे वहां दूसरी तरफ राजनैतिक कारणों से कोटा में शायद, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान के चिकित्सा मन्त्री बीमार हैं इसलिए अन्धे के आगे ढोल बजाने के समान मेरी बात है। लेकिन फिर भी राजस्थान में यह सदन सर्वोपरि है राजस्थान की तीन करोड़ जनता इस बात को सुनेगी इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस हॉस्पिटल के अन्दर दो महिला वरिष्ठ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी। तीन की मांग थी लेकिन तीन की मांग के बावजूद सन् 73 से लेकर 85 आ गया, तीन की जगह छः चिकित्सक होनी चाहिए थी। महाराव भीमसिंह हॉस्पिटल और जे. के. लोन हॉस्पिटल में आपरेशन नियमित रूप से होते हैं लेकिन दुख है कि राजनैतिक प्रेशर नहीं होने के कारण और भाई रामकिशन जी का दबदबा नहीं होने के कारण अभी तक जो कोटा में एक पद सन् 74 में सृजित किया गया था उसको तोड़ दिया गया है महिला चिकित्सक का और उस पद को करके और चूंकि व्यावर का बहुत अधिक प्रभाव था इसलिए उस पद को जो सन् 74 से था, उसको तोड़ करके व्यावर में वरिष्ठ महिला चिकित्सक की नियुक्ति कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, कल जो आंकड़े पेश किए गए थे परिवार नियोजन के और आशित लक्ष्य के अनुसार आंकड़े पूरे क्यों नहीं हुए ? अभी 84 के अन्दर दूरबीन

(श्री दाऊदयाल जोशी)

नसबन्दी का जो प्रचलन प्रारम्भ हुआ, उस दूरबीन नसबन्दी के आधार पर कोटा के अन्दर एक वरिष्ठ चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक तो हम एक्टीवेट करने की बात करते हैं, हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम की माला को जपते-जपते हमारे कांग्रेस के बन्धु आलाप करते है लेकिन उस परिवार नियोजन के आंकड़े इसलिए पूरे नहीं हो पाए क्योंकि कोटा में दूरबीन नसबन्दी की जो वरिष्ठ महिला चिकित्सका थी उसका ट्रांसफर किया जा रहा है गंगानगर की तरफ। अब यह गंगानगर और ब्यावर को चिकित्सा सुविधा अधिक मुहैय्या करें और कोटा जो राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, कोटा जो प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, राजस्थान में केवल कोटा नगर औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमें अपेक्षा थी कि कोटा में मेडिकल कालेज मिलने के बाद हमें निश्चित रूप से कोई न कोई और सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। मुझे तो लगता है कि इस प्रकार की कोई सुविधा हमें अब नहीं मिल सकेगी। मैंने इसके बारे में प्रश्न भी दिया है, उसके आंकड़े देखने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि सबसे अधिक एक्सीडेंट केसेज अगर राजस्थान में होते हैं तो वह कोटा नगर में होते हैं और कोटा नगर में एक्सीडेंट के इण्डोर पेशेंट्स की संख्या भी अधिक होती है लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके लिए हमारे अनेकों बार राज्य सरकार को लिखने के बाद भी और मंत्री महोदय को बारबार लिखने के बाद भी कोटा में आज तक न्यूरोसर्जन नहीं है। इसके कारण से अनेकों लोग मौत के शिकार होते हैं। वरिष्ठ चिकित्सक का पद आवश्यक था उनको भरा नहीं जा रहा है। वरिष्ठ चिकित्सक का पद महाराव भीमसिंह हॉस्पिटल से और जे. के. लोन हॉस्पिटल से तोड़ा जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, अगर मन्त्रीजी के बजाय और कोई मन्त्री सुनते हों तो मुझे तो दिख नहीं रहा है कि कोई मेरी बात को गम्भीरता से ले रहा है। मन्त्री महोदय बैठे हैं वे भी बातों में मशगूल हैं। माननीय मन्त्रीजी हमारे पर भी थोड़ी सी दया करो उदयपुर के निवासीजी। कृपा करो, मेहरबानी करो, हमारी बात पर तवज्जोह दो और कृपा करके कोटा का उद्धार करो, उदयपुर की तरफ ही मत देखो। कोटा में अगर आओगे और अगर इस प्रकार की स्थिति रही तो माहोल क्या बनेगा। हमें विवश हो करके, कोटा की जनता को अगर वरिष्ठ चिकित्सक का पद इस तरह से तोड़कर दूसरी जगह ले जाया गया तो हमें पूरी तरह से आन्दोलन करना पड़ेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी, चिकित्सा मन्त्री जी की होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरि कुमार।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में डाक्टर्स ट्रांसफर और अव्यवस्था के बारे में मेरा यह स्थगन प्रस्ताव है। जहां तक महाराव भीमसिंह चिकित्सालय का सवाल है यह केवल मात्र

(56)

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

कोटा नगर और कोटा के आसपास से सम्बन्धित ही नहीं बल्कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, तीन जिलों की जनताओं का इससे सीधा सम्बन्ध रहता है। इसलिए इस हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति जो दिन प्रतिदिन बनती जा रही है वह हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। अभी भाई दाऊदयालजी बता रहे थे कि हमें आशा थी कि मेडिकल कालेज की पूर्व मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी, इसकी स्थापना के बाद इस क्षेत्र की जनता को चिकित्सा की दृष्टि से कुछ सुविधा मिलेगी। मेरा आगे और कहना है कि केवल मात्र भूतपूर्व माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा ही नहीं की थी बल्कि कोटा में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए प्रिंसिपल की नियुक्ति भी कर दी गई थी और मेडिकल कालेज चलाने के लिए स्थान भी तय कर लिया गया था और प्रवेशार्थियों के वास्ते, एडमीशन के वास्ते प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी गई थी। किन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनैतिक दबाव के कारण, राजनैतिक भेदभाव के कारण कोटा का वह मेडिकल कालेज जिसकी आज नहीं बल्कि पिछले अर्से से मांग की जाती रही है और राजस्थान के जितने बड़े-बड़े नगर हैं उन सब नगरों में मेडिकल कालेज स्थापित किये जा चुके हैं, केवल मात्र कोटा नगर ही ऐसा है जहां मेडिकल कालेज स्थापित नहीं हुआ है और उसके कारण उस क्षेत्र की जनता को जो चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाई है। जहां तक महाराव भीमसिंह होस्पीटल और जे. के. लोन अस्पताल की अव्यवस्था का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और सरकारी पक्ष के कई माननीय सदस्य वहां जाकर देखें तो, हमारे यहां लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य भी विराजमान हैं यहां पर, वह जाकर देखें तो ऐसी दुर्व्यवस्था राजस्थान में और किसी अस्पताल में नहीं मिलेगी। आप चाहें एक्स-रे को लीजिए, चाहे किसी जांच को लीजिए, टट्टी, पेशाब, खून की जांच को लीजिए, वहां पर होस्पिटल के सामने स्पष्ट रूप से खुले रूप से दुकानें लगी हुई हैं। होस्पिटल के केवल मात्र एक पर्ची मोड़ने का काम जरूर होता है। आपको जो भी काम कराना है, होस्पिटल की एक्स-रे की मशीन खराब है. डाक्टर खुद कहते हैं कि हमारे यहां पर जांच नहीं हो पाएगी आप उस दुकान पर जाकर के उस डाक्टर से जांच कराकर आइये। यह स्थिति है आज कोटा नगर के अन्दर। यह बात अलग है कि समर्थ लोगों की जांच हो जाती है लेकिन कोटा नगर के अन्दर जो जन साधारण है, गरीब तबका है, मजदूर हैं उनकी वहां होस्पीटल के अन्दर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हो सकती। और भी बड़ा गम्भीर मसला बतलाऊं कि वहां पर बिजली की, विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां पर आपरेशन भी आपरेशन थियेटर की खिड़कियां खोल कर होते हैं। मरीजों को टिटेनस हो जाती। अभी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि आज से दस साल पहले एक मरीज की केवल मात्र आपरेशन

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

की गलती के कारण टिटेनस हो जाने के कारण डेथ हुई थी। आज यह हालत कोटा के अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर की है। सरकार की तरफ से कोई देखने वाला नहीं है। डाक्टर्स भी कहते हैं, मैं इस बारे में ज्यादा डाक्टर्स को दोष नहीं दूंगा लेकिन डाक्टर्स भी कहते हैं कि साहब आप कहते तो हैं लेकिन हमारे ऊपर सुनने वाला कौन है? कोटा की सुनने वाला कौन है वहां? एक पट्टी बधाने के लिए जायेंगे तो डाक्टर कहेंगे कि सामने दुकान है वहां से पट्टी लेकर आइये तब पट्टी बांधी जायेगी, दवा देना तो दर किनार की चीज रही। इस प्रकार की स्थिति वहां के होस्पिटल की है। जे. के. लोन होस्पिटल के बारे में भाई दाऊदयाल जी ने जिक्र किया है। एक वर्ष के अन्दर केवल मात्र वहां पर सुविधाओं की दृष्टि से 18 बच्चों की, छोटे-छोटे शिशुओं की मृत्यु उस जे. के. लोन होस्पिटल में हुई है। समाचार पत्र इस बात के साक्षी हैं। आपने भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़ा होगा। कुल मिलाकर जो आज कोटा नगर के एम. बी. एस. होस्पिटल और जे. के लोन होस्पिटल की स्थिति होती जा रही है। इसके लिए सीधे-सीधे राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। राजनैतिक दृष्टि से भेदभाव के कारण कोटा के एम. बी. एस. होस्पिटल में न तो दवाओं के लिए, न उपचार के लिए और न संसाधनों के लिए किसी प्रकार की कोई सहायता राजस्थान सरकार द्वारा नहीं की जाती है। इसी का कारण है, आज से पिछले दो साल के आंकड़े उठा करके आप देखिये कोटा नगर के एम. बी. एस. होस्पिटल और जे. के. लोन होस्पिटल के अन्दर मरीजों की, पेशेंट्स की संख्या कम हुई है। लोग कोटा के एम. बी. एस. होस्पिटल में इलाज कराना नहीं चाहते, छबड़ा, बांरा और उस इलाके के जो लोग हैं, वे सीधे मध्यप्रदेश में जाते। इधर के लोग सीधे जयपुर के अन्दर चले आते हैं। कोटा में एम. बी. एस. होस्पिटल से बढ़ करके तो मैं समझता हूं कि आपके जयपुर की प्राइवेट क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स हैं वे ज्यादा अच्छे हैं लेकिन वह सरकारी होस्पिटल आज इस जनतन्त्र के लिए, इस सरकार के लिए कोटा नगर के लिए कलंक है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री हरिकुमार औदिच्य : इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की अनदेखी के कारण, जो सरकार के राजनैतिक भेदभाव के कारण एम. बी. एस. होस्पिटल और जे. के. लोन होस्पिटल में मरीजों की सुविधाओं के लिए आप अविलम्ब ध्यान दें यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द।

श्री फूलचन्द (नीम का थाना) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने एक लोक महत्व का प्रश्न आपके सामने रखा था कि कपिल चिकित्सालय, नीम का थाना का जो भवन है वह इतना जरजर हो गया है। इस भवन को बने हुए बीस साल हो गए

(श्री फूलचन्द)

हैं, उसमें होस्पिटल है लेकिन ग्राज तक विभाग को हैंड ग्रोवर नहीं हुग्रा है ग्रौर इसके लिए बार-बार लिखना पढ़ रहा है। वह भवन एक पंडित जी ने बनाया था। समिति ने भी ग्रपनी रिपोर्ट 73-74 में विभाग को दे दी थी कि भवन विभाग को दे दिया जावे ग्रौर उसके बाद वह समिति समाप्त हो गई। ग्राज उस होस्पिटल का कोई धणीधोरी नहीं है। हालत यह होती जा रही है कि ग्राज बीस साल चलने के बाद भी न तो वहां सफेदी होती है, टूटे-फूटे हैं किवाड़, खिड़कियां टूटी हैं। रात दिन कुत्ते, सुग्रर वगैराह वहां ग्राते जाते रहते हैं। साथ-साथ उस भवन की हालत इतनी खराब हो गई है कि बरसात में वह भवन चूता है। इतनी दिक्कत होती है वहां। इसलिए मैंने यह मामला ग्रापके सम्मुख रखा था ग्रौर इसीलिए रखा था कि इस भवन का क्या होगा। इसका कोई धणीधोरी है ? बीस साल से यह भवन यों ही पड़ा है ग्रौर इसका कोई मालिक नहीं है। कोई समिति इसकी देख-रेख नहीं करती है ग्रौर न सरकार इसको लेने को तैयार है। तो माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस भवन को सरकार न ले तो भी इसकी व्यवस्था करके इसका ग्रांगन ठीक कराए ग्रौर इसके ग्रांगन को ठीक करके ग्रौर इसमें जो रोगियों को सबसे बड़ी ग्रसुविधा हो रही है उससे उनको फायदा दिलवाया जाय। इस भवन पर काफी लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है। चारों तरफ से दरवाजा निकाल लिया है ग्रौर रास्ते निकाल रहे हैं ग्रौर हालत इतनी बदतर होती जा रही है कि इस पर दिनों-दिन लोग ग्रतिक्रमण करते जा रहे हैं। इसलिये मैं ग्रापसे निवेदन करूंगा कि इस भवन को सरकार विभाग को हैंड ग्रोवर कराये जिससे इसकी मरम्मत हो। ग्राज 20 साल से इस भवन में न सफेदी हुई है न मरम्मत लेकिन होस्पिटल के इस भवन की सफेदी तो दूर रही उसकी टूट-फूट, किवाड़ वगैरह ग्राज तक नहीं लगाये गये हैं। मैं ग्रापसे निवेदन करता हूं कि ये विभाग को दिया जाय ग्रौर इसकी हालत को ठीक करवाया जाय जिससे वहां के रोगियों की हालत सुधरे। ये बहुत ही लोक महत्व का क्वेश्चन था लेकिन ग्रापने इसको खारिज किया ग्रौर इससे वहां के रोगियों के साथ बहुत बड़ा ग्रन्याय भी है। यहां तक कि सीकर ...

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री फूलचन्द : सीकर जिले का वह भवन जहां के लोग ...

श्री ग्रध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री फूलचन्द : हर साल, वहां पर कितने साल का ग्रांकड़ा था सरकारी शैय्याग्रों के, फिर वे 52 से ग्राज इतनी जर्जर हालत में हैं, बहुत बुरा नुकसान वहां हो रहा है इसको ठीक करवाया जाय। मैं यही ग्रापसे प्रार्थना करता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री डूंगरराम।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में हर क्षेत्र में हर विधान सभा क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों में मास्टरों की पूर्ति नहीं है जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। ये सर्वविदित है कि एक डिस्ट्रिक्ट ही नहीं सारे राजस्थान में ये समस्या जटिल बनी हुई है लेकिन सरकार इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। मास जुलाई चल रहा है विद्यालय चालू हो गये हैं लेकिन मास्टरों का अभाव अभी तक वहां पर बना हुआ है। इस पर सरकार को चिन्ता नहीं है। सरकार नींद में सो रही है। बेखबर है और नवीन विद्यालयों और विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की बात सरकार कह रही है लेकिन जो पहले से विद्यालय चल रहे हैं उनमें स्टाफ नहीं है तो नये खोलने का तो कोई औचित्य नहीं है। जब तक उनमें मास्टरों की पूर्ति नहीं की जाय ये बहुत ही चिन्ता का विषय है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर भी यह ध्यान नहीं दिया गया है जो बच्चे पढ़ रहे थे आज वे घर बैठे हैं और उनका भविष्य खतरे में है। जब शिक्षा को महत्व नहीं देते तो फिर आप देश की बात कह रहे हैं, ज्यादा है, तो क्या ये और ज्यादा नहीं होगी? जो पढ़ रहे हैं क्या वे उत्तीर्ण हो सकेंगे? तो इस बात पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये और इस कमी की जल्दी से जल्दी पूर्ति की जानी चाहिये और इस विषय में आगामी कार्यवाही से ये पूर्ति कब हो जायेगी, इससे विधायकों को अवगत भी कराया जाय यानि लिखित में भेजा जाय कि हमने फलां फलां विद्यालयों में जो कमी थी उनमें टीचरों की पूर्ति कर दी है। नहीं तो इसके बारे में जनता में बहुत बड़ा रोष व्याप्त होगा और ये नाराजगी कोई कम नहीं होगी। ये सरकार के खिलाफ नाराजगी बहुत बड़ी होगी और इससे यह भी हो सकता है कि कहीं आन्दोलन भी शुरू हो जाय जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये ध्यान रखा जाय। इस विषय में मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डा. उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, ये रेजगारी से संबंधित विषय आपने जैसा कहा वास्तव में केन्द्र का है लेकिन राज्य का विषय इस तरह बनता है कि नागरिकों को रोज ही कुछ न कुछ खरीदने के लिये बाजार में जाना पड़ता है। विनियम का माध्यम केवल मुद्रा ही है आजकल चीज के बदले चीज नहीं चलती। दिक्कत ये आ गयी है कि किसी रिक्शा को आठ-आने, 12 आने देने हों तो उसको रुपया ही देना पड़ता है। एक का भी नोट देना पड़ता है, चाहे सब्जी लें कोई थोड़ी बहुत। बड़ा आदमी तो सौ रुपये के नोट से भी कोई चीज ले सकता है, 50 की भी ले सकता है लेकिन जो साधारण जन जीवन व्यतीत करते हैं, थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा खाते हैं दिक्कत उनके लिये है। जो बसों में सवारी करते हैं जो आॅटो रिक्शा में

(60)

(श्रीमती उजला ग्ररोड़ा)

सवारी करते हैं, जो रिक्शे में सवारी करते हैं उसको ग्राठ ग्राने की जगह एक रुपया देना पड़ता है ग्रौर न कहीं रेजगारी नजर ग्राती है।

स्थिति यह है कि ग्राये दिन परेशानियों से, मैं जब मिनी बस से जा रही थी तो मुझे बस से बसवाले ने उतार दिया, बोला खुले पैसे नहीं हैं तो उतर जाग्रो। चढ़ते हो तो खुले पैसे लेकर चढ़ो। इस तरह की स्थिति जब सामने ग्राती है तो मैं समझती हूं सरकार को ये देखना चाहिये कि रेजगारी गयी कहां, रेजगारी कहीं स्टोर की जा रही या किसी ग्रादेश के तहत कोर्ट में पड़ी है उसको कैसे रिलीज कराया जाय। सरकारी ग्रादेश से सिटी मजिस्ट्रेट के कहने से कहां-कहां बोरिया कोर्ट में सीज की हुई पड़ी हैं वह ग्रा जायं ग्रौर दूसरे, केन्द्र की ग्रपनी टकसाल से भी हमारे यहां ज्यादा रेजगारी उपलब्ध हो सके। ग्राज जो जन जीवन को ग्रसुविधा है वह समाप्त हो सके इसके लिए काम करने की बात है। यों तो टेलीफोन का विभाग भी केन्द्र का है, डाकघर विभाग भी। टेलीफोन जब नहीं मिलता तो कोशिश की जाती है कि मंगाया जाय इस तरह से ग्रपनी ट्रेजरी में यहां पर भी सिक्के ग्रायें। एक पैसे के, दो पैसे के हैं तो इनका तो चलन ही बन्द कर दिया तो कोई गम नहीं। पर यहां एक रुपये का नोट दो रुपये का नोट, सबसे बड़ी चीज यह हो गयी कि दो रुपये की मूंगफली कोई लेगा या दो रुपये की भाजी लेगा तब तो कोई गम नहीं। मंहगाई बढ़ जायेगी लेकिन सवाल यह है कि एक पैसे, दो पैसे, तीन पैसे, पांच पैसे का सिक्का, दस पैसे का, चवन्नी, ग्राठ ग्राने का सिक्का मिलता क्यों नहीं? गये कहां? इसको हम देखेंगे। राज्य सरकार ग्रगर नकारती है कि यह हमारा विषय नहीं है तो मैं समझती हूं मुझे ग्रफसोस होगा। गरीब के जन जीवन में बहुत से उत्तरदायित्व हैं। हमको तो घर में भी दिक्कत है। बच्चा पैसे मांगता है पैसे तो उसके रुपया टिकाना पड़ता है, 5 रुपये का नोट दे दिया तो वह लौटाता नहीं....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

ये सारी दिक्कतें जो हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : माननीय, बहुत दिक्कत है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये ग्रापने दूध के दाम को जो बढ़ाया है, कोई चीज 2.95 पैसे की, 5 पैसे तो गये वे तो लौटेंगे नहीं। 35 पैसे का लिफाफा है उसका कोई हिसाब नहीं बैठता। वे कहते हैं कि 3, 4, 5 ग्रच्छा दस ले लो 3.50 रुपये हो जायेंगे।........

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : जेब में हमारे चाहे एक लिफाफा नहीं मिलेगा। इस तरह से हर तरफ दिक्कत है। रेल की खिड़की पर, डाक की खिड़की पर मोटर के किराये

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में, बस के किराये में, रिक्शा के भाड़े में हर चीज में छोटे पैसे की किल्लत है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसको सरकार मंगाये, इस व्यवस्था को सुधारे। जनता की जो असुविधा है उसको समाप्त करें। केवल केन्द्र का कह देने से अगर छुट्टी हो जाती है तो यह ठीक नहीं है। आपने इसको रिजेक्ट किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर कार्यवाही हो सके इसलिये तत्क्षण केन्द्र सरकार को भेजिये। धन्यवाद।

अनुपस्थिति अनुमती

श्री माधव सिंह दीवान को दिनांक 2 जुलाई, 1985 से 30 जुलाई, 1985 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि माधव सिंह दीवान, सदस्य विधान सभा ने विदेश यात्रा पर जाने के कारण दिनांक 2 जुलाई, 1985 से 30 जुलाई, 1985 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

परिवर्तित आय-व्ययक 1985-86 सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : परिवर्तित आय-व्ययक, 1985-86 पर सामान्य वाद विवाद। श्री गोविन्दसिंह गुर्जर।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : आपका अधूरा रह गया था साहब। चेयर ने कहा था कि आप पूरा कर लेना।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था थी क्या इस पर ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जी हां।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय रघुनाथ परिहार।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो इस वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया उसमें बिजली एवं सिंचाई के लिए अधिकतम राशि रखी गई है उसके लिये मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। बिजली की दरों में वृद्धि की गयी है फिर भी चूंकि जब राजस्थान में नये बिजली तापघर और पन बिजली की योजनाओं की नयी स्कीमें लागू की जानी है उसी परिप्रेक्ष्य में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में जब तक हमारे राजस्थान में बिजली की सुविधा नहीं बढ़ेगी राजस्थान का विकास नही होगा।

(श्री रघुनाथ परिहार)

राजस्थान प्रवासी जो दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत में बसे हुए हैं और राजस्थान में उद्योग लगाने के इच्छुक हैं वे यहां नहीं आ पायेंगे । इस ख्याल से जब हम सक्षम होंगे कि बिजली ज्यादा पैदा हो, किसानों को, उद्योगों में अच्छी और उचित मात्रा में बिजली मिले इसके लिये अच्छी व्यवस्था हो सकेगी ।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के कनेक्शन दिये जाने में जो वरीयता रखी जाती है उसमें लघु और सीमांत कृषकों की जो सूचियां बनायी जाती हैं इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के ऐसे विकलांग और भूतपूर्व सैनिक और सेवानिवृत सैनिक व्यक्ति जो चाहे अपने वेरों पर बिजली लेना चाहें सिंचाई हेतु, चाहे उद्योग लगाना चाहें उन्हें भी वरीयता के आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

इसी प्रकार से हमारे जन जाति क्षेत्र विशेष तौर से पाली जिले के माडा क्षेत्र है, उस माडा क्षेत्र में बिजली का बहुत ही कम फैलाव हुआ है । वहां के जन जाति के किसानों को अब तक बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है । मैं मांग करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में हमें विशेष तौर से बिजली की सुविधा उपलब्ध करायी जाय ।

साथ ही मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में शालाओं के विद्यालय भवन एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के विद्या भवनों के लिए बजट में एक करोड़ का प्रावधान रखा गया है और एक करोड़ का जन सहयोग लिया जाकर विद्यालय भवन बनाये जाने का प्रावधान है । मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से राज्य सरकार को कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा का स्तर शिक्षा का न्यूनतम स्तर हो गया है इसलिये यह प्रावधान जहां 50 पर्सेन्ट जन सहयोग मिल सके, ऐसे दान दाता आगे आने के लिए तैयार हैं तो उन्हें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवनों के निर्माण तक भी यह सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए ।

(12-52 म.प)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष-पदासीन)

ऐसी राशि बढ़ाकर ऐसा जन सहयोग लेने का जो है दान दाताओं की आशाएं पूरी की जानी चाहिए ।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति कमजोर है वहां हम यह मानते हैं कि हमारे राजस्थान का विकास भी उत्तरोत्तर होता जाय तो हमें जन सहयोग लेने के लिए दान दाताओं को पूर्ण सहयोग देना चाहिए । हर जिला स्तर पर एक ऐसा प्रकोष्ठ कायम किया जाना चाहिए ताकि हम दान दाताओं को ज्यादा से ज्यादा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से बढ़ोतरी दे सकें । जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हमने ऐसा प्रावधान बनाया है कि जिन पाठशालाओं, महाविद्यालयों को प्राइवेट

(श्री रघुनाथ परिहार)

संस्थायें चलाती है उनको हम एड देते हैं। इसी प्रकार से जब चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दान दाता आगे आ करके, स्वयंसेवी संस्थायें ऐसी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधायें अपने क्षेत्र में उपलब्ध कराती हैं, उन्हें भी, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, एड दी जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे पाली जिले में सुमेरपुर (पाली) क्षेत्र में करीब दो करोड़ की लागत से भगवान श्री महावीर अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है।

हम जब यह सोचते हैं, इतना बड़ा अस्पताल जब बन रहा है जो हमारे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देगा तो उनके संधारण, उनकी मेन्टिनेन्स का क्या हाल होगा! इसी प्रकार से जब सरकार शिक्षण संस्थाओं को एड दे सकती है तो हमारी चिकित्सा और स्वास्थ्य-सम्बन्धी संस्थायें, स्वयंसेवी संस्थाओं और दान दाताओं के माध्यम से करोड़ों रुपए लगाने को तैयार हैं, लाखों रुपये लगा रही हैं उनका अध्ययन कराके हम उन्हें भी। ऐसी रजिस्टर्ड संस्थायें जो पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से हैं, उनका चार्टर्ड अकाउन्टेण्ट से हिसाब जांचा जाय, व उन्हें भी हम हर प्रकार की सुविधा दें। सरकार से उनको इमदाद करके हम उनको आगे बढ़ायें तब हमें सहयोग मिल सकेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम में भूमिहीनों को भूमि आवंटन का कार्यक्रम रखा गया है। मगर आप देखेंगे कि जब सन् 1950-52 से ऐसी कृषि सहकारी समितियों की स्थापना हुई है जिसमें हजारों एकड़ भूमि सरकार ने आवंटित कर दी, वह भूमि आज भी ऐसे सवर्ण जाति के लोगों के पास है जो बड़े-बड़े भूमिधारी हैं, जो ऐसी सहकारी समितियों के सदस्य बने बैठे हैं और वह सहकारी समितिमों की भूमि को लाटे-बाटे पर देते हैं, मनमाने ढंग से उस पर खेती कराते हैं। और जो भूमिहीन काश्तकार हैं, जो हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम में चयनित लोग हैं वे आज भूमि के लिए मोहताज हैं। तो, ऐसी भूमियों की जांच करायी जाय। ऐसी सहकारी समितियां जो वास्तव में अपने उद्देश्यों की पालना नहीं करती, अपने नियमों की पालना नहीं करती, उनकी भूमि अधिग्रहण की जाकर भूमिहीनों को आवंटित करें।

भूमि कर का प्रावधान इस बजट में किया जाकर सरकार को आमदनी का नया सोर्स कायम किया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूर्व में 1981-82 में जब राजस्थान में अकाल की स्थिति थी तो भूमि रूपान्तरण का कानून बनाया गया। हजारों लोगों ने अपने मकानों के पट्टे के लिए सरकार को राशि जमा करायी।

आज मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी हजारों पत्रावलियां जिला स्तर पर अटकी पड़ी हैं जिसमें कहीं मास्टर प्लान

64

(श्री रघुनाथ परिहार)

का घोचा डाल दिया गया कहीं भूमि अवाप्ति का मामला अटका दिया गया। आज सरकार की लाखों-करोड़ों की राशि भी अटकी हुई है क्योंकि उन पत्रावलियों में सरकारी नियम के अनुसार 80 प्रसेन्ट राशि प्रार्थीगण ने जमा करा दी। ऐसी पत्रावलियों में जब तक नियमों का सरलीकरण नहीं किया जाता वह पत्रावलियां सैटल नहीं होंगी। आज भी वह लोग चार-चार, पांच-पांच साल से अपने पट्टे प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, और सरकारी राशि अटकी हुई है।

इसी प्रकार भूमि अवाप्ति कानून में वह चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे नगर परिषद् हो किसानों की अच्छी भूमि, शहर से लगती हुई, गांव से लगती हुई सिंचित भूमि है उनको अवाप्त करना चाहते हैं, उनको मुकदमों में फंसाते हैं। जबकि वास्तव में नियम यह होना चाहिये कि ऐसी ऊसर भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, जो सिवाय चक भूमि है, जो असिंचित भूमि है. ऐसी भूमि को अवाप्त करने के लिए प्रार्थना की जाय। जिलाधीश और संबंधित जिला अधिकारी को पाबन्द किया जाय कि वह वास्तव में ऐसी भूमि अवाप्त करें ताकि सरलता से आबादी की समस्या भी हल हो सके।

प्रशासनिक सुधार के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशासनिक सुधार तभी सम्भव है। 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम से आप देखेंगे, जिला स्तर के अधिकारी, खण्ड स्तर के अधिकारी जब ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं उनको पता नहीं किस समस्या के लिए आ रहे हैं, किस बात की जानकारी के लिए जा रहे हैं। जब वही अधिकारीगण हमारे जिला परिषद् की बैठकों में, 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठकों में बैठते हैं तो जिन मुद्दों को वे बैठक में रखते हैं उनसे हमारे जन प्रतिनिधि, हमारे क्षेत्र के प्रधान, विधायक अनजाने से रहते हैं। तो, मैं तो यह चाहूंगा कि जितने भी खण्ड स्तरीय, जिला स्तरीय अधिकारीगण अपने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करें वह अपने कार्यक्रम की सूचना निश्चित तौर से विकास अधिकारी, प्रधान विधायक को दें ताकि हम भी उनके साथ रह सकें और उस क्षेत्र की समस्या का समाधान मौके पर ही किया जा सके। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम वास्तव में प्रशासनिक सुधार के तौर पर, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बीस सूत्री कार्यक्रम को सही ढंग से लागू कराने में और हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने में हम सहयोगी और भागीदार हो सकते हैं। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्य की वित्तीय स्थिति ऐसी है हम यह सोचते हैं और कई बार अखबारों में भी ऐसे आइटम आते हैं कि किसी विभाग के अधिकारी ने कुछ सामग्री का बिना कोई हिसाब किये अनधिकृत तौर से क्रय कर लिया। चाहे वह पी. डब्ल्यू.डी. हो, चाहे सिंचाई विभाग हो,

(श्री रघुनाथ परिहार)

चाहे पी.एच ई डी. हो, वह अपनी सामग्री की खरीद, क्रय इस प्रकार से करें, अपने बजट को ध्यान में रखकर। ऐसा नहीं हो कि कहीं तो ढेरों कंकरीट पड़ी है. डाबर के ढोल कई क्षेत्रों में ऐसे ही पड़े हैं कि जो पांच साल में काम आयेंगे।

इसी प्रकार पी. एच. ई. डी. के अधिकारीगण मनमाने ढंग से पाइप लाइन खरीद लेते हैं जबकि आज हम यह देखते हैं कि हमारे कुओं में पानी की कमी है, पाइप लाइन ढेरों हमारे कार्यालयों में पड़ी हैं, गोदामों में पड़ी हैं। इस प्रकार सरकार की राशि का अपव्यय होता है। जो स्वीकृत बजट होता है उसको संतुलित तौर से खर्च करने के लिए पाबन्द करें कि हमारे विभाग के उच्च अधिकारीगण इस बारे पूर्ण रूप से चौकसी रखें और जितनी सामग्री की आवश्यकता है उसकी अपनी योजना के अनुसार खरीद करें ताकि उसका अपव्यय नहीं हो।

मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जन जाति क्षेत्र के विकास के लिये इस बजट में अच्छी व्यवस्था रखी गयी है। जन जाति क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधक वस्तु यह है कि हमारे पहाड़ी इलाकों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक भी कोई रास्ता नहीं है, सड़क बनी हुई नहीं है, पुलिया बनी हुई नहीं है। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं मैं आपको बताऊं कि जहां छः मास तक आने जाने के साधन नहीं होते। पाली जिले के हमारे माडा क्षेत्र में जब नदी नाले चलते हैं, उधर कोई अधिकारी नहीं पहुंचते। वह चाहे स्कूल की योजना हो, चाहे छात्रावास की योजना हो, पोषाहार की योजना हो, विकास अधिकारी चाहे 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए जायं; वहां पहुंच नहीं पाते। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में जहां आवागमन के साधन नहीं हैं, यातायात के साधन नहीं हैं, वहां सरकारी कर्मचारी ठहरना नहीं चाहते, वहां उनके आवासीय साधन नहीं हैं, ऐसे क्षेत्र के विकास के लिए विशेष बजट आवंटित करें जिससे हमारे विकास को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलेगा।

इस आशा के साथ में निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने हमारे चुनावी घोषणा पत्र के अनुकूल जो बजट प्रस्तुत किया है, यद्यपि ना पक्ष के काफी सदस्यों ने इस बजट के प्रति अपना कुछ ऐसा रुख अपनाते हुए भर्त्सना की है फिर भी चुनावी घोषणा के अनुकूल हमारे पिछड़े इलाकों, पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए, विकास की योजना के अन्तर्गत राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम रखा है वह बहुत ही सराहनीय है। उद्योगों के मामले में हमें वास्तव में जानकर खुशी है कि एक अप्रैल, 1985 से उद्योगों के लिए राज्य सरकार द्वारा कई तरह की छूट दी गयी है। ऋण की योजनायें, आक्ट्राई में छूट, बिजली मे छूट, बिक्री कर में छूट कई तरह से लाभ दिया गया। वास्तव में

66

(श्री रघुनाथ परिहार)

रीको के माध्यम से हमारी योजनायें वास्तव में बहुत ही धीमी गति से चल रही हैं।

(100 म प.)

हमारी योजनायें धीमी गति से चल रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पाली जिले में, फालना जो हमारे पाली विधान सभा का क्षेत्र है वहां पर करीब दो-ढाई साल से रीको ने पैसा ले लिया उनको प्लाट्स और शेड्स अलाट करने के लिये मगर अब तक न सर्वे की गई और न कोई नक्शे बनाये गये हैं और वह योजना अधर-झूल में है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को और उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्र ही ऐसी भूमि जिसका वास्तव में विकास नहीं कर सकते और लम्बे समय ऐसे लोगों को लटकाये रखना चाहते हैं। हमारे यहां उद्योग मंडल की स्थापना की गई है, और वह भूमि उद्योग मण्डल को दी जाय जो सस्ती दर से विकास कर सके और हमारे यहां जल्दी उद्योग स्थापित कर सके।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के छात्रों का जो परीक्षा परिणाम सामने आया है, आपने देखा होगा कि कई सरकारी माध्यमिक पाठशालाओं के परीक्षा परिणाम बिलकुल 5 से 10% ही रहे हैं तो सरकारी स्कूलों के वह अध्यापक जो सरकार से केवल तनख्वाह लेकर, हाजरी मांडकर चले जाते हैं जबकि प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। महिला शिक्षा के लिये मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेषतौर से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम उप-खंड स्तर पर अथवा तहसील स्तर पर अगर वहां पर कोई कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है वहां तो कम से कम क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा जाय। मेरे पाली क्षेत्र में उप खण्ड मुख्यालय है लेकिन वहां पर कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है। कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में विशेषतौर से गृह विज्ञान और विज्ञान विषय का रखा जाना नितान्त आवश्यक है। हमने यह महसूस किया है कि हमारे परिवार कल्याण की योजनायें, आपने देखा होगा कि हर जिले में कम से कम 5.7.10 ए. एन. एम. सैन्टर्स खाली पड़े हुये हैं, हमारे यहां आज फीमेल नर्सेज की बहुत कमी है। जब हमारे यहां कन्या माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान का विषय नहीं होगा तब तक फीमेल नर्सेज की कमी बनी रहेगी, शिक्षित महिलायें नहीं मिलेगी। इसलिए यह विषय अति आवश्यक है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमारे यहां महिलाओं के लिये इन विषयों की व्यवस्था की जायेगी, इसके लिये हमें पूर्ण सहयोग मिलेगा।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह जी गुर्जर।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत सदन में सरकार के लिये बजट के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूं।

अभी तक मैंने बजट के ऊपर जो भाषण सुने हैं उसमें एक मुद्दा करीब करीब सभी वक्ताओं ने उठाया है और वह मुद्दा है विकास का। उपाध्यक्ष महोदय, बगैर संसाधनों के आज के युग में विकास संभव नहीं है। हमारे पास जो संसाधन हैं उनमें मुख्यतया खनिज है। हमारे जो वर्तमान संसाधन हैं उनमें वृद्धि हो, इसके अलावा रह जाते हैं टैक्स। एक ओर विपक्ष से आये हुये हमारे बहुत सारे साथी इस बात की बड़ी कड़ी आलोचना कर रहे हैं कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है उसमें जो करारोपण किया गया है उससे राजस्थान की जनता को नुकसान होगा। इसे प्रतिगामी बजट की संज्ञा वह लोग दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बगैर संसाधनों के, विकास के संसाधन जुटाये बगैर किस प्रकार से उन लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं जो चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने जनता के सामने दिये हैं। चुनाव में जो घोषणा-पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है उसमें 5 साल में कुछ काम करने के लिये आम जनता से वायदे किये हैं और उन वायदों पर विश्वास करके, उन नीतियों पर विश्वास करके आवाम ने हमें आज सत्तारूढ़ दल के रूप में भेजा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जो हमारे संसाधन हैं और जो हमारा विकास अवरुद्ध सा प्रतीत हो रहा है उसका इतिहास चालू होता है उस समय से जब जनता पार्टी शासन में थी। नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, उस समय की राज्य की जो भी योजनायें होंगी उनमें अगर 50 प्रतिशत अपना अंशदान दें, मैचिंग कंट्रीब्युशन दें तो केन्द्रीय सरकार हमें अपनी तरफ से 50 पर्सेन्ट सहायता देगी। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जैसे राज्य में 50 प्रतिशत अंशदान देना काफी कठिन काम है। यही कारण है कि बहुत सारी योजनाओं का बहुत सारा लाभ जो हमें मिलना चाहिये वह लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास 50-50 पर्सेन्ट अंशदान देने के लिये धनराशि नहीं है। अगर उस राशि को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कुछ प्रयास करती है, तो मैं समझता हूं कि अगर उसमें कोई किसी प्रकार की अवांछित विसंगति है तो जरूर उसकी आलोचना करें लेकिन किस प्रकार हम इन संसाधनों को बढ़ा सकते हैं इसके विषय में अगर हम कुछ कर सकते हैं वह करें और जो कुछ किया गया है संसाधनों का विकास करने के लिये तो उनकी हम प्रशंसा कर सकें तो मैं समझूंगा कि हमारे विकास में कुछ गति हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, विकास में एक सबसे बड़ी बाधा तो गाडगिल फार्मूला है। इसके आधार पर पंचवर्षीय योजनायें बनती हैं और धन आवंटित किया जाता है। यह भी हमारे प्रदेश के अनुकूल नहीं है। उसका

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

एक तरीका है यार्डस्टिक है, मापदण्ड है, उसमें जनसंख्या भी बड़ा अच्छा अपना हिस्सा रखती है। यही कारण है कि हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल दूसरे नम्बर पर होते हुये भी पंचवर्षीय योजनाओं में जो लाभ गाडगिल फार्मूले के अनुसार मिलना चाहिये वह हमें नहीं मिल पा रहा है। उसके मापदण्ड के अनुसार हम पूरे नहीं उतरते हैं। गाडगिल फार्मूला और एन. डी. सी. के द्वारा जो शर्त रखी गई है 50 प्रतिशत अंशदान की किन्तु हमारे राज्य को अत्यन्त विपन्नता आजादी के समय मिली आपने भी सुना होगा, उपाध्यक्ष महोदय, सदन ने भी सुना है सदन के नेता महोदय ने, वित्त मंत्र महोदय ने यहां पर बजट प्रस्तुत करते समय इस बात का उल्लेख किया है कि हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार और एन. डी. सी. का जो निर्णय है और जो गाडगिल फार्मूला है उसमें राजस्थान की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये परिवर्तन कराने के लिये कोशिश कर रहे हैं मैं समझता हूं यह कोशिश हमारी जरूर कामयाब होगी। इस कोशिश के कामयाब होने के ऊपर ही हमारे प्रदेश का विकास सम्भव है। इस प्रदेश का विकास इसी पर निर्भर है।

उपाध्यक्ष महोदय, विकास की कुछ बातों की माननीय वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि हम 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या काम करेंगे बिजली का जो उत्पादन 1713 मेगावाट था उसको बढ़ाकर 2660 मेगावाट करेंगे, हमारे गांव में जो सड़कें हैं, हमारे गांवों में जो सड़कें हैं उनमें 1500 से अधिक जनसंख्या वाले गांव हैं तथा जनजातीय और मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां 100 से 500 के बीच में जनसंख्या है ऐसे गांवों को भी सड़कों से जोड़ने का अपने भाषण में उन्होंने उल्लेख किया है। मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने कल अपने भाषण में कहा था कि हम बड़ी आशा लगाकर बैठे हुए थे कि वित्त मन्त्रीजी कुछ विकास के कामों की घोषणा अपने इस बजट भाषण में करेंगे। शायद उन्होंने उनके भाषण के ये अंश अच्छी तरह नहीं पढ़े। निश्चित तौर से आने वाले पांच सालों में जैसा मैंने पूर्व में आपको बिजली के लिए और सड़कों के लिए बताया, उसी प्रकार शिक्षा सुविधाओं में नये पांच हजार प्राथमिक विद्यालय, 11 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1270 नये विषय, 10 नये महाविद्यालय, 27 आई. टी. आई. दो इन्जिनियरिंग कालेज और 13 पोलिटेक्निक खोलने का आगामी पांच सालों में सरकार का विचार है।

मैं मानता हूं कि इस साल शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नई घोषणा नहीं की गई है और उनका भी एक माकूल कारण है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कि आप जानते हैं सदन के जो सदस्य इस सदन से पहले वाले सत्र में यहां थे उन्हें भी मालूम होगा कि गत पांच सालों में हजारों की संख्या में स्कूलें खोली गई थीं

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

और मुतवातिर माननीय सदस्यों की यह मांग आती रही है कि स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में अध्यापक नहीं है और चिकित्सालयों में जो नर्सिंग स्टाफ है वो नहीं है और इसके कारण जो ये सुविधायें जनता को उपलब्ध कराई गई उन सुविधाओं का पूरा लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। इसी बात को मध्य नजर रखते हुए दोनों विभागों में शिक्षा में और चिकित्सा विभाग में इस बात की कोशिश की गई है कि जहां भी इस प्रकार नये चिकित्सालय, औषधालय या विद्यालय खोले गये हैं उनको सक्षम किया जाय ताकि जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है वह उनको पूरा कर सकें और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आने वाले बाकी चार सालों में इतनी बड़ी तादाद में विद्यालय और इसी के साथ-साथ प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का उन्नयन और बाकी सब-सेन्टर्स वगैरह और खोले जायेंगे। इसलिए यह कहना कि इस साल कुछ ज्यादा नहीं रखा, मैं समझता हूं इस बात को समझेंगे कि क्वान्टिटी के बनिस्पत क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है और माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस बात को मध्य नजर रखते हुए बहुत ज्यादा सुविधायें खास तौर से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल न देने का जो निर्णय लिया है वह वास्तव में सराहनीय है। लेकिन उन्होंने विद्युत के क्षेत्र में निश्चित तौर से बावजूद सारी कठिनाइयों के कुछ अपनी तरफ से राज्य को देने की कोशिश की है ताकि जो लोगों की आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं को न्यूनतम मात्रा में ही सही, पूरा किया जा सके और उसी के तहत एक हजार गांव, एक हजार हरिजन बस्ती और दस हजार कुओं का विद्युतीकरण के बावजूद इतनी कठिनाइयों के और बावजूद इस आरोप के कि विद्युत की दर बढ़ाई जा रही उन्होंने इसका प्रावधान किया। उपाध्यक्ष महोदय, संसाधन बढ़ाने के लिए जो कटु उपाय माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने सुझाये हैं निश्चित तौर से अप्रिय हैं लेकिन एक स्थिति ऐसी आ चुकी है जब यह जहर का प्याला किसी न किसी को पीना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोशिश करी है कि मैं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के क्रियाकलापों के ऊपर कुछ अध्ययन करूं। मैंने उसमें पाया है कि जो दरें प्रस्तावित की गई हैं, वो बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं उनसे निश्चित तौर से कम हैं लेकिन बावजूद इसके भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीज हम खरीद रहे हैं उसकी खरीद ही जब हमें इतनी मंहगी पड़ रही है, अगर घाटा खाकर उसको बेचते रहें तो निश्चित तौर से यह सारा ढांचा जो विद्युत मण्डल का है वह चरमराकर गिर जायगा। तो ऐसी नौबत नहीं आवे इसलिए यह कटु कदम उठाना लाज़िमी था।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि बदरपुर से जो बिजली हमको मिल रही है 46.71 की दर से है, सिंगरोली से जो मिल रही है वह 41.09 की दर से है और जो अणु बिजलीघर से हमें मिल रही है वह 47.85

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

की दर से उन्होंने प्रस्तावित कर रखी है अभी, वो 34 और कुछ ले रहे है इसमें केन्द्र सरकार आबकारी जो लगाती है वह उसमें शामिल नहीं की गई है। अगर हम इन चीजों को देखें जब हम इतनी महंगी बिजली बाहर से खरीदते हैं और अगर हम सस्ती दर पर बेचते रहे तो यह जो मांग बढ़ रही है लोगों की 6000 एप्लीकेशन्श कोटा में पेण्डिग हैं कुओं के कनेक्शन के लिए, इतने लाख की अर्जियां और हजारों गांवों का विद्युतीकरण करना, करीब करीब, उपाध्यक्ष महोदय, फिफ्टी परसेन्ट गांवों का विद्युतीकरण ही अभी हो पाया है लेकिन 50 परसेन्ट का हमें अगर करना है तो निश्चित तौर से हमें इन दरों में कुछ इस तरह रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा कि लोगों पर भार भी नहीं पड़े और यह जो विकास की गति आगे बढ़ने वाली है उसकी कमी भी पूरी होती रहे इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, जो अधिक भार, विद्युत की दर करीब 7 परसेण्ट विद्युत की आमदनी उद्योगों से है, कृषि के क्षेत्र से करीब 11 परसेण्ट आमदनी विद्युत की होती है, ऐसी हालत में हमें यह देखना है कि किस प्रकार विद्युत मण्डल इस घाटे के सोदे से निकलकर बाहर आ सके और हमारी जो आकांक्षायें हैं, आज छोटे से छोटा आदमी यह चाहता है कि मेरे कुएं पर बिजली हो. मेरे घर में बिजली हो, उसकी आकांक्षायें किस प्रकार पूरी कर सकें इस कोशिश के लिए प्रयास किया गया है कि कुछ इस प्रकार की वृद्धि की जाय ताकि अभी जो एक ऐसी शोचनीय स्थिति विभाग की है उसमें कुछ सुधार आ सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिक्रीकर के अधिभार के ऊपर भी कुछ कहना चाहता हूं कि जो सर चार्ज लगाया गया है वो उन व्यापारियों पर लगेगा जिनकी टर्न ओवर 75 हजार रुपये से ऊपर है। और जिनका टर्न ओवर 75 हजार रुपये से कम है उनके ऊपर लागू नहीं होगा। इसलिये यह आशंका की गयी कि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जायेंगी। हालांकि मैंने इस सम्बन्ध में जो हमारा सम्बन्धित विभाग है उससे पूछताछ की तो उनके अनुसार केवल 0.01 इसमें बढ़ने की आशंका है। लेकिन फिर भी मैं इसको एक सामान्य आदमी की तरह देखता हूं कि एक तरफ तो एक दुकानदार है जिसका कि टर्न ओवर 75 हजार रुपये से ज्यादा है दूसरा एक व्यापारी है जिसका टर्न ओवर 75 हजार से कम है तो दोनों आदमी में एक तो ज्यादा भाव से बेचेगा और दूसरा कम में बेचेगा तो निश्चित तौर से कम भाव वाले आदमी को लोग बाग प्रिफर करेंगे और ज्यादा भाव बढ़ाने की बात जो है वह बढ़ने से रुकेगा क्योंकि वहां पर कम्पीटीशन की भावना की वजह से कीमतें बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह जो खनिज आदि पर बोली का प्रस्ताव किया है उसके सम्बन्ध में भी यह कहना चाहता हूं कि यह जो हमारी खनिज सम्पदा है, भौगोलिक सम्पदा है, मैंने इसके लिये पता किया है इसमें और राज्यों में भी इसी प्रकार

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

के टैक्स वहां पर लगाये हुए हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो प्रस्ताव है वह केवल खनिज सम्पदा के ऊपर ही है। मैं मन्त्रीजी से और मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको खनिज सम्पदा तक ही सीमित रखा जाय इसका आगे विस्तार नहीं किया जाय। इसका विस्तार जंगलात और फलोद्यान के ऊपर नहीं किया जावे। क्योंकि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें कि पेड़ लगाये जा रहे हैं उसको निश्चित तौर पर एक धक्का लगेगा और इस प्रकार हमारे प्रधान मन्त्री जी इस विषय में काफी रुचि ले रहे हैं और ऐसा करने पर पेड़ लगाने में कमी आयेगी और उसमें रुकावट आयेगी तो इस बात के ऊपर निश्चित तौर पर विचार किया जाना चाहिये। चूंकि इस वर्ष में इसका प्रस्ताव नहीं है इसलिये मैं समझता हूं कि हमारी जो यह खनिज सम्पदा है वह बहुमूल्य सम्पदा है और इससे जो लोग लाभ उठा रहे हैं उनको कर देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से कुछ सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। बहुत सारे हमारे माननीय सदस्यों ने किस प्रकार से हम अपने काम काज में सुधार ला सकते हैं और धन बचा सकते हैं पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं मैं भी महसूस करता हूं कि बहुत सारे टैक्स इस प्रकार के लगे हुए हैं जो अनौपचारिक हैं जिससे कि सरकार को कोई विशेष लाभ नहीं होता है और उनसे जितनी राशि आती है वो टैक्स प्राप्त करने की मशीनरी है उस पर ही खर्च हो जाती है। तो मेरा सुझाव है कि ऐसे करों को समाप्त करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। जहां तक मितव्ययता का सवाल है हमारी सरकार का इस साल 20 करोड़ रुपये की कमी करने का प्रस्ताव है यह बहुत व्यापक है और इतने दिन हम बैठकर और भी इसके एरिया छान सकते हैं और भी एरिया को ढूढ़ सकते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है कि हमारे जो साधन हैं हमारे जो संसाधन हैं उनको और बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के ऊपर जो बढ़ोतरी की है वह बढ़ोतरी हमारे लघु और सीमान्त काश्तकारों पर नहीं पड़े क्योंकि यह हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम के दायरे में आते हैं और 20 सूत्री कार्यक्रम के दायरे में आनेवाले लोगों पर चूंकि सरकार खुद उनको आगे बढ़ाना चाहती है इसलिये उन पर यह बिजली की बढ़ोतरी का भाव नहीं डाला जाय ऐसी व्यवस्था की जाय तो मैं समझता हूं कि सभी लोग उसका स्वागत करेंगे। इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा जो सरचार्ज लगाया गया है वह उन वस्तुओं पर जो कि जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं और रोजमर्रा की चीजें हैं जो काम में आने वाली हैं हमारे खाने पीने की चीजें उनको इससे एग्जम्पशन दिया जाय अगर आप यह एग्जम्पशन देते हैं तो मैं समझूंगा कि जो बोझ पड़ने वाले हैं वह आम आदमी और गरीब आदमी पर नहीं पड़ेगा और ऐसे आदमी पर पड़ेगा जो कि

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

उसको बरदाश्त कर सकता है। और यही हमारी की टैक्स प्रणाली होनी चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, से वित्त मंत्रीजी को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सिंचाई और विद्युत के क्षेत्र में 56, 39 प्रतिशत का आउट ले रखा है। यह हमारे क्षेत्र के विकास के लिये बहुत बड़ा कदम उठाया है जो मैंने आज तक पिछले चार साल के आंकड़ों को देखा है और उन पिछले चार साल के आंकड़ों में इतना बड़ा एलोकेशन कभी नहीं किया गया है इसलिए वे बधाई के पात्र हैं इसलिये मैं उन्हें एक बार और बधाई देना चाहता हूं।

फसल बीमा की योजना लागू करने का जो निर्णय किया गया है उससे भी हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। हमारे यहां पर जो लघु और सीमान्त काश्तकार हैं इनकी बहुत बार प्राकृतिक विपदाओं के कारण फसलें नष्ट हो जाया करती थीं उनको भी मुआवजा मिलेगा। यह कदम भी वास्तव में सराहनीय कदम है। और इसके साथ साथ कुछ टैक्स माफ किये हैं चाहे वह लाइसेन्सेज के हों चाहे कोयले पर हों उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और अन्त में अपना भाषण समाप्त करने के पहले मुख्य मंत्रीजी को और मुख्य मन्त्री जी के सहयोगियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होने इन्दिरा गांधी नहर के लिये 200 करोड़ रुपये और विकास के लिये 50 करोड़ रुपये आगामी सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये अपने प्रदेश के लिये हासिल किये हैं यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे हमारे विकास को गति मिलेगी और हमारा काफी विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी को बोलने का अवसर नहीं मिला सभी पार्टी वाले बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट जो वोट ओन अकाउन्ट के बाद फाईनल बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसमें यह कहना मुश्किल है कि इसमें आंकड़ों का शब्दजाल है। वह भी नहीं है। इसमें आपका पिछला एचीवमेंट क्या रहा उसकी स्थिति का भी कुछ नहीं है। आगे के लिए कुछ नहीं है। आगे के लिए कुछ आश्वासन नहीं किया है और सामाजिक कार्यक्रम आगे क्या लिये जायेंगे वह भी नहीं है। एक वायदा किया गया है कि इस बजट के अनुसार जो कुछ हमने किया है उसको कान्सोलीडेट करके जिसकी की कोई संभावना वर्तमान कार्य

(श्रीमती विद्या पाठक)

प्रणाली को देखते हुए नहीं दिखाई देती हैं। पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्ष विशेष तौर से आश्वासनों का पुलन्दा जो एक बहुत बड़ा पुलन्दा हो गया है, जो कि इनके मन्त्रियों ने और मुख्य मंत्री महोदय ने दिये हैं इसके लिये एक कमेटी बनाई जानी चाहिये जो यह देखे कि उनका कितना मेटिय-रीय लाइजेशन हुआ है या उनकी कितनी क्रियान्विति हुई है। उसकी चर्चा करें और वह आंकड़े प्रस्तुत करें इस सदन में और उस कमेटी का काम यह भी होना चाहिये कि जो बिना बजट के जनता को झूठे आश्वासन देकर जनता को प्रभावित करने की प्रक्रिया है उसको तुरन्त समाप्त करने की जरूरत है।

आय व्ययक के आंकड़ों की एक संवैधानिक औपचारिकता को बड़े क्रूड वे में पुट अप किया गया है बजट में पूरा देखने पर भी किसी चीज का यह कोई डेफिनिट नहीं दिखायी पड़ता कि आखिर इसमें क्या है। आप देखें इसमें कोई कम्परेटिव आंकड़े नहीं हैं जिससे कि कम्परेटिव आंकड़ों के आधार पर हम अपने राज्य की प्रगति पर या उसकी उम्मीद पर विचार किया जा सके या कर सकें। वोट ओन एकाउण्ट को रखते हुए मार्च में मुख्य मंत्री जी ने बड़ी बड़ी उम्मीद केन्द्र से की थीं कि घाटे की पूर्ति करेंगे और इसके लिये केन्द्रीय सरकार से अधिक राशि आवंटित होगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 6 हजार करोड़ रुपये हमको मिलेंगे और वार्षिक योजना के लिये भी बड़ी भारी राशि उनको मिलेगी। उन्होंने यह भी आशा की थी और उन्होंने प्लानिग कमीशन के सामने और फाइनेंस कमीशन के सामने भी रखा कि जो राज्य पर कर्जा है उस पर अनुत्पादक कर्जा है और उस पर अनुत्पादक खर्च किया जा रहा है उस कर्ज की धनराशि को माफ कर दिया जाय। परन्तु वास्तव में जो प्रतिशत हमारे सामने है उससे ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। केन्द्र में युवा प्रधान मंत्री हैं, माना जा सकता है कि वह पुरानी परम्पराओं से ग्रसित नहीं हैं। इसके बावजूद उन्होंने जो केन्द्र में बजट पेश किया एक भारी बहुमत के बाद, वह महंगाई का बजट पेश किया। इससे राज्य को कितनी क्षति हुई है यह मैं बताना चाहती हूं। केन्द्र से मिलने वाली राशि हमें शुल्क वगैरह में मिलती थी वह पहले 4.813 प्रतिशत हुआ करती थी और अब वह घटकर यानि पहला तोहफा राजस्थान को दिया केन्द्रीय बजट ने, नवयुवक प्रधानमंत्री ने, वह घटकर 4.695 यानि 0.118 प्रतिशत कमी इसमें हो गई। केन्द्र से जो शेयर मिलता था टैक्सेज में, रिजर्व बैंक से मिलजुलकर और ओवर ड्राफ्ट में भी राज्य के अधिकारों में कमी हो गई। जो पूर्व में 32 करोड़ 23 लाख हुआ करता था अब घटकर मात्र 31 करोड़ 70 लाख ओवर ड्राफ्ट ले सकते हैं। इसी तरह से प्लानिंग कमीशन में हमारे राज्य के प्रतिनिधियों को बड़ी भारी लताड़ पड़ी और यह कहा कि जनता पार्टी के शासनकाल और उसके तुरन्त बाद जो परिवहन निगम आपकी है, वह अच्छी परिवहन निगमों में मानी जा

(74)

(श्रीमती विद्या पाठक)

सकती थी, पिछले साढ़े चार साल में ऐसा क्या हो गया कि वह बिलकुल रफ बाटम पर आ गई। उन्होंने अधिकारियों को मीटिंग में कहा जिसका जवाब यहां के अधिकारियों के पास नहीं था। इसी के साथ एक सवाल यह भी पूछा कि क्या कारण है कि प्राइवेट बस वाले तो मुनाफा कमा रहे हैं और आपके निगम की बसें और सारे कारपोरेशन घाटे में चल रहे हैं। स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है।

रिजर्व बैंक ने आगाह किया है एक रिपोर्ट में यह जो आपकी सातवीं योजना है इसके आखिरी के तीन साल बहुत कठिन होने वाले हैं। पहले ही प्लान में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हमारे प्रदेश का सफाया कर दिया कि विकास के कार्य की कोई योजना नहीं है, मगर केन्द्र की जो वार्निग हमें दी जा रही है रिजर्व बैंक की तरफ से वह कोई बहुत आशाप्रद नहीं है। आज स्थिति यह बनी हुई है कि योजना के लिए साढ़े छः हजार करोड़ मांगे हमारे प्रदेश ने उसमें से मात्र तीन हजार करोड़ रुपये अगली पंचवर्षीय योजना के लिए हमको मिले। वह भी इस शर्त पर कि कम से कम एक हजार करोड़ के अतिरिक्त संसाधन प्रदेश जुटायेगा। संसाधन जुटाने जैसी स्थिति प्रदेश की नहीं है। माली हालत बहुत खराब है और बचा खुचा था, वह केन्द्र ने नहीं छोड़ा। 25 सांसद यहां से जीतकर गये, भारी बहुमत से दिल्ली में कांग्रेस सरकार आई। उसके बावजूद भी हमारे 25 सांसद की सुनी नहीं गई। उनकी राजनीतिक सिफारिश इतनी प्रभावहीन थी कि उनकी सुनवाई नहीं हुई। राज्य का दो तिहाई भाग रेगिस्तानी है, इसको केन्द्र ने कंसिडर नहीं किया। पहाड़ी इलाकों वाले जो लोग हैं, जो दूसरे प्रदेश हैं वह अधिक धनराशि लेकर चले जाते हैं। रेगिस्तान की समस्या पहाड़ी एरिया की समस्या से कम नहीं है। फिर भी हमें अधिक आवंटन नहीं हुआ और हमारा प्रभाव केन्द्र में नहीं रहा। पांच में से चार साल बाढ़ और सूखा निरन्तर प्रदेश को सताता रहा उसको कंसिडर नहीं किया। यह तो आपकी प्रभावशीलता है। नतीजा क्या हुआ कि पिछली बार का प्लान यानि छठा, दो हजार दो सौ पच्चीस करोड़ का था जो इस बार तीन हजार करोड़ मात्र का रह गया है। उसको यदि इनफ्लेशन के आंकड़ों में लगायें और यदि उसको सही मान लिया जाये तो सात से नौ प्रतिशत तो इनफ्लेशन ही होगा। इसकी वजह से निगम जो निरन्तर घाटे में चल रहे हैं उसके और बढ़ने की सम्भावना है। उसको देखते हुए अगले लक्ष्य, यदि कोई हैं कभी पूरे नहीं हो सकते। अगर इसको इनफ्लेशन रेट से देख लिया जाये तो कैरी-आन भी होना मुश्किल है। इसलिए इन्होंने पहला बजट जो बहुमत का पेश किया उसमें राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारी बहुमत से लोक सभा में जीतने के बाद पहला तोहफा जो केन्द्र से मिला यात्री

(श्रीमती विद्या पाठक)

कर बढ़ा, माल-भाड़ा, पेट्रोल, डीजल, रेल किराया और अब हवाई जहाज के किराये भी बढ़ गये।

इससे ग्राम उपभोक्ता के सामान की ढुलाई पर प्रभाव पड़ा। नतीजा यह हुग्रा कि बाकी बचा हुग्रा पैसा व्यापारियों ने बढ़ा दिया। ग्रब जब लूट है तो सरकार लूटे या व्यापारी लूटें एक ही बात है तो मनमाने तरीके से इसको व्यापारियों ने बढ़ा दिया। नतीजा यह हुग्रा ग्राम उपभोक्ताग्रों की चीजें ग्रौर सामाजिक सुविधायें जो हो सकती थी वह उपलब्ध होनी चाहिए, वह महंगी हो गई। केन्द्र ने मिट्टी का तेल, गैस दूसरी ऐसी चीजें जो ईंधन की थीं उनमें 12 से 18 प्रतिशत टैक्स बढ़ाया। उत्पादन शुल्क भी बढ़ाया जिसकी वजह से वनस्पति, खाद्य तेल ग्रौर उनसे बनने वाली चीजें जैसे साबुन ग्रादि जो ग्राम उपभोक्ता के काम की चीजें थी वह महंगी हो गई। बुद्धिजीवी ग्रखबार जो हमारे प्रजातन्त्र के स्तम्भ हैं, युवा विद्यार्थी वर्ग उन तक को नहीं छोड़ा। कागज महंगा हो गया ग्रौर उसके बाद जो कुछ टैक्सों की गुंजाइश थी तो राजस्थान की सरकार टैक्स लगा रही है उसके बाद कहीं गुंजाइश नजर नहीं ग्राती, हमारे राज्य की जनता सहन नहीं कर सकती, मगर ग्रब उसकी बारी ग्राई है टैक्स लगाने की तो लगाये जाये। संसाधन उसको जुटाने हैं एक हजार के, पिलफरेज कितना हो, चोरी कितनी हो उस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि प्रशासन पर इनका नियन्त्रण नहीं है। ग्रब इनकी बारी है क्योंकि वोट ग्रोन ग्रकाउन्ट में इन्होंने 281.23 लाख घाटा बताया था उसके बावजूद इन्होंने पेयजल की दरें बढ़ाई, पीने का पानी दें या न दें, चाहे जहरीला पानी दें लोग रोज मरें, मगर रेट बढ़ गई। कितना ही ग्रकाल, सूखा हो मगर जो वेल्फेयर स्टेट है उसमें पानी जैसी चीज पर टैक्स बढ़ा दिया। गनीमत है, ईश्वर का शुक्र मानते हैं कि हवा पर इनका कंट्रोल नहीं हैं, यह सरकार इतनी निर्दयी है कि हवा पर भी टैक्स लगा दे। बिजली पर टैक्स लगा दिया, पानी दे नहीं सकते।

बसों की सर्विस इम्प्रूव नहीं होगी हर बस पीछे से टूटी हुई है, समय पर चलती नहीं है, उसमें कहीं रेडक्रास का निशान लगा है, दवाइयों का पैसा खा रहे हैं, मगर उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया ग्रौर ग्रब इन्होंने बिजली पर कर बढ़ा दिया। ग्राप देखिये गरीब ग्रादमी को फिर मारा। बिजली पर जो टैक्स बढ़ाया है वह बड़े उद्योगों पर 24 पैसा प्रति यूनिट, मध्यम उद्योगों पर 32 पैसे यूनिट ग्रौर लघु उद्योगों पर 32 पैसे प्रति यूनिट ग्रौर लघु उद्योगों पर 31 पैसे प्रति यूनिट। इतनी सेंस ग्राफ प्रपोरेशन नहीं हैं कि किस को मार रही है ग्रौर किस पर टैक्स लगा रही है। लघु उद्योगों पर 31 पैसे, यह ग्रजीब पैराडोक्स है यह सरकार की मानसिकता को निश्चित रूप से परिलक्षित करता है। जब इतने

(श्रीमती विद्या पाठक)

टैक्स लगा दिये हैं तो उसके बाद प्रदेश के डेफिसिट की क्या बात करें। मगर उसके कारण महंगाई बढ़ी है, महंगाई पर पिछले सत्र में राज्य सरकार की ओर से जवाब आया है सन् 1981 से लेकर 1985 जनवरी तक 55 प्रतिशत बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय जो 1983-84 में 716 रुपये थी और उस पर टैक्स 290 रुपये 11 पैसे जो 1984-85 में बढ़कर आय बढ़ी है 718 रुपये मगर देखिये 317 रुपये आय, सेंस आफ प्रपोंशन टैक्स का प्रपोंशन कुछ तो हो। मगर सरकार में विचार, समता, संवेदनशीलता नहीं है और इतने बड़े अधिकारियों का पैराफरनीलिया बढ़ना यह बेकार ही जनता पर भार है। रुपये की कीमत इतनी वृहत्त रूप से गिर गई है कि आम तौर पर खर्च करने वाला हर गृहस्थ इसको महसूस करता है। जहां तक राजस्थान में प्रोडक्शन का सवाल है चीनी का भाव, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं क्या है ? आपने अखबारों में देखा होगा आपको आवश्यकता नहीं हो, आपके परिवार वाले मंगवाते होंगे, चीनी की रेट आज के दिन क्या है समय-समय पर इन्होंने रेटें बढ़ाई हैं कुछ लोगों को फायदा देने के लिए 24 घन्टे मात्र के लिए। यह एक रेगुलर ट्रेंड बन गया है सरकार का। ट्रेंड क्या है इसको टेलग्राउट मैं नहीं करूं यह अच्छा होगा मगर 24 घन्टों के लिए रेट बढ़ाने से फायदा किस-किस का होता है यह आज के दिन पूरा सदन और पूरी जनता जानती है। आज चीनी की रेट क्या है यह आप आज के अखबार देखिये। रेट रोज बढ़ रही हैं। गत वर्ष में जब प्रोडक्शन शुगरकेन का भी गिरा, काटन का भी गिरा और खरीफ और रबी का भी गिरा क्राप्स का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है अगर 1983-84 में 100.56 लाख टन था तो 1984-85 में पिछले साल में घटकर 81 लाख टन रह गया। काटन क्लाथ याने सूती कपड़ा जो कि आम आदमी की उपभोक्ता की वस्तु है पिछले साल उसका प्रोडक्शन याने 1983-84 में 558 लाख मीटर था आज इस साल याने 84-85 में 543 लाख मीटर रह गया है। याने इसमें भी घटान हो गया। चीनी 25 लाख टन 83-83 में उत्पन्न हुई और इस बार सिर्फ 22 लाख टन उत्पन्न हुई है। स्टेट का ग्रास प्रोडक्ट जो 83-84 में 2341 करोड़ का था इस बार घटकर वह 2252 करोड़ रह गया। ग्रास डामेस्टिक प्रोडक्ट। देश की 42 प्रतिशत ऊन हमारे प्रदेश में पैदा होती है उसकी कहीं चर्चा नहीं है, उसके दोहन करने की, उसका लाभ उठाने की किसी जगह न चर्चा है और न कोशिश की गयी है। इसी सब के साथ इन सबके ऊपर सबसे बड़ा तुर्रा बेरोजगारी का है। केवल मात्र अकेले झुंझुनू जिले में केवल 30 पोस्टें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की थी और उसके लिए एप्लीकेण्ट थे 15 हजार और क्वालीफिकेशन ग्रेजुएट एण्ड अबव आलसो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न का उत्तर देते वक्त इसी सदन में यह कहा गया है कि सन् 1980 के बाद 85 जनवरी तक 100 प्रतिशत बेरोजगारी राज्य में बढ़ गयी। यह सिर्फ रजिस्टर्ड बेरोजगारी है जो कि एम्पलायमेन्ट एक्सचेंजेज में है। 100

(श्रीमती विद्या पाठक)

प्रतिशत बढ़ गयी । 31-3-85 तक 4 सूती मिलें राज्य की बन्द हैं उसकी वजह से करीव-करीब 6500 मिल मजदूर वेरोजगार हो गए । वेरोजगारी का एक्सटेन्शन आप देखिये । राज्य की दो तिहाई आबादी निठल्ली है और इसी को हम सबसे ज्यादा प्रॉड्यूस कर रहे हैं । हम टाप पर हैं, जनसंख्या प्रॉड्यूस करने में हमारा देश याने हम जनरेट क्या कर रहे हैं ? अनप्राडक्टिव और नान प्राडक्टिव मेटेरियल । मगर इन्टीग्रेटेड चिन्तन का अभाव है और यह एक किसी सरकार को, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेल्फ एम्पलायमेन्ट स्कीम इन्होंने शुरू की है। राज्य में डेढ़ लाख लोगों ने अब तक एप्लाई किया है । उसमें से मात्र दस हजार लोग इससे लाभान्वित हुए हैं । यह आंकड़े मेरे पास फिर इस जनवरी तक के हैं जो इस वर्ष की जनवरी है । एन. आर. ई. पी. जो योजना इन्होंने शुरू की जिसमें भी डेढ़ लाख में से दस हजार वेलिंडली बेनीफिटेड नहीं हैं-इनमें से कइयों को, अधिकांश को अनुचित लाभ मिला है जिसमें उद्योग प्रसार अधिकारियों की वेहद ज्यादा चांदी है चाहे वह किसी पंचायत समिति से हो । बिना कमीशन काटे नहीं देते । इसके अतिरिक्त एन आर. ई. पी. एक योजना जो इन्होंने सबसे बड़ी धोखाधड़ी ग्रामीण जनता के साथ जो फ्राड है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जून में सड़कें बनवाई हैं और उसका पेमेन्ट आज तक नहीं हुआ । अगर मन्त्री महोदय चाहें और अधिकारी महोदय यह लोग नोट करें दांतली से भूरथल एक सड़क वना रहे हैं पिछले कई महीनों से उसका पेमेन्ट नहीं हुआ है । रामपुरा ऊंची में एक सड़क जयपुर जिले में है उसके तीन, चार, पांच मस्टर रोल हैं उसमें से किसी का पेमेन्ट नहीं हुआ है । यह तो एन. आर. ई. पी. योजना का मात्र सेम्पल है । बड़ी-बड़ी जांच इसमें होनी है । पिछड़े को पहले योजना के अन्तर्गत यह लोग पैसा देते हैं ।....

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दें ।....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में जरा शांत रहें ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप नोट करवायें और मैं चाहती हूं कि इस बात को नोट किया जाये । जयपुर जिले की कलवाड़ा पंचायत में क्योंकि आज बजट पर बात हो रही है इसलिए मैं फाइनेन्स पर कन्सन्ट्रेट कर रही हूं । स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर वालों ने चार लोगों को ऋण दिया । ऋण बहुतों को दिया है मगर चार ऐसी पास बुक्स मेरे पास हैं जो कि ब्लैंक हैं । मेरे पास ऐसी रसीदें भी हैं जिनमें अधिकारी के दस्तखत हैं पर सील नहीं है । उनके जो फील्ड आफिसर वहां हैं वे जाकर कहते हैं कि 500 रुपया दो हमें अगर कुंए की दूसरी किश्त लेनी है तो कम से कम 500 रुपये दो इसके आगे नहीं मिलेगी । मैंने जब बैंक अधिकारियों से बात की माननीय उपाध्यक्ष

78

(श्रीमती विद्या पाठक)

महोदय, यह इन्टीग्रेटेड योजना चाहे भले ही इन्टीग्रेटेड नहीं हो पर भ्रष्टाचार जरूर इन्टीग्रेटेड है। इसमें कोई नहीं बोलने वाला। तो ऐसी जो परिस्थितियों का एक निर्माण हो गया है, चार साल से एक केस चल रहा है जयपुर जिले की लाखावास तहसील का। एक किसी का ऋण जानवर के लिए और जो ऋण दिलवाया गया किसी अन्य को दे दिया गया। उसकी शिकायत तुरन्त की गयी। चार साल हो गए विभाग टू विभाग यह केस ट्रेवल कर रहा है और अब एस. पी. महोदय जयपुर के कहते हैं कि फिंगर प्रिन्ट की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अब यह एक का ऋण दूसरे को दिया यह तो आउटराइट बंगलिंग है इसमें फिंगर प्रिन्ट क्या करेगा ? उस चैक पर किसके फिंगर हैं इसको देख पायेंगे क्या यह लोग ? मगर एक अजीब बहाना है और यह ग्रामीण जनता के साथ सबसे बड़ा फ्राड है।

जयपुर नगर में जो स्वरोजगार के अन्तर्गत लोग लाभान्वित हुए हैं वे केवल 72 लोग हैं जयपुर नगर मे, लाभान्वित हुए हैं। उसमें से 15 परिवार तो कहीं हैं ही नहीं। जयपुर में नान-एग्जिस्टेन्स है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में हुए हैं उसका भी सेम्पल सर्वे किया गया आमेर और लालसोट का। अनुसूचित जाति के लाभान्वित है 2.34 प्रतिशत स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत और जितने लाभान्वित हुए हैं उनमें से 25 प्रतिशत की इन्कम 500 रुपये महीने से ज्यादा की है। 25 प्रतिशत की इनकम एक हजार से 1500 के बीच है और 16 प्रतिशत की इनकम 1500 से 2000 के बीच में है। एक हजार से ऊपर वाले जिनकी इनकम है वह 42 प्रतिशत उन 16 हजार लोगों में है जिनको लाभान्वित किया गया उनमें से 55 प्रतिशत टोटल लाभान्वित ऐसे हैं जिनके कि घरों के मकान हैं और 8 प्रतिशत ऐसे हैं जिनके कि मकान ही नहीं, दुकानें भी उनके पास हैं। यह स्वरोजगार का एक कच्चा चिट्ठा, एक नंगा स्वरूप है और मन्त्री महोदय यदि चाहें तो इसको नोट करवा लें और सदन में उसकी रिपोर्ट पुट-अप करवायें। 94 प्रतिशत पैसा इसका वेस्ट होता है और कहीं अन्यत्र इस्तेमाल हुआ है। तो यह जो रोजगार पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं 50 हजार लोग तो मात्र केवल मकराना की खानों में पानी भरा होने की वजह से बेरोजगार हैं। अब आप यह पूछिये कि बजट पुट-अप करने का और सदन से पैसे के लिए स्वीकृति लेने का इनका अधिकार क्या बनता है। आलरेडी हमारी स्टेट मेक्जीमम टैक्स्ड स्टेट है। इसमें बिक्री कर सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से इसकी इकानामी सफर कर रही है और पास के प्रदेशों द्वारा इसका लाभ उठाया जा रहा है।

अब इनकी बकाया कितनी निकलती है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। 3 करोड़ का तो गृह कर केवल बकाया है और वह गृहकर कोई गरीब आदमियों का किसी का बकाया नहीं है। उनमें वी. आई. पीज. हैं, उनमें राजनैतिक व्यक्ति भी हैं, उनमें इस तरह के अधिकारी भी हैं जिनका रेकार्ड

(श्रीमती विद्या पाठक)

नहीं है वहां। अब मैंने जहां कहीं पैसा जमा करवाया मेरा पैसा किसी और के नाम जमा है। आप अगर चाहेंगे तो मैं उसकी रसीदें और उसके आंकड़े भी बता सकती हूं। तो यह जो इस प्रकार से 3 करोड़ का तो गृह कर बकाया है। 60 हजार के करीब जयपुर में साइकिलें हैं, अनेकों अवैध रिक्शे स्कूटर रिक्शे हैं, होर्डिंग्स हैं इनमें से किसी से पैसा लेना या प्राप्त करने की कोशिश ही कभी नहीं की। बस जनता पर टैक्स लाद दो क्योंकि वह बोल नहीं सकती। मगर अपने अधिकार क्षेत्र में जो सरकार है उसमें इसका कोई नियन्त्रण नहीं है। 118 करोड़ से ऊपर के टैक्स की वसूली इनकी अभी बकाया है। इसमें से 46 लाख रुपया बिक्री कर का है प्लस उस बिक्री कर का 21 लाख रुपया ब्याज का है। वह यह रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं उसकी उगाई नहीं कर पा रहे हैं, वसूली नहीं कर पा रहे हैं और कर भी नहीं पायेंगे। 28 लाख रुपया वाहन कर का है जो कि हमारा आपका या जनता का नहीं है वह मात्र सिर्फ निगम और सरकारी जो निकाय हैं उन लोगों ने जो गाड़ियां खरीदी हैं उसका टैक्स गायब है और वह दे भी नहीं सकते क्योंकि फाइलें भी गायब हैं। कहीं-कहीं उसका हवाला मिलता है। 81 लाख रुपया, इन्होंने नहरी क्षेत्र में लैण्ड अलाटमेंट नहीं किया, यदि कर दिया होता तो 81 लाख रुपया आज स्टेट की इनकम होती, 26 लाख रुपया विभिन्न अपराधों पर फाइन के जो लगाये गये हैं उसकी वसूली अभी बाकी है। 1 जून, 85 तक नेफेड़ में जो 44ıı लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद हुई उससे 40 से 50 रुपया प्रति बोरी ऊपर से मुनाफा कमाया गया बिचौलियों के द्वारा और भ्रष्टाचार के माध्यम से 25 से 30 लाख रुपया उस भ्रष्टाचार का बनता है यदि यह लोग विजिलेंट रहते तो इनके डेफिशिट में सहयोग नहीं देता यह पैसा। टैक्स जनता पर लगा रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं जिन्हें यह चाहते हैं। तो यह सारी जनता इस बात को ध्यान से देखे विधान सभा के माध्यम से। इस बात की मैं ताकीद करना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी जमीन को कोई दूसरा बेचे तो यह यहीं का इतिहास है। जयपुर मेटल्स की 30 हजार वर्ग जमीन 250 रुपये वर्ग के हिसाब से बेच दी गई और उसकी वजह से कितना घाटा हुआ, कितना नुकसान हुआ स्टेट को और शर्तों के विपरीत बेच दी। यह एक विचारणीय बात है। चित्तौड़गढ़ की स्टोन इण्डस्ट्री उसके बन्द होने की वजह से उसमें कमियां, इसकी वजह से 25 लाख का घाटा हुआ है स्टेट रेवेन्यू को। पाली की रंगाई और छपाई पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है उसकी वजह से 35 लाख का घाटा सरकार के खजाने को हुआ है। राज्य के स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में 225 करोड़ रुपया अटका पड़ा है। क्यों नहीं वसूली की जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह प्रश्न आपका भी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त निगम बहुत पैसा देता है लोगों को। अब तक 25 हजार इकाइयों को 288 करोड़ इन्होंने दिया है

(श्रीमती विद्या पाठक)

ऋण के रूप में। इसमें से 13 हजार यानि टू थर्ड के करीब कोई उसका भुगतान ही नहीं कर रहे हैं। 70 करोड़ रुपया डिफाल्ट में है उसमें 30 करोड़ रुपया आने की यानि वसूली की कोई संभावना नहीं है। 164 यूनिट्स में ताले पड़े हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। जिन यूनिट्स में ताले पड़े हैं उन्हें दुबारा ऋण देते हैं वे लोग फिर इनको डेफिशिट में चलाते हैं और ये फिर उस पर चौकीदारी रखते हैं। यह सरकार पर खर्चा हर महीने का और 1 जो यूनिट्स श्रमिक हैं, जो यूनिट्स बेइमान हैं पैसा दे नहीं रही हैं, वसूलियां हो नहीं रही है उन पर चौकीदार का निरन्तर खर्चा वर्षों से आ रहा, यूनिट्स के नाम में आपको बताऊं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह बिना टेन्डर्स के खरीद करना, बिना फाइनेन्शियल, टेक्नीकल और फीजिबिलिटी के पी. डब्लू. डी. और दूसरे वर्क्स करवा देना, ठेकेदारों से बराबर वसूलियां न होना, बिलों का भुगतान न होना, करोड़ों रुपया विद्युत मण्डल में बकाया है विद्युत मण्डल का उस पर ध्यान नहीं दिया जाना और उस पर जनता पर टैक्स बढ़ाना। बिजली की चोरी की एक महीने की सर्वे पर, एक महीने की चैकिंग पर करीब ढाई हजार कनेक्शन ऐसे पाये गये जो चोरी से किये हुए थे इससे 15 लाख से अधिक की कीमत की चोरी होने की सम्भावना पाई गई। विद्युत मण्डल में स्वयं करोड़ों का घाटा है। इसी तरह से प्राइवेट बसें चलती हैं। 70 पर्सेन्ट प्राइवेट बसेज प्राइवेट रूट्स पर चलती हैं। न रोड टैक्स की बात है, न उनके वैध तरीके से चलने की बात है। उनके किसी तरह की कानूनी व्यवस्था की बात है वे खूब टैक्स इवेजन कर रहे हैं परन्तु वे सब वी. आई. पीज. की हैं। अधिकांशतः अधिकारियों की हैं। कुछ नेताओं के भी हैं सत्ता पक्ष के नेता विशेष रूप से हैं। इसी तरह से बिक्री कर की चोरी हो रही है। अगर बरतन वाले ने यह कह दिया कोटेड है, आपने अखबारों मे भी देखा होगा, उसने कह दिया मेरे यहां धन तेरस के दिन 85 रुपये की बिक्री हुई है तो मान लिया। एक इन्सपेक्टर धन तेरस को वहां जाकर बैठा 35 हजार रुपये के बरतनों की बिक्री हुई। उसमें सेल्स टैक्स कितना बनता था यह एक विचारणीय बात है।

आर. टी. डी. सी. में सन् 81 में कुछ काफी की मशीनें खरीदी गई। कीमत 6800 प्रति मशीन। आज भी उसकी इतनी रेट नहीं है। यह खरीद भी हजम कर ली गई और इसमें सरकार की तरफ से कोई जांच नहीं हुई। इसी तरह आवासन मण्डल एक सफेद हाथी, और आर. एस. ई. बी. उससे भी सफेद हाथी और जे. डी. ए. अपने मनमानेपन के लिये बहुत बहुत मशहूर और जनता इस बात से बहुत दुखी है। इसी तरह करोड़ों रुपया अटका पड़ा हुआ है नगरपालिकाओं में पंचायत समितियों में, सहकारी समितियों में इनके घोटाले का तो कोई आडिट ही नहीं होता। लोकल फण्ड आडिट कभी किसी स्टेज पर नहीं होता और सरकार को उस बात की कोई चिन्ता नहीं है। हजारों आडिट पैराज पैण्डिंग पड़े हुए हैं। इसी तरह से

(श्रीमती विद्या पाठक)

वृक्षारोपण के अन्तर्गत बड़े जोरों से चर्चा हो रही थी परसों। वृक्षारोपण एक बहुत बड़ा बंगलिंग है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा कोई घोटाला अगर है तो यह सोशल फारेस्ट्री का है .

श्री उपाध्यक्ष : समय बहुत हो गया।

श्रीमती विद्या पाठक : दो मिनट में समाप्त करती हूं।

सोशल फारेस्ट्री आज भी इकानामी के लिये दीमक का काम कर रही है। क्वालिटी आफ दी ट्री और टाइप आफ दी ट्री क्या है. वह एक अलग बात है मगर वृक्षारोपण की हर विभाग को उड़कर लगी है वह वृक्षारोपण करे। चाहे वह जे. डी. ए. हो, चाहे पी. डब्ल्यू डी. हो, चाहे सिंचाई हो चाहे अनुसूचित जाति निगम, हो, चाहे कोई भी निगम हो, वह अपना प्लांटेशन अलग कर रहे हैं। उस प्लांटेशन का खर्चा 330 के अन्तर्गत बुक होगा। बजट हैड 330 जो वन का है, उसके अतिरिक्त आर. एन. ई. सी. पी. में भी होता है। एन. आर. ई. पी. में भी होता है, डी. पी ए पी. में भी होता है, सैन्ट्रल स्पान्सर्ड स्कीमज में होता है। उसके अतिरिक्त कार्पोरेशन्स अपना चलाती हैं और पेड़ मर गये उसके नाम से करोड़ों रुपया खराब हो गया। कैटल गार्ड्स के नाम से जो मजदूर रखे जाते हैं उनमें अधिकांशतः महिलायें रखी जाती हैं। उनका अगर डेली वेजेज के नाम से भी देखा जाये, अब महिलायें जंगलों में कैटल गार्ड क्या करेंगी. मगर उसमें अधिकांश महिलायें एम्पलायड हैं। यह महिलायें वहां हैं या नहीं, यह एक विचारणीय बात हो सकती है मगर उसमें यह पैसा पिलफरेज जरूर हो रहा है। इसी तरह प्रशासन की जो पराकाष्ठा है जो इंडिसिप्लिण्ड हैं, आई. जी. नियुक्त किया जाये तो उनको बैठने के लिये जगह नहीं दी जाये। यदि यू. आई. टी. का सचिव अजमेर भेज दिया जाये तो उनको कलेक्टर महोदय आदेश की पालना नहीं करने दें यह भी कोई सरकार और प्रशासन है। यह हमारे प्रदेश को आखिर कहां ले जाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं एक बात कह कर समाप्त करती हूं।

हमारी स्टेट ने कुछ कीर्तिमान स्थापित किये हैं। जन संख्या में ..

It has topped in the whole country.

वह एक कीर्तिमान स्थापित किया। आठवें फाइनेंस कमीशन के सामने हमारी राज्य सरकार के नुमाइंदों ने खुद माना कि जो 95 प्रतिशत अर्ध उत्पादक खर्चे में आता है और 5 प्रतिशत अन्य उत्पादक में जाता है। यह एक कीर्तिमान है पूरे देश में इतनी पराकाष्ठा कहीं नहीं है। जहां तक जनसंख्या का सवाल है पूरे देश की जन संख्या यदि 25 प्रतिशत है हमारे देश की 33 प्रतिशत इसमें रूरल एरियाज के हैं। दूसरा अनुसूचित जाति जन जाति पूरे देश में 23.51 प्रतिशत है मगर हमारे राज-

(श्रीमती विद्या पाठक)

स्थान में कितनी है 29.25 प्रतिशत। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं यह आंकड़े हमारी फैमिली प्लानिंग योजना के लिये गाइड लाइन क्यों नहीं होना चाहिये। परन्तु इन पर विचार करने का तरीका उनका नहीं है। दूसरा इन्होंने जो सबसे ज्यादा कीर्तिमान स्थापित किया है देश में सबसे नीचे है आर्थिक, औद्योगिक इनफ्रास्ट्रक्चर में, अस्पताल और सोशल सर्विसेस में। बाटम में बिल्कुल। और यदि सरकार को इण्डस्ट्री मान लिया जाये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, it is in well.। इसको कम्पनी मान लिया जाये और अगर लीक्वीडेट होने की संभावना की प्रक्रिया होती तो यह कभी की लिक्वीडेट हो गई होती। समाप्त हो जाना चाहिए था और अब इसकी मारेल रैसपोसिबिलिटी है जब यह बकाया वसूलियां नहीं कर सकती, टैक्स लगाने का इनको अधिकार नहीं है और सरकार में रहने का इनको अधिकार नहीं है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ यह जो बजट पेश किया गया है–This is top dis-honesty and a big fraud to our economy.

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल यादव।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिवर्तित बजट पर जो भाषण मुख्य मंत्रीजी ने सदन को दिया हैं उसको पढ़ने से, उसको देखने से ऐसा लगता है कि यह बजट किसान विरोधी है। सारे राजस्थान के विकास के संसाधन जुटाने के लिये किसानों के ऊपर बोझा डाला गया है। ऐसा बजट को पढ़ने से मालूम पड़ता है। कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि हिन्दुस्तान में जितने भी बिजली बोर्ड हैं उन सब से कम दर राजस्थान की है। यह मानना बिल्कुल गलत है। आज के अखबार में वित्त सचिव ने एक स्टेटमेंट दिया कि 10 साल के अन्दर कोई रेट में वृद्धि नहीं हुई है। यह भी सौ फीसदी गलत है। पिछले वर्ष दो साल पहले भी रेट में वृद्धि की गई थी और इस साल फिर उन्होंने वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। जहां तक बिजली का अन्य स्टेट्स के मुकाबले राजस्थान का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के जितने भी बिजली बोर्ड हैं उनमें एस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट चार्जेज जो राजस्थान में लगाया जाता है 50 प्रतिशत वह सबसे ज्यादा है।

(2.00 म. प.)

सन् 1977-78 में जब राजस्थान में फ्लेट रेट कायम करने की बात कही थी, उस कमेटी का मैं भी मेम्बर था। हमने उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो फ्लेट रेट थी। पंजाब के अन्दर 13) रु. प्रति हार्स पावर पर मंथ के हिसाब से और उत्तर प्रदेश में 15) रु. प्रति हार्स पावर पर मंथ के हिसाब से जो रेट थी उसको बेस लेते हुए राजस्थान में जो फ्लेट रेट कायम की गई थी वह 3 हार्स पावर के लिये 10) रु. प्रति हार्स पावर प्रति माह और 5 हार्स

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

पावर के लिये 12 रु. प्रति हार्स पावर प्रति माह, साढ़े सात के लिये 15) रु. प्रति हार्स पावर प्रति माह और 10 हार्स पावर के लिये 18) रु. प्रति हार्स पावर के हिसाब से तय किया था और यह सारा एवरेज जहां जहां हिन्दुस्तान में फ्लेट रेट कायम थी, उनकी एवरेज निकाल करके और राजस्थान का कन्जम्पशन और राजस्थान की रेवेन्यू इन दोनों को मध्य नजर रखते हुए किया था। पिछले दिनों में जहां उत्तर प्रदेश का सवाल है केवल मात्र 20 और 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन राजस्थान में बिजली की दरों में फ्लेट रेट की जो वृद्धि की है वह करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि पहले की जा चुकी है और अब करीब 50-52 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है। इसलिये यह कथन कि राजस्थान में बिजली दरें सबसे कम है, यह बिल्कुल गलत है। साथ ही एक तरफ आप बजट में कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ चालू वित्तीय वर्ष में वहुत सारा बोझ किसानों पर डाला जाता है तो क्या यह सत्य नहीं है कि पिछले दिनों वित्तीय वर्ष के दौरान किसानों के जो पुराने कनेक्शन थे उनकी सिक्योरिटी का अमाउन्ट बढ़ा दिया गया। मैं भी एडवोकेट हूं—हिन्दुस्तान में या किसी भी लेजिस्लेचर में इस तरह का प्रावधान नहीं कि कोई भी कानून में कोई रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाता हो लेकिन जो 20 साल पुराने कनेक्शन थे उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई और उनसे चार्ज किया गया और यह किसी अन्य नाम से चार्ज किया गया और अब जो यह बिजली की दरें और बढ़ाने का प्रस्ताव है वह भी बिल्कुल गलत है। जहां तक केपेसीटर का सवाल है, मैंने पहले भी सदन में इस बात का सुझाव दिया था कि अगर केपेसीटर किसान के कुए के ऊपर लगाया जाता है तो अच्छा होता कि राजस्थान की सरकार या बिजली बोर्ड इस बात का प्रस्ताव लेकर आती कि वह केपेसीटर, ग्रिड सब-स्टेशन या ट्रान्सफार्मर पर केपेसीटर लगाया जाय ताकि किसान पर बोझ न पड़े और उसको कम्पनसेट करने के लिये 50 परसेन्ट बिजली बोर्ड को देना चाहिये और 50 परसेन्ट किसान को देना चाहिये लेकिन केपेसीटर का बोझ केवल किसान पर लादा गया। केपेसीटर के पैसे बिजली बोर्ड ने जमा कर लिये लेकिन आज तक केपेसीटर उस पोल पर लगा नहीं है। बिजली बोर्ड में घाटे की बात जो करते हैं अच्छा होता अगर इस तरह का प्रस्ताव आता कि वेस्टेज मेटेरियल जो गांवों में पड़ा है, उसको एकत्रित किया जाता, अच्छा होता अगर इस तरह का प्रस्ताव आता कि जो ऐजेन्सी बिजली बोर्ड की चली आ रही है उनकी जगह ए. ई. एन. और जे. ई. एन. की नियुक्ति करते और जहां जहां ट्रान्सफार्मर जल रहे हैं वे नहीं जलते। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि मेरे चौमू विधान सभा क्षेत्र में ठीकरिया गांव में एक वर्ष के अन्दर तीन बार ट्रान्सफार्मर जला और जिसमें लाखों रुपये का रिपेयरिंग चार्जेज लग चुका है वहां आज भी ट्रान्सफार्मर फिर जला

(84)

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

हुआ पड़ा है। इस तरह के प्रस्ताव या इस तरह के कोई सुझाव इस बजट में नहीं है। सीधे किसान से किस तरह से ज्यादा चार्ज किया जा सकता है, किसान को किस तरह ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जा सकता है, यह इस बजट के पढ़ने से मालूम होता है।

पिछले दिनों चालू वित्तीय वर्ष में बिजली बोर्ड ने कहा कि हम एक किसान को अगर कनेक्शन देंगे तो उसके 1850) रु. प्रति पोल के हिसाब से वसूल करेंगे। देवयोग से आमेर का उप चुनाव था। राजस्थान में चार उप चुनाव हो रहे थे। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का जब आमेर का दौरा था तो उन्होंने कहा था कि हम छोटे बड़े किसान का भेदभाव खत्म करके आम किसान को कनेक्शन देंगे लेकिन इस बजट भाषण में इस बात को उन्होंने कहीं भी इंगित नहीं किया उनका यह भी कहना था कि 1850 रु. के हिसाब से जो तय किया है, उसे हम वसूल नहीं करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1850) रु. के हिसाब से प्रति पोल का जो आदेश था, उस आर्डर को बिजली बोर्ड ने या राजस्थान सरकार ने विथड्रा नहीं किया है। उस सम्बन्ध में केवल बोर्ड ने इतना ही कहा है-केप्ट इन एबीयन्स। उस आर्डर को कभी भी वापिस लगा सकते हैं लेकिन उस बात को कि 1850) रु. प्रति पोल के हिसाब से हम लेंगे या नहीं लेंगे, इस बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने कहीं भी नहीं कहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो 1850) रु. पर पोल की जो बात आज बिजली बोर्ड में पेन्डिंग पड़ी है और जो बिजली की दरें बढ़ाई है इनको वापिस विथड्रा कीजिये वरना राजस्थान का किसान एक क्रान्ति की ओर बढ़ेगा और आज जो हम हाऊस में जन प्रतिनिधि की हैसियत से चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, जिस भावना के साथ आपको और हमको भेजा है, हो सकता है कि हमारे खिलाफ या आपके खिलाफ किसान आन्दोलन करेगा और अगर वह एक बार आन्दोलन की राह पर चल पड़ा तो मैं समझता हूं राजस्थान विधान सभा में बैठने वाले माननीय 200 सदस्य अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पायेंगे। सरकार अपनी सुरक्षा करेगी या नहीं करेगी लेकिन जन प्रतिनिधि भी अपनी सुरक्षा नहीं कर पायेंगे इसकी मुझे शंका है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो बिजली की दरें बढ़ाई है उनको शत प्रतिशत विथड्रा किया जाय और किसानों को जो फायदा देने की बात इस बजट में नहीं, उसको की जाय। अच्छा होता कि इस तरह का प्रस्ताव आता कि हम जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा 12 घंटे बिजली देंगे। अगर 12 घंटे की गारन्टी देकर सरकार आती और फिर कोई वृद्धि की बात कहती और अगर उस समय कम बिजली भी दी जाती तो उस अनुपात से किसान से कम पैसा वसूल किया जाता तो चाहे मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव फिर भी कोई मानने

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

योग्य था लेकिन 12 घंटे का कथन जो आमेर के उप चुनाव में मुख्य मंत्री जी ने कही थी उसको भी कहीं इंगित नहीं किया गया है और 12 घंटे की घोषणा के बाद किसानों को तीन घंटे, दो घंटे और यहां तक कि तीन-तीन रोज तक बिजली नहीं दी। राजस्थान के अन्दर और इस गर्मी के मौसम में जो हैं, उनकी फसलें जल गई, जो सब्जी थी वह जल गई मारी नुकसान हुआ इसलिये मेरा कहना है कि जो बिजली की दरें बढ़ाई हैं उनको शत प्रतिशत विथड्रा किया जाय ताकि राजस्थान के किसान बरबाद न हो।

जहां तक चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात है मेरा यह सुझाव है कि जहां जहां नगरपालिकायें हैं अच्छा होता वहां वहां 30 बैड के हास्पिटल होते और जहां पर बड़ी नगर पालिकायें हैं वहां रेफरल हास्पिटल होते और मरीजों की संख्या का जो हिसाब है वह जयपुर और बड़े बड़े शहरों की ओर कम होकर लोगों को साधारण कीमत पर उनको इलाज की सुविधा मिलती लेकिन इस बात का भी कहीं इंगित नहीं है। जहां तक चिकित्सा का सवाल है एलोपैथिक, होमियोपैथिक और आयुर्वेदिक, इसमें सबसे सस्ता इलाज होमियोपैथिक का है। मुझे अफसोस है कि मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में होमियोपैथिक के बारे में कहीं भी उन्होंने चर्चा नहीं की जबकि राजस्थान में करीब 125 डिस्पेन्सरियां होमियोपैथिक की है और आज उनमें भी आधी डिस्पेन्सरियों में डाक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं। मेरा सुझाव है कि अगर राजस्थान में ऐलोपैथिक और आयुर्वेदिक के साथ साथ होमियोपैथिक की सुविधा की जाती है तो जो इलाज एक गरीब आदमी 100) रु. में नहीं करा पाता है वह इलाज 5 रुपये में या 10 रुपये में होमियोपैथिक चिकित्सा के जरिये सुलभ हो सकता है इसलिये इस बात पर भी सरकार को गौर करना चाहिये।

जहां तक राजस्व के सम्बन्ध में है माफी मंदिर के सम्बन्ध में माननीय मिर्धा साहब ने भी कहा है और उसी सन्दर्भ में मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि 20-20, 30-30 साल पहले माफी रिज्यूम हो गई और उन किसानों को चाहे राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा (19) हो चाहे रिजम्पशन के बाद खातेदार ने उस भूमि को बेची हो और पिछले सेटेलमेंट के अन्दर उन किसानों की खातेदारी हो गई हो लेकिन आज ये कहते हैं उस भूमि को हम माफी मन्दिर में दर्ज करेंगे और यह कहते हैं कि ऐसी भूमियों को हम उस पुजारी के हक में वापिस दिलवायेंगे तो यह कहां तक न्यायोचित है। उस किसान ने उस भूमि को समतल किया है, उसमें कुआ बनवाया है, उसमें बिजली लगवाई है, हजारों लाखों रुपये उस पर खर्च किये हैं और फिर कहते हैं मंदिरों के प्रोटेक्शन के लिये हम उसको वापिस देना चाहते हैं। अगर मंदिरों का प्रोटेक्शन करना है तो राज्य सरकार को चाहिये कि राज्य कोष से उसकी कोई व्यवस्था करे लेकिन उनसे न लें।

86

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

मैं एक बात और कहना चाहता हूं माफी मंदिर की भूमि को यदि वापिस लेना चाहते हैं तो जिन मंदिरों की सम्पत्ति को पुजारियों ने बेच दिया है, भूमि को बेच दिया है तो जो पुजारी मन्दिरों की मूर्तियों को बेच सकते हैं उन भूमियों को वापस पुजारियों के हाथ में या मन्दिरों के हक में देने से क्या मंदिरों को प्रोटेक्शन होगा ? किसी भी हालत में नहीं हो सकता।

स्माल होल्डिंग की बात आती है। बिजली बोर्ड ने कहा कि हम छोटे किसानों को बिजली देंगे और जिसके बड़े किसान थे उसने भी स्माल होल्डिंग करके, अपनी रजिस्ट्री करवा करके, अपने प्रेगमेन्ट करवा करके अपने नामांकन करवा करके और फिर कनैक्शन ले लिया या कनैक्शन लेने की लाइन में लग गये लेकिन, अब राजस्व विभाग के लोग कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, अधिकारी कहते हैं कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 में हिट होता है इसलिए हम इस पेगमेंट को मान्यता नहीं देंगे। इस रजिस्ट्री को वापस केन्सिल करेंगे। इस खाते को आगे दुरूस्त नहीं करेंगे और आज वापिस फिर भ्रष्टाचार उन तहसीलों में होता जा रहा है। जहां कहीं भी हम जाते हैं तो तहसीलों में इस तरह की बात आती है कि मेरा नामांकन खारिज हो रहा था इसलिए मैंने तो तहसीलदार जी को इतने रुपये देकर के इस तरह से करवा लिया। किसी की शिकायत है कि हम गिरदावर को पैसा देकर ऐसा करवा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब एक तरफ सरकार यह कह रही है कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, स्माल होल्डिंग नहीं बनायेंगे तो फिर दूसरी तरफ वह सब रजिस्ट्रार या तहसीलदार इस तरह की स्माल होल्डिंग की रजिस्ट्री क्यों करते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ऐसे अधिकारियों को निलम्बित किया जाना चाहिए लेकिन किसानों ने जो कायदे कानून के तहत जो कुछ रजिस्ट्रियां करवा कर अपने कनैक्शन लिये हैं या कनैक्शन लेने की लाइन में लगे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : एक इसी तरह का उदाहरण मैं और पेश करना चाहता हूं। जयपुर ज़िले की फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पिछले दिनों में 200 कनैक्शन अवैध रूप से बिजली बोर्ड के ए. ई एन रेनवाल और जे.ई.एन. रेनवाल ने एक एक काश्तकार से दो दो हजार रुपये लेकर के बिजली बोर्ड के तार सप्लाई करके उन किसानों को कनैक्शन दिये जब कि उनकी सिक्योरिटी जमा नहीं है, जबकि उनका पैसा जमा नहीं, उनको विधिवत् कनैक्शन नहीं दिये लेकिन 2-2 हजार रुपये लेकर के उनको अवैध रूप से कनैक्शन दिये और फिर इस चुनाव के तुरन्त बाद राजनैतिक फायदा उठाने के लिए उन किसानों के 40 ऐसे मामले पकड़े कि

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

आपने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं उनके बयानात उस जांच के अन्दर विजीलैन्स के सामने और चीफ इंजीनियर के सामने आ चुके हैं कि हमने 2000 रुपये पला ए.ई.एन. को दिये हैं, हमने 2000 रुपये पला जे. ई एन. को दिये हैं लेकिन अफसोस की बात है कि उन ए.ई.एन. और जे ई.एन. के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, उनको निलम्बित नहीं किया गया लेकिन जो हेल्पर थे जो एस्टीमेटर थे उन लोगों को 13-14 व्यक्तियों को वहां से निलम्बित किया गया इसलिए मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने अवैध रूप से किसानों से रिश्वत ले लेकर के कनेक्शन दिये हैं, अपने बिजली बोर्ड की डोरियां देकर के कनेक्शन जोड़े हैं उन अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित किया जाना जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र चौधरी।

लोक हित व अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय

राजा मानसिंह की तथाकथित हत्या

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरा धैर्य टूटता जा रहा है। मैंने 119 और 127 में दो नोटिस दिये और यह इतना गम्भीर मसला है राजा मानसिंह जी की हत्या के मामले को लेकर किस प्रकार से राज्य सरकार ...

श्री भैरूं लाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़): यह बीच में राजा मानसिंह कहां से आ गया।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): आप, बीच में राजा मान सिंह का आ गया XXX।

श्री भैरूं लाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़): यह बजट में भी राजा मानसिंह आ गया। XXX फिर भी इस बात को चालू रखोगे क्या।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): चुप रहो XXX क्या बात करते हो आप-। मैं आसन से बात कर रहा हूं। आप बीच में बोल रहे हो।

श्री भैरूं लाल भारद्वाज: क्या राजा मान सिंह, राजा मानसिंह लेना न देना। XXX

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार चालान पेश करने से चुप रहिये आप। आप चुप रहिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जान बूझकर हत्या की गयी।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (टूटू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया बैठिये।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(88)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये। बजट पर जब बीच में बहस चल रही है। अभी जो कार्यवाही होती है। यह एक्सपंज की जाती है। अभी नहीं चलेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस सारी कार्यवाही को एक्सपंज कर दीजिए। इस कार्यवाही का महत्व भी क्या है, उपाध्यक्ष महोदय। आप इसको चाहे किसी भी तरह एक्सपज करिये।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह : क्यों हत्यारों के खिलाफ सरकार चालान पेश करने से रोक रही है उनको प्रोटेक्शन दे रही है, उनको बचा रही है।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी इस सदन में कहा था कि राजा मान सिंह की हत्या का आपको दुख: था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सी. बी आई. जांच करेगी उसका साथ देंगे। आज 90 दिन हो गये हैं। उनकी जमानत हो जायेगी, सरकार मंजूरी नहीं दे रही है। मुलजिमों को छुड़ाना चाहती है। आखिर यह क्या साजिश है। इस साजिश को आप दूर कराने के लिए हस्ताक्षर करिये। माननीय सदस्य के नोटिस पर व्यवस्था दीजिए और कार्यवाही कीजिए।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट की बात चल रही है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह वाद विवाद का कोई सवाल नहीं है। अलग से उठाया जा सकता है। आप किसी नियम के अन्तर्गत, मैं यह पूछना चाहता हूं किस नियम के अन्तर्गत उठाना चाहते हैं। इस प्रकार नहीं होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपके मन में पीड़ा थी। आपकी पीड़ा थी। आपकी पीड़ा कहां गयी, उपाध्यक्ष महोदय। आपकी पीड़ा, वह दर्द कहां गया। उन हत्यारों को आज छोड़ा जायेगा। आपको भूना जायेगा, मुझको भूना जायेगा। आप को परेशान किया जायेगा तंग किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप यह जो केस की गम्भीरता है। उसको देखते हुए इसका फैसला दीजिए। इस तरह से इस बात का बायकाट करके नहीं चला जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यहां बैठी है। जवाब दे, ऐसी क्या परेशानी सामने आ गयी कि आप चालान पेश करने से रोक रहे हैं। उन हत्यारों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल बेबुनियाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर है ।

(2–16 म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : पॉइन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ आर्डर, स्थान ग्रहण करें पहले एक बार । क्या पॉइन्ट आफ आर्डर है बोलिये ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : पॉइन्ट आफ आर्डर यह है कि सदन के अन्दर किसी भी प्रकार की चर्चा चलती है आपस की बहस चलती है तो व्यवस्थित ढंग से या संसदीय शब्दों का ध्यान रखा जाता है । मेरा निवेदन, माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर इसलिए है कि माननीय सदस्य ने माननीय सदस्य को XXX करने का जो शब्द कहा है वह इस संसदीय वर्ड से अलग है, इसको एक्सपंज किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : XXX शब्द यदि कहा गया तो उसको एक्सपंज किया जाय ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है ।

श्री अध्यक्ष : हो गया न आपका पॉइन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि उस केस का जो हमारे माननीय सदस्य मान सिंह जी का मर्डर हुआ है या किसी भी कारण से वे मरे हैं उनका केस कोर्ट के अन्दर है, अधिकारी जो भी पुलिस अधिकारी हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार इजाजत नहीं दे रही है । किसी को सुनने ही नहीं देते हो ।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है इसलिए बैठें, माननीय सदस्य ।

श्री यदुनाथ सिंह : XXX आप कुछ नहीं बोल सकते ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे मजबूर न करें । माननीय सदस्य । माननीय सदस्य कृपया बैठें । आसन के निर्देशों का पालन करें, माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । आपस में सदस्य रोष न खायें ।

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। श्री मानसिंह की हत्या के सिलसिले में जो तफ्तीश चल रही है उस सम्बन्ध में आपने मुझे लिखित में दिया था। राज्य सरकार को मैंने उसकी जानकारी के लिए भेज दिया है आपकी इस बात को देखते हुए आपने कहा उसमें कि 90 दिन हो गये हैं उससे क्या तात्पर्य होगा। इसी दृष्टि से मैंने तत्काल आज ही ज्यों ही आया मैंने सरकार के पास भेज दिया है और यही कार्यवाही इस सदन से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी कार्यवाही यहां से नहीं की जा सकती है। माननीय सदस्य। इसलिए कृपया इस विषय को अब न उठायें और हमारा जो आय-व्ययक पर वाद विवाद चल रहा है, उसको चलने दें। प्रारम्भ करें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के अधिकारों को लिमिटेड मत करिये। यह सदन सार्वभौम है। यह कानून बदल सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज हत्यारे छूट जायेंगे और जिन्होंने राजा मान सिंह की हत्या की है उनको इस तरह से बख्शा नही जायेगा....

(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह (कम्हेर) : आपने सरकार को भेज दिया लेकिन सरकार इस बारे में क्या कर रही है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य ..

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : यह तो आपने आज भेज दिया लेकिन इसको 90 दिन हो चुके हैं और सरकार की तरफ से साजिश चल रही है .

श्री अध्यक्ष : आपने एक बजे के लगमग इस चीज को दिया है और मैंने तत्काल सरकार के पास भेजा है। इसी दृष्टि से भेजा है कि सरकार के द्वारा इस बारे में जानकारी दे दी जाए कि इस पर क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिह : यह विषय आज सुबह अखबारों में आया है। इसमें आज 90 दिन पूरे हो गए, सरकार का उत्तर कब आयेगा ? आप सरकार को कहिए कि सरकार ने अभी तक मंजूरी क्यों नहीं दी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैरिट पर तो मैं नहीं जा सकता कि सरकार ने क्या किया है लेकिन मैंने सरकार के पास भेजा है ....

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री नत्थीसिंह : आज ही जानकारी दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं जानकारी मंगवा लूंगा । माननीय सदस्य मैं जानकारी मंगवा लूंगा आज ही । कृपया बैठ जावें । जानकारी मंगवा लूंगा आज । आर्डर प्लीज ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, 5 बजे हत्यारों को छोड़ दिया जायेगा ।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, कृपया बैठें । आप और क्या चाहते हैं । मैंने सरकार से जानकारी मंगवाई है ।

श्री यदुनाथसिंह : आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन पांच बजे से पहले इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो हत्यारों को छोड़ दिया जायेगा । पांच बजे राजा मानसिंह के हत्यारों को छोड़ दिया जायेगा । यह सारे सदन पर रिफ्लेक्शन होगा । इसलिए ...

(व्यवधान)

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) : बजट पर आय व्यय पर चर्चा हो रही है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में व्यवधान न डालें । आप बीच में बोले जा रहे है ।

श्री यदुनाथसिंह : सरकार की मंत्री महोदया बैठी हैं, टाइम निश्चित कर दें कि कब तक जानकारी दे दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे दी है । मुझ पर विश्वास करिये । कृपया बैठें । मेरे विवेक पर छोड़ दीजिए माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, मेरे पर छोड़ दीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : रूल नम्बर 28 : Speaker to decide admissibility है ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मेरे विवेक पर छोड़ दीजिए । आप कुछ कहना चाहती हैं । माननीय मंत्री महोदया ।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों की तरफ से जो विवरण प्राप्त करने के लिए आपसे आग्रह किया गया है । आपने कहा है उसके लिए हमारी तरफ से सूचना प्रस्तुत की जायेगी । इस संदर्भ में आपकी जो भी भावना हो वह प्रगट करें, आपके जो भी विचार हों प्रगट करें लेकिन संसदीय भाषा और मर्यादा के अन्दर करें, इतनी ही हमारी तरफ से प्रार्थना है ।

(92)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य सदन की गरिमा है सदन की गरिमा का ध्यान रखें, माननीय सदस्य, सदन की गरिमा का ध्यान रखें, कृपया।

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : अध्यक्षजी, यह आज सुबह ही अखबारों में मैंने पढ़ा था कि सी बी. आई ने ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सुनने तो दीजिए। आप बहुत व्यवधान डालते हैं बिहारीलालजी।

श्री नाथूराम मिर्धा : सी. बी. आई. ने इस मामले की जांच पूरी करके राज्य सरकार से चालान करने की इजाजत मांगी है और राज्य सरकार ने ऐसी कुछ क्वेरीज की हैं जिनके बारे में जवाब देकर उनसे बातचीत करें। इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, वह आपस में बात करें। गवर्नमेंट की एजेंसी है, यह भी गवर्नमेंट की एजेंसी है दोनों इस मामले में कुछ भी करें। वह तफतीश कुनिन्दा है और यह राज्य सरकार की इजाजत चाहती है। अब वह इजाजत देने में इतना समय नहीं गुजर जाय कि मजिस्ट्रेट को यह कहने का मौका मिल जाय कि क्योंकि चालान पेश नहीं हुआ हम जमानत करते हैं। अब इस लंचरबाजी में और कोई गड़बड़झाले का मामला हो जावे तो वह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। बाकी सरकार और सी बी. आई. ये सब एक ही तरह की एजेंसियां हैं और कायदे के काम हों। चालान पेश न हो, जल्दी नहीं हो और सिर्फ चालान पेश नहीं हुआ इसलिए मुल्जिमान जमानत पर छूट जावें यह बात दुर्भाग्यपूर्ण होगी।....

श्री अध्यक्ष : इसी भावना को देखते हुए मैंने कहा कि आज ही जानकारी मंगवा रहा हूं। आज ही तत्काल भेजा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस मामले में तत्परता कितनी बरती जा रही है यह देखने की बात है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मालूम है कि जितनी पृष्ठ भूमि के साथ में इसकी जांच कराई गई है, जितने खुले रूप में कराई गई है, जितने उच्च स्तर से कराई जा रही है उसमें कहीं भी राज्य सरकार की यह मंशा जाहिर नहीं हो सकती कि राज्य सरकार किसी भी दोषी व्यक्तियों को बचाने में, कहीं भी कोई भूल से या जाने से भी कोई ऐसी कार्यवाही करने में रुचि रखती है। इसलिए आज ही इस प्रकार की कोई मन में आशंका रखना कि राज्य सरकार का कहीं दोषी व्यक्तियों की कार्यवाही न कर जायें या इस तरह की लापरवाही न कर जावें जिससे कि वह बच जायें। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाना चाहती हूं कि इस प्रकार की राज्य सरकार की न कोई मंशा है और न राज्य सरकार इस प्रकार का कोई कदम ही लेगी जिससे उनको संरक्षण मिले या इस प्रकार की गलती से उनको छूटने का अवसर मिले। माननीय सदस्यों को इस प्रकार का भरोसा होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री शोपतसिंह : तीन महीने का टाइम कम नहीं होता । अगर आज मंजूरी नहीं दी गई तो उनकी जमानत हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : बात हो गई है वह सारी की सारी ।

(व्यवधान)

परिवर्तित आय-व्ययक पर

सामान्य वाद विवाद

आय व्ययक पर चर्चा । कौन माननीय सदस्य बोल रहे थे, वे चालू रहें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बिहारीलाल पारीक ।

श्री शोपतसिंह : अध्यक्ष, महोदय, मेरी पार्टी को टाइम नहीं मिला, सब को मिल गया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । मैंने पूछा था तब तो मुझे बताया गया कि कोई नया नाम नहीं पुकारा गया । .. माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें ।

(व्यवधान)

अब मैंने नाम पुकार लिया है, मैं उसको बदलूंगा नहीं । मैंने नाम पुकार लिया है बिहारीलाल पारीक का ।

श्री शोपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ तो कोई खयाल ही नहीं है ।

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हमारे लाड़ले नेता

(व्यवधान)

हरिदेव जोशी ने विरोधी पक्ष की भूमिका को देखकर और यह अकाल के समय में राजस्थान की जनता को किस तरह से राहत मिल सके, बहुत बढ़िया ढंग से बजट पेश किया है । मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसको सर्व सम्मति से पास करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री बिहारीलाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, सन् 77 का कोई ऐसा समय था जिसमें माननीय विरोधी पक्ष के बहुत सारे माननीय सदस्य थे नहीं, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि उनको उस समय राज मिल गया था और राज किस तरह से मिला ? झूठी अफवाहों से । झूठी अफवाह क्या थी, अध्यक्ष महोदय, नसबन्दी और नुक्ता । मेवाड़ में नुक्ता ज्यादा हुआ करते हैं । 1 आदमी जब मर जाता है तो उसका क्रियाकर्म किया जाता है । इसके नाम से झूठी अफवाहें फैलाना और नसबन्दी के

(2-30 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नाम से पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में, कई प्रान्तों में विरोधी पक्ष ने इस प्रकार की झूठी अफवाहें फैलाकर

(श्री बिहारीलाल पारीक)

हमारी महान नेता इन्दिरा गांधी ही नहीं, हिन्दुस्तान की पूरी जनता को इन्दिरा गांधी जो हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारे संसार को रोशनी दे रही थीं, 77 में उस रोशनी को बुझाने का प्रयास किया गया। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा हिन्दुस्तान चमके, ऐसी हमारी महान् नेता इन्दिरा गांधी के प्रोग्राम बनाये हुए थे, पर योग की बात है, झूठी अफवाहें फैलाकर नसबन्दी के नाम से 77 में जनता ने इनका भरोसा करके इनको राज दे दिया। वह राज कैसे दिया, उपाध्यक्ष महोदय। जिस प्रकार एक किसान बहुत बड़ा थैला खेती करके अनाज का जमा कर लेता है, अचानक वह किसान बीमार हो जाता है तो किसी दूसरे को सम्भला कर चला जाता है और जिसने कभी उस थैले को सम्भाला नहीं हो, जिसने उस खेती की सम्भाल नहीं की हो उसके हाथ में वह आ जाय और मनमाने ढंग से उसको बांटे, उपाध्यक्ष महोदय, 77 का समय ऐसा था। इन्होंने काम के बदले अनाज योजना चलाकर, अन्त्योदय योजना चलाकर राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान के धन को लुटाया। बजट की बात कह रहा हूं वह भी एक बजट था इनका। इन्होंने जो बजट बनाया था, वह भी बजट बनाकर रखा था, उस बजट से इन्होंने पूरे ढंग से बगैर कमाया हुआ सोना, चांदी, धन-दौलत, अनाज सब लुटा दिया। इन्दिरा गांधी 80 में वापस आयी, इनके कार्य क्लाप से। ये राज ठीक से नहीं चला सके। झूठे नारों और झूठी अफवाहों से जनता को मालूम हो गया कि वास्तव में इन्दिरा गांधी पर झूठा कलंक लगाया गया, झूठी बात कही गई। इन्दिरा गांधी देश को रोटी देना चाहती थी, हिन्दुस्तान को संसार में जताना चाहती थी, उस गति को रोक दिया गया अचानक ये वापस हट गये। 77 से 80 के बीच में जो 30 वर्षों की हल की हुई समस्यायें थीं, जो किये हुए काम थे और जो विकास को गति दी हुई थी उसको इन्होंने रोक दिया। उसको जमाने में बहुत समय लगा। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है, इन्दिरा गांधी 110 राष्ट्रों की अध्यक्ष बनीं, यह किसी को पचा नहीं। 20 सूत्री प्रोग्राम हमारे हिन्दुस्तान में लागू हुआ उसमें हमारा राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ राजस्थान के किसान बहुत पिछड़े हुए हैं। गंगानगर का इलाका और हरियाणा के पास का इलाका भले ही ठीक हो सकता हो लेकिन हमारा जो प्राण है-उदयपुर डिवीजन, यह डिवीजन बहुत पिछड़ा हुआ है इसलिये 20 सूत्री प्रोग्राम इन्दिरा गांधी ने लागू किया। उसका लाभ बहुत मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, आतंकवादी देश के लोग हमारे देश में आये और उन्होंने महान् नेता, गरीबों के प्रति जिसकी श्रद्धा थी जो गरीबों को उठाना चाहती थी, 20 सूत्री प्रोग्राम कैसे लागू हो, सारा संसार इसको लागू करे जिससे कि गरीब लोग ऊंचे उठ सकें, यह वह लोग बर्दाश्त नही कर सके और उनको बीच में से उठा दिया। उनके उठ जाने के बाद लोग समझते थे कि

(श्री विहारीलाल पारीक)

इन्दिरा गांधी चली गई, देश का विकास रुक जायेगा। वास्तव में इन्दिरा गांधी भारत के प्रत्येक नर-नारी, राजस्थान के गरीबों के मन में बस गई, खून खून में बस गई और तमाम लोग इन्दिरा गांधी बनकर हिन्दुस्तान और राजस्थान के विकास की गति बढ़ाने के लिये तैयार हो गये।

सन् 85 मे चुनाव हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है, अच्छे अच्छे इनके दिग्गज साफ हो गये। राजीव गांधी हमारे देश का नेता बना और सर्वसम्मति से बना। आप लोग बातें बनाते हों। राजीव गांधी के हमारे देश के नेता बनने के बाद वास्तव में हमारी आस्था सही निकली। जो लोग हमारे देश की तरक्की रोकना चाहते थे और हमारे राजस्थान की गति रोकना चाहते थे वह गति वापस आ गई। मार्च में भी चुनाव हुये। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार की बात सही है। कई माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिये। विरोधी पक्ष की तरफ से भी कुछ माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिये, मैं उनकी कद्र करता हूं। पर जिन माननीय सदस्यों ने बजट पर रोक लगा कर दूसरी बात कही, उन्होंने राजस्थान की गति कैसे बढ़े, ऐसे सुझाव नहीं दिये। सबने एक ही बात कही कि राजस्थान का जो बजट बना है यह किसानों के बिल्कुल खिलाफ है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत, सदन को जानकारी देना चाहता हूं, जो टैक्स बिजली पर लगा है यह कितने बरसों बाद लगा है। यह बात सही है कि यह टैक्स पीछे धीरे धीरे लगाते रहते तो आज यह कहने का मौका नहीं मिलता। मैं आपकी मार्फत राजस्थान के मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि एकदम जो टैक्स बिजली पर लगाया है, वास्तव में यह बहुत ज्यादा है। मैं प्रार्थना करूंगा इस बजट में बिजली की दर का जो ज्यादा प्रावधान रखा है, विरोध पक्ष के जितने माननीय सदस्य चुनकर आये हैं वे भूमिका बनाकर अपने क्षेत्र में यह बात कहना चाहते हैं इसलिये हम सत्ता के पक्ष के सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि इस बजट में जो बिजली पर एक दम अचानक ज्यादा कर बढ़ा दिया गया है इसको कम किया जाय। वास्तव में यह सही है कि बिजली का अभाव है। बिजली पर टैक्स जब लग जाता है तो निश्चित तरीके से किसान को गुमराह करने का मौका मिलता है। मैं प्रार्थना करूंगा इसको कम किया जाय। कई बड़े लोग जो कि कई प्रकार के चक्कर अफसरों को देकर बिजली की चोरी करते हैं। उसमें सावधानी रखी जाय। कई डिपार्टमेंट हैं जिनमें कई लोग फालतू के लगे हुए हैं उसमें कमी की जाय और कमी करते हुए इस बिजली के टैक्स से जो भार बढ़ा है उसको कम किया जाय। वैसे कुछ दिन पहले विरोधी पक्ष के लोगों ने हमारे क्षेत्र में, राजस्थान में बहुत बड़ा आन्दोलन करने की धमकियां दीं, मैंने सबसे कहा कि आपकी भावना अब तक जनता को राहत पहुंचाने वाली नहीं है। राहत पहुंचाने वाले लोग आन्दोलन नहीं करते हैं, सुझाव देते

(श्री बिहारीलाल पारीक)

हैं। मेरे क्षेत्र में भी तीन-चार लोगों ने प्रदर्शन किया वाटर वर्क्स के नलों के जो पैसे ज्यादा बढ़ा दिये इसको लेकर, 10 के बजाय 14 रुपये कर दिये। मैंने उन सबसे कहा हम सब आपके साथ हैं, हम सुझाव देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, पी. एच. ई. डी. में जितनी व्यवस्था में कमी है उसको ठीक करना आपका और हमारा धर्म है। आप केवल नारे लगाकर, अखबारों में अपनी बात लाकर, सुझाव नहीं देकर जो गुमराह कर रहे हो इससे कभी जीतने वाले नहीं हो। पहले 319 वोटों से मैं जीतकर आया, अब की बार 16000 से जीतकर आया हूं इससे साबित हो गया कि जनता की आस्था कांग्रेस में है, कांग्रेस की नीतियों में है। कांग्रेस हमेशा देश का विकास करना चाहती है।

श्री दाऊदयाल जोशी . नीतियों की आलोचना कर रहे हो इसलिये खड़े हो।

(व्यवधान)

मिट्टी पलीत होती।

श्रीमती हमीदा बेगम : आप लोग सुनने का माद्दा ही पैदा नहीं करते।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, कोटा में पानी भी बहुत है और हमारी राजस्थान सरकार कोटा की उन्नति करने में लगी रहती है इसलिये माननीय सदस्य और क्या मांगे। हम कोई बात करें, सुझाव दें तो उसमें व्यवधान डालना इनका धर्म है बाकी इनके यहां कोई कमी नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आप हिसाब लगाइये, वास्तव में कोटा में विरोधी पक्ष की भूमिका ज्यादा है। राजस्थान गवर्नमेंट के, कांग्रेस सरकार के सत्ता पक्ष के जितने भी मन्त्रिगण और हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी कोटा के लिये क्या करना चाहते हैं, आप हिसाब लगा लीजिये। कोटा से बटन दबाते हैं तब जाकर हमारे राजस्थान में प्रकाश होता है, तो आपको तो तारीफ करनी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि कोटा में आपके यहां पर जो इस प्रकार के विकास की गति दे रखी है और आपके यहां से विकास की गति हमारे यहां पहुंचती है उसमें अवरोधक मत बनिये, आप सहयोग दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सहयोग दिया उसके लिये आभारी हूं।

नाथूराम जी मिर्धा ने एक बात कही, मैं उसका समर्थन करता हूं। नाथूराम जी मिर्धा हमारे साथ थे, उनके अन्दर कूट-कूट कर कांग्रेस की नीतियां भरी हैं इसलिये उनसे रहा नहीं जाता और वे अच्छी बात कहते हुए रुकते नहीं है। उनका कहना था कि हिन्दुस्तान से दो पार्टी होनी चाहिये, राजस्थान में दो पार्टी होनी चाहिये। पर ये नेता बहुत हैं इसलिये नेता बनना चाहते हैं। गुमराह करके जैसे तैसे ले लो। जैसे कोई मिल चल रही है, तो मिल में इंजिन बन कर किसी न किसी तरह अडंगा लगा कर जो प्रोडक्शन होना चाहिये वह नहीं होने देते। इसका कारण

(श्री बिहारीलाल पारीक)

क्या है ? इसका कारण यह है, कई तो पार्टियां हैं और कई नेता हैं। दो नेता ही बनने चाहिये। एक सत्ता पक्ष का, एक विरोधी पक्ष का। जनता का जिस पर भरोसा हो उस पर वोट देवे। साथ ही, जो गतिविधियां होती हैं ये आपस में एक दूसरे को लड़ा कर राजस्थान का विकास रोकने में लगी हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज हम विधान सभा में जो बैठे हुए हैं, हमारे पर कितना खर्चा लग रहा है, इसका हिसाब लगाया जाय। यह भी एक बजट का प्रश्न है। क्षमा करना, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, मानसिंह जी इनके ही नहीं लगते। मानसिंह जी हमारे साथ पांच साल रहे। विरोधी पक्ष के कई सदस्य नये पधारे हैं, हम तो उनके साथ बैठे रहते थे। हमारी सद्भावना उनके प्रति कम है क्यों ? हमारी श्रद्धा खूब है। अगर वह व्यक्ति जीता तो बहुत अच्छा रहता। हम कोई चाहते थोड़े ही थे कि वह चले जायं और हमारे बीच में नहीं रहें। हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमने भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान यह बहुत बुरा हुआ, पर इस प्रकार का वातावरण करके यहां पर हम लोग जो बोल रहे हैं, उसको राजस्थान की जनता देख रही है कि हम यहां क्या बोलेंगे और कितना बजट खर्च हो रहा है। हमारे पर एक मिनट का कितना पैसा खर्च होता है, कितने अधिकारी लगे रहते हैं, लोग कह रहे थे कि यहां ये अधिकारी यों करते हैं, ये अधिकारी क्या है, राज तो एक घोड़ा है और वह एक घोड़ा बिना लगाम का है हम उस पर बैठ करके उसकी लगाम लगाना जानते हैं अगर हमारे में अक्ल है, अगर हम ठीक आदमी हैं हमको जनता ने इसलिए चुन कर भेजा है कि राजस्थान का जो बजट बने उसका एक हिस्सा हमारे क्षेत्र में लड़ कर ले जाए लेकिन यहां पर हम जो हमारे क्षेत्र की बात कहना चाहते हैं वह बात नहीं कह पाते हैं, मुझे तो आज उम्मीद नहीं थी कि मौका मिल जायेगा क्योंकि मानसिंह काण्ड चालू हो गया, पिछले सत्र में तो मानसिंह काण्ड ही चलता रहा, राजस्थान गवर्नमेंट और हिन्दुस्तान गवर्मेंनट जितनी इस पर चिन्तनशील है कि यह संसार में चर्चा का विषय बना हुआ है, मानसिंह काण्ड को उछाला गया, हम तो कहते हैं कि लज्जा आती है हमको। मानसिंह जी हमारे साथी थे हमारे माननीय सदस्य थे, उनके प्रति हम श्रद्धा रखते थे फिर ऐसी क्या बात है।

एक माननीय सदस्य : आगे बजट पर बात करो भाई।

श्री बिहारीलाल पारीक : खैर, मैं इस बात पर न जाकर मैं प्रार्थना करूंगा कि लाखों रुपये एक मिनट में खर्च होते है उसका सदुपयोग होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बिहारीलाल पारीक : वास्तव में यह बात भी सही है कि कई खर्च होते हैं, पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद् है, एक्स. भी और एम. एल. ए. हम भी हैं।

(श्री बिहारीलाल पारीक)

एक स्थिति, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं रखना चाहता हूं कि वास्तव में जिला परिषद् और जिले के अधिकारी और पंचायत समितियों के अधिकारी, कई प्रोग्राम हमारे नेताओं ने दे रखे हैं, वास्तव में यह गरीबों तक कैसे पहुंचे इसके हम भी चौकीदार हैं और हमारा धर्म है कि हम देखें। एक व्यवस्था की कमी के बारे में मैं प्रार्थना करूंगा कि एम. एल ए. के पास कुछ नहीं होता, एम. एल. ए केवल विधान सभा में अगर अपनी बात कह देता है, और उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मौका होता है, जब विधान सभा चलती हैं तब आप कुछ व्यवस्था दे सकते हो। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करूंगा, मेरी भावना से कह रहा हूं यह बात कि गवर्नमेंट को चाहिए, मुख्य मंत्री जी से भी आप कहिए कि जो एम. एल. ए. होते हैं उनके पास साधन सुविधा कुछ भी नहीं होती। ईमानदारी के साथ मैं आपको सच्चाई कहना चाहता हूं कि जब से हम चुन कर आए हमारी भावना है कि हमारे जो किसान हैं, जिन्होंने हमें वोट दिया है उनकी हम ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं परन्तु वह करें कैसे ? इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, आज पंचायत समिति के प्रधान है उनके पास गाड़ी है, एक विकास अधिकारी जो पंचायत समिति में लगा रखा है उसके पास जीप है और हजारों रुपये का बजट उस पर खर्च होता है कई प्रोग्राम उसके पास आते हैं मगर हम लोग जाकर प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि बजट में प्रावधान रखवाइये कि एम. एल. ए. प्रत्येक गांव में घर घर जाकर देख सके।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसका समर्थन करते हैं।

श्री बिहारीलाल पारीक : एक कांस्टीट्यूशन में जब एक विकास अधिकारी को जो गजेटेड रैंक का है सरकार ने उसको व्यवस्था दी है .

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप जरूर पास करवाइए इसको।

श्री बिहारीलाल पारीक : अब मैं और किसी में न जाकर मेरे क्षेत्र में आ जाता हूं, मेरी यह मंशा भी नहीं है कि मैं इसकी पैरवी करूं। मैं प्रार्थना करूंगा कि सन् 1980 से अब तक बराबर अकाल ही अकाल रहा, जब से मैं पिछले सत्र में चुन कर आया तब भी अकाल था, अब भी अकाल है और अभी भयंकर अकाल की स्थिति है।

श्री शोपतसिंह : यह आप ही हैं इसके प्रतीक।

एक माननीय सदस्य : आप अपने आपको किसका प्रतीक मानते हैं।

श्री बिहारीलाल पारीक : जिस प्रकार से हमारी सरकार ने किसी को भूखा

(श्री बिहारीलाल पारीक)

नहीं मरने दिया इसमें कोई दो राय नहीं है और इतने काम चलाए इसमें भी कोई दो राय नहीं है इसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं कि वास्तव में हमारी सरकार ने जो हमारे राजीव गांधी की भावना हैं उनके अनुसार और माननीय हरिदेव जी जोशी ने जो बजट पेश किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सोच समझ कर किया। इसमें कई प्रावधान रखे हैं। मैं नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि कृषि उपज मण्डी के मार्फत हमारे क्षेत्र में कई काम हो रहे थे, उपाध्यक्ष महोदय, वह तत्काल बन्द हो गये, जहां के तहां रह गये और प्रोजेक्ट भंग कर दिया गया। वहां के एक्स. ई. एन. वहां के एस. ई. वहां के जितने भी डिपार्टमेंट के काम करने वाले लोग थे, हट गये और वहां पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लाखों रुपये का राजस्थान में हर जगह यह काम चलता था कृषि उपज मण्डी के मार्फत यह प्रोजेक्ट मेरे जिले में तो बन्द हो गया और जिलों का मुझे पता नहीं। वहां काफी मेटेरियल पड़ा है कई रोड जिन पर खड्डे खुदे हुए हैं अगर तत्काल वह चालू नहीं की गई तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं प्रार्थना करूंगा, इसमें वह भी प्रावधान रखें ताकि जो काम अधूरे छूट गये हैं 75% प्रतिशत काम हो चुका है, कहीं पर 50 प्रतिशत काम हो चुका है वह पूरा किया जा सके। भयंकर अकाल की स्थिति में बहुत से काम ऐसे थे उपाध्यक्ष महोदय, जो पिछले साल में तो मैं समझता हूं जिला अधिकारियों ने जिस प्रकार का पक्षपात किया, मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं सरकार को, आप भी देखें कि जहां पर अकाल घोषित है और जहां अकाल घोषित नहीं है, जहां अकाल घोषित नहीं है वहां की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, पीने का पानी वहां है नहीं वहां इतनी समस्या जबरदस्त है, मैं समझता हूं कि हम लोग वहां जाने लायक भी नहीं है। किसान सभी का पालक बन रहा है, हमने भी, हम लोग विधान सभा में रह कर आज के बजट के लिए पैरवी कर रहे हैं और वहां के लिए बजट लायेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा कि निश्चित रूप से पानी व्यवस्था मेरे क्षेत्र में बहुत भयंकर है, हैण्ड पंप जितने भी लगे हैं, बहुत खराब हैं और जो लगे हुए हैं उनमें कईयों में तो 4-4 राड नहीं हैं, कइयों में 3-3 राड नहीं हैं कई जगह हैण्ड पंप सूखे खुदे वहां पर पाइप लगा दिये हैं मैं निवेदन करूंगा आपके मार्फत इन अधिकारियों तक मेरी बात पहुंचे कि वहां जाकर देखें, कि वास्तव में वहां लोग कितने पीड़ित हैं, और बरसात की एक बूंद अभी तक नहीं गिरी है और जुलाई महीना चल रहा है। सन् 82-83 में कई जगह पर पेमेंट बाकी है। 82-83 में जो अकाल के काम चले, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा इसका बजट तो था और हो सकता है कि वह बजट में वह पैसा अब नहीं हो, मैं निवेदन करूंगा कि मैंने कई जगह पर पहले भी ध्यान आकर्षित किया है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी मैंने रख रखा है और मैंने जिला परिषद् और पंचायत समितियों

(108)

(श्री बिहारीलाल पारीक)

की मीटिंग में भी इस बात को उठाया है, मैं आपके मार्फत उठाना चाहता हूं कि कई लोग ऐसे हैं जिनको पेमेंट कम आया था। हमने विरोध किया था कि उन्होंने काम अच्छा किया है उनको पूरा पैसा मिलना चाहिए। पूरा पैसा मिलने की बजाय 82-83 का कई रोडों पर आज तक पेमेन्ट नहीं हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि 82-83 का पेमेन्ट आप दिलवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री बिहारीलाल पारीक : एक दो क्षण में, अकाल के जितने भी काम चालू हैं, मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि एकदम काम बन्द नहीं कर दें।

(व्यवधान)

कई मेटेरियल पड़ा है। बजट का भी प्रश्न है कई मैटिरियल पड़ा हुआ है, 40 : 60 का जो हिसाब है उसमें मैं समझता हूं कि आज वहां मैटेरियल लाने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें ध्यान दिया जाय तो जितनी डामर रोड बन सकती है जितने पुलियाओं के लिए खड्डे खुदे हुए हैं, वहां पर पत्थर पड़ा हुआ है, चूना डाल रखा मैं अचानक 15 जुलाई नजदीक है इसलिए एकदम 15 जुलाई की याद दिला रहा हूं कि 15 जुलाई को काम बन्द होने वाले हैं बरसात हुई नहीं है, हमने सभी एम. एल. एज. ने मिल कर राजस्थान सरकार का आपके मार्फत ध्यान आकर्षण करने का प्रस्ताव रखा है, मैं चाहूंगा कि वह प्रस्ताव आये और आपसे विनम्र निवेदन हैं कि भयंकर अकाल है, हालत बहुत खराब है, कहीं पर भी पीने का पानी नहीं है और बरसात हुई नहीं है, बरसात एक महीने पहले हुई थी उस बरसात में सब लोगों ने बोवनी कर दी है, उनका अनाज चला गया और हालत बड़ी खराब है, घास मिल नहीं रहा है मैं आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि बजट में प्रावधान है कि काम 15 जुलाई को तत्काल बन्द नहीं हो, जहां जहां बरसात नहीं हो वहां काम चालू रखें जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं आभारी हूं, एक क्षण में समाप्त कर रहा हूं मेरे यहां पर तत्कालीन आपके स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि आपके गोरखिया में डस्पेंसरी खुलेगी, उपाध्यक्ष महोदय, डिस्पेंसरी खुली नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा इस साल के बजट में तो कुछ रखा नहीं है, अगली साल का जो बजट हो उसमें वहां डिस्पेंसरी रखी जाय, मैं आभारी रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : एक ध्यान आकर्षण और कर रहा हूं आपके मार्फत, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का आपने प्रावधान रखा है अभी घोषणा किए हुए रह गए

(श्री बिहारीलाल पारीक)

इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। एन. ग्रार. ई. पी. के जो प्रोग्राम हमारे यहां पर चल रहे हैं वे बहुत बढ़िया चल रहे हैं हम इससे खूब खुश हैं। बीस सूत्री प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है राजस्थान पहले ही फर्स्ट आया अब भी आयेगा हमारा भी इसमें खूब हिस्सा रहता है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार का माननीय हरिदेव जोशी का बहुत आभारी हूं इस संबंध में जोशी जी की इच्छा भी है वे हम लोगों से मीटिंग भी लेना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : बीस सूत्री का मोटा रस्सा है, उसमें सूत्र ही सूत्र है और कुछ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अपने शब्दों को पालना कीजिए।

श्री बिहारीलाल पारीक : इस अकाल के समय में वह चालू रखें जिससे जनता को रोजी मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

किसान संघ द्वारा आयोजित प्रदर्शन के प्रदर्शनकारियों पर लाठी प्रहार

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : पाइन्ट आफ आर्डर उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी राजस्थान विधान सभा के सामने भारतीय किसान संघ की तरफ से....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जोर से कहिए।

श्री नाथूसिंह : अभी अभी राजस्थान विधान सभा के सामने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मण्डल अपनी मांगों को लेकर, बिजली की रेट और किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहा है और पुलिस ने अभी अभी उन पर घोड़े दौड़ाए, लाठी चार्ज किया, मैं चाहूंगा, सरकार से इस मामले में जांच कराई जाय। यह लोकतंत्र है, इस विधान सभा के सामने रोष प्रकट करने के लिए किसान गांव गांव से चल कर आये हैं और उन पर पुलिस ने बिना किसी के आदेश दिया या नहीं दिया; मुझे मालुम नहीं, घोड़े दौड़ाए, लाठी चार्ज किया, आप देखें उनको चल कर नीचे। इसमें सरकार से जांच कराई जाय, इस तरह से विधान सभा के सामने जो सबसे बड़ी लोकतन्त्री संस्था है....

(व्यवधान)

इतनी बड़ी संस्था के सामने किसान आए। एक तरह आप उनकी जान लेने को उतारू हो....

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : पुलिस भी सरकार के कानून से बाहर है आज तक जितने पुलिस ने गोलीकाण्ड किये हैं लाठी चार्ज किये हैं, यह पुलिस हावी है....

(व्यवधान)

(102)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठें। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जानकारी करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, लाठी चार्ज सबके सामने हुआ है, घोड़े दौड़े हैं, लाठी चली है, हम सभी देख कर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं। माननीय सदस्य मैंने कहा है, माननीय मंत्रीजी से कहा कि इसकी जानकारी करें। माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, आखिर ये इतने सूरमे हैं तो पहले से पंजाब में क्यों नहीं भेज दिया इनको मारने में, साथ ही इनके फातिया पढ़े जाते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मानिक चंद सुराना।

श्री डूंगरराम पंवार : अगर ये इतने फेथ हैं कन्ट्रोल करने वाले तो इनको पंजाब में...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जानकारी के लिए कह दिया गया है। माफ कीजिये। जानकारी के लिए कह दिया हैं। कृपया इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : यह पहिचानने के लिए गार्जियन को यह कहना होगा लाश पहचान लो यह होगा। उन्हें भेज देते तो, उन ज्यादा सूरमाओं को इनके भी फातिहा पढ़े जाते साथ में।

परि. ग्रा. व्यय पर सा. वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मानिक चंद जी सुराना।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर इस सदन के इस ओर हां पक्ष और नां पक्ष के दोनों वक्ताओं द्वारा काफी विचार प्रस्तुत किये गये हैं। मैं जनता पार्टी की तरफ से इस बहस में भाग लेता हूं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले बजट में जो दिशा सरकार देना चाहती है, संक्षेप में उपाध्यक्ष महोदय, उसका विश्लेषण करना चाहूंगा। इस बजट के द्वारा राज्य सरकार ने मोटे तौर पर यह फैसला किया कि एक हजार करोड़ के संसाधन में 500 करोड़ के संसाधन हमको सिर्फ बिजली विभाग से, विद्युत मण्डल के माध्यम से वसूल करना है। मुख्य मंत्री ने कहा 96 करोड़ के स्त्रोत प्रति वर्ष हम बिजली विभाग से करों को बढ़ा कर हम वसूल करेंगे। पांच साल में 500 करोड़ से भी अधिक की राशि वसूल किये जाने का प्रस्ताव और इसी प्रस्ताव के समर्थन में इस सरकार के दो बड़े अधिकारियों ने वित्त सचिव और विद्युत मण्डल के अध्यक्ष ने आज एक प्रेस कान्फ्रेन्स कर डाली और प्रेस कान्फ्रेन्स करके, उपाध्यक्ष महोदय, यह कह दिया कि 11 वर्षों से राजस्थान में यह पहला बिजली की दरों में संशोधन है। जब मैंने उनके इस वक्तव्य को पढ़ा मुझे महसूस हुआ उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव निश्चित रूप से इन सरकारी अधिकारियों के दिमाग की उपज है या मुख्य मंत्री की पैदाइश है। इस सरकार पर प्रशासन के हावी होने का पहला प्रमाण यही है।

(श्री मानिकचन्द सुराना)

अधिकारी गुमराह कर दें सरकार को कि 11 वर्षों में कोई संशोधन नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन 79 में किसानों के पक्ष में जनता सरकार ने किया, उसके बाद में 81 में जब माथुर सरकार थी उन्होंने संशोधन सारी रेट्स में किया और जो रेट में संशोधन किया उपाध्यक्ष महोदय, वह संशोधन भी सन् 76 की जो रेट थी उन सारी रेट को संशोधित किया। 76 में उपभोक्ता की रेट थी उपाध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता की रेट थी जनता सरकार के समय 43 पैसे और उस रेट को उन्होंने उपभोक्ता की रेट को 45 पैसे कर दीं। पावर की रेट 81 में जो जनता सरकार ने 30 पैसे हार्स पावर थी, घरों में पावर का कनेक्शन उसकी रेट को 81 में 45 पैसे कर दिये लेकिन आज इस 45 पैसे से सीधे 1/3 की वृद्धि मुख्य मंत्रीजी ने की है। 15 पैसे की रेट बढ़ा कर। मैं निवेदन करना चाहता हूं 43 से 45 पैसे करने वाली सरकार कांग्रेस ही है और 45 से सीधे 60 पैसे करने वाली ही यह सरकार कांग्रेस ही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में किसानों के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव जो तीन हॉर्स पावर तक की मोटरें थीं, उपाध्यक्ष महोदय किसान के खेत में जो कुआ है उसमें तीन हार्स पावर की मोटर नहीं है वह मोटर तीन से अधिक की लगती है। खैर, फिर भी तीन हार्स पावर की मोटर तक के लिए जो जनता सरकार ने 90 की रेट की थी उस रेट को 81 में कांग्रेस सरकार ने 120 किया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष। तीन हार्स पावर से 5 हार्स पावर की रेट जो जनता सरकार ने 100 की थी, माथुर सरकार ने उसको 144 किया ...

(व्यवधान)

डेढ़ा किया। महोदय, आज तो 144 पर 120 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष की रेट बढ़ायी गयी है शायद मेरे माननीय सदस्य जिन्होंने अभी बीच में इन्टरफियर किया है, इनको इसलिए गलतफहमी हो गयी होगी कि मुख्य मंत्री जी ने प्रति माह की रेट दे दी। 10 रुपये, 9 रुपये प्रति माह, 10 रुपये, 11 रु प्रति माह जबकि इन सब हार्स पावर की रेट फिक्स है. इसलिए प्रति माह की रेट पर 12 गुणा उसको कर लीजिये। जो रेट 81 के बारे में मैं कह रहा था। जो हमारे जमाने में जनता सरकार ने 190 की थी वह 120 हो गयी। जो 100 थी वह 144 कर दी 81 में। 140 जनता सरकार में थी। पांच से साढ़े सात हार्स पावर की वह 180 तो माथुर साहब ने कर दी और अब प्रति हार्स पॉवर पर 180 पर 132 रुपये प्रति वर्ष वसूल करने का निर्णय मुख्य मंत्री जी ने घोषित किया है और साढ़े सात से 10 हार्स पावर जो हमारे जमाने में पौने दो सौ थी माथुर सरकार ने 204 की थी उस पर 132 रुपये प्रति हार्स पावर किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि 96 करोड़ की वसूली का आपका सपना है, यह सपना है, यह सपना पूरा नहीं है आज बिजली की दरें बढ़ा करें राजस्थान के

(श्री मानिकचन्द सुराना)

विकास को बिल्कुल लकवा मारने की बात कही है। आप कृषि को चौपट कर रहे हैं। छोटे उद्योगों को बरबाद करने का षडयंत्र कर रहे हैं बिना इस बात की जानकारी के छोटे उद्योगों का क्या होगा। उपाध्यक्ष महोदय, छोटे उद्योगों पर जो 35 पैसे की रेट थी 81 में उस पर 31 पैसे हार्स पावर का सीधे 35 पैसे यूनिट बढ़ा दिया, मिडियम इण्डस्ट्रीज पर 38 पैसे से सीधे 32 पैसे प्रति यूनिट कर दिया। और बड़े उद्योगों पर 50 पैसे की जो रेट थी 81 में उस पर 84 पैसे कर दिया। कृपा की मुख्य मंत्री जी ने सिर्फ बड़े उद्योगों पर। भारत सरकार से रेट वसूल करेंगे, 24 से ज्यादा वर्क्स सप्लाई पर पी.एच.ई.डी. से वसूल करेंगे ज्यादा लेकिन बड़े उद्योगों पर 24 पैसे वसूल करेंगे जबकि पहले की रेट 50,46,42 पैसे प्रति यूनिट है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस झगड़े में नहीं जाना चाहता। मूल रूप से आपने जो प्रस्ताव दिये पांच सौ करोड़ रुपयों के संसाधन इस बिजली विभाग से पैदा करेंगे, मैं इसका शत-प्रतिशत विरोध करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस इजाफे की घोषणा करने से पहले अपने राजस्थान के फाइनेन्स कारपोरेशन से पूछ लिया था कि कितने उद्योग बीमार है, कितनी मिडियम इण्डस्ट्रीज को आज और सहायता की आवश्यकता है, कितने उद्योग आलरेडी बीमार है। लेकिन आपको इस बात की चिन्ता नहीं है। करोड़ों रुपये जो हम प्रति वर्ष दे रहे हैं छोटे उद्योगों को, मिडियम उद्योगों को वे रुपये डूब जायें लेकिन 96 करोड़ रुपये प्रति वर्ष इजाफा इसमें हो जाना चाहिये। हमारा 400 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट डेडा हो जाये इस बात की चिंता नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बात से कोई सहारा नहीं मिलता कि यू.पी. में रेट ज्यादा है, दिल्ली में रेट ज्यादा है, गुजरात में रेट ज्यादा है तीन जगहों के उदाहरण दे दिये, मध्य प्रदेश का उदाहरण दे दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं क्या प्रति वर्ष हम इसका मुकाबला करने को तैयार हैं। मुकाबला

(3.00 म. प.)

करते हैं, वह अच्छी बात है लेकिन कोई बात गलत है और राजस्थान की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है उसको उदाहरण के तौर पर लेते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम को उतनी चिन्ता है संसाधन जुटाने की जितनी आपको संसाधान पैदा करने की, आप से कम नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह अफसरों के जंजाल से ऊपर उठकर सोचों कि संसाधन कहां से आ सकते हैं, राजस्थान में। उस पर बड़े ठंडे दिमाग से विचार करें।

यह बजट और संसाधन आपके दिमाग की उपज नहीं हैं मैं कह सकता हूं कि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कि मन्त्रिमण्डल के दिमाग की उपज नहीं है न मुख्य मन्त्री की यह पैदाइश है। यह सिर्फ विद्युत विभाग के अध्यक्ष और वित्त सचिव की पैदाइश है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कमी है राजस्थान में ? नरेशों की भूमि आप अवाप्त करिये। सारे कानून कहते हैं कि कृषि भूमि अवाप्त करिये लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार चाहे एग्रीकल्चर सीलिंग लागू हो, चाहे किसान की तीस गज भूमि के लिए तीन बार रीओपन कर देंगे। लेकिन उस राज के पास 50 हजार बीघा है, 20 हजार बीघा जमीन है उसकी आपको चिन्ता नहीं है। राजस्थान में लैण्ड रिफार्म्स का आपने 63 में कानून बनाया, राजस्थान में लैंड ओनर्स स्टेट एक्वीजिशन एक्ट 63 में बना। मैंने अभी सवाल उठाया राजस्थान उपनिवेशन कॉन्फ्रेंस में इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ। एक तरफ आपकी सरकार ने संशोधन भेजा लेकिन भारत सरकार उसको दबाकर बैठ गयी। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसके बाद 81 में उसको छूट दी आप राजाओं की जमीन को एग्रीकल्चर लैण्ड सिलिंग के अन्दर ले सकते हैं।

हाईकोर्ट की क्लीयरेन्स इसमें आपको हो गयी, ग्रीन सिगनल हो गया। लेकिन किस को फुर्सत है। माथुर साहब को नहीं थी, हरिदेव जी आये हैं अभी तो मन्त्रिमण्डल भी नहीं बना है। अभी तो राज जमाने में लगे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नरेशों की भूमि से राजस्थान में कम से कम 100 करोड़ के साधन राज्य सरकार को मिल सकते हैं। लेकिन बिजली पर नजर रखने से, वह नजर आम उपभोक्ता पर रखने से नहीं छोटे और मिडियम इण्डस्ट्रीज पर और किसान जो तीन और पांच हॉर्स पावर की मोटर के कनेक्शन लेकर बैठा है उस पर निगाह रखने से काम नहीं चलेगा। नजर उन जगहों पर लगायें जिन जगहों में साधन हैं और कानून के जरिये से आपको उपलब्ध हो सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार क्या कर सकती है। क्या उसने बीस करोड़ की जमीन अरबन सीलिंग से निकालकर संसाधन पैदा किये। मेरा दावा है आज भी राजस्थान में अरबन लैण्ड सिलिंग का इम्पलीमेंटेशन अगर सरकार करे तो, कम से कम 150 करोड़ के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन अरबन लैण्ड सिलिम का इम्पलीमेंटेशन ईमानदारी से करने की फुर्सत किसको है। मन्त्रीमण्डल बहुत छोटा है दो राज्य मन्त्री हैं और मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि 36 पोर्टफोलियो हैं और भी आ जाये तो कोई परवाह नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन पर भी सिलिंग लगा हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : परिवार नियोजन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय विरोधी दल के नेता सही है सिलिंग इनकी केबीनेट पर है और

(106)

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जब तक केबीनेट पर सिलिंग है। उपाध्यक्ष महोदय, नये केबीनेट को इण्ट्रोड्यूज नहीं करते हैं, मुख्य मन्त्रीजी यहां सब लोग इस इन्तजार में होंगे कि हमें लिया जाय श्रौर लिया जाय तो हां में हां मिलायी जाय। चाहे बिजली पर टैक्स लगाश्रो, बिक्री कर पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाश्रो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उस पर तो फायदा है।

श्री मानिक चन्द सुराणा : फायदा है? मैं उस पर भी श्राऊंगा मैं अपने सब्जेक्ट को छोड़ूंगा नहीं लेकिन बिजली के रेट बढ़ाये हैं। शहरों श्रौर गांवों में जायेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि कहीं ऐसा न हो कि 96 करोड़ को नजर में रखें श्रौर दूसरे जो संसाधन हैं उनकी तरफ से नजर हटायें श्रौर श्राम जनता श्रापको श्रौर हमको दोनों को क्योंकि नहीं समझती कि विपक्ष ने नहीं किया है हमने श्रापको वोट दिया है हम पर कहर बढ़ रहा है श्रौर श्राप हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं। हमारा श्रौर श्रापका बराबर दोनों का निकलना लोग बन्द कर देंगे। मैं श्रापको वार्निंग देना चाहता हूं माननीय शक्तावत साहब, संसाधन पैदा करने के लिये नये साधन ढूंढिये। एक-एक शहर में श्रापके यह मोटर गैराज है एम. श्राई. रोड पर 25 हजार गज जमीन है हाउसिंग बोर्ड को दीजिये कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स बनायें श्रापको 25 करोड़ का संसाधन एक 25 हजार गज का टुकड़ा दे देगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय नये तरीकों का चिन्तन करना चाहिए हमने बीकानेर में गंगाशहर रोड़ पर 50 हजार गज जमीन में जो नाजायज कब्जे हुए उसका विरोध किया श्रौर कलेक्टर को श्रौर ऊपर तक उसको पहुंचाया कि पांच करोड़ की जमीन राज्य सरकार की है राजस्थान सरकार को 5 करोड़ के संसाधन मिल सकते हैं। श्राप एक-एक एम. एल. ए. से पूछिये वह बतायेंगे श्रापको किस तरह के नाजायज कब्जों को बेदखल करके कितनी जमीन श्राज राज्य सरकार, कितनी श्राय राज्य सरकार प्राप्त कर सकती है।

लेकिन नाजायज को हटायेंगे नहीं 91 की कार्यवाही चलती रहे पेनल्टी लगाते रहें श्रौर किसान पर लगाते रहें लेकिन न तो नाजायज कब्जा रेगुलराइज करते हैं श्रौर न उस पर पेनल्टी वसूल करेंगे। न पेनल्टी 10 गुना करेंगे। पेनल्टी हजारों हो जाय, ब्याज भी हजारों हो जाय, न पेनल्टी मिली न रुपया मिला न जमीन का रेगुलराइजेशन हुश्रा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं शोपट नहीं हूं इन श्रन श्रथोराइज्ड श्रजेम्शन्स के प्रति। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिन्होंने नाजायज कब्जे कर रखे हैं उनके लिए सैपरेट लॉ यहां विधान सभा में लायें उनके साथ जो जमीन की मार्केट रेट हैं उनके द्वारा श्राप रुपया वसूल करें। कृषि की जमीन है तो हजार रु. बीघा डेढ़ हजार रु बीघा लें श्रौर यदि श्राबादी भूमि है तो 100-200 रु. गज लें। हर शहर में श्राज गैंग बन गयी है नाजायज कब्जा करने वालों की। श्रौर इनको प्रोत्साहित की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है जो संसाधन की टोह में है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे अन ओथराइज्ड अरेंजमेंट्स के लिए नया कानून लाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, नया लॉ लाकर के नये रिसोर्सेज क्रियेट करें और इन रिसोर्सेज से राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना को चलाने का प्रस्ताव करें। अन्यथा काम नहीं चल सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 20 करोड़ की कटौती की बात कही है प्रशासन में कटौती करेंगे। मैं हैरान रह गया, उपाध्यक्ष महोदय, 20 करोड़ की कटौती 1400-1500 करोड़ के रेवेन्यु का बजट है और हर साल घाटा है और इस साल भी 84-85 में घाटा है और पिछले साल जो माथुर साहब कर गये उसमें भी घाटा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधान सभा को यह कानून बनाना चाहिए कि चाहे कोई भी सरकार हो चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार हो या बी. जे. पी. की सरकार हो या मिली जुली सरकार हो राजस्व बजट में 10 प्रतिशत की कटौती निश्चित रूप से करेगी और उससे राज्य की आने वाली पंचवर्षीय योजना में अपनी सीड केपीटल के तौर पर यूज करेगी। प्रशासन में कटौती की जा सकती है 100-150 करोड़ की कर सकते हैं परन्तु बात करते हैं 20 करोड़। वह 20 करोड़ की कटौती तो सिर्फ मुंह छिपाने के लिए एक आंसू पोंछने के लिए प्रशासन में कटौती कर रहे हैं। इस बात का बहाना कर रहे कि हम प्रशासन में कटौती कर रहे हैं। यदि आपका मन है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 10 प्रतिशत प्रशासन में कटौती कर देवें। 10 अधिकारियों की छुट्टी कर दें। राज्य के काम में कोई हर्जा नहीं होगा बिल्कुल सुनियोजित ढंग से चलेगा। क्या जरूरत थी जो आपने अभी एक नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया। एक नयी पोस्ट क्रियेट की आवश्यकता थी तीन डी जी. हो गये हैं आपके यहां एक रोड-वेज में लगा दिया एक होम कमिश्नर के यहां पर और एक पुलिस में हो गये और स्पेशल आई. जी. कितने हैं। एडीशनल आई. जी. खत्म हो गये तो स्पेशल आई. जी. आ गये उसी ग्रेड में। कितने हो गये 4 स्पेशल आई जी. और 16 डी. आई. जी. 8 का लेबल प्रथम का और 8 का दो का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते हैं। यह रोड एण्ड ब्रिज कार्पोरेशन में कितने चीफ इन्जीनियर लगा रखे हैं आपने? आपने 6 चीफ इन्जीनियर और...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ब्रिज कार्पोरेशन में कितने इन्जीनियर हैं? कितना बताया आपने?

श्री मानिकचन्द सुराना : अभी आपने फैसला किया है कि आप सुपरिटेंडेंट इन्जीनियर का टेक्नीकल एसिस्टेंट ए. ई. एन. की जगह एक्स. ई. एन बनायेंगे। आपने निर्णय लिया है। कहिये कि नहीं लिया? आपने प्रस्ताव किया कि नहीं किया? ताकि आज जो ए. ई. एन हैं। 16-17 ए. ई. एन. वह एक्स. ई. एन. बन जायेंगे। हो सकता है कि इसमें मेरे एक दो कहने में भूल हो गयी हो, ब्रिज में।

(108)

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कितने उदाहरण चाहते हैं आप टॉप हेवी एडमिनिस्ट्रेटिव की ? मैं निवेदन करना चाहता हूं टॉप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कल कह रहे थे माननीय नाथद्वारा से आने वाले जोशी साहब, इन कार्पोरेशन्स का आपने अध्ययन किया ? ये कार्पोरेशन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंट्रुवशन हैं, स्टेट के ही इन्ट्रुवशन हैं किसी भी काम को आगे बढ़ाने की । राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन आपने बनाया, हमने बनाया ।

जनता सरकार ने फैसला किया कि दो टुकड़े किये जायं इन्डस्ट्री के क्योंकि उस वक्त ये इन्डस्ट्री और मिनरल दोनों का एक ही कार्पोरेशन था और सरकार बदली । कार्पोरेशन में आपने लोगों को मनोनीत किया आज उस आर एस एम. डी. सी. की क्या हालत है ? करीब 5 करोड़ की हमारी पूंजी उसमें लगी हुई है । उस 5 करोड़ की पूंजी पर हो रहा है मुनाफा ? स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन के साथ राज्य के सारे मिनरल्स कांटोनाइट, ग्रेनाइट मार्बल, टंगस्टन कोनसा मिनरल ऐसा है जो उनके पास नहीं है और सैकड़ों मिलों तक फैले हुए लीज उनके पास हैं । वनों का हम खनिज का दोहन करना चाहते हैं और खनिज का दोहन करके हम राज्य के संसाधनों को बढ़ायेंगे और 5 करोड़ की जहां पूंजी लगी है माननीय शक्तावत साहब नोट कर लें कि इस आर एस. एम. डी. सी. में 1983-84 का जो आपने रेकार्ड पेश किया है 54 पेज पर पोने बारह लाख का घाटा उन्होंने दिया है । पौने बारह लाख का घाटा उन्होंने दे दिया और एक मार्बल और ग्रेनाइट कार्पोरेशन और है उसने ...

(व्यवधान)

सौरी, पौने 12 लाख का मुनाफा इन्होंने दिया और मार्बल और ग्रेनाइट कार्पोरेशन से हमको 14 लाख 68 हजार का घाटा किया । हम घाटे में आ गये । करीब 2.5-3 लाख का घाटा । पूंजी लगी थी 5 करोड़, सारे मिनरल्स उनके डिस्पोजल पर कार्य । खनिजों के दोहन से राज्यों के संसाधनों का विकास कर लें । आपको कोई देखने वाला थोड़े ही है । एक कार्पोरेशन की कहानी नहीं स्टेट मिनरल आर. एस. एम कितना देना चाहिये रॉक फासफेट । 15 करोड़ रुपये कम से कम हर वर्ष में देना चाहिये था आर. एस एम. एम. को देना चाहिये था । माइन्स एण्ड मिनरल्स कार्पोरेशन में क्या मिल रहा है आपको । एक करोड़ पन्द्रह लाख के करीब । जो भी आपने पेश की है उसके ऊपर मैं बता रहा हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रॉक फासफेट की जो खुदाई आप कर रहे हैं आपके उदयपुर में बहुत नजदीक है, आपने भी कई बार देखा होगा दुबारा इस नजरिये से देखिये जो मैं निवेदन करता हूं कि उसका सारा ओवरबर्डन किस तरीके से फैलाया जा रहा है उससे 5 साल के बाद में रॉक फासफेट का खनन राजस्थान में मुश्किल हो जायेगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं उस ओवर बर्डन को चाहे जहां डालने की यदि राज्य

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सरकार ने इजाजत दी तो हमारा दो सौ करोड़ रुपये का नुकसान राज्य सरकार ही बिना दीखता हुआ, अदृश्य नुकसान निश्चित रूप से करेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा इन कार्पोरेशन्स को, मा. जोशी जी ने तो कहा था कि आप एवौलिश कर दीजिये मैं इतना आगे नहीं जा सकता, इतना आगे तो नहीं जा सकता पर ये निश्चित रूप से कहूंगा कि इन कार्पोरेशन्स में से 50% कार्पोरेशन्स समाप्त किये जाने लायक हैं और उनको सरकारी विभाग कम बनाया जाने लायक हैं। सारे कार्पोरेशन्स पर राजस्थान के सर्विस रूल्स लागू कर दें राजस्थान स्टेट के सर्विस रूल्स लागू करिये। कोई सुविधा उन कार्पोरेशन में रहने के कारण किसी भी अधिकारी को अधिक नहीं मिल सकती यदि गाड़ी मिल सकती है आई. ए. एस. होने के कारण और जिस ग्रेड में वे हैं उसके होने के कारण तो गाड़ी मिलेगी अन्यथा अपने स्कूटर पर आयें, अपने स्कूटर पर जायं। ये कार्पोरेशन्स हमने इसलिये खड़े नहीं किये कि उन आई. ए. एस. ऑफिसर्स को और बड़े जो भी लोग हैं उनको हम पालें और वे हमें 5 करोड़ की पूंजी पर ढाई लाख रुपये का नेट नुकसान दें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जिन कार्पोरेशन्स की उपयुक्तता फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन से लौन लेने के लिये है उनको जैसे राजस्थान फायनेंस कार्पोरेशन, रीको, आर. एस. एम. डी. सी. लेकिन इनकी भी कायापलट करें और जिनकी उपयोगिता फायनेंशियल इन्स्टीट्यूशन की दृष्टि से नहीं है उनको तत्काल समाप्त करिये। मैं इस बात पर भी हामी हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इन सारे कार्पोरेशन्स में यदि राज्य को ये कार्पोरेशन्स रखने हैं तो निश्चित रूप से आई. ए. एस. क्लास ही ऐसा नहीं कि बुद्धि का ठेका इसी ने ले लिया। बुद्धि का ठेका इन्होंने नहीं लिया। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, मैं यह नहीं कहता आप एम. एल. एज. की भर्ती कर लीजिये इनमें, लेकिन इन्टेग्रिटी के लोगों को, एबिलिटी के लोगों को चाहे विधान सभा में हों चाहे बाहर हों उनको आप उसमें इन्ट्रोड्यूस करिये कि जिससे वे इस पर चेक रख सकें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि यदि राज्य सरकार अपनी इस तरह से दृष्टि को बदले तो निश्चित रूप से काम, बड़े से बड़े शहर में भूमियों के द्वारा, कृषि भूमियों को अवाप्त करें, अरबन लैंड सीलिंग में भूमियों को अवाप्त करके जो जमीनें शहर में उपयुक्त स्थानों पर उपलब्ध हैं ये आपका चैम्बर ऑफ कामर्स रामनिवास गार्डन के सामने ही वहां पर यदि आज राज्य सरकार चाहे तो कार्मशियल कम्प्लेक्स बनाकर 25 करोड़ रुपये पैदा कर सकती है। हाउसिंग बोर्ड को दीजिये वह जमीन कि उसका कार्मशियल कम्प्लेक्स बनाये। इन सब जगहों पर कार्मशियल कम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स जहां बन सकती है उनको बनाइये। उनमें मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये

(श्री मानिकचन्द सुराना)

इन सारे कंम्प्लेक्सेज में भी वही रिजर्वेशन 18%. हो। उनकी जनसंख्या के अनुसार होनी चाहिये रिजर्वेशन। उनमें भी अनुसूचित जाति और जन जातियों के कार्माशियल कम्प्लेक्स में भी रखिये ताकि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। उनको रिजर्व प्राइस पर दीजिये और दूसरों को नीलामी करके जो भी उसकी मार्केट प्राइस आती हो उसमें बेचिये और उन संसाधनों से राज्य की अर्थ व्यवस्था को नयी दिशा देने का प्रयत्न करें।

(व्यवधान)

वे प्रस्ताव पास कर लेंगे कि पिछड़ेपन से उसको छोड़ा जाय पर वर्तमान परिस्थितियों में जब आपकी ऑल इंडिया पार्टी है उस पैमाने को अख्तियार नहीं कर सकते। जब तक आपके मेरे उस सिद्धांत को प्रतिपादित करना दूरगामी बात होगी। लेकिन वह डंडा भी आप इनके हाथ में देकर इन का डिक्रेशन नहीं देना चाहते कि ये अपने ही गरीबों को दे दें और अपने गरीबों को छोड़ दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान नहर की चर्चा बहुत जोर से है, आदत हो गयी, उपाध्यक्ष महोदय, कहते राजस्थान नहर मन्त्री भी यही कहते हैं पहले राजस्थान नहर का ही नाम निकलता है फिर आता है इन्दिरा नहर। काल मैं श्रीमती कमला जी के चैम्बर में एक 34 गांव की फील्ड पार्टी की मीटिंग में था तो उनके मुंह से भी पहले राजस्थान नहर निकला फिर इन्दिरा गांधी नहर निकला। तो धीरे-धीरे ही बदलेगा। ये कोई कानून बनाने से एक दम बदलेगा नहीं ....

(व्यवधान)

मैंने नहीं छोड़ा, आप कोई सिर्फ प्रहार करना चाहते हैं तो प्रहार करिये ....

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : हम जानकारी चाहते हैं सिर्फ आस्टेरिटी ....

एक माननीय सदस्य : आप उनके प्रति बहुत ही क्रिटिकल हैं इसलिए मैंने एक प्रश्न पूछा है, मैंने कोई प्रहार नहीं किया है।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं जवाब दे रहा हूं कि मेरे वित्त मन्त्री बनाने के बाद में ही अरबन सीलिंग के सारे कंपिटेंट ऑफिसर्स मैंने नियुक्त किये। माननीय भैरोंसिंह जी ने मुझे नवम्बर 78 में वित्त मन्त्री बनाया और मैं वित्त मन्त्री बना मई में और मैंने जुलाई 79 में सारी पोस्टें कंपिटेंट ऑफिसर्स की मैंने क्रियेट की हैं। विदिन डेढ़ महीने के मैंने क्रियेट कीं। चीफ मिनिस्टर से क्लियरेंस कराया ....

श्री सी पी. जोशी : To appoint competent officer is not sufficient.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशी जी, बाधा नहीं कृपया।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष

(श्री मानिकचन्द सुराना)

महोदय, मैंने कंपटेंट ग्रॉफिसर्स बनाये । हम ये 17 फरवरी को........

एक माननीय सदस्य : गलत बनाया तो चले गये ....

श्री मानिक चन्द सुराना : ग्रच्छा चलो कोई बात नहीं हमने तो गलत बनाया तो गये उसी का लेखा-जोखा कर लो, भाई यदि ग्रापने यही कसम खाली है कि जनता पार्टी के वक्त में उपलब्धि नहीं हुई है उसमें ग्रापको भी कोई उपलब्धि नहीं करनी, ऐसी कर लिया हो तो बता दें ।

श्री सी. पी. जोशी : हमको तकलीफ यह है कि जनता पार्टी में कल्याण सिंह जी ग्रापके नेता थे । ग्रभी तो ग्राप यह कह रहे हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराना : ग्राज नहीं है ।

श्री सी. पी. जोशी : ग्राज भी वही हैं । तकलीफ वही है कि ग्ररबन सीलिंग एक्ट को लागू कराना चाहते थे मानिक चन्द सुराणा ग्रौर नेता उनके कल्याण सिंह जी कालवी हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रापकी कांग्रेस पार्टी में महारावल डूंगरपुर ग्रौर महाराजा जयपुर हैं ।

श्री सी. पी. जोशी : हमें कोई तकलीफ नहीं है । लेकिन हम प्रीचिंग नहीं करते हैं । वह काम हम नहीं करते जो नहीं होगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : ग्राप तो भवानी सिंह जी की XXX कि ग्रामेर चलो, वहां चलो । भवानी सिंह जी की XXX । माधव राव सिंधिया की XXX । यह तो पार्टी राजा-महाराजाग्रों की हो गयी है ग्रब....

श्री सी. पी. जोशी : घनश्यामजी, जब मौका ग्राया तब नहीं दिया हमने ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजा-महाराजाग्रों की पार्टी ग्रौर XXX से X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : जोशी जी का जागीदार पड़ौसी है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजा महाराजाग्रों की पार्टी है ग्रौर कम्प्यूटर की पार्टी है ।

एक माननीय सदस्य : महाराजा भवानी सिंह जी महारावल साहब से प्रजातन्त्र के बन गये तो हमने ग्रपना लिया । ग्राप भी यदि प्रजातन्त्र के हैं तो ग्राप भी ग्रा जाइये ।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : XXX

(व्यवधान)

XXX शब्द/ग्रभिव्यक्ति माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई ।

श्री सी. पी. जोशी : शोपत सिंह जी, आप गलत जगह आ गये। यह तो माणक जी ही कर सकते हैं। आज तो गलत जगह आ गये हो आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जोशी जी को याद नहीं कि इसी चुनाव में उनके लिए महाराणा उदयपुर की अपील निकली थी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय भैरों सिंह जी शेखावत साहब, आपकी मेमोरी ठीक नहीं है, मेरी मैमोरी ठीक है लोक सभा चुनाव में निकली है, विधान सभा चुनावों में नहीं निकली है। ' मेरे खिलाफ आपने जागीरदारों को खड़ा किया है इसलिए आपकी मैमोरी गलत कहती है मेरी मैमोरी ठीक है।

श्री मानिकचन्द सुराना : यह स्वीकारोक्ति काफी है।

श्री शोपत सिंह : कोई फर्क नहीं। ढपली बजती है तो दोनों तरफ से आवाज एक ही निकलती है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पुरानी बातों को भूल जाइये, कृपया।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : वित्त मंत्री राजा को बनाये बैठे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान के वित्त मन्त्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह का पूंजीवादी बजट, यही कांग्रेस की संस्कृति है।

एक माननीय सदस्य : हमारी विचारधारायें अच्छी लगती हैं आपको तो जाओ। वहां क्यों बैठे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आने जाने की बात नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं निवेदन कर रहा था कि अरबन सीलिंग कानून को क्रियान्वित न करने की दलील, राजा मानसिंह आपके सदस्य हैं इसलिए तो नहीं कर रहे हैं, भवानी सिंह जी सदस्य हो गये इसलिए तो नहीं कर रहे। मैं निवेदन करता हूं, चाहे वह मेम्बर होंगे इसके बावजूद मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस में आज भी कुछ मन्त्री हैं जो इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि महाराजा भवानी सिंह आपके सदस्य हैं इसके बावजूद.... । मेम्बर हैं कांग्रेस के। इसके बावजूद मुझे आशा है कि कुछ मंत्री इस सरकार में समाजवाद से विश्वास करने वाले मौजूद हैं और अरबन सीलिंग की नीतियों को, एग्रीकल्चर सीलिंग की नीतियों को, एग्रीकल्चर सीलिंग की नीतियों को नरेशों के खिलाफ, और किसी नागरिक के खिलाफ भी हो तो शायद आज भी क्रियान्वित करेंगे। इसलिए मैंने आपका ध्यान खींचा है। आपकी रूचि नहीं हो और आपकी सरकार नहीं क्रियान्वित करना चाहती हो यह आपके बूते पर है।

(113)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर की बात कर रहा था ...

एक माननीय सदस्य : वह तो हमने टिकट दिया। आप भी आ रहे थे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अब हो गयी बात। आखिर तो डिबेट है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर की बात कर रहा था, इन्दिरा गांधी नहर की बात कर रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, 50 करोड़ का प्रोविजन इस वर्ष के बजट में है। एक सवाल आज सुबह पूछा गया राज्य सरकार से। विधान सभा में नहीं आया उसका लिखित उत्तर आया है। इस लिखित उत्तर में कहा है, इन्दिरा गांधी नहर की द्वितीय स्टेज का खर्चा 1985 के आंकड़ों पर 944 करोड़ रुपये होगा। 944 करोड़ रुपए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, यह प्रान्त की सबसे बड़ी योजना है बल्कि राष्ट्र की सबसे बड़ी योजनाओं में एक है। सन् 1958 में शुरू हुई। 27 साल हो गये। सन् 1972 में इस द्वितीय स्टेज का खर्चा, इसी सवाल के जवाब में कहा, 72 करोड़ रुपये आंका गया था। 72 करोड़ और 72 करोड़ से चला गया 944 करोड़ क्यों ? इस कारण, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें पांच लिफ्ट नहरों का खर्चा, जो औसत में 450-500 करोड़ होगा, इसमें जोड़ा गया। गंगानगर से आने वाले मेरे दल के नेता कह रहे हैं कि 600 करोड़ होगा। खैर, 600 होगा। 450 से ऊपर 600 करोड़ के बीच में कहीं भी होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि यही खर्चा आप मानें तो लगता है, 20 साल में 50 करोड़ की स्पीड से चलेंगे अपन तो 21 वीं सदी पूरी करने के बाद, इस केनाल की जो अभिरक्षा है, कम्प्लीट होगी। यानि, 21 वीं सदी के भी छः साल ऊपर आने पर कम्प्लीट होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने सम्पूर्ण तौर से इस पर गम्भीरता से विचार कर लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, साधन हम चाहें लिफ्ट कैनाल में लगा दें और चाहें, फ्लो कैनाल में लगा दें। साधन हमारे पास सीमित हैं। हम चाहे तो लिफ्ट बना सकते हैं, चाहे तो फ्लो बना सकते हैं लेकिन आज स्थिति क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, इस कैनाल की गत बनी 82 से। 1982 के साल में सारी गड़बड़ इस बात की लगी कि हमको मोहनगढ़, जैसलमेर पानी पहुंचाना है। इसलिए सारा खर्चा मैन कैनाल पर सीधे पैमाने पर लगता गया। 1982-83 में। 18 अक्टूबर 1983 को इसका उद्घाटन श्री राजीव गांधी, जो आज हमारे प्रधान मन्त्री हैं, ने किया। उस वक्त स्थिति क्या थी ? उस वक्त स्थिति यह थी कि पानी मोहनगढ़ पहुंचा ही नहीं था। उद्घाटन हो गया वज्जू में। पानी मोहनगढ़ नहीं पहुंचा। पानी मोहनगढ़ में सन् 84 के सितम्बर में पहुंचा। खैर, पानी पहुंच गया मोहनगढ़। अब क्या स्थिति है ? आज यह कहा जा रहा है कि इस कैनाल में हम जहां पानी फ्लो करने जा रहे हैं

(श्री मानिकचन्द सुराना)

उन पर तो चारागाह बनेंगे और उनको असिंचित क्षेत्र बनायेंगे, चरागाह के लिए पानी होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह इस राज्य सरकार की एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा है कि द्वितीय स्टेज में राजस्थान नहर में एक लाख मुरब्बा कमाण्ड भूमि हमको मिलेगी । यानि 25 लाख बीघा, 17 लाख एकड़ जमीन सैकण्ड स्टेज में मिल रही है कमाण्ड में । इसका मतलब है, 25 लाख बीघा । 25 लाख बीघा का मतलब है एक लाख मुरब्बा-25 बीघा का एक मुरब्बा, एक लाख मुरब्बे पर भूमिहीनों को भी आवंटन किया जायेगा तो 35 हजार रुपये के हिसाब से 350 करोड़ रुपये के साधन इस स्टेट को मिलेंगे, 35 हजार का ही मुरब्बा मान लीजिये फिलहाल, जब कि राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि 50 पर्सेन्ट जमीन तो भूमिहीनों को देंगे और 50 पर्सेन्ट का विशेष आवंटन करेंगे, 50 पर्सेन्ट का विशेष आवंटन होगा, विशेष आवंटन की जमीन पर राज्य को एक लाख से सवा लाख एक मुरब्बे का मिलेगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस फ्लों से जहां पानी जा सकता है जैसलमेर की उस रेगिस्तानी भूमि पर इस विधानसभा के सब सदस्य मानेंगे कि हमारे लिए क्या फर्क है, फ्लों से पानी जैसलमेर पहुंच जाय तो वहां पहुंच जाय फ्लो से पानी जैसलमेर पहुंच सकता है राजस्थान नहर की, वहां पहुंच जाय, लेकिन लिफ्ट करने में ? उसकी एक लूणकरणसर में लिफ्ट मौजूद है जिस जगह का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। इस लिफ्ट को इस पांच कैनाल को चलाने के लिए आपको 400 मैगावाट पावर के स्टेशन चाहिए, 400 मैगावाट पावर के आप रिसोर्सेज कहां से लायेंगे ।

मैं इसका सबसे पहले हामी हूं, उपाध्यक्ष महोदय, किया रेगिस्तानी 10 जिलों में इस नहर का पानी पीने के लिए दिया जाए, जोधपुर को दिया जाए, बाड़मेर को जितने शहर हैं, जितने कस्बे हैं, गांवों को दिया जाय, लेकिन यह पानी ड्रिंकिंग वाटर हो, पीने का पानी दिया जाय चूरू में आ ही रहा है, और गांवों में आ ही रहा है, आप चिन्ता मत करिये, आपके लिए तो तीन करोड़ का प्रावधान है इस बजट में, 11 करोड़ फलौदी के लिए है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि साधन नहीं तो आगे एक हजार करोड़ का आपने कह दिया लेकिन इसमें 400 मैगावाट के लिए 600 करोड़ रुपये पावर के लगेंगे, उसका आपने कोई आंकलन नहीं किया है, यदि हम पावर स्टेशन नहीं बना सकते तो पानी जोधपुर नहीं पहुंचेगा, 200 फिट की ऊंचाई के बाद पानी जायेगा जोधपुर, 200 फिट से भी ज्यादा, इसलिए जोधपुर पानी पहुंचाने के लिए सारी फसल को, नाचना, बीच के सारे इलाके-मोहनगढ़, लीलवा, डीगा जैसलमेर की दूसरी भूमियों को कहां पानी मिल सकता है ।

मैन कैनाल सैकिंड स्टेज में है 8 पर्सेन्ट इरिगेशन, 8 पर्सेंट इरिगेशन, उपाध्यक्ष

115

(श्री मानिकचन्द सुराना)

महोदय। 2005 में कोलायत बसाया 100 बीघा में पानी नहीं मिलता । शक्तावत साहब और श्रीमती कमलाजी सौ बीघा में पानी नहीं लगता ....

एक माननीय सदस्य : उबड़–खाबड़ है......

श्री मानिकचन्द सुराना : उबड़–खाबड़ है तो भी कमांड एरिया से विकास करना पड़ेगा उसका। नहर लम्बी करें, नहर ऐसी चीज है कि कस्बे में दे दें तो मोहनगढ़ और उसके इर्द-गिर्द ....

(व्यवधान)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बने जिसमें हां पक्ष के और ना पक्ष के 15 सदस्य हों और वह कमेटी इस पर विचार करें, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान नहर जो बनी उसके पानी का उपयोग अब तक क्या किया, आगे इसका क्या उपयोग होगा। हमको आज भी 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी पंजाब से लेना है। आज हम साढ़े 5, 5.6 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास क्षमता है यदि आप वितरिकायें बना दें—बिसलपुर, चारणवाला, नाचना में इस सारी भूमि में पानी जा सा सकता है लेकिन 50 करोड़ रुपये से यदि आपने वितरिकायें नहीं बनाई और लिफ्ट भी लग गई तो निश्चित रुप से डाइवर्शन आफ फण्ड होगा और यह जो डाइवर्शन आफ फण्ड होगा वह सिर्फ पानी के नाम पर होगा। पीने का पानी 15 करोड़ में जोधपुर पहुंच सकता है, 15 करोड़ रुपये में पूरा वहां पहुंच सकता है लेकिन आप यदि लिफ्ट नहर सिंचाई के लिये बनायेंगे तो 150 करोड़ में भी पानी जोधपुर नहीं पहुंचेगा। उसके बाद जोधपुर, बाड़मेर और नागौर पानी पहुंचाने के लिये 600 पावर स्टेशन्स आपको बनाने पड़ेंगे और उसके प्रतिवर्ष का खर्चा 10 करोड़ रुपये उनकी मेन्टीनेन्स का खर्चा, पावर पर आपको स्पेण्ड करना पड़ेगा। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर दुबारा राज्य सरकार को चिन्तन करना चाहिये। हमारी आज जो स्थिति है कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाली पीढ़ी यह कहे कि एक नहर बनाने में इन्होंने 27 साल लगा दिये और आने वाले 30 साल और लगा देंगे। 57 साल यदि हमने योजना पर लगा दिये, उपाध्यक्ष महोदय, वहां घास उगायें। घास उगाने का मतलब यह है कि आप वहां पर सिंचाई नहीं करना चाहते हैं। यदि सिंचाई नहीं करना चाहते हैं तो। लाख मुरब्बे के, 35 हजार कौन देगा ? आपको एक लाख रुपया कौन देगा ? इसलिये पहले सोचें कि इसके फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स क्या होंगे और फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स यदि राज्य के हकों के अनुकूल नहीं है, तो मेरा निवेदन है कि बड़ी गंभीरता से इसके बारे में सोचे, सदन की हां पक्ष और ना पक्ष के 15 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बने, वह नहर को दुबारा देखे, सारी स्कीम

(श्री मानिकचन्द सुराना)

का पुनरावलोकन करें। मगर राजनैतिक दृष्टि से नहीं बल्कि राज्य के समग्र विकास की दृष्टि से उसको देखें।

आज पूर्वी राजस्थान के लोग, मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान में आज कोई सिंचाई की योजनायें हैं, राजस्थान नहर के नाम पर बनती नहीं है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करें। दक्षिणी राजस्थान के लोग भी विचार करेंगे कि क्या राजस्थान नहर जो बनेगी वह उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिये बनेगी ? राजस्थान के दूसरे हिस्से के लोगों का हक राजस्थान के बजट पर नहीं है ? यदि आने वाले 30 साल तक हम यह कहना चाहते हैं कि हम तो पश्चिमी राजस्थान में सारा विनियोजन करेंगे और पूर्वी राजस्थान में नहीं करेंगे, दक्षिणी राजस्थान में नहीं करेंगे। इस पर विचार कर लीजियेगा यह मामूली प्रश्न नहीं है, बड़ी गंभीरता का प्रश्न है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : यह तो 30 साल से हो रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराना : यह जो 30 साल से हो रहा है वह साढ़े चार सौ, पांच सौ करोड़ रुपये, आने वाले 10 साल में उसको पूरा करने के लिये, एक-एक जर्रे में पानी पहुंचाने के लिये और राजस्थान में 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जो हमको लेना है वह लिया जा सका है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पानी तो साढ़े आठ क्यूसेक ही मिलेगा, शक्तावत साहब इससे अधिक नहीं मिलने वाला। साढ़े 18 हजार क्यूसेक पानी से नहर चल सकती है, आज जो आपने बनाई है। मैं नहर मंत्री जी से कहना चाहता हूं, वह खड़े होकर कह दें कि साढ़े 18 हजार क्यूसेक पानी चलेगा तो यह नहर टूटेगी नहीं। यह नहर टूट जायेगी साढ़े अठारह हजार क्यूसेक पानी जिस दिन नहर में चलेगा यह नहर जगह-जगह से टूट जायेगी, सैकड़ों गांव बर्बाद हो जायेंगे। साढ़े बारह हजार क्यूसेक भी बड़ी मुश्किल से चलता है और आज तो साढ़े सात-आठ हजार क्यूसेक में ही इतिश्री होती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस नहर को दुबारा देखा जाय और जो बन गई है उसको वापिस पक्का करने के लिये कि जिस दिन साढ़े 18 हजार क्यूसेक पानी आये तब वह बह न जाय इस बात की व्यवस्था भी इसी सदन को और इस सरकार को करनी है। इसकी भी व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं कुछ दूसरी बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करके अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैंने 10% प्रशासनिक व्यय में कटौती करने के लिए सुझाव दिया है 10 प्रतिशत कटौती करने के लिए राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग को एक्सरसाइज करनी चाहिये कि 10 प्रतिशत कटौती प्रशासनिक व्यय में किस किस तरीके से की जा सकती है और वह कटौती रियल होनी चाहिये, दिखावटी नहीं। एक तरफ कटौती और दूसरी तरफ

(श्री मानिकचन्द सुराना)

नयी पोस्टस क्रियेट कर दें जो कि इस कटौती के साथ हमेशा होता आया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार भी समाप्त हो और लोगों की आंखें इस बात को देखें कि राज्य के धन का सदुपयोग हो रहा है तो मेरा निवेदन यह है कि बजट के पास होने के बाद में दो महीने में आप किस जिले में कितना रुपया किस किस योजना पर, राजस्व और योजना व्यय में खर्च होगा इसके आंकड़े, उस जिले के, जहां कि आबादी 5 लाख की है हजार लोगों को, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वहां के प्रतिष्ठित नागरिक हैं कहीं एक हजार, कहीं दो हजार, कहीं ढाई हजार लोगों को जिले के आंकड़े दिये जायं कि इस जिले में किस किस मद में, कहां कहां पर खर्च होगा, हजारों लोग इसको देखेंगे कि वास्तव में आपके विभाग, उन जगहों पर जो व्यय होगा वह करते हैं या नहीं करते हैं। यदि उसमें मेटेरियल खराब हो, उसकी क्वालिटी खराब होगी तो वह व्यय नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर की रिपोर्ट विधान सभा में आती है, एक रिपोर्ट आई, उपाध्यक्ष महोदय। मैं इस रिपोर्ट से यह अन्दाजा नहीं लगा पाया हूं कि इस साल, वर्ष 1984-85 में यह नहर कहां से कहां बनी है, किस आर. डी. से किस आर. डी. तक बनी है, कौन सी शाखा से कौन सी शाखा तक इसका निर्माण किया गया है कुछ पता नहीं है। मैंने कैनाल बना दी, बिसलपुर वितरिकायें खोदी गई थीं वह वितरिकायें आंधी से 2 साल में, 3 साल में भर गई। बिसलपुर, चारणवाला, जहां जहां पर भी वितरिकायें खोदी गई थीं वह सारी की सारी समाप्त हो गई। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लाखों लोग हमारे राज्य के खर्च पर नियंत्रण रखें। मैं नया सुझाव दे रहा हूं। जब मैं वित्त मंत्री था तब मैंने डिपार्टमेंट से कहा था कि हम इस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि प्रशासनिक मशीनरी ने इसका विरोध किया था लेकिन इसके बावजूद, सरकार फरवरी में समाप्त हो गई थी अन्यथा नये बजट में उस तरह की व्यवस्था प्रत्येक जिले में जितना व्यय राजस्व व्यय एवं योजना व्यय में होता वह हजारों/लाखों लोगों की नजरों में ला देता और अब यह जिम्मेदारी आपकी है। राज्य की एक एक पाई का आप उपयोग करना चाहते हैं, सदुपयोग करना चाहते हैं तो इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये इस बजट में।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ भी खींचूंगा कि इन सारी आवश्यकताओं के साथ आज आम आदमी की स्थिति क्या है? आम आदमी की स्थिति, गांव में उस पर 3 हजार रुपये का कर्जा है, सहकारी बैंक वाले कुर्कियां लेकर आ रहे हैं, हजारों कुर्कियां, इसवर्ष में जितनी कुर्कियां हुई हैं

(118)

(श्री मानिकचन्द सुराना)

मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वह एक रिकार्ड है। क्योंकि मुख्य मंत्री महोदय ने कह दिया है कि वसूली कड़ाई से करें। मैं कहना चाहता हूं कि वसूली कड़ाई से किसलिये करें, क्यों करें वसूली कड़ाई से ? क्या आप यह नहीं चाहते हैं कि 2 हजार, तीन हजार का स्माल टर्म का लोन लिया गया है वह राजस्थान छोड़कर चला जायेगा, अपने गांव को छोड़कर कहीं चला जायेगा। यही मापदण्ड, यही समझ है सरकार की बिलकुल तो गलत है। मिडियम टर्म लोन लिया गया है, उसको स्माल टर्म लोन में कन्वर्ट करने का कानून नहीं है तो कानून बनायें। यह आदेश दिये जायं कि मिडियम टर्म लोन लिया गया है और अकाल पड़ गया है और अकाल पड़ गया है तो निश्चित रूप से उस साल की किश्तें आने वाले 3 साल में और इस बीच में और अकाल पड़ गया, तो जितनी किश्तें जारी हैं वह आगे आने वाले 3 साल में वसूल हो। राज्य के नागरिकों की, जिसने 3 हजार, दो हजार का लोन लिया है उनकी कुर्कियां करेंगे, उनकी गाय-भैंस नीलाम करेंगे, उनके ऊंट-गाड़े नीलाम करेंगे, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य के ग्रामीण नागरिक की न कोई इज्जत रहने वाली है, न आपकी और न हमारी इज्जत रहने वाली है। इसलिये इस आदेश को बदलें। कुर्कियां करके रुपया वसूल करके इन सहकारी बैंकों को चलायेंगे, यह बैंक तो चलते रहेंगे, बैंक तो चलते रहेंगे, बैंक बन्द नहीं होंगे और इसलिये मैं इन सुझावों के साथ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं उपनिवेशन विभाग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं उपनिवेशन मंत्री भी रहा था। उपनिवेशन मंत्रीजी मौजूद हैं, एक वर्ष की वसूली जिनमें बकाया हो गई है, आपने आदेश जारी कर दिये हैं उनकी जमीन कैंसिल कर दी जाय इससे हजारों लाखों अलॉटीज आज परेशान हैं, एक साल की बकाया होने की वजह से उनके ऊपर पैनल्टी का फैसला, पैनल्टी पर ब्याज, फिर चक्रवर्ती ब्याज। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर से पानी आप नहरों में देंगे नहीं, नहर बन्द रखेंगे। दिसम्बर में लोक सभा के चुनाव के समय बन्द रखी गई, फिर विधान सभा के चुनाव में बन्द रखी गई, अप्रेल में बन्द रखी गई, बीच में 20 दिन बन्द रखी गई। नहर हम चलायेंगे नहीं, उपनिवेशन के काश्तकारों को हम पानी देंगे नहीं और फिर उनकी कुर्कियां ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री मानिकचन्द सुराना : उनकी कुर्कियां कैंसिल करना चाहेंगे, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आम नीतियां जो आम नागरिक से सम्बन्धित है सरकार को चाहिये इनमें मूलभूत परिवर्तन करे ताकि उनका भविष्य न बिगड़े।

(श्री मानिकचन्द सुराना)

इन शब्दों के साथ में, उपाध्यक्ष महोदय, अपना स्थान ग्रहण करता हूं....

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 जुलाई को हमारे मुख्य मन्त्री द्वारा परिवर्तित बजट पर जो भाषण दिया गया उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। इस मौके पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी राज्य के विकास के लिए यह बात जरूरी है कि वहां पर बिजली का कितना उपयोग होता है। हमारे प्रदेश में बिजली के

(3.42 म.प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

उपयोग में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हुई है और हमारी सरकार की जो मन्शा है और उसने सातवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और विद्युत के लिए जो बजट रखा है वह 52.02 प्रतिशत है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह बात कि सरकार किसान विरोधी है बिल्कुल गलत है क्योंकि जितनी सरकार की मन्शा है और वह विद्युत की बढ़ोत्तरी के लिए, जो विद्युत उत्पादन है वह कैसे बढ़े इसके बारे में सरकार ने अपने 1985-86 के बजट के अन्दर 123 करोड़ का प्रावधान रखा है, यह बड़ी खुशी की बात है। इस बजट के अन्दर जो इसमें बताया कि ट्रांसमीशन लासेज हैं उसके ऊपर 25 करोड़ का प्रावधान किया गया। इस मामले में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो विद्युत अवेलेबल है उसके अन्दर 25 से 30 प्रतिशत तक क्षति होती है, तो इसके लिए जरूरी है कि जो हमारे पास उपलब्ध विद्युत है उसके अन्दर यदि हम सुधार करें तो 25 करोड़ का प्रावधान है इससे ज्यादा का प्रावधान रखना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो हम विद्युत को बढ़ाने की बात करते हैं उसके अन्दर हम खर्च कर रहे हैं और जहां हमारे पास में विद्युत जो अवेलेबल है उसके लिए जो इसमें सुधार के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए और दूसरी बात विद्युत विभाग के अन्दर जो चोरी होती है उसके ऊपर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

जहां तक हमारे यहां शिक्षा का सवाल है हमारे यहां स्कूलें काफी खुली हुई हैं और माननीय सदस्य भी इस बात को जानते हैं कि शिक्षकों की भारी कमी है इस बात का मुख्य मन्त्रीजी ने बजट में प्रावधान किया, और 85--86 में करीब 6 हजार अध्यापकों को जो विभिन्न श्रेणी के हैं उनके लिए प्रावधान किया है यह बड़ी खुशी की बात है क्योंकि खाली स्कूल खोल दिये जायं और जब तक वहां अध्यापक नहीं होंगे, उसका कोई मतलब भी हल नहीं होता। इस बात की बड़ी खुशी है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रतिभावना छात्रों को पुरस्कार देने का इसमें प्रावधान रखा गया है यह भी बड़ा सराहनीय है।

(126)

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी विभिन्न चिकित्सालय खोलने के लिए और 50 शैय्याओं वाले चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा लेकिन इसके अन्दर जो आयुर्वेद की भी चर्चा है और होमियोपैथी चिकित्सा के बारे में इसके अन्दर कहीं कोई जानकारी नहीं दी गई है तो मैं यह चाहूंगा कि होमियोपैथी भी अपने आप में बहुत बड़ी चिकित्सा है और जो होमियोपैथी से भी चिकित्सा सेवा चाहते हैं और वह करायें, सस्ती भी पड़ती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि होमियोपैथी चिकित्सा की तरफ भी ध्यान दिया जाय।

जहां तक कृषि के बारे में इसमें बताया गया कि जो अनुसंधान और जो नई तकनीक की जो बात है वह इस योजना के अन्दर जो लक्ष्य रखा गया है, किसान तक जो नई तकनीक पहुंचाने की बात है उसे वास्तव में, क्योंकि यदि अनुसंधान और खाली नई तकनीक हम करते रहते हैं और किसानों तक उसका लाभ भी नहीं पहुंचता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अन्दर जो वर्तमान में 17 जिलों के अतिरिक्त सीकर, झुन्झनू. जालोर सिरोही के पूरे जिले व बाड़मेर व जोधपुर के क्षेत्रों का भी अध्ययन किया गया, यह भी बड़ी खुशी की बात है। इस बार जो बजट के अन्दर इस बात के लिए मुख्य मन्त्री जी ने कहा रबी के अन्दर 85-86 में फसल की जो बीमा योजना राज्य में पहली बार प्रारम्भ किये जाने की बात है, इसका मैं स्वागत करता हूं। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर पिछड़े को पहले का जो कार्यक्रम है, उसमें आई. आर.डी.पी. योजना है, हालांकि योजना तो बहुत अच्छी है और इसके अन्दर जिस तरह से चयन किया जाता है और उसके चयन में जो थोड़ी गड़बड़ी होती है उसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना जरूरी है और इसके कारण सही फायदा, सरकार की जो मंशा है, वह इसमें पूरी नहीं होती है, इसलिए इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। आंकड़े तो दिये हुए हैं और सब माननीय सदस्य जानते ही हैं पर इसके लिए भी वास्तव में क्या इस तरह की बात है, इसके बारे में भी ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक पेयजल की बात है यह हमारे राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की भारी समस्या है और मैं सभापति महोदय आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार से आप यह आग्रह कर कि पश्चिमी राजस्थान में कुछ विशेष पेयजल सम्बन्धित राशि का आवंटन करायें क्योंकि वहां हर दूसरे-तीसरे साल अकाल पड़ता है और मुख्य रूप से पानी की समस्या से वहां के लोग पीड़ित हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पश्चिमी राजस्थान में इस सम्बन्ध में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखवायें।

जहां तक बजट के अन्दर वन की चर्चा की गई और वनों के मामले में पर्यावरण की बात जिसमें बताई गई है. पर बजट में पर्यावरण के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं के बराबर दी गई है। आज पर्यावरण का कितना भारी महत्व है। हमारी भूतपूर्व

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

[illegible]

नेता जो इन्दिरा गांधीजी हमारे बीच में नहीं रही वो पर्यावरण को कितना महत्व देती थी। उन्होंने पर्यावरण के बारे में नया विभाग भी बनाया और हमारे राजीवजी भी आप जानते हैं वह हमेशा पर्यावरण के बारे में कितना जोर देते हैं। इसके अन्दर हमारे पश्चिमी राजस्थान में अपने पाली, बाडमेर और जोधपुर में जिस तरह से वाटर पोल्यूशन के कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है इसके बारे में, इसके निराकरण के लिए कोई जानकारी नहीं रखी गई है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी अविलम्ब कार्यवाही करें क्योंकि कई तरह की परेशानियां तकलीफें वहां की जनता को झेलनी पड़ रही है, तो इस मौके पर जो ट्रीटमेन्ट प्लान्ट है जो पाली में लगाया गया है हालांकि इसका कोई उपयोग नहीं है। इस तरह की बात पर सरकार को बहुत ज्यादा त्वरित गति से उसके ऊपर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये। क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम उद्योगों के विकास की भी बात करते हैं और ऐसी बात नहीं है कि हम उद्योगों को बन्द कर दें या इण्डसट्रिलाइजेशन को बन्द कर दें। हमें इसका विरोध नहीं है, पर इसके लिए जरूरी यह है कि इस तरह की दूसरी परेशानियां पैदा होती हैं उसके ऊपर भी सरकार को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये। इसका इसमें जिक्र नहीं है तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी सरकार का ध्यान जाय।

([illegible])

इसके अन्दर जो सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए जो लाभ देने की बात है इससे 45 हजार पेन्शनर लाभान्वित होंगे इसका भी स्वागत करता हूं। जहां तक सरकार ने इसके अन्दर जो जानकारी दी है, युवक कल्याण के लिए जो सरकार की भावना है कि एक पृथक विभाग खोला जायेगा और खेलकूल के विकास के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर स्टेडियम खोले जायेंगे यह भी बहुत सराहनीय बात है।

जो आज पावर की शार्टेज चल रही है. इसमें इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, जो वैकल्पिक, आल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उसका इसमें कहीं जिक्र नहीं है। जिस तरह से ऊर्जा के विकास के लिए गोवर गैस प्लान्ट काफी सफल हो सकता है गांवों के अन्दर, उसके अन्दर, उसके ऊपर विशेष ध्यान देने की बात है क्योंकि पावर की कमी को खाली आलोचना करने से दूर नहीं किया जा सकता, इसके लिए कन्स्ट्रक्टिव सुझाव होने चाहिये इस दिशा में। तो मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि जो विद्युत के आल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उसके अन्दर जैसे गोवर गैस है उसके लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिये। दूसरा बायोमास गैसिफिकेशन, इसके लिए जो गुजरात के अन्दर इनर्जी डवलपमेन्ट एजेन्सी है वहां पर इसको चला रही है और सफलतापूर्वक को-आपरेटिव के द्वारा संचालन किया जा रहा है। इसी तरह से पंजाब के अन्दर पंजाब एग्रीकल्चरल कालेज में भी यूनिवर्सिटी ने एक स्कीम बनाई, पंजाब एग्रो इण्डस्ट्रीज ने एक मशीन बनाई

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

[redacted]

और मारूती कन्सर्न के अन्दर भी जिसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि वह इस आल्टरनेटिव स्कीम की तरफ विशेष ध्यान दे क्योंकि विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहा है, उसके लिए इसकी जो बढ़ोतरी की गई। जनता को ज्यादा पैसा देने में कोई एतराज नहीं है, किसान भी दे सकते हैं उसका उपयोग करेंगे। पर जनता यह चाहती है कि उनको सुविधा उपलब्ध हो, पैसा देने में एतराज नहीं है जितना सुविधा में हमें बिजली की, किसानों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। समय पर बिजली नहीं मिलने से उनको विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो कुछ कर भी नहीं सकते।

इसलिये यह जो ट्रान्सफार्मर की जो बात है यह ट्रान्सफार्मर की वास्तव में भयंकर कमी है। मैं मेरे क्षेत्र का ही निवेदन करूंगा कि काफी अरसे से खारिया मीठापुर में सब स्टेशन बना हुआ है, वहां पर ट्रान्सफार्मर लगा हुआ ही नहीं था अब कोई 5-6 दिनों पहले वहां पर ट्रान्सफार्मर गया है क्योंकि लम्बे समय से मैं प्रयास कर रहा हूं तो यह बात सही है कि जो हमारे पास सुविधा उपलब्ध है उसका भी हम पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस मौके पर मैं इस बात का भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो छूट दी है साइकल के ऊपर वह वास्तव में अब यह सोचने की बात है यह बहुत अच्छी छूट है क्योंकि जो लोग स्कूटर चलाते हैं या मोपेड चलाते हैं उसको तो वास्तव में यह बहुत छोटी बात नजर आती है पर वास्तव में साइकल पर जो छूट दी है वह चाहे अंकों में हमें कम नजर आती है पर वास्तव में इसका लाभ गरीब लोगों को निश्चित रूप से अधिक मिलेगा। दूसरे, जो कोयले पर छूट दी गयी है मैं उसका स्वागत करता हूं जहां तक इस सारे को देखने से यह पता चलता है कि खाली विरोध की बात कहना या कहने से या किसी का विरोध करना या पक्ष करना कोई यह बात साबित नहीं करता कि उसमें कोई कमी है पर सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि इसमें जो कमी हो उसके लिये सरकार के सामने सजेशन देना चाहिये जिससे कि सरकार सही तरह से काम कर सके। इस मौके पर मैं पुनः राज्य सरकार की तरफ से जो मुख्य मन्त्री जी ने बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शोपत सिंह।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, रामेश्वर जी के बाद भंवरलाल जी और उसके बाद मेरा नाम है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर-आर्डर। श्री शिवचरण सिंह जी।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, लोकदल का एक ही सदस्य बोला

(एक माननीय सदस्य)

और रामेश्वर जी के वाद भंवरलाल जी शर्मा बाहर गये हैं तो उसके बाद मेरा ही नम्बर है।

श्री सभापति : मैंने शोपत सिंह जी का नाम पुकार लिया।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, लोक दल के तो तीन आदमी थे जिसमें एक माननीय सदस्य बोल गये दूसरे भंवरलाल जी बाहर गये हैं उसके वाद में मेरा ही नम्बर है।

श्री सभापति : सभी का नम्बर बारी बारी से आयेगा। श्री शोपत सिंह।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से परिवर्तित बजट जो कल पेश किया गया था मुख्य मन्त्री जी के द्वारा उस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : कल नहीं, दो तारीख को।

श्री शोपत सिंह : हां हां, दो तारीख को सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण के बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने और विरोधी पक्ष के सदस्यों ने दोनों ही पक्ष के सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। पर मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि जो बिजली पर टैक्स लगाया है वह भारी टैक्स लगाया गया है और बिजली पर ही नहीं, पर जो बसों का किराया बढ़ाया गया और पानी पर जो रेट बढ़ायी गयी है वह तमाम टैक्स अलग-अलग नहीं देखे गये हैं वह सभी टैक्स राजस्थान की जनता को वहन करना पड़ेगा। मेरे माननीय सदस्य बहुत से जो विधान सभा में बोल रहे हैं और विशेष तौर से सत्ता पक्ष की तरफ से वह बड़ी से बड़ी बधाइयां दे रहे हैं मुख्य मन्त्री जी को और मैं भी एक बात की मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं और यह निवेदन करता चाहता हूं कि यह विधान सभा हमेशा नहीं चलेगी। महीने के बाद जब आप लोग अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने इलाके में जब जायेंगे तब आपके लोग आपको पूछेंगे कि माननीय विधायक जी क्या हाल है। यह आपको मालूम नहीं पड़ता है, हमें पता है। यह आपको मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि ये लाटरी आपकी निकल गई है और आप सीधे पहुंच गये हैं। आप लोग आपके कोई अपने अच्छे कार्यों के लिये विधान सभा में नहीं आये हैं। यह तो इस देश का दुर्भाग्य था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की मौत हो गयी और उसकी लाटरी में आप लोग उसके नाम से यहां पहुंच गये। यही बात है और कोई दूसरी बात नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, कल जब....

(व्यवधान)

हम और हमारी पार्टी ही ने त्रिपुरा और बंगाल में आपको पिछले दिनों पाठ पढ़ाया है।

श्री सभापति : नो इन्ट्रप्शन। आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : मैं और मेरी पार्टी ही आपको दुरुस्त करेगी और कोई बाकी दुरुस्त नहीं करेगा और कोई नहीं करेगा।

(व्यवधान)

कल जो बोल रहे थे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, जो सदन में नहीं हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही और यहां पर महाभारत का दृष्टान्त दिया। उन्होंने महाभारत का दृष्टान्त देते हुए कहा था कि जब कौरवों से लड़ने के लिये अर्जुन मैदान में गया तो जब अर्जुन ने देखा और कृष्ण से कहा कि मैं किससे लड़ूं यह सारे के सारे मेरे मामा, दादा, चाचा भाई हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : No intruption.

श्री शोपत सिंह : उन्होंने मिसाल दी हमारे मुख्य मन्त्री जी की, पर उनको पता ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है, कहते हैं कि वह प्रोफेसर हैं पढ़े लिखे हैं और नाथद्वारा में रहते हैं, कृष्ण ने तो अर्जुन को कहा था कि यह पापी है यह अधर्मी है इनको मारो मगर मुख्य मन्त्री जी ने तो हमारे ऊपर 100 करोड़ रुपये का बोझ डालने का प्रस्ताव किया है। हमारी राजस्थान की गरीब जनता पर यह सौ करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा उन्होंने यह सोचा ही नहीं कि यह टैक्स किस पर डाल रहे हैं, वह राजस्थान की गरीब जनता पर आप टैक्स लगा रहे हैं पर सभापति महोदय, उन्होंने इस पर विचार ही नहीं किया।

आज 40 साल की आजादी के बाद कल हमारे सी. पी. जोशी, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि ...

(व्यवधान)

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य जो बोल रहे थे उन्होंने कुलक शब्द का प्रयोग किया। सभापति महोदय, उनको कुलक शब्द से बड़ी एलर्जी है। वह कह रहे थे....

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : प्रेम से कह रहे थे।

श्री शोपत सिंह : प्रेम से नहीं उनको एलर्जी है। वह कहते कहते यह कह गये कि यह फ्लेट रेट क्यों लगायी गयी है। उनको सारे राजस्थान में सारे के सारे कुलक दिखते हैं, अपनी पोलिसी वोलिसी से कोई मतलब नहीं, उनको पोलिसी का कुछ भी पता नहीं, उनके दिमाग में कुलक चढ़ा हुआ है जो राजाओं की अपील पर जीत कर आते हैं, महारानियों की अपील पर जीतकर आते हैं। दाढ़ी रखने से या बद्शक्ल होने से कोई क्रान्तिकारी थोड़े ही बन जाते हैं। दाढ़ी रखिये, बदशक्ल हो

(श्री शोपत सिंह)

जावो, लोगों में जावो और कहो कि मैं रिवोल्यूशनरी हूं यह समझ में आने वाली बात नहीं है। उनको इस बात का मालूम नहीं है कि फ्लेट रेट उन गरीब किसानों के लिये बनाया गया था जिनके पास पांच-पांच, सात-सात या दस बीघा जमीन थी।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, यह भाषण सी. पी. जोशी पर हो रहा है या बजट पर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : आपको बजट पर बोलना है सी. पी. जोशी पर नहीं बोलना है।

श्री सभापति : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : हां हां सी. पी. जोशी ने जो कल बोला उसका जवाब दे रहा हूं। यह माननीय सदस्य हैं, इस सदन के माननीय सदस्य हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : नींद में तो रात को सी. पी. जोशी नजर नहीं आते हैं, कहीं ?

श्री शोपतसिंह : सभापति महोदय, एक बात जो कह रहा था, उन्होंने कुलक शब्द का उपयोग किया था विरोधी पक्ष के लिए यह निश्चित रूप से एक कचोटने वाला शब्द है, अब विरोधी पार्टी में कोई कुलक नहीं है। सारे राजा और रानियां और राजकुमार, और सारे के सारे बिड़ला और टाटा कांग्रेस के ग्रुप में है XXX। आप बातें करो क्रान्तिकारिता की, क्रांतिकारिता की बात कर रहे हो और आज जब कि 40 साल तक राजस्थान में शासन किया और उसके बाद आज राजस्थान की तस्वीर क्या है, मैं आपको इस तस्वीर को आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

श्री सूरजपाल सिंह : नये राजा तो आप हो। 200 मुरब्बा जमीन लिये बैठे हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शोपतसिंह : काट लो जमीन XXX कि नहीं लेते मेरी जमीन।

श्री सूरजपाल सिंह : औरों के पास इतनी कहां है ...

श्री सभापति : कृपया आपस में बातें नहीं करें।

श्री शोपत सिंह : 200 मुरब्बा जमीन मेरी राजस्थान सरकार सीलिंग में नहीं ले सकती है तो यह कमजोरी XXX मेरी नहीं यह आपकी कमजोरी है कि मेरी 200 मुरब्बा जमीन नहीं ले सकते।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : कोई पान्इट आफ आर्डर नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मेरा निवेदन यह है, माननीय सभापति महोदय, कि जब भी माननीय सदस्य बोलते हैं पता नहीं यह भाषा कहां की बोलते हैं कभी XXX बोलते हैं और कभी और कुछ ...

श्री शोपत सिंह : यह XXX सरकार है। जो शोपत सिंह की जमीन नहीं काट सकती, सीलिंग में नहीं ले सकती ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संयत भाषा का प्रयोग करें।

श्री शोपत सिंह : XXX सरकार कह रहा हूं, यह शब्द संसदीय शब्द है।

एक माननीय सदस्य : कृपया XXX शब्द एक्सपंज कराया जाय।

श्री सभापति : XXX शब्द अंकित नहीं किया जाए।

एक माननीय सदस्य : इनको थोड़ी शिक्षा दी जा जाये जिससे यह शब्द अच्छी तरह से पढ़कर बोलें।

श्री शोपत सिंह : सभापति महोदय, अगर शोपत सिंह के पास 200 मुरब्बा जमीन है और यह सरकार उसको सीलिंग में अवाप्त नहीं कर सकती तो निश्चित रूप से मैं क्या कहूं XXX सरकार कहूंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। मैंने बदल दी है अपनी भाषा, बस। आपको XXX सरकार से परेशानी हो रही है तो मैं XXX सरकार कह देता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में चालीस साल की आजादी के बाद जिसमें ढाई साल के अर्से को छोड़ दें इस कांग्रेस सरकार का शासन रहा है, यह सत्ता में रही है। इसकी सूरत क्या है, शक्ल क्या है इन्होंने इस देश का, देश को ही नहीं राजस्थान को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग नर्क की जिन्दगी जी रहे हैं, कुछ लोग स्वर्ग की जिन्दगी जी रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि जो लोग इम्पाला कार में चले, मारुति कारों में चलें, इनकी हिम्मत नहीं है कि महलों और कोठियों में रहने वाले, आलीशान कोठियों में रहने वाले लोगों पर टैक्स लगायें। इनकी हिम्मत नहीं है। अगर इनको रिसोर्सेज की जरूरत थी राजस्थान के अन्दर तो उन लोगों को, गरीबों को उठाने के लिए, उनमें कुछ चेतना पैदा करने के लिए, खुशहाली के लिए, माननीय सभापति महोदय, जयपुर की बात छोड़ दीजिए, दो चार शहरों के अन्दर करोड़ों रुपये के बंगले पड़े हैं। अभी एस एम एस के सामने एक कौने में एक काम्प्लेक्स में तीन बंगले बन रहे हैं, मेरे ख्याल से करोड़ रुपये से कम नहीं है। आप पांच सितारा होटलों में बैठते हैं उन पर टैक्स नहीं लगायेंगे, उनमें रहने वाले

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शोपत सिंह)

लोगों पर आप टैक्स नहीं लगायेंगे, करोड़ों के बंगले बन रहे हैं, धन का नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं बेशर्मी के साथ, नंगा प्रदर्शन करते हैं दो नम्बर के पैसे का प्रदर्शन करते हैं आप उनको नहीं पकड़ सकते। आप उन लोगों के अन्दर नहीं, आज राजस्थान के अन्दर हम देखते हैं क्या हो रहा है, आज कांग्रेस की प्रायोरिटी कहां है, कांग्रेस की प्रायोरिटी इस देश के लोगों को प्रदेश के लोगों को रोजगार, शिक्षा देने में नहीं है उनकी भलाई करने के लिए नहीं है। अभी परसों मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हमने इस देश की बागडोर और इतना वोट, इतना बहुमत राजीव गांधी को दे दिया, हमारे राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है आज। उनकी प्रायोरिटी 250 करोड़ रुपये गंगाजल को पवित्र करने की है। गंगा नदी जो लोगों के पाप धोती है, यह पवित्र करने के लिये जा रहे हैं। इस गंगा नदी को पवित्र करने के लिए 250 करोड़ लोगों की फिक्र नहीं है। अगर 250 करोड़ रुपये में ट्यूबवैल दिये जाते, बिजली के ऊपर खर्चा किया जाता, कनेक्शन दिये जाते तो आज राजस्थान की और तस्वीर पेश करते।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की प्रायोरिटी अब टेलीविजन है, टेलीविजन पर आप टैक्स नहीं लगा सकते, बढ़ा देते एक हजार रुपये, टी. पी. का सेल्स टैक्स बढ़ा देते, टेलीविजन की तरफ इनकी उंगुली नहीं जाती है, रेफ्रीजरेटर की कीमत कम की है। टेलीविजन की कीमत कम की है, आप ने उसकी फीस माफ की है। आपको इस बात का ख्याल नहीं है कि इस देश के अन्दर टेलीविजन वाले लोग नहीं रहते। इस राजस्थान के अन्दर पचास प्रतिशत लोग यानी आधी आबादी को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। डेढ़ करोड़ लोगों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपके आंकड़े कह रहे हैं। गरीबी की रेखा के नीचे लोग जो रहते हैं जिनकी 20 रु. महीने से ज्यादा की आमदनी नहीं है। बेरोजगारों की क्या हालत है राजस्थान में। इनको फिक्र नहीं है इस बात की। पांच लाख 41 हजार बेरोजगार इनके रजिस्टर में दर्ज हुए हैं, सन् 1984 के अन्दर कितने लोगों को रोजगार दिया गया, 19 हजार लोगों को रोजगार दिया गया। साढ़े पांच लाख लोगों में से उन्नीस हजार लोगों को रोजगार मिला बाकी लोग बेकार घूम रहे हैं सड़कों पर। यह इंजीनियरिंग कालेज खोलने की बात कर रहे हैं, पोलोटेक्नीक खोलने की बात कर रहे हैं, बजट में प्रावधान रखा है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे इंजीनियर गाड़ी के नीचे आकर सुसाइड कर रहे हैं। हमारे बेरोजगार, हमारे पढ़े-लिखे नोजवान बेटे बेरोजगारी के शिकार होकर सुसाइड कर रहे हैं कोई कुयें में गिरकर और कोई गाड़ी के नीचे आकर।

माननीय सभापति महोदय, अभी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कितने रजिस्टर किये गये हैं, कितने पढ़े लिखे

128

(श्री शोपत सिंह)

लोग हैं। अनुसूचित जाति के लोग 66 हजार 531 हैं, जिन्होंने इनके एम्प्लायमेंट दफ्तर में नाम लिखाया है, काम कितने लोगों को दिया, गरीबों की बात करने वाले लोगों, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने 2 हजार 222 लोगों को रोजगार दिया है, जनजाति के लोग एक लाख छब्बीस हजार एक सौ बावन हैं जिन्होंने नाम दर्ज करवाया है उनमें से नौकरी कितने लोगों को मिली ? नौ सौ तीस को, महिलाओं ने जिन्होंने रोजगार दफ्तर में नाम लिखाया है कितनों को काम दिया चालीस हजार बाइस नौकरी दी तीन हजार एक सौ नब्बे। यह आपकी हालत है। आई. टी. आई. से जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है उनकी संख्या छः हजार तीन सौ सैंतीस और आपने नौकरी कितने को दी तीन सौ पैंसठ लोगों को। अपंग लोग कितने रजिस्टर हुए हैं रोजगार दफ्तर में पांच हजार सात सौ तेरह और नौकरी कितनों को दी, एक सौ तीस। यह आपकी तस्वीर बताई है मैंने नौकरी के सम्बन्ध में। अब मैं आपको राजस्थान की तस्वीर बताना चाहता हूं....

श्री सभापति : कृपया शार्ट करें।

श्री शोपत सिंह : अभी शार्ट कैसे करूं। मैं बैठ जाता हूं अगर आपको कोई परेशानी है तो।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की 75 फीसदी आबादी ऐसे झोपड़ों में रहती है जो न वर्षा रोक सकते हैं, न सर्दी-गर्मी रोक सकते हैं। पचास प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे रहती है, सत्तर प्रतिशत आबादी ऐसी जो नंगे बदन रहती है, फटे हुए कपड़ों में रहती है, सत्तर प्रतिशत आदमी राजस्थान में ऐसे रहते हैं जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, चाहे वह भाई हो, बहन हो उनमें बच्चे हो, बूढ़े हो। साठ प्रतिशत आबादी पथरीली जगह हो, चाहे रेगिस्तानी जगह हो ऐसी जगह रहती है, चाहे जून का महीना हो, चाहे सर्दी का महीना हो, उनके पैरों में जूतियां नहीं हैं। राजस्थान की सत्तर फीसदी आबादी, बीमार राजस्थान, बीमारी में जिनको दवा नहीं मिलती है, वह सिसक-सिसक कर मर रहे है, रोटी पचास प्रतिशत आबादी को नसीब नहीं होती है, यह कैपसूल खा लेंगे, इन अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती, डाक्टर पर्चियां लिखते हैं, केपसूल खाकर जिन्दा रहेंगे, यह कहते हैं कि राजस्थान की तरक्की कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, 60 फीसदी आबादी बच्चों की हमारी 6 से 11 साल की उम्र के बच्चे जिनको स्कूल में पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए-एक तरफ बड़े बड़े लोगों के बच्चे पब्लिक स्कूलों में जाते हैं। उनके लिए मेटाडोर ले जाती हैं। उनके घरों से बसें जाती हैं और 6 से 11 साल के 50 फीसदी बच्चें और करीब 26 लाख से ज्यादा बच्चों ने स्कूल के दर्शन तक नहीं किये हैं। यह तरक्की की बात करते हैं राजस्थान की ? माननीय सभा-

(श्री शोपत सिंह)

पति महोदय, 80 फीसदी आबादी के घरों में कोई रोशनी नहीं है। उनके घरों में कोई बिजली नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। कोई गांव में रोशनी नहीं है। शहरों में रात को मर्करी लाइटें लगी हुई हैं, श्मशानों में मर्करी लाइटें हैं और गांव अन्धेरों में पड़े हैं। है कोई ऐसा गांव हमारे राजस्थान में जिसमें स्ट्रीट लाइट नाम का कोई खम्बे बिजली के हैं? कहीं कहीं बिजली का बल्व लगा हुआ है। गांव की आबादी अन्धेरे में पड़ी है और तुम्हारे श्मशान भूमि पर मर्करी लाइटें लगी हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, 80 फीसदी आबादी मिट्टी का तेल कहां से लायेगी? आपने 2॥ रुपया बोतल कर दिया और वह भी अवेलेबल नहीं है। जब शाम को गरीब बैठता है अपने घर में रोटियां पकाने के लिए तभी वह रोशनी के दर्शन करता है और फिर राजस्थान के लिए कहते हैं हम बहुत आगे ले गए। कितना डुबोओगे हमारे राजस्थान को? कोई कसूर है क्या बाकी? डुबोना चाहते हैं आप।

माननीय सभापति महोदय, 55 फीसदी आबादी जिसमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हैं। 55 फीसदी आबादी मैं नहीं कह रहा हूं यह आंकड़े बता रहे हैं। राजस्थान की 55 फीसदी आबादी ऐसी है जिसको कोई न कोई गम्भीर बीमारी है चाहे वह टी बी. का मरीज हो, चाहे दमे का मरीज हो, चाहे कैंसर का हो या कोई हो—इस तरह 55 फीसदी आबादी बीमार है। यह है हमारे राजस्थान की तस्वीर और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि हम बिजली पर टैक्स लगाकर सारा का सारा वसूल करेंगे। मित्रों यह आपने पास कर दिया मगर जाओगे कहां आप? वसूली कौन करेगा पता लगेगा। यह सन् 85 है, यह सन् 77 नहीं है। इमरजेन्सी के दौरान भी यही रेट बढ़ाई थीं 78 में हम जेलों में थे उस समय हमारे यहां सिंचाई पर टैक्स बढ़ाया गया था, बिजली की रेट्स बढ़ाई गयी थीं। जोशी जी मुख्य मन्त्री थे। यह सन् 75 नहीं है, 76 नहीं है। यह 85 है। आना हम देखेंगे कौन-कौन वसूल करने के लिए जाता है और कैसे करते हैं ... ...

श्री जयकिशन तोसावड़ा : आप नहीं मिलेंगे?

श्री शोपत सिंह : नहीं, हम मिलेंगे। हम आपकी मेहरबानियों से जीत कर नहीं आये हैं। माननीय सभापति महोदय, हम आपसे मिलेंगे और बात करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आज की हालत क्या है। इनको मारुति का बहुत शौक है। यह रोटी नहीं दे सकते और कहते हैं मारुति कार ले लो। यह बिजली नहीं दे सकते, कुओं पर बिजली नहीं दे सकते मगर यह रेट बढ़ा देंगे। अभी इन्होंने माननीय सभापति महोदय रेट बढ़ाये हैं रोडवेज के मेरे गांव के पास एक टोडामाली गांव है। 7 मील का फासला है और पहले 1॥ रुपया किराया था और अब 2॥ रुपया है यह टिकट है और इसके ऊपर लिखा है 2॥ रुपया किराया। 7 मील के फासले के 2॥ रुपये

130

(श्री शोपत सिंह)

चार्ज करना चाहते हैं उस गरीब किसान से। यह मेरे पास सबूत है इस बात का। माननीय सभापति महोदय, यह बात बहुत उछल—उछल कर कह रहे थे बहुत कूद रहे थे मेरे पास एक नीलामी की सूचना है और नीलामी की सूचना कितने तारीख की है 25-4-85 से 27-4-85। यह नीलामी की सूचना किस इलाके की है। गंगानगर की नहीं, माननीय जोशी जी हैं उन्हीं के डिविजन की है। डूंगरपुर के लोगों की, आदिवासियों के लोगों के घरों को नीलाम करने के लिए, झोंपड़ों को नीलाम करने के लिए यह कुर्की के नोटिस निकाले हैं। अब कुर्की का नोटिस जायेगा बहुत अच्छा है। हमारे मन्त्री महोदय आ गये, यह आदिवासी इलाके के लोगों की कुर्कियां हैं। यह इलाका, डूंगरपुर का इलाका है।

एक माननीय सदस्य : मैं जानता हूं क्यों गुमराह कर रहे हैं।

श्री शोपत सिंह : मैं पढ़कर बता रहा हूं। XXX जरा देखिए इसको। मैं चैलेन्ज करता हूं। मेरे पास कापी है। इसको देखें जरा। आप चैलेंज कर रहे हैं मुझे। यह लीजिए आप पढ़िये इसको हिम्मत है तो, माननीय सभापति महोदय, मैं इतनी बात कह कर ही बन्द कर दूंगा अपनी बात को ..

एक माननीय सदस्य : बजट पर ही बोलें।

श्री शोपत सिंह : मैं बजट पर ही बोल रहा हूं जिनके ऊपर आप टैक्स लगाते हो। उनकी चमड़ी को निचोड़ना चाहते हो। उनकी हालत बता रहा हूं कि क्या हो रही है। आज राजस्थान गम्भीर अकाल से पीड़ित है। भयंकर अकाल है राजस्थान में। अभी तक वर्षा नहीं हुई। कब वर्षा होगी सारे के सारे किसान दहले हुए हैं, घबराये हुए हैं। अगर पांच, सात, दस दिन निकल गये तो क्या हालत होगी ? पता है। माननीय सभापति महोदय, ऐसी हालत में, अकालग्रस्त इलाकों में राज्य सरकार के आदेश हैं और पिछले सैशन के अन्दर चौधरी नाथूराम जी ने कमला जी से कहा था और हमारे इर्रीगेशन और अकाल मन्त्री से कहा कि शक्तावत साहब यह नीलामी तो बन्द कर दी जो हमारे गांवों में वसूलियां हो रही हैं। आपके आदेश हैं इसके बावजूद आपके सहकारिता विभाग के लोगों ने नीलामी के नोटिसेंज निकाले। नीलामी क्या करेंगे अब जरा देखिये—जीवा पिता लालू गांव गोल-आबदा 2 बैल, दांडे 100, जोतेड़े 4, केलू एक हजार। दूसरा पदमजी पिता गोकुल जी 1 बैल। हरीराम पिता मोगजी भैंस 1। पेमा पिता मगजी दांडे 100, जोतेड़े 2, वल्लियां 2, मोब 1 और केलू दो हजार और कैलड़ी एक। यह सारा का सारा उस आदिवासी के झोंपड़े का मैटेरियल है और आप नीलाम करना चाहते हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया बैठें।

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति महोदय, यह एक नहीं है, यह 2 नोटिस हैं नीलामी के और मैंने इनकी फोटोस्टेट कापी कराई है और यह देखें जो इसमें दिया गया है वह है नीलामी की तारीख । सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आंतरीलेम्प्स ने निम्नलिखित सदस्यों द्वारा उनके विरुद्ध बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराये जाने से राजस्थान सहकारी संस्थान अधिनियम, 1965 की धारा 118(सी) के अन्तर्गत इनके नामों के आगे कुर्की की गयी सम्पत्ति की नीलामी दिनांक 25-4-85 से 27-4-85 तक प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक स्थानलेम्प कार्यालय में की जायेगी। जिस किसी सज्जन को नीलामी में भाग लेना हो वह बोली में शामिल होकर बोली लगा सकेंगे । यह मेरे पास दो नोटिसेज हैं। नीलामी ही नहीं आदिवासी एरिया में जाइये, लोगों को मुर्गा बनाया जाता है, लोगों के कान पकड़ाये जाते हैं। यह आज आदिवासी एरिया में हो रहा है जहां यह समाजवाद और प्रगति की बात कर रहे हैं। आप डुबोने की तरफ ले जा रहे हैं। सारे के सारे लगे हैं कि राजस्थान को किस तरह से डुबोयें। मेहरबानी करके....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। काफी लम्बा हो गया ।

श्री शोपत सिंह : बस शार्ट में कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान के लोग इस तरह की बदतमीजियों को बरदाश्त नहीं करेंगे और वह चाहे मुख्य मन्त्री का बजट भाषण हो, हमने आजमाये हुए हैं इनके हाथ । जब गंगानगर के लोगों पर सन् 70 में इन्होंने इसी तरह के टैक्स लगाये थे तब हमने आजमाकर देखा इस सरकार को। सन् 70 के अन्दर सुखाड़िया की सरकार तो बहुत प्रभावी थी। लोगों में कुछ असर था लेकिन इनकी जड़ें तो नारों पर हैं। यह तो सारा लाटरी की माल है। कभी इन्दिरा जी बेचारी दुर्भाग्य से मर गयीं इनकी लाटरी खुल गयी कभी राजीव गांधी के नाम से आ जाते हैं, कभी महाराजा उदयपुर के नाम से आ जाते हैं। यह हमारे क्रांतिकारी हैं। यह माननीय सदस्य सारे के सारे अपने को क्रांतिकारी बताना चाहते हैं। कोई आदमी दाढ़ी रखकर और शकल भद्दी करके कि हम क्रांतिकारी हैं यह बात नहीं चलेगी ...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री शोपतसिंह : सभापति महोदय, मैंने यह बताया अभी। अगर इनको सोर्सेज चाहिये थे तो बहुत सोर्सेज पड़े हैं। आप एक लिस्ट बना लो और कोई काम मत करो। जयपुर की राजधानी में विदेशियों को छोड़ दो, जो लोग पांच सितारा होटलों में रहते हैं उनकी लिस्ट बनालो, वे सारे के सारे चोर हैं, वे सारे के सारे काले धन वाले हैं। उनकी लिस्ट बना लो। आप देख लें कि राजस्थान की इस राजधानी में कितने आदमी हैं जो दस लाख की कोठियों में रहते हैं उन पर टैक्स लगाइये। आप उन पर टैक्स लगाइये। आप उन पर नहीं लगायेंगे। आपके पास जमीनें पड़ी हुई हैं।

132

(श्री शोपतसिंह)

यहां अभी हमारे मिर्जा इस्माइल रोड पांच बत्ती से उरली तरफ जाय तो पिछली तरफ तो शहरों के बीच में गेहूं बोया हुआ है, फसल होती है, सब्जी होती है इन दी इन्टीरियर आफ दी सिटी। ऐसी जमीनों को जब्त कीजिये नीलाम कीजिये....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। बहुत समय हो गया।

श्री शोपत सिंह : तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक ही बात कहता हुआ यह जो मारुति कार है पता है कितने में बिक रही है। कीमत तो 55 या 50 हजार है, मार्केट में बिक रही है एक लाख की। आपका स्कूटर, यह बजाज के जो स्कूटर हैं, कीमत तो 7, 8, 9 हजार होगी, बाजार में 15 हजार। आपने कभी सोचा है, कभी आपने विचार किया है। आपने सेल्स टैक्स मारुति कार का कम कर दिया। मारुति कार पर जो सेल्स टैक्स था वह कम किया है क्योंकि यहां पर पड़ौसी राज्यों में कम है। इसलिये मारुति कार पर टैक्स नहीं लगा सकते। टी. वी. पर टैक्स नहीं लगा सकते, रेफ्रीजरेटर पर टैक्स नहीं लगा सकते....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री शोपत सिंह : तो फिर आप यह राजस्थान की जनता को कितना ही बड़ा भाषण दे दें कुछ कर दें, राजस्थान की जनता आपके इस टैक्स के खिलाफ चाहे पानी का हो, चाहे वह रोडवेज का टैक्स हो, चाहे बिजली का टैक्स हो, वह लड़ेगी और आपको मुंह तोड़ जवाब देगी।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री भोलाराम सैनी।

श्री भोलाराम सैनी (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने वर्ष 85-86 का बजट सदन में प्रस्तुत किया है यह आज के युग के अनुरूप राज्य विकास की गति को आगे बढ़ाने वाला अच्छा बजट है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी द्वारा अपने लम्बे समय के राजनैतिक अनुभव के आधार पर राज्य की माली हालत को ध्यान में रखते हुये जो बजट प्रस्तुत किया गया है। इसके लिये मैं मुख्य मन्त्री जी को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता क्योंकि मुख्य मन्त्री जी ने बजट प्रस्तावों में सदन को आश्वस्त किया है कि ...

श्री शोपतसिंह : इनका मुंह ऊपर कराओ देखें तो, दर्शन तो करें।

श्री सभापति : वे बोल रहे हैं।

श्री शोपत सिंह : वे पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति : क्या फर्क पड़ता है।

श्री शोपत सिंह : हम चाहते हैं शक्ल तो देखें इनकी।

श्री दाऊदयाल जोशी : पढ़ नहीं सकते ।

श्री भोलाराम सैनी :....सरकार का यह प्रयत्न रहेगा कि आर्थिक विकास में हम अधिक गतिशील हों, विकास का लाभ समाज के कमजोर वर्गों को समुचित रूप से मिले और राज्य के सभी क्षेत्र का संतुलित विकास ही मुख्य मन्त्री जी ने इनको सही अमली जामा पहनाने के लिए बजट में नीतियों को एक नया मोड़ देने के प्रयत्नों का भी उल्लेख किया है जो एक सराहनीय एवं महत्वपूर्ण बात है ।

मुख्य मन्त्री जी ने राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना में तीन हजार करोड़ रुपये....

श्री डूंगरराम पंवार : एक व्यवस्था का प्रश्न है । संदन के अन्दर कोई भी मैटर को पढ़ा नहीं जा सकता, बजट पर बोलें और उन बिन्दुओं पर आयें जिन पर बोलना है । पढ़ा नहीं जाता है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । बजट पर ही बोल रहे हैं वे ।

श्री भोलाराम सैनी : व्यय करने का उल्लेख किया है जिसमें से सिंचाई एवं मद में 1560 करोड़ और 47 हजार रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है । कृषि एवं इससे सम्बन्धित सेवाओं पर 397 करोड़ 83 लाख रुपये व्यय का प्रावधान रखा है ।

सभापति महोदय, मैं इन दो मोटे आइटमों का उल्लेख करके मुख्य मन्त्री जी को पुनः बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य में सिंचाई बिजली तथा कृषि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों में इतनी भारी राशि व्यय करने का प्रावधान रखकर वास्तव में ही राज्य के चहुंमुखी विकास एवं किसानों की सुख समृद्धि के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया है । यही नहीं सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान सातवी पंचवर्षीय योजना में देकर....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री भोलाराम सैनी :....640 करोड़ 6 लाख रुपयों का प्रावधान रखा है । अध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष 85-86 की ...

(4-27 म. प.)

(श्री गिरिराजप्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वार्षिक योजना का आकार 430 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है । जिसमें सिंचाई एवं विद्युत पर 242. 42 लाख रुपये तथा कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित सेवाओं के मद में 53 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा जाने से यह स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास करने का पूरा प्रयास मानस रखती है । मैं 85-86 के बजट में सहकारिता मद में केवल 6 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखे जाने ...

श्री उपाध्यक्ष : आसन की स्वीकृति से बोल सकते हैं ।

(134)

श्री भोलाराम सैनी : इससे यह स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास करने का पूरा प्रयास करती है। मैं 85-86 के बजट में सहकारिता मद में केवल 6 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा जाना पर्याप्त नहीं मानता क्योंकि राज्य में सहकारिता का जितना कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहिये, विस्तार होना चाहिये उतना पर्याप्त मात्रा में होना सम्भव नहीं लगता। क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र से अधिकतर लाभ किसानों मजदूरों अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों और साधनहीन लोगों एवं समाज के अन्य पिछड़े हुए लोगों को मिलता है जिनकी संख्या राज्य में कम नहीं है।

सिंचाई एवं विद्युत के सम्बन्ध में भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे इलाकों में जो पथरीले इलाके हैं या उबड़-खावड़ इलाके हैं जहां किसान सिंचाई के साधन जुटा नहीं पाते उन स्थानों में यदि सिंचाई की अधिक-सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और साथ-साथ बिजली भी उसी रफतार से उपलब्ध कराई जावे तो ऐसे इलाकों में रहने वाले किसान एवं ग्राम नागरिकों के जीवन स्तर में तो अवश्य ही सुधार-आयेगा साथ ही साथ राज्य के विकास में भी बढ़ोतरी होगी। इस सम्बन्ध में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रभावित होने का भी उल्लेख किये बिना नहीं रहूंगा जो कि एक पहाड़ी इलाका है और इस इलाके में सिंचाई के साधन जिनमें छोटे-छोटे बांधों का निर्माण भी किया जावे और किसानों को बिजली भी दी जावे तथा पिछड़ा एवं पहाड़ी इलाका मानकर उपलब्ध कराई जाये तो मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र का विकास भी सम्भव हो सकता है और वहां के किसान व नागरिक भी खुशहाल हो सकते हैं तथा इस क्षेत्र के विकास का लाभ राज्य को भी मिलना स्वाभाविक है।

अतः उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम पर इस वर्ष 14 करोड़ 5 लाख रुपये के व्यय करने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में भी मेरा आपसे निवेदन है कि यानि आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ऐसे चिकित्सालयों की तरफ सरकार अधिक ध्यान दे। जहां पर जिस तरह के डाक्टरों की सख्त जरूरत है वहां वैसे डाक्टर शीघ्र भेजे जायें और जहां जिस प्रकार की मशीनों की आवश्यकता हो वे भी शीघ्र उपलब्ध करवायी जाये और जिन अस्पतालों में मशीनरी उपलब्ध है परन्तु वर्षों से खराब पड़ी है। उन मशीनों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र या तो ठीक कराई जाये या उनके स्थान पर आधुनिकतम अन्य मशीनें उपलब्ध कराई जावे।

इस सम्बन्ध में अपने क्षेत्र के रेफरल अस्पताल उदयपुर वाटी में बेकार पड़ी हुई मशीनों की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अस्पताल में खराब पड़ी मशीनों को तुरन्त बदला जावे ताकि मरीजों को समुचित लाभ मिल सके।

(श्री भोलाराम सैनी)

मैं इन्हीं शब्दों के साथ मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट के सम्बन्ध में उनको पुनः बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वाला प्रसाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, तीन नाम आपने ले लिये.... ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक तो एबसेन्ट था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : दो एबसेन्ट थे।

श्री उपाध्यक्ष : दो सही।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब आप मेरी बात सुन लें पहले जब यह प्रश्न आया और माननीय शिवचरण सिंह बोलने के लिये खड़े हुए तो उनको, चेयरमेन साहब थे, उन्होंने बताया कि ये बोल लें तब आपका नम्बर आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : समझ में गलती हुई, माफ कीजिये। 10 मिनिट प्लीज।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (झालरापाटन) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने सदन के समक्ष जो बजट भाषण प्रस्तुत किया, उससे राजस्थान सरकार राजस्थान के विकास के लिये क्या कार्य करता चाहती है, और किस प्रकार की योजनायें राजस्थान सरकार इस राजस्थान की तरक्की के लिये अपने हाथ में लेना चाहती है, इस ओर इशारा किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की जो विषम परिस्थितियां हमारे देश के अन्दर हैं, उन विषम परिस्थितियों की ओर भी हमारा ध्यान देना आवश्यक है। आज हमारे राष्ट्र के सामने, हमारे देश के समक्ष अपने अस्तित्व का प्रश्न बना हुआ है। देश के अन्दर और देश के बाहर बहुत सारे तत्व और बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जो हमारे इस देश के विकास को पीछे धकेलना चाहती हैं। आजादी के बाद जो कुछ हमने प्राप्त किया, उसको समाप्त करना चाहती हैं। हमारे देश के टुकड़े कर हमारे देश की एकता को, हमारे देश की अखण्डता को इस प्रकार की शक्तियां समाप्त करना चाहती हैं। हमारा राजस्थान जो प्रान्त है उसके सामने भी अनेक जटिलतायें और समस्यायें हैं। राजस्थान, इसका बहुत बड़ा भू-भाग रेत के टीलों से ढका हुआ है, रेगिस्तान की समस्या है, सूखे की समस्या है और अनेक प्रकार से अकाल की समस्याओं से ग्रस्त है और भी तरह तरह की समस्यायें राजस्थान की अपनी हैं। इन सब बातों को देखते हुए मैं सोचता हूं जिन परिस्थितियों के अन्दर हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत किया, एक बहुत ही सन्तुलित और अच्छा बजट कहा जाना चाहिये।

दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई भी अच्छी बात सरकार करें, कोई भी अच्छी

(136)

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

काम सरकार करे लेकिन हमारा विपक्ष उस बात को हमेशा नकारता रहा है। हमेशा हमारे सोचने का और हमारा जो आचरण है वह यही रह गया कि हम बिल्कुल किसी भी अच्छे काम की तारीफ नहीं कर सकते हैं। विपक्ष का यह अर्थ नहीं है कि सरकार कोई अच्छा काम करे तो अच्छे काम की तारीफ करने से उनकी कोई बदनामी नहीं होती, उनका कोई अपमान नहीं होता लेकिन लगता है और इस विधान सभा के स्थान को भी हमारा विपक्ष इसी तरह से लेकर चलता है कि जैसे हर काम जो सरकार करती है, उसकी आलोचना करना ही हमारी विपक्ष एक मात्र अपना उद्देश्य बनाता है।

मैं यह नहीं कहता कि विपक्ष की बात को नहीं सुना जाय और विपक्ष के सुझावों पर ध्यान नहीं दिया जाय, विपक्ष की बातों पर गौर नहीं किया जाय। हमें और सरकार में बैठने वाले लोगों को जो विपक्ष की ओर से अच्छे सुझाव आते हैं, उनका आदर करना चाहिये। उनको देखकर प्रेक्टिकल किस प्रकार से हम उन सुझावों को लागू कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिये लेकिन ज्यादातर हमारे विपक्ष के नेता सुझाव कम देते हैं और आलोचना करना ही एक मात्र उन्होंने अपना उद्देश्य बना लिया है। इस प्रकार की परम्परा हमारे इस सदन के लिये मैं सोचता हूं उचित नहीं है। हमें हमारे राजस्थान को विकास की ओर ले जाना है, विकास की मंजिलों को हमें तय करना है इसलिये यह आवश्यक है कि हमारे सोचने का दृष्टिकोण है, जो हमारी विचार धारा है, उसको हम इस परिपेक्ष में लें कि जितने भी हम जन प्रतिनिधि जनता से यहां चुनकर आये हैं, उस जनता के लिये जिम्मेदार है, उसके प्रति उत्तरदायी है। उस जनता के लिए जिम्मेदार हैं, उसके प्रति उत्तरदायी हैं जिन्होंने हमें यहां चुनकर यहां भेजा है। अगर हम आपसी छींटाकशी के अन्दर एक दूसरे को आरोप और प्रत्यारोप लगाकर और केवल आलोचना मात्र करके अपने उत्तरदायित्व को समाप्त होना समझ लेते हैं तो हम सही अर्थों में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं सोचता हूं अपनी भावनाओं को लेकर के किस प्रकार से हम इस पक्ष में और दूसरे पक्ष में बैठने वाले लोग मिलकर राजस्थान को कैसे आगे बढ़ायें, राजस्थान के विकास को किस प्रकार से गति दें इन बातों की तरफ सोचेंगे और सोचकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। माननीय, हमारे राजस्थान की जो स्थिति है दूसरे प्रान्तों से बिल्कुल भिन्न है और उन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखकर हमारा जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है एक बहुत अच्छा बजट कहा जाना चाहिए। सबसे बड़ी जो राजस्थान के अन्दर इस बजट की विशेषता है कि इस बजट का जो प्रारूप तय किया गया है उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि के लिए, सिंचाई और विद्युत को दी गयी है। हमारा सेवंथ प्लान का प्रावधान है वह 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसमें 52.02 प्रति-

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

शत सिंचाई और विद्युत पर खर्च करने का हमारा प्रावधान है। 21.34 प्रतिशत सामाजिक और सामुदायिक विकास योजनाओं पर हमारी सरकार खर्च करना चाहती है।

विद्युत का जहां तक सम्बन्ध है 1067 मैगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का सातवीं योजना के अन्दर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो सिंचाई की योजनाऐं पांचवी, सातवीं प्लान के अन्दर लेने का निर्णय किया गया है उससे 4.38 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में हम अतिरिक्त सिंचाई साधन सुविधा उपलब्ध कर सकेंगे। जैसा बजट के अन्दर बताया गया है। 1500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का और 1000 से 15000 के बीच के गांवों को 50 प्रतिशत जनसंख्या, 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ने की व्यवस्था इस बजट भाषण के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने दर्शायी है। मरूस्थल के अन्दर विशेष परिस्थितियों को देखते हुए 1000 से और 500 की आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ने के लिए इस सातवीं योजना के अन्दर सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है। शिक्षा चिकित्सा आदि के सम्बन्ध में भी एक विस्तृत ब्यौरा हमारे इस बजट भाषण के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। जहां तक 1985-86 के वर्ष का सम्बन्ध है 430 करोड़ रुपये की योजना इस वर्ष के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस सदन के समक्ष की गयी है उसमें सिंचाई और विद्युत के लिए 242.43 करोड़ रुपये का प्रावधान इस वर्ष के लिए किया गया है और उसमें जो विशेष बात खुशी की है वह यह है कि जो हमारी विद्युत क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाने के लिए 123 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। माननीय, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम आज यह स्थिति देखते हैं कि हमारे विद्युत कनैक्शन्स के लिए हर जगह अभाव और अभियोग मिलते हैं लेकिन विद्युत कनैक्शन उसी समय हम प्रदान कर सकेंगे। इस व्यवस्था को तभी लोगों को उपलब्ध करा सकेंगे जब हम विद्युत उत्पादन की बढ़ोतरी करें और विद्युत उत्पादन के प्रति अधिक से अधिक साधन जुटायें। यह बिल्कुल एक तथ्य है कि 1977 के अन्दर जब हमारे विरोध की सरकार थी तो इस विद्युत विभाग में एक बहुत बड़ी धांधली और अनियमितता इसलिए की गयी कि जनता का समर्थन प्राप्त करना था, झूंठी वाहवाही लूटने का निर्णय हमारी उस समय की सरकार ने लिया। जितनी भी पेंडिग एप्लीकेशन्स थीं जितनी भी विद्युत कनैक्शन के लिए दरख्वास्तें थीं उनको यह दिखाने के लिए कि हमारी सरकार आपको विद्युत उपलब्ध कराना चाहती है और उन्होंने इस तरह से विद्युत कनैक्शन के आदेश जारी कर दिये। विद्युत कनैक्शन तो जारी हो गये लेकिन उसके बाद जो व्यवस्था देखने को मिलती है, आज तक भी जिसके कारण जनता दु:खी है। गांवों के किसान आज जिस बात से सबसे ज्यादा दु:खी हैं वह स्थिति यह है कि

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

आज हम कितने समय उन लोगों को बिजली उपलब्ध करा पा रहे हैं। आपने 1977 में पावर जैनरेशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि आज हमारी यह सारी जो विद्युत की अव्यवस्था है वह हमारे सामने है। यह खुशी की बात है कि हमारी कांग्रेस की यह सरकार जनता के प्रति संवेदनशील होकर इस विद्युत समस्या को सही अर्थों में दूर करने के लिए पावर जैनरेशन के ऊपर अधिक ध्यान दे रही है और अधिक सुविधायें जनता को इस माध्यम से देना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैं अन्त में हमारे झालावाड़ की स्थिति के ऊपर थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। माननीय, हमारा जिला राजस्थान का आखिरी जिला है और राजस्थान का आखिरी जिला होने के कारण हमारी चाहे प्रांत की सरकार रही हो, चाहे केन्द्र की सरकार रही हो बहुत कम ध्यान हमारे जिले के विकास की ओर सरकार का गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारे झालावाड़ जिले के अन्दर पानी का प्रचुर भण्डार है। हमारा सारा पानी बरसात के अन्दर बह कर नदियों में बह कर व्यर्थ चला जाता है इस पानी को रोका जाय। छोटे--छोटे एनिकट्स बनाये जायें छोटे–छोटे बांध बनाये जायें तो मैं सोचता हूं कि हमारे झालावाड़ की जो धरती है उसकी उर्वरा शक्ति, उसकी उत्पादन क्षमता राजस्थान के किसी भी जिले से कम नहीं है ' अकेला हमारा जिला अगर आप हमें पानी उपलब्ध करा देंगे विद्युत की अगर हमें सुविधा उपलब्ध हो जाती हैं तो सारे राजस्थान का पेट भरने के लिए हमारे यहां की धरती सक्षम है। मैं इस ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे इस पिछड़े जिले के लिए प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई के साधन उपलब्ध करने के लिए जो हमारी नदियां बेकार बह कर चली जाती हैं उनके लिए छोटे--छोटे एनिकट्स बनाये जायें, उनका पानी रोका जाय जिससे वहां की जो पेयजल समस्या है, वहां की जो सिंचाई की समस्या है, लिफ्ट इर्रीगेशन के माध्यम से हमारे यहां काफी इस प्रकार के सोर्स हैं जिससे हम सिंचाई क्षमता बढ़ा सकते हैं लेकिन हमारी ओर ध्यान नहीं होने की वजह से यह सारी समस्यायें आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। माननीय, जहां तक पेयजल समस्या का सम्बन्ध है पेयजल समस्या हमारे यहां भी उसी तरह से विकट है जिस तरह से दूसरे इलाके के अन्दर है। हमारे यहां पर जो पानी का स्रोत हैं गांव के अन्दर वह अधिकतर कुओं के माध्यम से हमें पानी उपलब्ध होता है लेकिन दिसम्बर और जनवरी के बाद तक उन कुओं का पानी बिल्कुल नीचे चला जाता है और गर्मी के समय में बिल्कुल ही सूख जाता है। उस स्थिति के अन्दर हमारे गांवों की यह स्थिति है कि रात को 3-3 4-4 बजे उठ कर हमारे गांवों की महिलायें

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

पानी के लिए कुओं पर लाइन लगाती हैं अनेक बार ऐसे एक्सीडेंट भी हुए हैं कि इन कुंओं के अन्दर गिर कर कई लोगों की मृत्यु हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : इस तरह से मैं यह चाहूंगा कि हमारे यहां जो पानी के स्रोत हैं उन स्रोतों को अधिक विकसित करने के लिए और पेयजल समस्या जो इस प्रकार की बनी हुई है उसकी तरफ भी हमारी सरकार ध्यान दे।

रोड्स के मामले में भी मैं थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे जिले की जितनी रोड्स हैं उनको अगर कोई जाकर देखे तो ऐसा लगे कि यहां कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जीर्ण शीर्ण हालत है हमारे रोड्स की। उनका जीर्णोद्धार किया जाना आवश्यक है। इस ओर भी हमारी संवेदनशील सरकार ध्यान देगी और हमारे पिछड़े जिलों को आगे आने का मौका ज्यादा प्राप्त होगा, यही मैं उम्मीद करता हूं।

बीस सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध मे मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। हमारा यह कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के जरिये हम देश के अन्दर गरीबी दूर करना चाहते हैं, निर्धनता दूर करना चाहते हैं और देश के विकास की बात सोचते हैं। लेकिन जिन अधिकारियों के जिम्मे हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वह अधिकारी इस कार्यक्रम को सफल बनायेंगे। यह बात हमें ध्यान देने की है। इसके अन्दर हमारे लोन पास हो जाते हैं, परिवारों का चयन हो जाता है, हमारे बैंक्स हमारे मार्ग में रोड़ा बन जाते हैं। चयनित होने के बाद भी वर्षों से प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं, उनको लोन नहीं दिया जाता, सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। जिनको लोन और सुविधायें दे दी जाती हैं उनको हमारे यहां के इस प्रकार के लोगबाग हैं, सरपंच हैं, असरदार वाले लोग हैं, उन गरीबों को चद्दरें दी जाती हैं, चद्दरें सरपंच के घर पहुंच जाती हैं। बकरियां दी जाती हैं, बकरियां सरपंच के घर पहुंच जाती हैं। यह सारा दुरुपयोग हमारे इस बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के अन्दर है। उसमें अधिकारियों की पकड़ नहीं है। उनका इस प्रकार का कोई रोल नहीं है जिससे इन अनियमितताओं को दूर किया जावे। इस ओर भी सरकार ध्यान देगी।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि बजट के अन्दर जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो भी टैक्स लगाए गए हैं जो भी कार्य सरकार करना चाहती है, उन कार्यों को जिन अधिकारियों के जिम्मे सौंपा जाता है क्रियान्विति के लिए उन पर कड़ी नजर रखी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : उन लोगों पर अंकुश रखा जावे। जो अच्छे काम करते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जावे, उनको पुरस्कार दिया जावे। जो काम में बाधक बनते हैं, काम में शिथिलता दिखाते हैं, काम करने में लापरवाही बरतते हैं उन लोगों को दंडित किया जावे, उनको सजा दी जावे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो मुख्य मन्त्री जी ने हमारे सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और यह उम्मीद करके चलता हूं कि राजस्थान का जो विकास है वह तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, सदन की अनुमति से सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय बढ़ा दिया जावे ?

(स्वीकृत)

एक घण्टे के लिए सदन का समय बढ़ाया जाता है।

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरण सिंह जी।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, 985-86 के ...

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, वह पांच बजे के लिए आसन से व्यवस्था आई थी कि मानसिंह जी के मामले में, मानसिंह जी का हत्या कांड हुआ था उसके बारे में सरकार जवाब देगी। तो पांच बजने वाले हैं, जरा जवाब दिलवा दें।

(व्यवधान)

पांच बजने वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह आश्वासन मिला था कि पांच बजे पहले सरकार जवाब देगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणसिंह जी।

श्री नाथूसिंह : आसन से व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद पड़ता है यह जवाब के लिए नहीं था। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि कोई गलत कार्यवाही नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आज जवाब देने की बात थी।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब का नहीं था। यह आश्वासन दिया था कि कोई गलत काम नहीं होगा। जो काम होगा ठीक काम होगा।

श्री नाथूसिंह : ऐसा नहीं था। आप उलझ रहे हैं। पांच बजे पहले आज ही सदन में जवाब दिया जायेगा यह था।

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं था। जवाब का नहीं था जहां तक मुझे याद है।

श्री नाथूसिंह : नहीं नहीं, यह था कि पांच बजे जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब का नहीं था। माननीय विपक्ष के नेता बैठे हुए थे, जवाब का नहीं था। यह था कि कोई गलत काम नहीं किया जायेगा। दोनों बैठे हुए थे। शान्त रहें।

श्री शिवचरण सिंह (करोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी द्वारा समर्पित बजट भाषण 85-86 के पृष्ठ 1 पर हैं --

"बगैर समय खोये हुए लोकसभा के चुनावों को निश्चित अवधि में कराने की घोषणा की गई। देश ने नये युवा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी में अपना विश्वास व्यक्त किया और इतना बड़ा बहुमत कांग्रेस दल को दिया जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला था।'

इसको पढ़ कर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। गत विधान सभा के गत चुनाव हुए थे, उस समय भी मैंने प्रधान मन्त्री को सुना था और वहां उन्होंने यह कहा था कि केंद्र और प्रान्तों के अन्दर एक ही दल की अगर सरकार होगी तो प्रान्तों का विकास होगा और सुचारू रूप से सरकार चलेगी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उस पक्ष के सदस्यों ने गाडगिल फार्मूले को कोसा, एट्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को कोसा और पांच केन्द्र में जो राजस्थान के बने हुए मंत्री बैठे हैं उनको शायद कोसा होगा मन में। XXX इन सारे हालातों के अन्दर जब इस सारे बजट को पढ़ा गया और यह देखा गया कि हमको जो छः हजार करोड़ प्लान में हमारी राजस्थान सरकार ने जो मांग की थी उसकी जगह मात्र तीन हजार करोड़ रु. मिले हैं, तो मुझे अफसोस हुआ कि कांग्रेस ये जो लोग हैं ये केवल पिछलग्गू हैं। इनकी दिल्ली में कुछ चलती नहीं है। दिल्ली में चलती नहीं है। अगर दिल्ली में आपकी चलती होती तो छः हजार करोड़ रुपयों का प्लान आता आपका डिटो। आपको अफसोस करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार की तरफ से राजस्थान में केन्द्रीय जो एक्सपेंडीचर है उसका क्या परसेंटेज है, आपको मालूम होना चाहिए। आपका रिप्रजण्टेशन-पांच पांच केबिनेट में मिनिस्टर है वहां। आपके प्रान्त के लोगों ने पच्चीस ही एम पी. आपको जिता कर दिए और बड़ी भूल से कुछ लोग आप जीत कर आ गए। इसका प्रायश्चित कर लो वरना आगे भुगतना पड़ेगा। अब सोर्सेज मोबीलाईजेशन का जहां तक प्रश्न है, क्योंकि उनको केन्द्र से जब कुछ नहीं मिला तो मिला कौन इनको ? राजस्थान की तीन

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(142)

(श्री शिवचरण सिंह)

करोड़ जनता। राजीव गांधी पर जब बस नहीं चला, फाइनेंस कमीशन में जब आए चव्हाण साहब, उन पर बस नहीं चला, गाड़गिल साहब जो कांग्रेस के थे उन पर जब बस नहीं चला, इनके लोक सभा के जो मेम्बर हैं वे फेल्योर। पार्लियामेंट में इनकी कुछ लोबी नहीं बना सके, वहां प्लानिंग कमीशन से कुछ दिला नहीं सके तो इनका बस चला राजस्थान की तीन करोड़ जनता पर और उन पर इन्होंने जिस प्रकार से टैक्स लगाये हैं यह इस बजट भाषण से आपको स्पष्ट है। आप मेरी मजाक तो उड़ा लो लेकिन आप अपने मनों पर हाथ रख कर शाम को जब XXX सोचोगे तब याद आयेगा कि क्या होता है।

(व्यवधान)

समझ लेना कि आपको आज रात को X X X और कैसे प्रायश्चित करना पड़ेगा, यह बता देना चाहता हूं। अगर चाहते जोशी जी....

(व्यवधान)

श्री बिहारीलाल पारीक : आपने भी किया था क्या पहले ?

श्री शिवचरण सिंह : XXX मैंने तो सब कुछ किया है XXX तभी तो छोड़ कर आया हूं।

(व्यवधान)

इन भ्रष्टाचारी XXX के साथ रहे कौन ? अभी भांडा फोड़ता हूं सुने जाओ। अगर यह चाहते तो हमारी राजस्थान की सरकार के अन्दर इतने संसाधन उपलब्ध हैं कि एक हजार करोड़ तो क्या यहां पर पांच हजार करोड़ पैदा कर सकते थे, लेकिन करे कौन ? अगर ये चाहते, इनको माइनिंग की जो लीकेज है उनको बन्द करना चाहिए था। इनको रोडवेज के अन्दर जो लीकेज है या आर पी. डी. टी. के लीकेज जो प्राइवेट सेक्टर के अन्दर हैं उनको बन्द करना चाहिए था। इन्होंने लैंड बिल्डिंग टैक्स जो लगाया, लैंड बिल्डिंग टैक्स लगने के बाद उसको वापिस लिया। उसको सारे राजस्थान के ऊपर लगाना चाहिए था। उदयपुर जैसे बड़े बड़े शहरों को इन्होंने वायदा करके छोड़ा। इनको और जो रिफार्म जिनसे, हमारे संसाधन राजस्थान में उपलब्ध हो सकते थे वह पकड़ने चाहिए थे। आप अन्दाजा कीजिए, आपके जितने उपक्रम हैं उनकी स्थिति क्या है। आर. एस. एम. एम. को लीजिए। आपके आर. एस. एम. एम. का 83-84 में जो उत्पादन था, टनेज की बात कर रहा हूं माननीय मन्त्री जी, इन्होंने 173 रुपया प्रति टन की कीमत बढ़ा दी। 16 परसेन्ट इनका उत्पादन कम हो गया। आर. एस. एम. डी. सी. की बात करूं। यही नहीं आर. एस. एम. एम. के अन्दर प्रोडक्शन कम हुआ, खर्चे ज्यादा बढ़ गए। 16 परसेन्ट का खर्चा बढ़ गया।

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवचरण सिंह)

वहां एमीनिटिज के नाम पर मजदूरों को कुछ दिया नहीं गया। आर. एस. एम. एम. के अन्दर झामर कोटडा के अन्दर जहां खदान चलती है, वहां पांच कुए हैं पीने के पानी के मजदूरों के लिए और उसकी यह रिपोर्ट आ चुकी कि ये मजदूरों के पीने के लायक नहीं हैं। वहां पीने का पानी मजदूरों को उपलब्ध नहीं करा सके। वहां पर बीड्स की, दो हजार बीड्स की चोरी हुई उसको पकड़ नहीं सके। इनको सारा मालूम है। वहां इन्होंने भटनागर जैसे वाइट एलीफेंट जो रिटायर होकर गए, जोशी जो वहां पर लेबर आफिसर मौजूद है, एक भटनागर जो हमारे शिवचरण जी माथुर के चहेते पुराने उनको फिर छोड़ा है। 16 आदमी वहां पर ऐसे हैं जो पार्ट टाइम ओनरेरियम लेते हैं और सारी संस्था को खा गए।

(5.00 म.प.)

अब आप कथा सुनिये, आर. एस. एम. डी. सी. पर आइये आप। आर. एस. एम. डी. सी. में आपके कोटपूतली में लाइम स्टोन है। गोटन के अन्दर, डूंगला के अन्दर जालौर के अन्दर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चौकड़ी, छापोली इन सारी जगहों पर ग्रेफाइट की और सोप स्टोन की खानें ले रखी हैं। सारी आर. एस. एम डी. सी. की खानें एक ही आदमी ने सबलेट कर रखी हैं। आपका प्रोविजन है. सैंट्रल एक्ट में प्रोविजन है कि सबलेट नहीं कर सकते। लेकिन क्यों, सबलेट किसलिये करते हैं? प्रोविडेंट फण्ड की चोरी हो रही है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है लेकिन सैन्ट्रल गवर्नमेंट की आप कैसे चोरी करा रहे हैं, बता रहा हूं आपको यह राज्य सरकार सैन्ट्रल गवर्नमेंट की किस प्रकार चोरी कराती है। प्रोविडेंट फण्ड एक्ट का वायोलेशन, बोनस एक्ट का वायोलेशन है, मिनिमम वेजेज एक्ट का वायोलेशन है, माइन्स फैक्ट्री एक्ट का वायोलेशन है। सबलेट करने के पश्चात् जब कोई पूछता है तो क्या कहते हैं? कहते हैं, रेजिंग कांट्रेक्ट होता है। आप समझते हैं रेजिंग कांट्रेक्ट क्या चीज है? रेजिंग कांट्रेक्ट होता है सैन्ट्रल एक्ट के अन्तर्गत। सैन्ट्रल लेबर कमिश्नर जो गुजरात और राजस्थान का अजमेर में है, कोई फर्म जो रेजिंग कांट्रेक्ट लेती है वह उनसे कहती है रेजिंग कांट्रेक्ट लेना चाहते हैं, 500-500 रुपये प्री पेड जमा होते हैं, जमा होने के बाद उसे परमिशन मिलती है रेजिंग कांट्रेक्टर की। लेकिन सारी आर. एस. एम. डी सी. को सबलेट कर रखा है। यह आपके राजस्थान की एक संस्था है, आपका उपक्रम है उसकी बात बता रहा हूं। राजस्थान में आम आदमी तो क्या करता होगा लेकिन राजस्थान की सरकारें जो खुद इस प्रकार कानून का उल्लंघन कराये उस प्रान्त का क्या होगा।

देश और राज्य के सम्बन्ध की बात बता रहा हूं। आपको क्यों नहीं मिला प्लान का रुपया? जो प्लान देते हैं वे सब जानते हैं। राजीव जी को पता लग गया कि ये जो स्टेट केबिनेट के लोग हैं सारे सैन्ट्रल लाज का वायोलेशन करा रहे हैं इसलिये इनको को-आपरेशन नहीं मिलना चाहिये। इसलिये आपका प्लान कट हुआ

(144)

(श्री शिवचरण सिंह)

है। आप इनकम टैक्स की चोरी कराते हैं सवलेटिंग करने के पश्चात्।

मेरे इलाके की बात बताता हूं। मेरा इलाका मिनरल्स में रिचेस्ट इलाका है। जुझारसिंह जी जिस समय खनिज मन्त्री थे उस जमाने में मैं कांग्रेस में था। हम लोगों के दवाव के कारण उन्होंने 15 किलोमीटर का सीलिंग किया था। 400-400 किलोमीटर की लीज थीं। आप सीलिंग लगाइये, कौन रोकता। गरीब किसानों पर लैण्ड सीलिंग है। ले लीजिये कैसे भी। बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य की 250 किलोमीटर की लीज है 250 किलोमीटर की लीज है वाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य की। ये बताता हूं, यह कुलक और राजा महाराजाओं की संस्था कौन है। 15 किलोमीटर की सीलिंग है। एन. ए सी आर. के अन्दर आपने अमेंडमेंट किया। क्या आपने लागू किया ? आपने लागू क्यों नहीं किया ? एन. ए सी आर. के अन्दर प्रोविजन है कि सिक्स श्री रो के बाद नहीं देंगे। किसको दिया ? किरोड़ीलाल वीरेन्द्र पाल। किसकी फर्म ? बनवारीलाल जी एक्स. एम. एल. की। दिये किसने ? प्रद्युम्न सिंह जी ने। दिया किसने ? प्रद्युम्न सिंह जी ने। आपने रिजर्व किया लाइम स्टोन के लिये गोटन। किसको दिया ? राजेन्द्र नार्जेशन कम्पनी। गोटन दिया जो आपके जी. एस. आई में रिजर्व किया हुआ है, सीमेंट प्लांट के लिये रिजर्व किया हुआ है। भाई कैसे दिया होगा ? ज्यादा नहीं कोई 50 लाख की रिश्वत ईश्वत, छोटी-मोटी, कोई बड़ी बात नहीं है।

और सुनिये आप। आज तो पोल ही खोलने लगे हैं। अब आइये आप, यह विनिमय की किसकी फर्म है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यक्तिगत पर आप नहीं जाइये, नीतिगत बात कहिये।

श्री शिवचरण सिंह : व्यक्तिगत नहीं, यह तो वजट से सम्बन्धित है, पैसे का लेना देना है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, अभी जिन व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं उनके बारे में क्या आपको कोई स्पेसिफिक लिखकर दिया है। जो सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं .

(व्यवधान)

नियमों में प्रावधान के अन्तर्गत....

एक माननीय सदस्य : यह तो चोरी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों में यह व्यवस्था है....

श्री दाऊदयाल जोशी : पोल खोलना नियमों के विपरीत नहीं है। चोरी तो चोरी है।

एक माननीय सदस्य : ऐसा जान पड़ता है माननीय सदस्य का उसमें शेयर है।

(एक माननीय सदस्य)

आप उसमें शेयर होल्डर हैं इसलिये आपको रास नहीं आती यह बात।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाने से पहले आपको लिखित में अध्यक्ष को देना पड़ेगा। नियमानुसार देना पड़ेगा। पहले लिखकर दीजिये। एक रोज पहले लिखकर आपको नोटिस देना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : नीतिगत बात है ..

श्री नाथूसिंह : 15 किलोमीटर की सीलिंग है, ढाई सौ किलोमीटर की लीज कोई सरकार नहीं दे सकती है।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : ये मालिक नहीं हैं राजस्थान के। मेरा कोई आरोप नहीं है। अगर मैं असत्य कहता हूं तो माननीय सदस्य स्पष्टीकरण दे देंगे। राज चलाने वाले स्पष्टीकरण दे दें मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों से चलिये।

श्री शिवचरण सिंह : नियमों के अन्तर्गत जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पहले लिखकर दीजिये, दूसरों को मौका मिले। एक रोज पहले लिखकर दीजिये।

श्री शिवचरण सिंह : मैं सब्जेक्ट बदल रहा हूं।

(व्यवधान)

अभी तो ठहरो, मैं 6 घंटे तक बोलूंगा। 6 घन्टे से कम नहीं बोलूंगा। सारा भंडाफोड करूंगा एक एक डिपार्टमेंट का।

माननीय उपाध्यक्ष जी, रोडवेज को ले लें। हमारे राजस्थान के अन्दर मात्र 30 पर्सेन्ट रूट्स का नेशनलाइजेशन हुआ है। 1 नेशनलाइजेशन हुआ है 30 पर्सेन्ट का। 70 पर्सेन्ट प्राइवेट रूट्स चल रहे हैं। नेशनलाइजेशन सबसे कम हुआ है उदयपुर के अन्दर इरादतन। पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा, उदयपुर में सबसे कम। क्योंकि वहां ट्रांसपोर्टर्स की लाबी सारे कांग्रेसियों को देखती रहती है। आजकल गौर से देखती होगी। आप अंदाज कीजिये, रोडवेज को टैक्स के रूप में आर. टी. डी. सी. का मिलता है 21 करोड़ रुपया 70 पर्सेन्ट प्राइवेट रूट्स की जो बसेज हैं उनसे मिलता है साढ़े छः करोड़ रुपया। कौन खा गया ? आर. टी. डी. सी. का एडजस्ट करने वाला खा गया या कि सरकार खा गई ?

और अन्दाज कीजिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की जब सरकार थी तब हम एक प्रोग्राम बना कर देकर

(146)

(श्री शिवचरण सिंह)

आये थे कि हमारे देश के अन्दर बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति और ट्रांसपोर्ट एक्ट के अनुसार प्रान्त के अन्दर एक प्लान होना चाहिये कि आने वाले 20-25-30 साल के अन्दर किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट की हमें आवश्यकता होगी और उसकी क्या हमारी योजना होनी चाहिये। उसमें यह भी एक था कि प्राइवेट रूट्स पर जो स्कोप वाली पाबन्दी लगी हुई हैं उसको हटा दिया जाय। हम इस बात का निर्णय लेना चाह रहे थे। प्राइवेट रूट्स से स्कोप हटा दिया।

आज राजस्थान में कहीं जाइये, बस, ट्रांसपोर्ट की क्या दशा है ? मेरे खयाल से डबल डेकर, ट्रिवल डेकर कुछ और बना दें तो भी कम है। कहीं राजस्थान की रोडवेज में, जाइये, प्राइवेट रूट्स पर सारी जगह रिश्वत और भ्रष्टाचार के दबाव में आकर परमिट इश्यू नहीं हो रहे हैं। उस जमाने में यह था, मॉडल कंडीशन लगाओ परमिट की छूट दे दो। करोड़ों रुपये की आय सरकार को होगी, मॉडल कंडीशन लगाओ। 85 मॉडल की गाड़ी लगाओ। जहां जिस रूट पर जितनी गाड़ियों की जरूरत है वहां परमिट दे दीजिये। लेकिन क्यों ? इस कांग्रेस में लाबी बैठी है ट्रांसपोर्टर्स की। एक रूट पर 40-40 साल से एक ही गाड़ी चल रही है। ऊपर से नीचे तक लूटमार है। कम से कम 20 करोड़ रुपये साल की आमद इनकी हो सकती है इन चीजों से।

और मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। रेवेन्यू का आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा, रेवेन्यू की आमद कितनी है और खर्चा कितना है। भाई आपका खर्चा ज्यादा है और आमद कम है तो माफ ही कर दो ना गरीबों को। हमने 5-7 बीघा का माफ किया, आप 15-20 बीघा का कर दो। आपके पटवारी और पैराफैनियर जो रेवेन्यू के हैं उनका खर्चा दुगुना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फारेस्ट का खर्चा 30 करोड़ का है। सारे तो जंगलों का सत्यानाश कर दिया और आमद कितनी ? 9 करोड़ की। व्हाइट एलीफेंट्स चल रहे हैं। कहीं किसी किस्म की एजेंसी, कहीं किसी किस्म की एजेंसी।

फिर मैं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी मिनरल्स के स्थान पर लाता हूं। करोड़ों की सम्पत्ति इन्होंने कैसे लुटायी है। एक फर्म है–राकेश एण्ड कम्पनी खेतड़ी की। इसको इन्होंने खान की लीज दी है 24 9.81 को प्रीतमपुरा के अन्दर एक फारेस्ट एस्टेट है उसके अन्दर दी है किसी मन्त्री महोदय ने। फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट की पाबन्दी है कि बिना गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन कोई नान फारेस्ट एरिया यूज के लिये दिया जा सकता है। लेकिन कैसे दिया ? एक मामला नहीं है। नम्बर–दो, गोपीलाल शर्मा, श्री माधोपुर। मोदी मिनरल्स वैरायटीज। हरिकिशन मित्तल। हरिओम मिनरल्स, नीम का थाना। लक मिनरेज। यह एक इंगलिश फर्म है जिसके पार्लियामेंट के मैम्बर साहब मालिक हैं। उनको यह लीज 83

(श्री शिवचरण सिंह)

के अन्दर दी। कैसे यह राज बचेगा और कैसे केन्द्रीय सरकार बचेगी। जब लोक सभा के सदस्य और विधान सभा के सदस्य सारे कानून तुड़वायेंगे और राज का दुरुपयोग करेंगे, उस राज को संसाधन मिलने वाले नहीं हैं, यह रहने वाले नहीं हैं। यह हजार करोड़ के नहीं दस हजार करोड़ के संसाधन कर रहे हैं। यह सारे संसाधन भ्रष्टाचार के रास्ते से बहकर जायेंगे।

वहां पर तीन व्यक्ति हैं महेशचन्द, घनश्याम और जगदीश उनमें से डी एस. आई. रिजर्व एरिया है, माईनिंग लीज गवर्नमेंट दे नहीं सकती और जी. एस. आई. का नोटिफिकेशन होता है रिजर्व एरिया करना है और नोटिफिकेशन होता है डी-रिजर्व करना है। लेकिन उनको फिर कहना चाहता हूं कि उनके बेटे की तो कैंसिल हो गई, माननीय एम एल. ए. साहब के बेटे की तो कैंसिल हो गई और तीसरे ले गये बाहर के, लेकिन ले कैसे गये इस फैसले का इनको पता नहीं था, यह करेंगे कोशिश वहां भी, यह तो हालत राज की हो रही है। अभी तो और बहुत हैं मेरे पास, आप अन्दाज करिए इस हालत के अन्दर तीन फर्म कम्पनी हैं, फेयर लीडर हैं एक तो स्टाक एण्ड कम्पनी। एक भूपेन्द्र कंसर्न सबसे बड़ा, इन कम्पनी में टॉप कौन? किस किस के गैस प्लांण्ट में कैसे-कैसे क्यां-क्यां लगा यह फिर बताऊंगा आपको उस कमरे में, श्री हेमचन्द गर्ग, इनके लीज कहीं नहीं हैं, 6-6, 8-8, 10-10 किलोमीटर के अन्दर फारेस्ट रिजर्व एरिया के अन्दर धड़ाधड़ चोरी करते चले जायेंगे। मेरे माईनिंग इलाके के अन्दर मैं बताना चाहता हूं एक भी माइनिंग लीज ऐसी नहीं है। मैं पिछले पांच साल से राजस्थान सरकार को लिखता चला आ रहा हूं कि राजस्थान की गवर्नमेंट सेंट्रल के कानून कायदों को वायलेट करती रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके चेम्बर में लाकर पांच साल की कॉरस्पोंडेंस बताऊंगा करोड़ों रुपये की चोरी कराई, करोड़ों रुपए के इन्कम टैक्स की चोरी करा रहे हैं, राजस्थान की गवर्नमेंट इन्कम टैक्स की चोरी कर रही है वड़े प्लाण्ड वे में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एक माइनिंग सेक्रेट्री ये मि. ढौंडियाल। उन्होंने यह बात कही कि अगर सबलेटिंग का रूल्स में प्रावधान नहीं है तो क्या हो रहा है साहब, उत्पादन तो बढ़ रहा है। भई, तुम सरकार के सेक्रेटरी हो या किसी बनिया के मुनीम, यह कानून कायदे की सरकार है या दादागिरी की सरकार है। यह नमूना इस सरकार का है। इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि टैक्स तो लगाते चले आ रहे हैं दिन दूने रात चौगुने कोई आपत्ति नहीं। टैक्स लगाइए, हमारे राजस्थान के अन्दर यह टैक्स लगाना चाहते हैं और ईमानदारी से इसका उपयोग करना चाहते हैं तो उसका स्वागत करूंगा लेकिन राज के कस्टोडियन हैं या मालिक हैं ये टेम्परेरी लोग। ये अगर राजस्थान को दिवालिया करके चले गये तो आने वाली औलादें हमें और आपको

(148)

(श्री शिवचरण सिंह)

कोसेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इनका किसी डिपार्टमेंट पर अंकुश नहीं, किसी डिपार्टमेंट पर इनका चैक नहीं है।

आप कल की ही बात ले लीजिए आबकारी में बिल्कुल नई पालिसी निकाली दुकानें नीलाम करेंगे। 4.70 करोड़ की ड्यूज जयपुर में कैसे बनी ? चुनाव का फण्ड किसने लिया 5 करोड़ का ? एक एक दूकान आई. एम. एफ. एल. की देशी शराब की ऐसी होती है कि कोई दुकान उठे, कोई न उठे इसमें तो सारे एम.एल.एज. को पता है 35 के 80 देकर आ रहे हैं। वैसे कानपुर वाले ले आते होंगे। यह चक्कर है, इसकी कीमत का पता नहीं है। लेकिन आप अन्दाजा करें, उपाध्यक्ष महोदय, एक्साइज के अन्दर मेरा अनुभव है, कांग्रेस के जमाने में डिप्टी कमिश्नर एक्साइज भी रहा। मेरी उसमें पालिसी है कि एक एक दुकान की बोली करवाते तो इनको बीस करोड़ की आय होती। मैं मेरे जिले में ऑक्शन में गया वहां एडिशनल कमिश्नर थे मि. मनोहरसिंह, हमने उसको दबदबे से कहा कि करो ऑक्शन गजट नोटिफिकेशन में जैसा हुआ है वैसा करना पड़ेगा, कानून का राज है, नहीं तो मार देंगे। तो डर के मारे एक एक दुकान का ऑक्शन किया गया और चार गुना वहां बोली आई। अगर राजस्थान भर में इस तरह का ऑक्शन होता तो 20 करोड़ रुपये ज्यादा आते, लेकिन चन्दा फण्ड में कौन देता। खातिर कैसे होती। इन सारी चीजों को आपको रोकना पड़ेगा। उसकी आपको रक्षा करनी पड़ेगी, यह सारी चीजें आपको रोकनी पड़ेंगी। आप कितना ही टैक्स लगाइए हम खुश हैं, आपने जो बजट दिया है उससे हम खुश हैं, और टैक्स लगाओ। हम यह तो मान ही गये कि समाजवादी तो आप हैं नहीं। प्रतिक्रियावादी लोग हो लूटो, खाओ, पीओ, मस्त रहो, चल जायेगा सो चल जायेगा लेकिन राजस्थान की जो पब्लिक है उसके हितों की आपको रक्षा करनी पड़ेगी। आप चाहे जितना सुधार-वादी कदम उठालो हम को कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आप किसी विभाग को ले लें उन सारे विभागों के अन्दर आप सहकारिता को ले लीजिए, सहकारिता में हमारे करोड़ों रुपए डूबत खाते में हैं। आप स्वयं भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य हैं, आप मन पर हाथ रख कर देखिए आपका धर्म यह है, मुंह से मत बोलिए, कितना भ्रष्टाचार है, कितना अनाचार है किसने मना किया उनकी कुर्की मत करो, वसूली मत करो।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं आपकी मदद करूंगा, मेरा और आपका एक ही जिला है लेकिन आप कहीं शिव ओम कर देना यह कैंटीन में भ्रष्टाचार की चर्चा, यहां चाय और काफी किसी ने पीनी शुरू की और वह बिगड़ा और वह गया गंगाजी,

(श्री शिवचरण सिंह)

समझ लेना बात मेरी। तो अपने जिले के अन्दर मेरे जिले के अन्दर बताता हूं मेरे जिले के अन्दर आप की सरकार ने जांच करवाई आप ही की सरकार ने टैक्स लगवाया जिन लोगों के खिलाफ गबन के केसेज चले उनके खिलाफ चालान क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं चालान करते हो XXX किसने रोका आपको, आप करिए चालान। लेकिन चालान करेंगे कैसे कोई XXX करो कैसे, अगर हिम्मत है तो करिए हमारे लोग होंगे तो भुगतेंगे सजा मिलनी चाहिए उनको लेकिन आप में भी हिम्मत होनी चाहिए आप कानून के रखवाले हैं, मालिक नहीं है आपको रखवाले की तरह काम करना चाहिए यह आपका और हमारा कर्त्तव्य है, क्यों कह रहा हूं आपको कि आपने और मैंने और इन सबने कसमें खाई, आप तो कसमें भूल गये हो, मदांध हो गये हो, हमें तो अभी याद है।

एक माननीय सदस्य : लेकिन आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार की जड़ें पनपाई है उसको मिटाने के लिए हम आये हैं।

श्री शिवचरण सिंह : बहुत अच्छी बात है हम आपका स्वागत करते हैं हम में कुछ ऐब हों, बुरे काम किए हों अगर उसको आप नहीं मिटाओ और हम खराब काम करने वालों को सजा नहीं दिलाओ तो आपसे कोई कमजोर नहीं होगा। वह तो हैं ही। वह तो कमला बहन बैठी हैं इसलिए मैंने छेड़ दिया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय उपक्रम जितने भी हैं चाहे वह टोंक की टैनेरीज हो, चाहे डीडवाना के सोडियम सल्फेट को ले लीजिए, बीकानेर का वूल उपक्रम ले लीजिए, यहां का उद्योग निगम ले लीजिए, आप अन्दाजा कीजिए कितना घोटाला होगा। उनके जो अध्यक्ष हैं, माननीय सदस्य जो हैं यहां बैठे होते तो मैं कहता, माननीय भारद्वाज साहब जिसके अध्यक्ष हैं एग्रो इण्डस्ट्रीज के। अब आप अन्दाजा कीजिए मुर्दों को जैसे XXX गंगाजली देते हैं, अब यह एग्रो इण्डस्ट्रीज मर रही है, करोड़ों का घोटाला है, अब क्या दे दिया इंपोरटेड चीनी लो और ब्लैक करो। जयपुर शहर में ट्राली में लाद कर चीनी बिक रही है। आप उनसे पूछिए एग्रो इण्डस्ट्रीज का यह काम है क्या? एग्रो की पुलिंग तो हो सकती है चीनी लेकिन डीलर वीलर सारा सिस्टम बना कर एग्रो में ले आये और, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कितनी ब्लैक में दे रहे हैं। आज वह हैं नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, या अगर अकेले में वे मिलेंगे और ईमानदारी से बात करेंगे, हिस्सा उनका नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा कि कहां बिक रही है। यह आज की स्थिति है, किसी भी उपक्रम को लीजिए आप, और हमारे लाखों रुपये एम डी. के बजट के अलग, उनका बजट आप देख नहीं सकते। एक एक एम.डी. और चैयरमैन के

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

150

(श्री शिवचरण सिंह)

10-10 हजार रुपये के टेलीफोन का बजट है। मैं कम ही बता रहा हूं राजस्थान में आपने टैक्स कितना ही लगाया मैं उसका स्वागत करता हूं। आपने माइनिंग टैक्स लगाया, लगाना चाहिए। मेजर मिनरल्स पर रॉयल्टी रिवाइज नहीं होती, लगाना चाहिए आप सीलिंग लगाइये, छोटी जोतों में आप भेदभाव करिए, छोटे किसानों को और आप ज्यादा से ज्यादा सजा दीजिए। आपने बीमे की योजना बनाई उसका प्रीमियम किसान नहीं देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। आपने पशुओं की जो बीमा योजना बनाई आपको प्रेक्टिकल आस्पेक्ट उसके देखने चाहिए। यह जो आपके लोनिंग के अन्दर जानवर खरीदे गये उनका बीमा हो। मेडिकल आफीसर है उसका पैसा ले लीजिए, उसकी कीमत से दुगुना वह वेटरनरी का डाक्टर ले लेता है। क्या स्थिति है आज की। इस सारी स्थिति के रहते हुए भी आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो मैं तो आपकी नीयत पर निश्चित रूप से शक करूंगा। यह हो नहीं सकता कि मैं शक नहीं करूं और हाउस के लोग शक नहीं करें। सत्ता पक्ष में भी रहने वाले लोग हैं, उनका अधिकार है, वह राज चलाएं, चलाना चाहिए उनको, लेकिन उपाध्यक्ष जी, आपने देखा होगा डवलपमेंट के अन्दर खेती संतुलन है। आपके इलाके के अन्दर गुड़गांव कैनाल, आपके इलाके के अन्दर जमना कैनाल का सर्वे हो गया 11 करोड़ खर्च होने के बाद उसका नामों निशान रह गया? हरियाणा पानी नहीं देगा आज हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आज हमको उन्होंने कहा कि हम पावर हाउस लगायेंगे पावर हाउस की जरूरत ही नहीं थी। अगर राजस्थान सरकार विजिलेंट होती, अगर उनको ज्ञान होता कि हमारे बोर्डर के अन्दर 150 का चम्बल फाल है।

चम्बल का नेचुरल फॉल, डेढ़ सौ फीट का फाल गरूं घाट पर है मंत्री जी लिख लें इसको-करौली के पास नेचुरल फाल, सवोदरा के अन्दर नेचुरल फाल लेकिन उपयोग कौन करें। आप अन्दाज करेंगे मुझे एक दिन मंत्री जी ने कहा, हां, साहब हमने कर लिया। क्या कर लिया ? मध्य प्रदेश में होकर, जाकर सर्वे की हमने परमिशन ले ली है 20 साल की, 20 साल में मध्य प्रदेश होकर, जाकर के सर्वे ले ली है-, मैंने कहा भले आदमी मूव करके आया हूं, पुल का काम शुरू हो गया, अब तो सर्वे सीधा ही हो जायेगा। पता नहीं इनका चल रहा है गाडा। प्रशासनिक अधिकारी जैसा बहका देते हैं वैसे ही बहक जाते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम मोबिलाइज करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को कितना भारी धोखा देते हैं। वह इर्रीगेशन मंत्री हैं और इन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया बिसलपुर ड्रिंकिंग वाटर योजना के अन्तर्गत यह योजना बिसलपुर की फॉर्थ प्लान की योजना है और यह योजना फिर बन्द होगी। फार्थ प्लान में जो योजना थी, मैं भी मंत्रीमंडल

(श्री. शिवचरण सिंह)

में था सुखाड़िया जी के समय। यह स्कीम इसलिए ड्राप की गयी कि इस नदी के अन्दर बनास की जो एक्टीविटिज थी वह भीलवाड़ा, चित्तौड़ से निकलती है। और अगर इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाता तो भीलवाड़ा चित्तौड़ के अन्दर जो भारी बान्ध है, मैजा। बी. सी. रेशो नहीं उस प्रोजेक्ट का सिचाई की उपलब्धिता नहीं, सारे रिकार्ड फर्जी हैं। उदयपुर चित्तौड़ के अन्दर जो बांध बना है उनके बी सी रेशों की सारे आफिसर ने जो रिपोर्ट दी है वह गलत है। आज उनका एग्जामिनेशन कराइये। वह अगर नहीं बनता या बिसलपुर बन जाता क्योंकि भीलवाड़ा चित्तौड़ के बन्धे तो अभी बनने हैं तो बिसलपुर कैसे बनने देंगे। ये अगर चतुर आदमी हैं तो कभी नहीं बनने देंगे यह बता देना चाहता हूं। यह धोखा है। बिसलपुर की यह जो सवाई माधोपुर, टोंक और 3-4 जिलों के लोगों को नसीराबाद, जयपुर के पानी के लिए कह रहे हैं न तो तुमको पानी मिलने वाला है, न ही सिंचाई की कोई सुविधा मिलने वाली है। यह बिसलपुर का नाम पिछले 15 सालों से चल रहा है। मैंने यही बात उस जमाने में कही थी। प्रोजेक्ट है बनास नदी पर, नेचुरल वाटर है बड़ा भारी जबर्दस्त इसका लाभ है हमको, लेकिन फार्थ प्लान में ड्रोप हुआ। ड्राप इसलिए हुआ कि अगर यह बन्धा बन जाता तो जो चित्तोड़ और भीलवाड़ा है वहां बन्धा कैसे बनता। भई, चित्तौड़, भीलवाड़ा की तो लाबी तगड़ी है। ये लोग तो फिर होशियार हो जायेंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं इस बजट-भाषण के अन्दर जितनी भी बातें दी गयी है, इसमें बहुत कुछ कमी है। मेरे इलाके के अन्दर बिडियो प्रोजेक्ट पांचणा का पिछले पांच साल से इस हाउस के अन्दर चर्चा चली, वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस पर करोड़ों रुपये खर्च हो गये और बन्धा बन गया, नहर का निशान नहीं, उसका पानी निकलता जा रहा है, कोई पता नहीं है। 21-22 करोड़ का खर्चा हो गया उसका कोई पता नहीं, उसका कब उपयोग होगा, कब नहीं होगा यह आज की स्थिति है। पूर्वी राजस्थान को बुरी तरह से इग्नोर किया गया। हमारे जो पूर्वी राजस्थान के लोग हैं उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी की हमारी उपलब्धी है। आज हमारा जितना पानी है उसमें से लगभग 12-13 पर्सेन्ट का ही उपयोग है। बाकी सारा वेस्ट जा रहा है। पार्वती प्रोजेक्ट बना, जितने प्रोजेक्ट हमारे एरिया के अन्दर है, इरीगेशन मिनिस्टर यहां पर मौजूद नहीं है। अगर वे सर्वे करायें तो बी. सी. रेशों का हाइयेस्ट पर्सेन्टेज पायेंगे, क्योंकि प्रायोरटिज तय होनी चाहिये। जिन लोगों की स्कीम से यह सारा पॉलिटिकलाइज करके, जहां कहीं इसमें बी.सी. रेशों नहीं होंगे कोई लाभ नहीं होगा उन स्कीम को लेंगे या पॉलिटिकल आधार पर माइनर इरीगेशन का जो पैसा है या एचीवमेंट के आधार पर लेंगे और उनकी करवाने के लिए, क्योंकि आज तो यह सिद्ध हो गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इरीगेशन के अन्दर

(श्री शिवचरण सिंह)

पी. डब्ल्यू डी के अन्दर टॉक की पोस्टों पर ये सेनेटरी इन्स्पेक्टर, इस सर्विस को मैं ल्यूक्रेटिव सर्विस डिफाइन करता हूं। इसमें तेल की तरह निकलता है। ट्रांसफरों की भीड़ सी रहती है। एक-एक एम. एल. ए. के 4-4, 6-6 ट्रांसफर किये। यह जो सारा हमारा टैक्स है, यह टैक्स तो छः महीने के बाद खत्म हो जाना है। इतने ट्रांसफर करेंगे हम। अभी बैन लग गया फिर खुलने वाला है। कम से कम 5 करोड़ रुपये ट्रांसफर के टी. ए. पर खर्च हो जायेंगे। इतनी भारी लिस्ट निकलती चली जा रही है कि आप पूछिये नहीं। यह तंत्र कैसे चलेगा।

(व्यवधान)

बिल्कुल नहीं किया है। कटौती करना चाहते हैं। ठीक आप कहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह उन्होंने जो टैक्स लगाया खास तौर से बिजली पर मैं इसका घोर विरोध करता हूं। इससे छोटे कल कारखाने क्योंकि राजस्थान जो इंडस्ट्रियल बैक-वर्ड स्टेट है। हमारे यहां पर पिछली बार जो सत्र हुआ था, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि हम सारे राजस्थान के पूरे जिलों को बैकवर्ड घोषित करने के लिए कहा। इनके कुल प्लान में एक रुपया भी नहीं कटा है। इन सारे जिलों को बैकवर्ड घोषित करने के लिए रिकमण्ड की, इसमें मात्र दो जिले लिए गये। मना कर दिया नहीं, नहीं, तुम जो लिखोगे वह नहीं माना जायेगा, नहीं कहा। सारे जिलों ने जो रिकमण्ड की, यह घोषणा की कि सारे जिलों को बैकवर्ड घोषित किया जायेगा लेकिन नहीं हुआ। हमारे राजस्थान के अन्दर इण्डस्ट्रियल स्ट्रक्चर बनता नहीं है। हमारा कम्पीटिशन है हरियाणा से, दिल्ली से है। हमारा कम्पिटिशन है मध्य प्रदेश से। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भारी रिप्रेजेन्टेशन होने के पश्चात भी केन्द्र सरकार की तरफ से जो भारी खर्चा किया जाता है उनके उपक्रमों पर या उनके कारखानों में उसका मात्र 2. पर्सेन्ट हमारे हिस्से में आया है। मध्यप्रदेश के अन्दर 22 पर्सेंट, यू.पी. के अन्दर 17 पर्सेंट और हमारे लिए 2 पर्सेन्ट मिला है। 5 बड़े-बड़े केबिनेट के दिग्गज, बूटा सिंह, सारे लोग, जाखड़ साहब अध्यक्ष महोदय, मन्त्री, नटवर लाल, सारे लोग यहां मौजूद हैं लेकिन एक की नहीं चलती वहां। 25 के 25 पब्लिक ने इस लालच में जैसे मदारी डुगडुगी बजा कर ठग लेता है। पब्लिक ठगी गयी। भई, राजस्थान का विकास होगा, देवों 25 सीटों को वोट, दे दिया और पब्लिक समझ गयी विधानसभा में और आने वाले समय में क्या गुजरेगा इसका आप तखमीना कर लें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद दूंगा। मैंने कुछ बातें कहीं आपमें से कुछ घमड़-सपड़ में इन्टरेस्टेड हों वे हमारी पार्टी के लिए कौन ज्यादा खा रहे हैं, कौन कम खा रहा है,

(श्री शिवचरण सिंह)

मेरे पास आ जावें, मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

श्री मूलचन्द मीणा : एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं किसी मीटिंग की वजह से, विशेष मीटिंग थी इसलिए मैं चला गया था समय पर नहीं आ सका इसलिए मुझे बोलने का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अभी चर्चा हो रही है। बाद में। श्री भंवर लाल शर्मा, विभाजन संख्या-99 श्री भंवरलाल (सरदारशहर)

(अनुपस्थित)

नहीं हैं। श्री मोतीलाल, सवाई माधोपुर।

श्री मोती लाल मीणा (सवाई माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी का बजट भाषण सुना और पढ़ा। सन् 1984 का जो वर्ष जिस स्थिति में देश में आया, देश की अखंडता को चुनौती दी गयी परन्तु धीरजता और गम्भीरता के साथ में राजीव गांधी ने सहनशक्ति से देश की जनता को सम्भाला। जनता ने विश्वास और गम्भीरता, हिम्मत को देखकर कांग्रेस को भारी बहुमत दिलाया राजीव गांधी के भाषणों अनुसार अब तक भ्रष्टाचार देश के अंदर मिट जाना चाहिये था परन्तु कार्य उल्टा हो रहा है। मैं जिला सवाई माधोपुर के पांच सब इंस्पेक्टर के विषय में आपको बता रहा हूं जो भ्रष्ट हैं। श्री बलवंत सिंह टौंक, सी. आई., सवाई माधोपुर, कोतवाली में कार्यरत है। वे सन् 60 से आज तक, दो साल तक रहे फिर चले गये, आते रहे। इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों का बार बार ट्रांसफर कर देना, फिर 10 दिन बाद निरस्त कर देना, इससे हमारे राजीव गांधी की जो घोषणा थी वह विपरीत सिद्ध हुई है। बजट के अनुसार किसानों का इस बजट में ध्यान नहीं रखा गया। बिजली की रेट में बढ़ोतरी की गयी जबकि सारे देश की अर्थ व्यवस्था खेती पर निर्धारित है। खेत में बरसात बरसती है, पहाड़ों से होकर पानी नीचे नदी, नालों में बहकर चला जाता है। सरकार ने जिले सवाई माधोपुर में सिंचाई के मामले में हमेशा एक भेद भाव की नीति अपनायी है। एक तरफ चम्बल नदी बहती है, एक तरफ बनास नदी बहती है। उन्होंने कभी भी लिफ्ट इर्रीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया। बोंली तहसील में सिंचाई का बांध है जो जोठील बांध के नाम से पुकारा जाता है जिससे 50% गांवों की सिंचाई होती है उसमें मिट्टी भर चुकी है। हर साल एक पानी उस बांध से मिल पाता है और पानी खत्म हो जाता है। झगड़े हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जिला सवाई माधोपुर में वाणी तहसील में जो बांध है उसकी ऊंचाई बढ़ायी जाय और जो रासायनिक खाद है, यूरिया खाद है जिनकी कीमतें अनाज के मूल्यों को देखते हुए आकाश छू चुकी है और बिजली की जो बढ़ोत्तरी हुयी है यह किसान की कमर तोड़ने वाली बातें हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में बाधक होगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह

(154)

(श्री मोतीलाल मीणा)

प्रार्थना करूंगा कि किसानों की खुशहाली को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों की कीमतों में कमी हो, बिजली की कीमतों में कमी करें । बिजली की रेट बढ़ायी है उसको कम करिये ।

डी.आर.डी.–जिला डिस्ट्रिक्ट रूरल डवलपमेंट आॅथोरीटी के थ्रू छोटे काश्तकारों को जो सहायता दी जाती है उससे जो गाड़ी या बैलगाड़ी के लिए गाय बकरी के लिए भैंस के लिए लोन दिया जाता है। सन् 1980-81 से 85 तक की लिस्ट मैंने देखी है । पंचायत समिति धोली खण्डार के गांवों में एक हजार काश्तकार ऐसे हैं जिनको लॉन पास हुआ है । बैलगाड़ी का बैल नहीं दे रहे हैं । गाड़ी कारीगर के यहां बन रही है । बीच में दलाल, प्रधान, सरपंच बन गये हैं । काश्तकार के हस्ताक्षर हुए हैं लेकिन न तो उनको बैल दिये गये हैं और न ही पैसा दिया है । उसका सबूत मेरे पास है । जिसका प्रश्न भी दिया था उसका जवाब आया है उससे मैं संतुष्ट हूं । भ्रष्टाचार परन्तु बढ़ रहा है । बजट जो पेश किया है वही रहेगा । मेरा निवेदन यह है कि हर सदस्य की स्वयं की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोका जाय । चाहे वह विरोधी दल का हो या सत्ताधारी दल का हो ।

शिक्षा का विषय–जिला सवाई माधोपुर का डिग्री कॉलेज है वह बहुत पुराना है पिछली जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसमें एक पैसा भी डिग्री कॉलेज सवाईमाधोपुर पर खर्च नहीं किया गया है । जबकि वहां पर तीन हायर सैकण्डरी स्कूल हैं । इसलिए वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट कालेज होना बहुत जरूरी है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस डिग्री कॉलेज की ओर दिलाना चाहता हूं कि इसके लिए आप प्रावधान करें ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें ।

एक माननीय सदस्य : ठीक बोल रहे हैं ।

श्री मोतीलाल मीणा : राजस्थान के राजस्व विभाग में धारा 91 के केसेज के अन्दर पटवारी और तहसीलदार मिलकर के गांव के सरपंच जो अधिकतर सत्ताधारी पार्टी से संबंधित हैं एक बिस्वा या आधा बिस्वा जमीन को खेत के सहारे मेड के सहारे जोत देता है तो उस पर 10 गुनी और 50 गुनी पेनल्टी लगा देते हैं । और केस पांच साल तक चलता रहता है । नियमों के अनुसार वह तीन साल में होनी चाहिए काश्तकार और गरीब हो रहा है । और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है । मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा चारों ओर राजस्थान में हो रहा है परन्तु विशेषकर राजस्थान के सवाई माधोपुर में 500 कैसेज ऐसे हैं जिनमें तीन चार साल से केस चल रहे हैं ।

सहकारिता विभाग—जब एम. डी. को-आपरेटिव सवाईमाधोपुर ने आज से 8 महीने पहले 10 व्यक्तियों का, बेरोजगारों

(श्री मोतीलाल मीणा)

का वहां पर सलेक्शन किया और 8 व्यक्तियों को तो पैसे लेकर के वहां पर नियुक्तियां दी गयी परन्तु दो बेरोजगार युवक हैं जिनको 10-10 हजार रुपये तय किये थे, पांच हजार दे चुके हैं और पांच हजार नहीं देने के कारण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोतीलाल मीणा : निर्दलीय को ज्यादा समय देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : निर्दलीय का समय समाप्त हो गया है। आप आगे चल रहे हैं।

श्री मोतीलाल मीणा : जब बाढ़ आयी थी 1981 में उस बाढ़ के कारण आदमी और पशु एक घाट थे जिसके कारण उनकी जमीन खराब हो गयी, कुओं में मिट्टी भर गयी, फसल खराब हो गयी थी, उन लोगों को अनुदान देना था। ग्राम पंचायत बलसावदा पंचायत समिति बूणी जिन काश्तकारों के नाम चयनित परिवारों में हैं सन् 81 की बाढ़ के तहत आज तक लोन नहीं दिया गया है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार है उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द मीणा। समय 10 मिनट लें। आप एब्सेंट थे दुबारा समय दिया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, साहब, पांच मिनट।

श्री मूलचन्द मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में जो बजट रखा है उसके संबंध में कुछ बोलना चाहता हूं, उसका समर्थन करने के लिए। देश के अन्दर राजस्थान दो दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसके पिछड़ा होने के दो कारण हैं एक तो ऐतिहासिक कारण है और दूसरा भौतिक कारण। ऐतिहासिक कारण है कि इस देश की आजादी के पहले राजस्थान के अन्दर कुछ राजा महाराजाओं और जमींदारों का राज था उन लोगों ने कभी जन समस्याओं के प्रति यह नहीं सोचा कि उनका समाधान हो, उनका भी विकास हो। अपना राज चलाने के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं सोची। जब देश आजाद हुआ राजस्थान के अन्दर प्रजातंत्र लागू हुआ कांग्रेस ने सत्ता सम्भाली तब से इस प्रांत के अन्दर गरीब आदमी के विकास के लिए कांग्रेस ने कार्य किया लेकिन भूतपूर्व राजा महाराजाओं ने इस प्रांत को, प्रांत के गरीब तबके के विकास को रोकने के लिए, अपनी एक राजनैतिक पार्टी राजा महाराजाओं ने बनायी। जिसने कांग्रेस की जो विकास की गति थी, प्रगति की जो नीति थी उसका विरोध किया।

आज पिछले सालों के अन्दर इस देश के अन्दर बिजली और पानी की कमी के कारण देश में हो रहा विकास। छठी पंचवर्षीय योजना की

(श्री मूलचन्द मीणा)

जो विकास की धारा थी वह रुक गयी। एकदम विकास की गति को धक्का लगा उसको हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में उस धारा को प्रभावी बनाने के लिए इस बजट को रखा है। साथ ही मैं इस समय इस बजट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कुछ विशेष कामों के बारे में बताना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने बिजली की कमी होने के कारण, फिर भी एक साहसिक कार्यक्रम यह किया कि बिजली में जो कर लगाये हैं वह संसाधन जुटाने के लिये लगाये हैं यह राजनैतिक उद्देश्य से नहीं है। इस राजस्थान के भले के लिये, राजस्थान के संसाधन पैदा करने के लिये कर लगाये हैं जिसकी अभी हमारे विरोधी भाई बार बार आलोचना करते हैं लेकिन यह अपने हृदय के अन्दर देखें कि यह आलोचना सही करते हैं या झूठी ? बिजली कर एक शुल्क होता है न कि कर होता है। इसलिये बिजली बोर्ड जो कर लगाता है वह शुल्क के रूप में प्राप्त करता है। बिजली की क्षति होती है इसलिये बिजली की कमी हमारे प्रान्त के अन्दर है क्योंकि इस प्रान्त के अन्दर बिजली भी दूसरे प्रान्त से प्राप्त की जाती है। साथ ही बिजली के लिये हमारे मुख्य मंत्री जी ने हरिजनों के लिये, हरिजन बस्तियों के लिये, गांवों के लिये, और ग्रामीण किसानों के लिये कुओं के लिये बिजली के जो कनेक्शन देने की बात इस बजट में कही है वह बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य मंत्री जी इस बात के लिय धन्यवाद के पात्र भी हैं। दूसरी बात शिक्षा की लेते हैं तो शिक्षा के लिये जो मुख्य मंत्री जी ने किया इस बजट में जो दिया उससे राजस्थान में जितने भी स्कूल खोले गये थे लेकिन वहां पर न तो भवन की व्यवस्था थी, भवन के लिये एक रोड की जो व्यवस्था की है उसी तरह से शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक जो स्तर है उस स्तर पर छात्रों के लिये बैठने के लिए व्यवस्था होगी। साथ ही शिक्षा में उन्होंने जो अध्यापकों की भर्ती, चाहे वह कॉलेज स्तर का हो चाहे माध्यमिक स्तर का हो, जो अध्यापकों की नियुक्ति की बात कही हैवह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा में जो अध्यापकों की कमी प्रान्त के अन्दर चल रही है उस कमी को दूर करने के लिये यह बात इस बजट में रखी जिसके लिये भी मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही सिंचाई के लिये मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के अन्दर जो 77 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिये रखी, सिंचाई के लिये अनुमान लगाया है, यह बात सही है कि राजस्थान के अन्दर इन्दिरा गांधी नहर हो चाहे माही परियोजना हो, चाहे नाचना योजना हो, करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि नाचना की योजना काफी दिन से चल रही है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज नाचना की जो परियोजना है उसके काफी हद तक कार्यान्वित होने से काफी हद तक प्रोब्लम सोल्व हुई है और जल्दी कार्यान्वित होने में देरी नहीं होगी। साथ ही इस प्रान्त में जो सिंचाई के लिये मुख्य मंत्री जी ने अपनी योजनाओं के आधुनिकीकरण करने के लिये जो कार्यक्रम रखे हैं वे भी इस राजस्थान में जो भी असिंचित भूमि है उसको सिंचित करने के लिये महत्वपूर्ण हैं। साथ ही दूसरे,

(श्री मूलचन्द मीणा)

मुख्य मंत्री जी ने 20 सूत्री कार्यक्रमों के बारे में कहा पिछड़े को पहले और ऐसे कमजोर वर्ग के लोगों को ऊंचा उठाने के लिये जो 20 सूत्री कार्यक्रम है। जिसका इस 20 सूत्री कार्यक्रम में राजस्थान का, इस देश के अन्दर, गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि पहला स्थान था।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर गरीबों को छप्पर देने, गरीबों को साधन पैदा करने, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है तो इस 20 सूत्री कार्यक्रम का हमारे विरोधी लोग इस बात का भी विरोध करते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है ? साथ ही आम लोगों को यह महसूस होंना चाहिये इस प्रान्त के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर इस योजना का व्यय 70% 20 सूत्री कार्यक्रम पर लागू किया है। इसी के साथ देश के अन्य प्रान्तों की बजाय राजस्थान में जो तकलीफें गरीब लोगों को थीं उन गरीबों की तकलीफों को देखते हुए मुख्य मंत्री जी ने ये कदम महत्वपूर्ण लिया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति के लिये समाज के गरीब लोगों को ऊंचा उठाने के लिये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। साथ ही इस बजट के साथ जो जन जातीय क्षेत्र हैं, जन जातीय क्षेत्रों के विकास के लिये आर्थिक सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिये मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के अन्दर जो प्रावधान रखा और उसके लिए जो बजट के अन्दर 43 करोड़ की राजकीय योजना के अन्तर्गत उसके लिये जन जातियों के प्रति यह महसूस होता है कि मुख्य मंत्री जी का ध्यान है, मुख्य मंत्री जी हमारे ऊपर कितने मेहरबान हैं कि जन जाति के लोगों भूले नहीं बल्कि जन जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं विकास के लिये। साथ ही जो ऐसे अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं छात्रों के लिये, छात्रों की पढ़ाई के लिये, रहने के लिये छात्रावासों की जो व्यवस्था की है वह इस योजना के अन्दर उन्होंने बताया कि 11 छात्रावास अनुसूचित जाति के होंगे और 6 नये छात्रावास अनुसूचित जन जाति के होंगे। साथ ही भंगी कष्ट मुक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रावास भी होंगे जिसमें ऐसे लोगों के साथ छात्रावासों में रहकर अध्ययन करेंगे। जो लोग अस्वच्छ कार्य कर रहे हैं उनके लिये उन छात्रों के हितों को देखने के लिए, उन छात्रों के हितों की रक्षा के लिये मुख्य मंत्रीजी ने जो इस बजट के अन्दर प्रावधान रखा है। उसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को बारबार धन्यवाद देता हूं कि उनके हृदय में गरीब के प्रति कितनी वफादारी है। साथ ही पेयजल की समस्या ... ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ...

श्री मूलचन्द मीणा : मुख्य मंत्रीजी ने पेयजल के लिये एक संकल्प लिया है कि मैं इन 5 सालों के अन्दर सारे राजस्थान के अन्दर पीने के पानी की समस्या को सोल्व करूंगा। इसी के साथ इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने 76 करोड़ 75 हजार रुपये का प्रावधान रखा है ..

श्री शोपत सिंह : He deserves to be State Minister .

श्री मूलचन्द मीणा : उसी से आज हम देखते हैं कि मेरा क्षेत्र टोडाभीम जिसके अन्दर तहसील नाडौदी भी आती है उसमें पीने के पानी की भयंकर समस्या है लेकिन मुख्य मंत्री जी ने दो स्कीमें पास की । 17 गांवों के लिये जो नाडौदी में दो स्कीमें थीं, वे स्कीमें जो पहले चल रही थीं, उसको रिवाइज़ करने के लिये अब 6 लाख रुपया अब उसके लिये अलग से रखा है । साथ ही दूसरी स्कीम जो आजादी के समय से अब तक ढाई साल का राज आया था जिसने न तो नाडौदी के अन्दर कुछ किया लेकिन आज मुख्य मंत्रीजी ने करके बताया कि ऐसा क्षेत्र है जिसमें कभी पानी मिल नहीं सकता। तालाबों से पानी पीते हैं उनके लिये 39 लाख रुपये की एक स्कीम को पास किया। मुख्य मंत्रीजी इस बात के लिये भी बधाई के पात्र हैं। साथ ही मुख्य मंत्रीजी ने महिलाओं की, आज की आम जनता की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, महिलायें हमारे देश के अन्दर सम्माननीय हैं । उसी के साथ मुख्य मंत्रीजी ने उनका सम्मान करने के लिये चूड़ियों से जो टैक्स माफ किये हैं । कल हमारे विरोधी भाइयों में से एक कह रहे थे कि महिलायें चूड़ी नहीं पहनती हैं तो मैं उन लोगों को यह सुझाव देता हूं कि महिलाओं की जगह आप चूड़ियां लें । दूसरी बात ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री मूलचन्द मीणा : इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट रखा है उसका स्वागत करता हूं । साथ ही यह कहता हूं कि बजट अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है । थैंक यू ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ब्रजेन्द्र सिंह ।

श्री ब्रजेन्द्र सिंह मावई (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्रीजी के परिवर्तित बजट भाषण पर मैं उनके पक्ष में अपना विचार व्यक्त करता हूं........

(5.47 म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं राजस्थान सरकार का ध्यान हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनमें कि सड़कें काफी टूटी फूटी हैं जिनमें काफी गड्ढे पड़े हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विचार रखा है वह बहुत ही सराहनीय है जिसमें 1500 तक की आबादी के समस्त गांवों को एवं एक हजार के गांवों को 50% सड़क से जोड़ने का विचार रखा है, वह बहुत ही सराहनीय है । इससे मेरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ जायेगा परन्तु मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो राजाशाही जमाने की सड़कें हैं जो काफी क्षीण स्थिति में हैं वे काफी गांवों को जोड़ती हैं । ऐसी सड़कों को मद्दे नजर रखते हुए मेरे क्षेत्र में एक सड़क है बसेड़ी से मासलपुर की उसको भी

(श्री ब्रजेन्द्र सिंह मार्वई)

जोड़ने का विचार इस बजट में रखा जाय और जो सड़कें हैं, जो स्वीकृत की गयी हैं उन पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया उनका कार्य प्रारम्भ करने में प्रगति लायें। सिंचाई के सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र के करीबन काफी बांध टूटे पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि वहां के बहुत से बांध हैं जो कि पंचायत समिति के हैं छोटे-छोटे बांध जिनसे लघु सिंचाई की जा सकती है, ऐसे बांधों की मरम्मत करायी जाय और मेरे क्षेत्र में जो एक नदी बहती है गम्भीर नदी के नाम से वह काफी ही हमारे क्षेत्र का नुकसान करती है। उस पर पांचना बांध के नाम से एक बांध बना है और उस बांध के बनने के कारण वह पानी नदी के रास्ते से निकल जाता है और नदी के रास्ते निकलने के कारण उस क्षेत्र में फसल नहीं हो पाती ऐसी स्थिति में नदी पर एनीकट्स बना दिया जाय तो हमारे क्षेत्र की काफी जमीन सुधरने की आशा है।

शिक्षा के मामले में बड़ा ही नये प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार सरकार ने रखा है। इसमें ही 10 महा विद्यालय खोलने का भी विचार रखा है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि समय-समय पर हमारे बयाना सब-डिवीजन की मांग आती चली आयी है, बयाना सब डिवीजन में महा विद्यालय होना अत्यन्त आवश्यक है। वहां के गरीब तबके के जो छात्र हैं वह काफी दूर तक नहीं जा पाते। ऐसे ही हमारे यहां आई. टी. आई. कॉलेज की घोषणा की गयी थी। उसका अभी तक कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इसका ध्यान दिलायें। बड़े ही हर्ष की बात है कि बजट में बिजली, सिंचाई, खाद्यान्न, रोजगार तथा औद्योगिक उत्पादन हेतु वृद्धि के साधनों में सुधार को महत्व दिया। प्रशासन में चुस्ती लाने का भी मुख्य मन्त्री जी ने जिक्र किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि वह प्रशासन में बड़ी चुस्ती लायेंगे। मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र, जो कि धौलपुर जिले से जुड़ा हुआ है मेरी बसेरी तहसील उसमें आती है। वहां डकैतों ने काफी आतंक फैला रखा है। मैं आपके माध्यम से यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां बसेरी में जितनी भी डकैती की वारदातें आम तौर पर होती हैं उनकी तरफ ध्यान देकर उन डकैतों पर जो विशेष परेशान करते हैं गरीब तबके को कड़ी नजर रखी जाय।

ऐसी ही मेरे क्षेत्र में एक जरूरी, समाज कल्याण का एक छात्रावास का निर्माण भी कराया जाय। सहकारी समिति एवं अन्य संस्थाओं के चुनाव अब तक नहीं हुए हैं। सहकारिता के क्रियान्वयन हेतु चुनाव कराना अत्यन्त आवश्यक है।

मुख्य मंत्री जी ने जो यह बजट भाषण दिया है यह बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता

(श्री व्रजेन्द्र सिंह मावई)

हूं कि आपने मुझे अमूल्य समय निकालकर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री विजय सिंह।

श्री विजय सिंह (रूपवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने 1985-86 साल का बजट रखा है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह हमारी सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने हमारे देश को, हमारे क्षेत्रीय विकास को इतना बढ़ा-चढ़ा कर यहां तक पहुंचा दिया है। पहले वह समय था जब किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं होता था यह सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने हर क्षेत्र शिक्षा, औद्योगिक विकास उत्पादन, इरिगेशन, सड़कों का निर्माण, विद्युतीकरण, में विकास किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दीजिए, आर्डर प्लीज।

श्री विजय सिंह : आगे की बात मैं यह कहना चाहता हूं, हमारा बजट रखा है इसमें शिक्षा में बहुत से स्कूल खोले गये हैं। आज ऐसी कोई जगह नहीं है, पहले यह हाल था कि 10-10, 20-20 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं थे। आज हर गांव में, हर कस्बे में, शहर की हर गली में एजुकेशन स्कूल मिलते हैं। यहां तक कि बीच-बीच में 10-5 किलोमीटर के फासले में कॉलेज, हायर सैकण्डरी स्कूल मिलते हैं।

विद्या के आगे इलेक्ट्रिफिकेशन में गांव में इतना इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है कि, पहले बार-बार कहते थे कि दीपक नहीं जलते थे आज हम देखते हैं कि इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए हर गांव में विद्युतीकरण पहुंचा है। गांव में, शहर-शहर में, गली-गली में लाइट पहुंची है। तो यह हमारी सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने हर क्षेत्र में प्रोग्रेस की है।

सामाजिक दृष्टि से देखा जाय। पहले समाज में बहुत कुरीतियां फैली हुई थी बहुत गिरा हुआ था समाज, बहुत लोग पिछड़े हुए थे। समाज की दृष्टि से भी सरकार ने बहुत प्रोगेस की है। समाज में सबके लिए बराबर प्रोत्साहन दिया है, श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए, जो भी पिछड़े लोग थे सबके लिए बराबर प्रोत्साहन दिया है। आगे के लिए भी इस बजट में सभी पिछड़े वर्गों को बढ़ाने का प्रावधान रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं यह कहना चाहता हूं, इरिगेशन के बारे में हमारी सरकार ने बहुत ही प्रोग्रेस की है। राजस्थान में किसी प्रकार के सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे। वह समय था जब खाने के लिए खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था। आज यह स्थिति है हमारे यहां उत्पादन की दृष्टि से हम बढ़े हैं सिंचाई के साधनों द्वारा, कि हम निर्यात करते हैं। हमारे यहां खाने के लिए पूर्ण उपलब्ध है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है हमारे यहां।

आगे चलकर मैं बतलाना चाहता हूं

(श्री विजय सिंह)

आपके माध्यम से कि सोशल वैलफेयर स्कीम चली है जिससे हमारी सरकार ने बहुत पिछड़े लोगों को बढ़ाया है। सोशल वैलफेयर से लोगों को सब तरह की हैल्प मिलती है। उसमें इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए, पिछड़े लोगों को लोन दिलाने के लिए और भी नयी नयी जो योजनायें चली हैं-सब तरह की हैल्प की है हमारी सरकार ने।

आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इरिगेशन में बहुत प्रोग्रेस की है। हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसमें इरिगेशन की बहुत ही कमी है क्योंकि एक तो पहाड़ी एरिया, रॉकी एरिया है। दूसरा अपने क्षेत्र में खारे पानी हैं। ट्यूब वैल या कुआ-यह साधन नहीं है। माननीय अध्यक्ष के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो मेरे यहां पाताल तोड़ स्कीम सक्सैस हो सकती है। दूसरे अपने इलाके का बांध है उसको डवलप किया जाय उससे इरिगेशन के लिए नहरें सक्सैस हो सकती हैं।

दूसरा सोशल वैलफेयर में इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए पैसा होता है उससे अपना क्षेत्र बहुत ही वंचित है, इलैक्ट्रिफिकेशन किया जाय। मेरे क्षेत्र में बहुत ही कम इलैक्ट्रिफिकेशन है। बहुत ही कम गांवों में हो पाया है। यहां तक कि जो मेरा गांव है उसमें भी इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। पास के गांवों से लाइन निकली है फिर भी इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पा रहा। मैंने बहुत ही कहा है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जहां तक हो सके इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए ध्यान दें।

दूसरा, मेरे क्षेत्र में सड़कों की बहुत कमी है। वह क्षेत्र है जहां आने-जाने के साधन नहीं हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी से यहां आते-आते बात भी की थी। उन्होंने यह कहा था कि आप कैसे गये। मैंने कहा, मैं किसी भी तरह गया, पैदल चल कर गया। लोगों की समस्या थी। उनको वायदा तो नहीं किया, विश्वास दिलाया कि मैं जितना हो सकेगा करने की कोशिश करूंगा। यहां तक आपने मुझे बनाया है, भेजा है मैं आपके लिए पूरा पूरा प्रयास करूंगा। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र है से सड़क निकलवाई जाय। बरसात आयेगी तो मेरे खुद के जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इतना-इतना पानी भरा रहता है। वहां मैं तैरकर भी जा सकता हूं। मुझे कोई परवाह नहीं है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर भी एक सड़क निकलवाने की कृपा करें।

बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

(162)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 5 जुलाई, 1985 के मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.59 बजे शुक्रवार दिनांक 5 जुलाई, 1985 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 62 का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	नाम क्रय केन्द्र	क्रय की गई सरसों की मात्रा बोरियों में।	मात्रा क्वि. में
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	किशनगढ़	880	748.00
		केकड़ी	5340	4539.00
2.	अलवर	खैरथल	10	8.50
3.	बाड़मेर	बालोतरा	3056	2597.60
		बिलाड़ा	2244	1907.40
4.	बूंदी	केशवरायपाटन	3861	3281.85
5.	भरतपुर	नदबई	39	33.15
		भरतपुर	65	55.25
6.	चित्तोड़गढ़	निम्बाहेड़ा	1164	989.40
		कपासन	1820	1547.00
7.	गंगानगर	गंगानगर	449276	381884.60
8.	जयपुर	सांभर	102	86.70
		चाकसू	547	464.95
		शाहपुरा	2260	1921.00
		चौमू	212	180.20
		दौसा	10	8 50
		बांदीकुई	245	208.25

(164)

1	2	3	4	5
9.	जोधपुर	जोधपुर	1475	1253.75
10.	जालोर	जालोर	34424	29260.40
		भीनमाल	13481	11458.85
11.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	1790	1521.50
		सुरतगढ़	3476	2954.60
		डूंडलोद	2257	1918.45
		चिड़ावा	1146	974.10
12.	कोटा	बांरा	6383	5425.55
		ईटावा	20608	17516.80
		अन्ता	2941	2499.85
		कोटा	15137	12866.45
		सुलतानपुर	7987	6788.95
13.	नागौर	नागौर	24235	20599.75
		मेड़तासिटी	9005	7654.25
		पीपाड़सिटी	1093	929.45
14.	पाली	सुमेरपुर	19600	16660.00
		सोजतरोड़	526	447.10
		पालीमारवाड़	1800	1530.00
15.	सीकर	सीकर	623	529.55
16.	सवाईमाधोपुर	महुवारोड	44	37.40
		हिण्डोनसिटी	1495	1270.75
		सवाईमाधोपुर	4702	3996 70
		गंगापुरसिटी	1086	923.10

1	2	3	4	5
17.	सिरोही	शिवगंज	1291	1097.35
		स्वरूपगंज	78	66.30
18.	टोंक	उनियारा	2969	2523.65
		टोडारायसिंह	5750	4887.50
		टोंक	3548	3015.80
		देवली	967	821.95
		मालपुरा	233	198.05
19.	उदयपुर	फतेहनगर	584	496.40

कुल योग- 661865 बोरियां 56258.5 मै.टन

(166)

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 139 का विवरण

'क'

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा किये औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों को तीन श्रेणियों अर्थात् अधिक प्रदूषण वाले, मध्यम प्रदूषण वाले तथा कम अथवा नहीं के बराबर प्रदूषण वाले श्रेणी में बांटा गया है :—

इन जिलों का विवरण श्रेणीवार निम्न प्रकार है :—

अधिक प्रदूषण वाले जिले 1		मध्यम प्रदूषण वाले जिले 2		कम अथवा नहीं के बराबर प्रदूषण वाले जिले 3	
1.	पाली	1.	झुंझुनू	1.	बांसवाड़ा
2.	जोधपुर	2.	सवाई माधोपुर	2.	झालावाड़
3.	बाड़मेर (बालोतरा)	3.	भरतपुर	3.	जालौर
4.	कोटा	4.	बून्दी	4.	धोलपुर
5.	अलवर	5.	चित्तौड़गढ़	5.	नागोर
6.	उदयपुर	6.	टौंक	6.	डूंगरपुर
7.	जयपुर	7.	बीकानेर	7.	जैसलमेर
8.	भीलवाड़ा	8.	श्रीगंगानगर	8.	सीकर
9.	अजमेर	9.	सिरोही	9.	चुरू

जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने विभिन्न उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण सात दस्तावेज प्रकाशित किये जो निम्नानुसार हैं:—

1. खाद्य तेल एवं वनस्पति
2. सामान्य इन्जिनियरिंग
3. कागज एवं लुगदी
4. टेक्सटाइल प्रोसेसिंग
5. सीमेंट उद्योग
6. कीटनाशक (पेस्टीसाइड) उद्योग
7. ताम्र उद्योग

परिशिष्ट—3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति जहाजपुर में निर्धूम चुल्हा कार्यक्रम योजना

65. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) जहाजपुर पंचायत समिति में निधूंम चुल्हा कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत किस-किस ग्राम में किस-किस को लाभान्वित किया गया हैं ? कृपया नाम तथा परिवार के नामों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या जिन्हे राशि दी गई उनके चुल्हे पूर्ण हो गये हैं ? यदि हां, तो कृपया पूर्ण, अपूर्ण के बारे में नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या निधूंम चुल्हे के लिये कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त है ? यदि हां, तो उनके नाम, पिता/पति का नाम निवास स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या प्रत्येक चुल्हे पर राशि नकद एवं श्रम प्रयोग हुआ है ? यदि हां, तो प्रत्येक के बारे में सामग्री खरीद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह चुल्हा बनने पर पर्यवेक्षण किया गया ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा किन-किन ग्राम में किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिनके घर में चूल्हा बनाया गया उन लाभार्थियों की ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई ।

(2) राशि किसी को नहीं दी गई है लाभार्थियों के घर में चूल्हा बनवाया गया है तथा जितने चूल्हे बनाये गये सभी पूर्ण हैं । चूल्हे बनाने वाले कार्यकर्ता को प्रति चूल्हा 5/- रु. पारिश्रमिक अवश्य दिया गया है ।

(3) जी हां, सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(4) चूल्हा बनाने वाले को प्रति चूल्हा 5/- रु. पारिश्रमिक दिया गया है । चूल्हा बनाने के लिए पाईप डेम्पर सेट, चिमनी, औजार, मोल्ड सेट इत्यादि एक साथ खरीदे गये हैं । इनमें से कुछ सामग्री औजार के रूप में काम आती है । कुछ पाईप, चिमनी इत्यादि ट्रांसपोर्टेशन करते समय निर्माण करते समय टूट भी जाती है । अतः प्रति चूल्हा खरीद का विवरण अलग अलग से देना संभव नहीं है ।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(5) जी हां। चूल्हा बनने पर पर्यवेक्षण श्री दुर्गा शंकर ग्राम सेवक एवं श्री राधाकिशन व्यास, प्रसार अधिकारी पंचायत द्वारा भी किया गया। इसके अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जहाजपुर द्वारा ग्राम गोपालपुरा, बिहाड़ा, लक्ष्मीपुरा में सैम्पल पर्यवेक्षण किया गया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकाल में रखी गई)

शिक्षण संस्थाओं को स्वीकृत विशेष अनुदान

66. **श्री हरजी राम बूरडक (लाडनूं) : श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग ने 1984—85 वर्ष के लिए शिक्षण संस्थाओं को विशेष अनुदान स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो कब कब किस-किस आथोरिटी ने किन-किन को कितना-कितना अनुदान किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत किया ? कृपया जिलेवार व प्रत्येक संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन के प्रार्थना-पत्र विशेष अनुदान के लिए प्राप्त हुए और किस माध्यम से प्राप्त हुए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अनुदान देने के लिए प्रार्थना पत्र किस माध्यम से कब मांगे गये ?

(4) प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को स्वीकृत अथवा निरस्त करने के क्या आधार थे ?

(5) जिन शिक्षण संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया गया उनका परिणाम फल कितने प्रतिशत था और जिनको अनुदान अस्वीकृत किया अथवा नहीं दिया गया उनका परिणाम फल कितने प्रतिशत था ?

(6) क्या विशेष अनुदान देने के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं अथवा कोई आदेश जारी किए गये हैं ? यदि हां, तो कृपया उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। केवल राज्य सरकार ही सक्षम है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को तदर्थ अनुदान स्वीकार किया गया है। स्वीकृत राशि की सूची परिशिष्ट "क" में दर्शायी गई है। शिक्षण संस्थाओं को तदर्थ अनुदान शाला भवन के विस्तार, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोग शाला के उपकरण आदि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किया गया।

इसके अलावा वर्ष 1984—85 में अनुदान समिति की अभिसंषानुसार जिन संस्थाओं को नियमित अनुदान सूची पर लेने हेतु अभिशंषा की गई थी परन्तु आयोजना मद में आवश्यक राशि उपलब्ध न

(170)

(शिक्षा मंत्री)

होने के कारण इन अभिसंषित संस्थाओं को भी तदर्थ अनुदान स्वीकार किया गया।

(2) तदर्थ अनुदान प्रार्थना-पत्र जिला शिक्षा अधिकारी/उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/निदेशक प्र. एवं मा. शिक्षा, कालेज शिक्षा, संस्कृत शिक्षाके माध्यम से संस्थाओं से प्राप्त होते हैं। अधिकतर प्रार्थना-पत्र सीधे राज्य सरकार को भी प्राप्त हुए हैं। सूची 'ख' सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) तदर्थ अनुदान हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं मांगे गये। शिक्षण संस्थायें अपने आप आवश्यकतानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती हैं।

जिन पर वित्तीय उपलब्धी होने पर विचार किया जाता है।

(4) शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक स्तर, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान एवं उनकी आवश्यकताओं आदि बातों को ध्यान में रखते हुए बजट की उपलब्धता के आधार पर तदर्थ अनुदान, स्वीकार किया गया है।

(5) तदर्थ अनुदान संस्थाओं के परीक्षा पत्र को आधार मान कर स्वीकृत नहीं किया जाता बल्कि संस्थाओं की मूलभूत आवश्यकताओं यथा फर्नीचर, भवन विस्तार, पुस्तकालय, प्रयोगशाला के उपकरण आदि को आधार मान कर स्वीकृत किया गया।

(6) जी, नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।)

धौलपुर क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम

67 **श्रीमती वसुन्धरा राजे** (धौलपुर) : क्या पशुपालन (दुग्ध विकास) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1984—85 में कितना धन व्यय किया गया? किस-किस जिले में किस-किस योजना में कितना-कितना धन खर्च हुआ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि धौलपुर क्षेत्र की डेयरी विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारी उपेक्षा की गई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? यदि नहीं, तो धौलपुर क्षेत्र में पशु संवर्धन, पशुपालन तथा डेयरी विकास का सरकार के पास क्या कार्यक्रम है?

(3) क्या सरकार 1985—86 में धौलपुर में दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना मिल्क रूट्स निर्माण तथा पशु संवर्धन के कार्यक्रम हाथ में लेना चाहती है? यदि हां, तो क्या-क्या? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सहकारिता वर्ष 1984– 85 में

(पशुपालन मंत्री)

राज्य में डेयरी विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये गये व्यय का इकाई/जिलेवार विवरण तालिका 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। धौलपुर में पशु संवर्धन व डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत दि. 1-8-84 से दुग्ध ठण्डा करने के लिए अस्थाई रूप से आइस फैक्ट्री में व्यवस्था की गई है। दुग्ध संकलन के लिए तीन दुग्ध मार्गों पर 27 दुग्ध सहकारी समितियां व संकलन केन्द्र खोले जा चुके हैं।

(3) आपरेशन फलड़-2 परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1985—86 में 20 हजार लीटर दुग्ध की क्षमता का अवशीतन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त दुग्ध संकलन क्षमता बढ़ाने के लिए धौलपुर-बसेड़ी तथा धौलपुर-बरेठा में दो नये दुग्ध मार्ग और खोले जायेगें।

उपरोक्त डेयरी विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति फिलहाल संभव नहीं है चूंकि वर्तमान में उद्योग विभाग के आदेश द्वारा जिला भरतपुर व धौलपुर में दुग्ध संकलन का कार्य केवल मेसर्स डालमिया डेयरी, भरतपुर द्वारा ही किया जाना है।

(172)

तालिका 'अ'

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड की इकाइयों द्वारा
किया गया खर्च (जुलाई, 84 से मार्च, 1985 तक)

अ	डेयरी संयंत्र	राशि (रु. लाख)
1.	अजमेर	1381.27 जनवरी के अलावा
2.	अलवर	1011.85 ,, ,,
3.	बीकानेर	1803.34 ,, ,,
4.	भीलवाड़ा	406.91 ,, ,,
5.	जयपुर	1602.67 ,, ,,
6.	जोधपुर	645.83 ,, ,,
7.	उदयपुर	182.87 ,, ,,
ब	पशु आहार, संयंत्र	
8.	अजमेर	137.88
9.	बीकानेर	53.64 अक्टूबर, 84 से दिस. के अलावा
10.	झोटवाड़ा	32.16 जनवरी, 85 से मार्च 85 के अलावा
11.	जोधपुर	161.57 दिसम्बर, 84 से मार्च, 85 के आलावा
12.	नदबई	111.89

———

सहकारिता वर्ष 1984-85 में राज्य डेयरी विकास से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि किए गए व्यय का जिलेवार विवरण

–या	जिले का नाम	जिला समिति केन्द्र पर संस्थापन व्यय	पशु विकास लागत	संघ प्रशिक्षण एवं विस्तार	संघ विनियोजन	एस. ए. एच. पी.	अकाल सहायता	संस्थापन व्यय बस्सी फार्म	आंकड़ा संकलन एवं विश्लेषण	स्पेयर हैड टीम	पशु कार्यक्रम	स्वास्थ्य सेवा	चिलिंग प्लांट	यातायात सहायता	आर. सी. डी. एफ संस्थापन व्यय	कुल
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	उदयपुर संघ	0.42	5.95	8.08	3.57	—	1.80	—	—	—	—	—	—	—	—	19.82
	भरतपुर संघ एवं पशु आहार संयन्त्र	0.53	4.15	4.30	—	0.67	14.50 नदवई	—	—	—	—	—	—	—	—	24.15
	जयपुर	—	15.00	11.64	—	12.45	14.50 झोटवाड़ा	10.11	2.00 मुख्यालय	—	—	—	—	—	16.84 मुख्यालय	82.54
	अलवर संघ	—	7.05	11.37	—	1.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.78
	अजमेर संघ एवं पशु आ.स.	—	8.00	10.30	—	5.46	14.50	—	—	—	—	—	—	—	—	38.26
	भीलवाड़ा संघ	—	6.00	8.57	—	3.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.45
	टोंक सवाई माधोपुर संघ	—	3.00	5.29	—	1.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.88
	सीकर संघ	—	2.92	2.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.62
	हनुमानगढ़ संघ	2.00	2.63	2.60	—	—	—	—	—	—	0.55	—	—	—	—	7.78
	कोटा संघ	—	1.92	2.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.20
	जोधपुर संघ एवं पशु आ.स.	—	4.000	—	—	—	14.50	—	—	—	1.925	3.790	0.600	—	—	24.815
	बीकानेर संघ एवं पशु आ.स.	—	—	—	—	—	14.50	—	—	5.57 2.75 0.370	बीकानेर लूणकरणसर छत्तरगढ़	—	—	—	—	22.615
	नागौर संघ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.84	—	—	0.50	—	2.34
	पाली संघ	—	—	—	—	—	—	—	—	5.555	0.590	2.970	—	1.000	—	10.115
	जैसलमेर संघ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.64	0.98	—	0.75	—	2.370
	बाड़मेर संघ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.715	1.005	1.290	—	—	3.610
	चूरू संघ	—	—	—	—	—	—	—	—	2.61	राजगढ़	—	—	1.00	—	5.61
	झुन्झूनूं संघ	—	—	—	—	—	—	—	—	2.00	डूंगरगढ़ 1.05	—	—	0.75	—	1.80
	फ्रोजन सीमन बैंक, जयपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.00
	कुल योग :—	2.95	60.520	67.13	3.57	25.41	74.30	10.11	2.00	18.280	7.310	8.745	1.890	4.000	16.84	339.655

174

उदयपुर जिले के पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना

68. **श्री भेरूलाल मीणा** (सराडा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हर पंचायत मुख्यालय को मुख्य सड़क से जोड़ने की योजना है ? यदि हां, तो जिला उदयपुर की पंचायत जावद, पंचायत अदवास, पंचायत नइजर को मुख्य सड़क से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है ? अब कब तक इन पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि जगत से जयसमंद रोड, सराडा से केशरिया जी वाया बलुआ रोड, इटाली से डेंगरी रोड वाया बडावली, वडगांव सलाडा, ये तीनों सड़कें सराडा क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों में से हैं ? यदि हां तो, क्या इन तीनों मार्गों को सड़क निर्माण योजना में शामिल किया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि ओडा से परसाद वाया जावर माइन्स ,चणावदा रोड पलोदडा से टीडी वाया देवपुरा, पाडला, जावर माइन्स जावर रोड का निर्माण अकाल राहत कार्य के तहत किया गया है ? इन सड़कों के कुछ अधूरे पड़े कार्यों को योजना में लेकर इन महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कब तक प्रारम्भ किया जाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) राज्य में ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की एक योजना बनाई गई है। जिसके अनुसार पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का कार्य सन् 2000 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। जिला उदयपुर की पंचायत अदवास, जावद व नइजर जयसंमद से जगत वाया जर सड़क पर स्थित है जिसे उदयपुर जिले के मास्टर प्लान में सम्मिलित कर लिया गया है।

(2) जगत से जयसंमद रोड सराडा से केशरिया जी वाया वलुआ रोड, इटाली से डिगरी वाया वडावली सलाडा रोड ये तीनों मार्ग सड़क निर्माण योजना में स्वीकृत नहीं है। और धनाभाव के कारण वर्तमान में इन कार्यों को हाथ में लेना सम्भव नहीं है।

(3) ओडा से परसाद वाया जावर माइन्स चणावदा रोड पुलोदडा से टीडी वाया देवपुरा, पाडला, जावर माइन्स रोड का कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किया गया था धनाभाव के कारण वर्तमान में इन कार्यों को हाथ में लेना सम्भव नहीं है।

भूमि एवं भवन कर की वसूली

70. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1983-84 एवं 1984-85 में भूमि एवं भवन कर से विभाग को कुल आय कितनी हुई ?

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

(2) इन्हीं दो वर्षों में कर वसूली के संदर्भ में कुल व्यय कितना हुआ ?

(3) विवेच्य वर्षों में कितनी राशि की वसूली नहीं हो सकी और क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 1983-84 एवं 1984-85 में भूमि एवं भवन कर से निम्न आय हुई :—

वर्ष 1983-84	211.43 लाख रुपये
वर्ष 1984-85	212.35 लाख रुपये

(2) वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में कर वसूली पर व्यय निम्न हुआ :—

वर्ष 1983-84	26.17 लाख रुपये
वर्ष 1984-85	32.27 लाख रुपये

(3) 1–वर्ष 1983-84 की अवधि में वर्ष के अन्त में बकाया 226.51 लाख रुपये थी।

2–वर्ष 1984-85 की अवधि में वर्ष के अन्त में बकाया 229.31 लाख रुपये है।

इन बकाया राशि का मुख्य कारण विभिन्न न्यायालयों से स्थगन होना तथा दूसरा कारण राजकीय व केन्द्रीय उपक्रमों के जिम्मे रही बकाया राशि को सख्ती से वसूल न किया जाना है।

राजस्थान ऊन विपणन फेडरेशन

71. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान ऊन विपणन फेडरेशन के मार्च, 1977 से लेकर आज तक के क्या लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ रही हैं ? कृपया वर्षवार विवरण मय अन्तिम लेख की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार फेडरेशन की उपलब्धियों से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो इसमें सुधार हेतु क्या योजना विचाराधीन है ?

(3) वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में जिला बीकानेर में कितनी ऊन भेड़ पालकों से खरीदी गई व वर्ष 1983-84 व 1984-85 में राजस्थान में ऊन खरीदने हेतु कितनी धन-राशि का प्रावधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) राज्य फेडरेशन खुले बाजार में ऊन की घटी कीमत से प्रभावित भेड़ पालकों को उचित मूल्य दिलवाने हेतु प्रयास कर रहा है ? कृपया वर्ष 1978 से जुलाई, 1984 तक का ऊन भाव का फसलवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सरकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर की

176

(भेड़ व ऊन मंत्री)

की स्थापना मार्च, 1977 में हुई। राज्य के भेड़ पालकों को सहकारिता के आधार पर संगठित कर ऊन एवं जानवर क्रय-विक्रय कर उन्हें उचित मूल्य दिलवाना इसका प्रमुख लक्ष्य रहा है। वर्ष 1977 से लेकर आज तक की उपलब्धियों का विवरण परिशिष्ट "क" पर तथा अन्तिम लेखों की स्थिति 1977-78 से 1982-83 तक की परिशिष्ट "ख" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

फेडरेशन की उपलब्धियों से राज्य सरकार सन्तुष्ट है।

(3) फेडरेशन को बीकानेर इकाई के द्वारा उनके अधीनस्थ क्षेत्र से भेड़ पालकों से निम्न प्रकार ऊन वर्ष वार क्रय की गई है।

क्र.सं.	वर्ष	वजन
1.	1980-81	1,73,892 किलोग्राम
2.	1981-82	1,21,221 किलोग्राम
3.	1982-83	2,766 किलोग्राम
4.	1983-84	31,525 किलोग्राम

राजस्थान में ऊन खरीदने हेतु बजट प्रावधान निम्न प्रकार से किया गया है।

क्र.सं.	वर्ष	राशि
1.	1983-84	23.43 लाख
2.	1984-85	67.50 लाख

(4) फेडरेशन के द्वारा भेड़ पालकों को उचित मूल्य दिलवाने हेतु ऊन क्रय के मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। फेडरेशन द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से ऊन क्रय करने की वजह से ऊन की कीमतों में 15 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 78 से सितम्बर, 1984 तक कल्पन वार ऊन के बाजार भाव सदन के पटल पर परिशिष्ट "ग" के द्वारा रख दिये गये हैं।

परिशिष्ट 'क'

फेडरेशन की स्थापना 1977-78 से 1984-85 तक की उपलब्धि एवं लक्ष्य

विवरण	लक्ष्य	उपलब्धियां
1. सहकारी समितियों का गठन		
1977-78	100	23
1978-79	50	143
1979-80	50	89
1980-81	50	51
1981-82	20	19
1982-83	10	9
1983-84	—	22
1984-85	—	8

2. ऊन क्रय

वर्ष	लक्ष्य क्वि०	क्रय मात्रा क्वि०	राशि लाखों	विक्रय मात्रा क्वि०	राशि लाख रु. में
1977-78	—	933	18.03	452	10.65
1978-79	6700	4416	85.08	2135	53.58
1979-80	6000	4212	82.63	2270	55.71
1980-81	3900	3057	54.11	3883	80.08
1981-82	5450	3256	40.36	4027	95.59
1982-83	—	96	.92	506	12.15
1983-84	—	1484	24.20	871	19.97
1984-85	4000	228	4.58	1560	29.49

मेढे बकरों का क्रय-विक्रय/जिन्दा जानवर निर्यात

वर्ष	क्रय संख्या	क्रय राशि (लाख रुपयों में)	विक्रय संख्या	विक्रय राशि (लाख रुपयों में)
1977-78	422	0.33	309	0.24
1978-79	3980	4.30	3138	3.41
1979-80	8558	13.10	8917	13.58
1980-81	6094	8.07	6000	8.81
1981-82	15673	28.95	8970 कारकश 7280 निर्यात	20.73
1982-83	35397	95.02	32397 (निर्यात)	131.14
1983-84	26836 (निर्यात)	90.55	26836	98.56
1984-85	23795 (निर्यात)	89.74	23795	95.18

चिल्ड मांस निर्यात का विवरण

वर्ष	मात्रा (मी. टन में)	(राशि लाख रुपयों में)
1	2	3
1980-81	31.741	5.08
1981-82	92.495	16.66
1982-83	40.030	6.42
1983-84	8.000	1.44
1984-85	———	———
	डिब्बा बन्द मांस का उत्पादन	
1981-82	860.325	5.21
1982-83	150.630	69.31

1	2	3
1983–84	139,000	66.84
1984–85	341,370	162.53
	मिल्क पाउडर (आसाम राइफल्स को सप्लाई)	
1984–85	44 मी. टन	19.58

मीट शाप पर क्रय-विक्रय

वर्ष	क्रय (लाखों में)	विक्रय (लाखों में)
1980-81	2.95	2.38
1981-82	4.89	5.48
1982-83	3.86	3.80
1983-84	1.56	0.66
1984-85	2.38	2.50

मांस प्रोसेसिंग से आय

(आय लाख रुपयों में)

1980-81	3.69
1981-82	4.10
1982-83	1.56
1983-84	.11
1984-85	—

परिशिष्ट 'ख'

राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन लिमिटेड
गांधी नगर, टोंक रोड जयपुर

फेडरेशन की व्यापारिक गतिविधियों का विवरण वर्ष 1977–78 से वर्ष 1982–83 तक

क्र. स.	विवरण	वर्ष 77–78 (राशि लाखों में)				वर्ष 78–79 (राशि लाखों में)				वर्ष 79 80 (राशि लाखों में)			
		व्यय	आय	हानि	लाभ	व्यय	आय	हानि	लाभ	व्यय	आय	हानि	लाभ
1.	ऊन क्रय विक्रय	18.63	19.76	—	1.13	97.80	103.78	—	5.98	136.68	149.49	—	12.81
2.	जानवर क्रय विक्रय	.33	.34	—	.01	4.55	4.69	—	0.14	14.51	14.32	0.19	—
3.	प्रोसेसिंग	—	—	—	—	—	—	—	—	1.24	2.24	—	1.16
	सकल लाभ	18.96	20.10	—	1.14	102.35	108.47	—	6.12	152.43	166.21	0.19	13.97
	प्रशासनिक व्यय	—	—	1.08	—	—	—	6.07	—	—	—	15.23	—
	शुद्ध लाभ	—	—	—	0.06	—	—	—	.05	—	—	1.26	—

नोट :—ऊन क्रय एवं विक्रय के आंकड़ों में प्रारम्भिक शेष की राशि सम्मिलित है।

क्र. सं	विवरण	वर्ष 80-81 (राशि लाखों में)				वर्ष 81-82 (राशि लाखों में)				वर्ष 82-83 (राशि लाखों में)			
		व्यय	आय	हानि	लाभ	व्यय	आय	हानि	लाभ	व्यय	आय	हानि	लाभ
1.	ऊन क्रय विक्रय	158.10	155.27	2.83	—	121.42	127.16	—	5.74	35.39	36.17	—	0.78
2.	जानवर क्रय विक्रय	16.40	13.95	2.45	—	29.40	30.66	—	1.26	128.40	140.35	—	11.95
3.	प्रोसेसिंग	4.04	4.09	—	0.05	2.46	5.97	—	3.51	—	—	—	—
4.	टिम्ड मीट	—	—	—	—	—	—	—	—	68.85	77.01	—	8.16
5.	चिल्ड मीट निर्यात/ सप्लाई	8.18	7.60	0.58	-	23.70	22.41	1.29	—	10.05	10.37	—	0 32
6.	मीट शोप जयपुर, दिल्ली	2.95	2.38	0.57	-	5.08	5.33	—	0.25	4.53	5 47	—	0.94
	योग :—	189.67	183.29	6.43	0.05	182.06	191.53	1.29	10.76	247.22	269.37	—	22.15
	प्रशासनिक व्यय	—	—	12.47	-	—	—	31.95	—	—	—	24.42	—
	शुद्ध हानि/लाभ	—	—	18.85	-	—	—	22.48	—	—	—	2.27	—

नोट:—ऊन क्रय एवं विक्रय के आंकड़ों में प्रारम्भिक शेष एवं अन्तिम शेष की राशि सम्मिलित है ।

परिशिष्ट 'ग'

ऊन के वर्ष वार बाजार भाव विवरण
ऊन विलप दर प्रति किलो

कल्पन काल		सफेद (अ)	चन्वानिया (ब)	पीली (स)
फरवरी, मार्च	78	34 रु. से 35 रु.	31 रु. से 34 रु.	31 रु. से 32 रु.
अगस्त सितम्बर	78	36 रु. से 37 रु.	30 रु. से 32 रु.	27 रु. से 30 रु.
अक्टूबर नवम्बर	78	34 रु. से 36 रु.	30 रु. से 33 रु.	28 रु. से 31 रु.
फरवरी मार्च	79	30 रु. से 35 रु.	31 रु. से 34 रु.	29 रु. से 32 रु.
अगस्त सितम्बर	79	36 रु. से 38 रु.	32 रु. से 34 रु.	28 रु से 32 रु.
अक्टूबर नवम्बर	79	32.50 रु. से 36 रु.	32 रु. से 33 रु.	32 रु. से 35 रु.
फरवरी मार्च	80	31 रु. से 33 रु.	29 रु. से 31 रु.	26. रु. से 29 रु.
अगस्त सितम्बर	80	20 रु. से 27 रु.	24 रु. से 25 रु.	22 रु. से 23 रु.
अक्टूबर नवम्बर	80	23 रु. से 25 रु.	22 रु. से 23 रु.	21 रु. से 22.50 रु.
फरवरी मार्च	81	27 रु. से 29 रु.	25 रु से 26 रु.	22 रु. से 26 रु.

कल्पन काल		सफेद (अ)	चन्दानिया (ब)	पीली (स)
अगस्त सितम्बर	81	24 रु. से 26 रु.	22 रु. से 23 रु.	20 रु. से 22 रु.
अक्टूबर नवम्बर	81	25 रु. से 26 रु.	23 रु. से 25 रु.	20 रु. से 21 रु.
फरवरी मार्च	82	21 रु. से 24 रु.	21 रु से 23 रु.	21 रु. से 22 रु.
अगस्त सितम्बर	82	20 रु. से 22 रु.	19 रु. से 21 रु.	16 रु. से 18 रु.
अक्टूबर नवम्बर	82	20 रु. से 22 रु.	19 रु. से 21 रु.	16 रु. से 18 रु.
मार्च अप्रेल	83	19 रु. से 21 रु.	18 रु. से 21 रु.	15 रु. से 17 रु.
जुलाई	83	20 रु. से 22 रु.	20 रु. से 21 रु.	19 रु. से 21 रु.
मार्च अप्रेल	84	20 रु. से 24 रु.	19 रु. से 23 रु.	20 रु. से 22 रु.
अगस्त सितम्बर	84	20 रु. से 21 रु.	20 रु. से 21 रु.	20 रु. से 22 रु.

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पुनरीक्षित स्वरूप

73. **श्री केदारनाथ** : (गंगानगर)

श्री नाथूसिंह (टोडाराय सिंह)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण का दूसरा चरण कब पूरा हो जायेगा ? इस पर कितनी राशि खर्च होगी ? केन्द्र द्वारा विशेष सहायता के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ?

(2) क्या सही है कि इन्दिरा गांधी नहर निर्माण की तकनीक में योजना के प्रारूप को बदला जा रहा है ? यदि हां, तो कृपया परिवर्तित योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(3) मुख्य योजना और परिवर्तित योजना में क्या-क्या अन्तर हैं तथा इससे क्या लाभ होगा ? इससे व्यय में क्या अन्तर आयेगा तथा योजना कब से लागू होगी ? क्या केन्द्रीय जल आयोग तथा योजना आयोग ने परिवर्तित योजना को स्वीकार कर लिया हैं ?

(4) इस परिवर्तन से क्या लाभ होगा ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(5) उक्त परिवर्तित नीतियों के कारण राजकोष पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा एवं इसके निर्माण में कितना विलम्ब होगा ?

(6) यह योजना जब आरम्भ की गई थी तब इसकी क्या लागत आंकी गई थी और पूर्ण होने तक कुल कितनी धनराशि लगेगी ? यह कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

उत्तर

1. इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण को वर्तमान स्वरूप के अनुसार पूर्ण करने के लिए 944.00 करोड़ रुपये की 1985 की कीमतों के आधार पर आवश्यकता है व इसके पूर्ण होने की तिथि अभी निश्चित रूप से नहीं सूचित की जा सकती केन्द्र सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में 40 करोड़ रुपये की विशेष सहायता उपलब्ध कराई व सातवीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने का प्रावधान रखा है।

2. इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में कुछ संशोधन विचाराधीन है जो मुख्यतया निम्नानुसार है :—

(1) पांच लिफ्ट नहरों को (साहवा, गजनेर, कोलायत, फलौदी, पोकरण) 60

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

मीटर तक की अधिकतम लिफ्ट के क्षेत्रों को सिंचाई करने के स्थान पर इन नहरों को पश्चिमी राजस्थान के मुख्य नगरों तक (साहवा नहर चूरू, लाडनूं तक, गजनेर नहर नागौर तक, कोलायत नहर आसोप तक एवं पोकरण नहर फलसुंड तक) ले जाना एवं पूरी लम्बाई में 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में सिंचाई करना। ये नहरें सिंचाई के पानी के अलावा पीने व अन्य उपयोगों का पानी भी ले जायेंगी। वर्तमान प्रस्तावित स्वरूप में पांच नहरों के अतिरिक्त एक छठी ऐसी ही नहर मुख्य नहर को बाड़मेर से जोड़ेगी।

(2) मुख्य नहर की आर. डी. 961 के आगे के भाग में साधारण तरीके से सिंचाई के स्थान पर सेवन घास के चरागाहों में हल्की सिंचाई से घास की उत्पादकता बढ़ा कर अधिकांश क्षेत्र को पशुपालन के लिए प्रयोग में लाया जायेगा।

संशोधित परियोजना का प्रारूप अभी बनाया जाना है।

3. मुख्य योजना और परिवर्तित प्रस्ताव अन्तर उपरोक्तानुसार है। परिवर्तित योजना से निम्नलिखित लाभ होंगे:—

(1) पश्चिमी राजस्थान के विशाल भू-भाग में पेयजल व अन्य उपयोगों के लिये जल उपलब्ध होगा।

(2) औसतन 50 कि.मी. के अन्तराल में रेगिस्तानी क्षेत्र में हरित पट्टियां होने के कारण मरुस्थल के विस्तार पर रोक लगेगी।

(3) राजस्थान में जहां के निवासियों का मुख्य पेशा पशुपालन है और जिन्हें बहुधा पानी व चारे की कमी के कारण अपने पशुओं को दूर दराज क्षेत्रों में ले जाना पड़ता है, इस संशोधित स्वरूप से उन्हें अधिक चारा व पेयजल उपलब्ध होने से बहुत लाभ होगा। इस योजना की क्रियान्विति से यह क्षेत्र आने वाले समय में भारी मात्रा में दूध, मांस, व ऊन उत्पादन करने वाला एक प्रमुख केंद्र बन जायेगा यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और स्वीकृत होने पर आगे की कार्यवाही आवश्यकतानुसार की जायेगी।

4. लाभ का विवरण प्रश्न के भाग तीन में वर्णित है।

5. इसका अनुमान संशोधित परियोजना प्रतिवेदन बनाने पर लगेगा। निर्माण में लगने वाला समय धन राशि की उपलब्धता के अनुसार होगा।

6. द्वितीय चरण की लागत सन् 1972 के तखमीने के अनुसार 89 करोड़ रुपये थी विचाराधीन संशोधित प्रारूप की लागत विस्तृत तखमीना बनाने के पश्चात् आंकी जा सकेगी। कार्य पूर्ण करने की तिथि संशोधित तखमीना की स्वीकृति व धन राशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

मदान कमेटी की सिफारिशों पर कार्यवाही

74 **श्री चून्नी लाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पोलोटेक्निक महाविद्यालयों में मदान कमेटी की सिफारिशों के अनुसार फोरमेन अनुदेशकों के पदों को भरने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या 20 से 25 वर्ष के अनुभवी व योग्य शिक्षक जिन्हें अपने सर्विस काल में एक भी पदोन्नति नहीं मिली है विभाग में उपलब्ध है व फोरमेन अनुदेशकों के पद भी उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो सरकार इन पदों पर नियुक्ति हेतु देरी किन कारणों से कर रही है ?

(3) फोरमेन अनुदेशकों के पद उपलब्ध होते हुए भी पदोन्नति न देकर व्याख्याता के पदों के अगेंन्स्ट इन शिक्षकों का वेतन क्यों व किन कारणों से उठाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) फोरमैन अनुदेशक के पद पोलोटेक्निक में वर्कशाप विभाग के लिए मदान कमेटी द्वारा सुझाये गये हैं तथा उनकी योग्यता भी निर्धारित की गयी है। इन पदों की योग्यता सेवा नियमों में अन्तिम रूप से शामिल करने की माह मार्च 1985 से कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) सेवा नियमों में पद की योग्यता शामिल करने के पश्चात निर्धारित योग्यता रखने वाले अनुदेशकों द्वारा इन पदों को भर दिये जायेंगे।

(3) मदान कमेटी की अभिशसा के अनुसार निम्नतम शैक्षणिक पद प्रवक्ता तथा फोरमेन अनुदेशक हैं जिनका वेतनमान समान है और एक समूह में स्वीकृत हुए है जिसके लिए योग्यता अभियांत्रिकी की स्नातक उपाधि है। डिमोंस्ट्रेटर/अनुदेशक के पद अब समाप्त किये जा चुके है लेकिन नियमित रूप से चयनित डिमोस्ट्रेटर/अनुदेशक जो कार्यरत है वे सब व्याख्याता के पद विरुद्ध अपने मूल पद पर ही बने रहेंगे। तथा अपने वर्तमान पद का ही वेतन पाते रहेंगे जब तक कि वे व्याख्याता या फोरमेन के पद की योग्यता अर्जित नहीं कर लेते हैं।

गोबर गैस संयंत्र

75. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने गोबर गैस संयंत्र हैं ? उनमें से कितने खराब हैं ? कृपया जिलेवार संख्या सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) विगत 3 वर्ष में राज्य में गोबर गैस संयंत्रों हेतु कुल कितनी राशि अनुदान

(१९०)

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

स्वरूप दी गई ? क्या यह सही है कि उक्त राशि का सदुपयोग नहीं हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि गोबर गैस संयंत्र राज्य में कहीं भी सफल नहीं हुए तथा खराब पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या इसके लिये दायित्व निश्चित किया गया है ?

उत्तर

(1) राज्य में मई, 85 तक 15449 गोबर गैस संयंत्र स्थापित किये गये जिनमें से 7788 संयंत्र वर्तमान में विभिन्न कारणों से चालू नहीं हैं। जिले-वार सूची सदन के पटल पर रखी जा रही है। इसमें से 6619 संयंत्र जनवरी, 85 से मई, 85 के दौरान बने हैं एवं अधिकांश में अभी गोबर चार्ज न होने से चालू नहीं हैं।

(2) विगत 3 वर्षों में (82-83 से 84-85) राज्य में कुल रुपये 308.50 लाख अनुदान स्वरूप दिये गये।

यह सही नहीं है कि अनुदान स्वरूप दी गई राशि का सदुपयोग नहीं हुआ है।

(3) यह सही नहीं है। जी हां कुछ संयंत्र बन्द भी पड़े हैं। जिनके विभिन्न कारण हैं, जैसे शुरू-शुरू में पर्याप्त मात्रा में गोबर व पानी उपलब्ध नहीं होना, तकनीकी प्रशिक्षित कारीगरों की कमी, कृषकों द्वारा रख-रखाव में उदासीनता आदि। वर्ष 83-84 तक स्थापित 5270 संयन्त्रों सर्वेक्षण के आधार पर पाया गया कि सिर्फ 138 संयंत्र तकनीकी खराबियों की वजह से चालू नहीं हैं। 339 संयंत्रों में चूल्हा एवं पाइप लाइन लगाना शेष था और शेष 2013 संयंत्रों में गोबर भरा जाना बाकी था। अतः जिला ग्रामीण विकास अभि करणों को निदेश दिये गये कि इन त्रुटियों एवं कमियों को जल्दी पूरा करके संयन्त्रों को चालू करायें।

खारची व देसूरी तहसील के ग्रामों में अकाल राहत कार्य

76. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष खारची व देसूरी तहसील के अकालग्रस्त किन-किन गांवों में अकाल राहत कार्य चालू किये गये। कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन गांवों में किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है ? ग्रामवार सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) अन्य अकाल ग्रस्त गांव होते हुए भी सरकार द्वारा प्रभावित लोगों को राहत कार्य खोल कर राहत नहीं पहुंचाने के क्या कारण हैं ?

(राहत मंत्री)

उत्तर

(1) खारची व देसूरी तहसील के अकालग्रस्त गांवों में चालू किये गये सहायता कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रत्येक कार्य पर खर्च की गई राशि की सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(3) केन्द्रीय सहायता सीमा एवं राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर सूखे से प्रभावित लोगों को, राहत कार्य खोलकर राहत पहुंचाई जाती है। अतः प्रत्येक अकालग्रस्त गांव में राहत कार्य खोलना सम्भव व व्यवहारिक नहीं है।

112

तहसील देसूरी में स्वीकृत एवं चल रहे सहायता कार्यों की सूची

क्र. स.	ग्राम एवं कार्य का नाम	अब तक खर्च की गई राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	खोड गोचर	90,900	
2.	सेदरिया खडोन	35,800	
3.	नीपल गोचर	27,200	
4.	खोड एनीकट	—	
5.	ढोला से मांडल सड़क	37,424	
6.	बुसी से खोड	1,74,263	
7.	खोड बाड़ बचाव	10,000	
8.	पावाई तालाब गहरा बूसी	—	
9.	प्रतापगढ़	—	
10.	पिलोवनी	—	
11.	बोलाकुडा	—	
12.	ऐलानी	—	
13.	मगर तालाब खडीन	60,200	
14.	डायलाना गोचर	92,400	
15.	ढोलोप गोचर	51,700	
16.	पलोता	26,517	

तहसील मारवाड़ जंक्शन में स्वीकृत व चल रहे सहायता कार्यों की सूची

1	2	3	4
1.	दुदोड एनीकट	18,000	
2.	मारवाड़ जंक्शन से डीगोर प्याऊ	53,000	
3	मारवाड़ जंक्शन से वोपारी सड़क	15,096	

1	2	3	4
4.	बागोल जोजावर सड़क	6,778	
5.	फोलाद से जोजावर	6,990	
6.	खारची से राणावास सड़क	1,014	
7.	वोपारी से कण्टालिया	17,265	
8.	फुलाद बांध ऊंचा करने	14,000	
9.	पाचेटिया एनीकट मरम्मत	—	
10.	नाडी खुदाई भगोडा	—	
11.	नाडा खुदाई लामडा	—	
12.	मारवाड़ जंक्शन वाड़ बचाव	5,300	
13.	राजकीय वास खडीन	1,020	
14.	वोपारी एनीकट	1,240	
15.	भगोडा 100 हैक्टर	34,031	
16.	सिरीयादी	34,031	
17.	जाड़न 100 हैक्टर	4,043	
18.	पलोद	9,394	
19.	वोपारी	—	

(194)

बन्ध बरेठा एवं बयाना के ऐतिहासिक किलों को पर्यटन स्थल बनाना

77. **श्री ब्रजेन्द्र सिंह** (बयाना) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार का बन्ध बरेठा एवं बयाना के ऐतिहासिक किले को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने का विचार है ?

(2) यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

रतनगढ़ कस्बे में महाविद्यालय की मांग

78. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

रतनगढ़ शहर की आबादी कितनी है ? क्या वहां कालेज खोलने की भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने गत वर्ष घोषणा की थी एवं तदनुसार वहां एक प्रिन्सिपल की नियुक्ति भी की गई थी ? यदि हां, तो अब सरकार कालेज कब तक खोल देगी ?

उत्तर

रतनगढ़ शहर की जनसंख्या 43,366 है। पूर्व मुख्य मंत्री महोदय की घोषणानुसार एक प्राइवेट कालेज खोलने का निर्णय जालान ट्रस्ट द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने के वायदे के आधार पर लिया गया था किन्तु ट्रस्ट द्वारा यह वायदा अब तक पूरा नहीं किया गया।

इस आशा में कि भवन का निर्माण ट्रस्ट करवा देगा, राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार किया गया व प्रारम्भिक कार्य हेतु एक प्राचार्य की भी नियुक्ति कर दी गई किन्तु दानदाता द्वारा आवश्यक सहयोग के अभाव में संस्था प्रारम्भ नहीं हो सकी व प्राचार्य का वापस स्थानान्तरण करना पड़ा।

इस वर्ष धनाभाव के कारण राज्य सरकार द्वारा कोई नया कालेज नहीं खोला जा रहा है।

मार्केटिंग सोसायटी, इटावा द्वारा सरसों की खरीद

79. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मार्केटिंग सोसायटी, इटावा द्वारा सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है ? यदि हां, तो खरीद केन्द्र कहां कहां पर है ? किस तारीख से खरीद शुरू हुई और किस किस तारीख को खरीद की गई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र पर पर्याप्त सरसों नहीं खरीदने से किसानों को मंडी में कम भाव पर सरसों बेचने को

(195)

(सहकारिता मंत्री) :

मजबूर होना पड़ा ? यदि हां, तो इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, एक खरीद केन्द्र इटावा मण्डी में स्थित हैं तथा दिनांक 13.5.85 से इस केन्द्र पर खरीद शुरू हुई। किस-किस तारीख को खरीद की गई है, इसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं, दुकान पर जो भी काश्तकार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सरसों लेकर आयी उसकी खरीद की गई।

इटावा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. इटावा (कोटा) द्वारा सरसों खरीद स्टेटमेंट तिथिवार

	प्रथम ग्रेड			द्वितीय ग्रेड			कुल योग	
दिनांक	मात्रा	दर	राशि	मात्रा	दर	राशि	मात्रा क्वि.	राशि क्वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.5.85	28.05	385	10799.25	58.65	375	21993.75	86.70	32793.00
14.5.85	4.25	385	1636.25	82.45	375	30918.75	86.70	32555.00
15.5.85	16.15	,,	6217.75	109.95	,,	41118.75	125.80	47336.50
16.5.85 बारदाना नहीं होने से खरीद बन्द रखी गई।								
17.5.85	44.20	,,	17017.00	185.30	,,	69487.50	229.50	86504.50
18.5.85	109.95	,,	42215.25	351.90	,,	131962.50	461.55	174177.75
19.5.85 को रविवारीय अवकाश रहने के कारण बन्द रहा।								
20.5.85 को बारदाना नहीं होने से खरीद बन्द रखी गई।								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.5.85	149.50	385	57596.00	389.30	375	145987.50	538.90	203583.50
22.5.85 को राजकीय अवकाश रहने के कारण अवकाश रखा गया ।								
23.5.85	46.85	,,	17998.75	115.60	,,	433350.00	162.35	61348.75
24.5.85 बारदाना नहीं होने से खरीद बन्द रखी गयी ।								
25.5 85	48.45	,,	18653.25	332.25	,,	12463.25	380.00	143284.50
26.5.85 को रविवारीय अवकाश होने से खरीद बन्द रखी गई ।					,,			
27.5.85 से 30.5.85 तक ग्राम सभा व्यवस्था हेतु खरीद बन्द रही ।								
31.5.85	113.05	,,	43524.25	221.00		82875.00	334.05	126399.25
जून 85								
1.6.85	5343.40	385	132209.00	394.40	375	147900.00	737.80	280109.00
2.6.85 को रविवारीय अवकाश के कारण खरीद बन्द रही ।								
3.6.85	480.15	,,	184896.25	564.40	,,	211650.00	1044.65	396546.25

(197)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.6.85	90.10	385	34688.50	312.80	375	117300.00	402.90	151988.50
5.6.85	276.25	,,	106356.25	251.60	,,	94350.00	527.85	200706.25
6.6.85	212.50	,,	81812.50	218.45	,,	31918.75	430.95	163731.25
7.6.85	112.20	,,	43197.00	249.05	,,	93393.75	361.25	136590.75
8.6.85	303.45	,,	116828.25	312.80	,,	177300.00	616.25	223128.25
9.6.85 को रविवारीय अवकाश के कारण खरीद बन्द रखी गई ।								
10.6.85	227.95	,,	107010.75	249.05	,,	93393.75	527.00	200404.50
11.6.85	395.25	,,	152171.25	436.90	,,	163737.50	832.15	31078.75
12.6.85	85.85	,,	33052.25	396.9S	,,	148856.25	482.80	181908.50
13.6.85	183.60	,,	70686.00	335.75	,,	125906.25	519.35	196592.25
14.6.85	331.50	,,	127625.50	334.90	,,	125587.50	666.40	252213.00
15.6.85	238.85	,,	19157.25	439.45	,,	164793.75	678.30	256792.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.6.85 को रविवारीय अवकाश रहा ।								
17.6.85	272.00	385	104720.00	425.00	375	159375.00	697.00	264095.00
18.6.85	163.20	,,	628312.00	302.60	,,	113475.00	465.80	17637.00
19.6.85	736.95	,,	283725.75	648.55	,,	243206.25	1385.50	526932.00
20.6.85 इदुलफितर का अवकाश रहा ।								
21.6.85 बारदाना नहीं होने से खरीद बन्द रखी गई ।								
22.6.85	353.60	,,	136136.00	549.95	,,	206231.25	903 55	342367.25
23.6.85 को रविवारीय अवकाश रहा ।								
24.6.85	438.60	,,	168861.00	132.95	,,	72356.25	631.55	241217.25
25.6.85 को बारदाना नहीं होने से खरीद बन्द रही ।								
26.6.85	120.70	,,	46469.50	112.20	,,	42075.00	232.90	88544.50

199

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.6.85 को पेमेन्ट व्यवस्था नहीं होने से खरीद बन्द रही ।								
28.6.85	—	—	—	17.85	375	6693.75	17.85	6693.75
29.6.85 को खाता बन्द होने से खरीद बन्द रही ।								
30.6.85 को रविवारीय अवकाश रहा ।								
कुल योग	6076.65		2278743 75	8830.65		3372247.65	14907.30	5650991.40

दूदू क्षेत्र में अकाल राहत कार्य

80. **श्री जय कृष्ण तोसावड़ा (दूदू)** : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में कौन-कौन से गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये है तथा कौन कौन से अकाल ग्रस्त ग्राम नहीं ? कृपया दोनों प्रकार के गांवों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जिन अकालग्रस्त गांवों को अकाल ग्रस्त गांवों की सूची में नहीं लिया गया है उसके क्या कारण हैं ? क्या इस बारे में कोई नार्म्स निश्चित हैं ?

(3) ऐसे गांवों को कब तक अकाल-ग्रस्त सूची में सम्मिलित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) अभावग्रस्त घोषित गांवों की एवं जिन गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया है, सूची सदन की पटल पर रख दी है।

(2) राज्य सरकार की नीति के अनुसार जिन ग्रामों में खरीफ फसल में 50 प्रतिशत से कम क्षति हुई है उन्हें अभाव-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

(3) खरीफ फसल में 50 प्रतिशत से कम क्षति के गांव राज्य सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अभावग्रस्त घोषित करना सम्भव नहीं है।

(202)

विधान सभा क्षेत्र दूदू के अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम
1	2
1.	झाग
2.	तन झाग
3.	माधोसिंहपुरा
4.	मीरापुरा
5.	चक मीरापुरा
6.	मरवा
7.	पानवा कलां
8.	मोरडा
9.	आदरखा
10.	ममाणा
11.	निमली
12.	बोवडावास
13.	मोरडी कला
14.	बिचून
15.	सूरी
16.	लाजपुरा
17.	नागरडू
18.	श्रीरामनगर
19.	गोपीपुरा

1	2
20.	चरासड़ा
21.	छाया
22.	दूदू
23.	सेवा
24.	खडियाला
25.	भोजपुर
26.	मांगलवाड़ा
27.	नवरंगपुरा
28.	भकोलड़
29.	गाडोता
30.	कापडियावासखुर्द
31.	श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ो
32.	चक नासनोता
33.	गंगातीकला
34.	गंगातीखुर्द
35.	खटवाड़
36.	किशनपुरा
37.	चक दूदू
38.	सावरदा
39.	चकनार
40.	चक भाग
41.	श्री निवासपुरा

(204)

1	2
42.	सावली
43.	बिहारीपुरा
44.	रामपुरा भूरटिया
45.	डेड
46.	मोजमाबाद
47.	रसीली
48.	रोशनपुरा बनेडिया
49.	खेड़ी सुवा
50.	डोगरा
51.	डोगरी
52.	श्रीरामपुरा
53.	गणेशपुरा
54.	धमाणा
55.	सवाई माधोसिंहपुरा
56.	लोरडी
57.	गिदानी
58.	पालू कलां
59.	पालू खुर्द
60.	अर्जुनपुरा
61.	मानपुरा
62.	चक महेशपुरा
63.	सालो

1	2
64.	छिरें
65.	सिरोहिकला
66.	लदेरा
67.	गहलोता
68.	धांधोली
69.	गोठडा
70.	इटाखोह
71.	नगरी
72.	कचनारिया
73.	सनोदिया
74.	लापोडिया
75.	हरसोली
76.	छापरवाड़ा
77.	उरसेवा
78.	खेडी चारण
79.	बिजोलाव
80.	जैकमपुरा
81.	मालेडा
82.	मालेडा
83.	उदयपुरा
84.	पडासोली
85.	बाढ़ ककराला

1	2
86.	ककराला
87.	श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ा
88.	बिगोलाव
89.	पवालिया
90.	दातड़ा
91.	जड़ावता
92.	गैंजी
93.	कोटमीना
94.	सरथला
95.	डेडवाड़ा
96.	नांगल
97.	छापरी
98.	जावली
99.	गोविन्दपुरा
100.	हुक्सपुरा
101.	हचूका
102.	भीरावता
103.	सीगला
104.	दोबड़ी
105.	रिएाजी
106.	कालदा
107.	शेखपुरा

1	2
108.	सीतारामपुरा
109.	मोरडी खुर्द
110.	बरडोटी
111.	मीडक्या
112.	पानवा
113.	श्रीरामपुरा
114.	मोरुदा
115.	मण्डवी
116.	सिरोहीखुर्द
117.	सोलावता
118.	कोटेडा
119.	मारायना
120.	चैनपुरा
121.	पीथ्यावास
122.	मारदपुरा
123.	चारणवास
124.	कंदेवली
125.	मोरसर

208

विधान सभा क्षेत्र चूरू के ग्राम जो प्रभावग्रस्त घोषित नहीं हुये हैं।

क्र.सं.	गांव का नाम 2
1.	बिचून
2.	मैराना
3.	उगरियावास
4.	गाडोती
5.	सीतारामपुरा
6.	नासनोता
7.	कापडियावास कला
8.	साखुन
9.	गुढ़ा बेरसल
10.	बोराज
11.	कोट जेवर
12.	रेटा
13.	रेटी
14.	परियादपुरा
15.	महेशपुरा
16.	गुढ़ासायपुरा
17.	बागेत
18.	रहलाना
19.	केरिया बुजुर्ग
20.	महंत गांव

1	2
21.	गैंगा
22.	केरिया खुर्द
23.	चांदर मूल
24.	महला
25.	केसरीसिंहपुरा
26.	झरना
27.	गिरधारीपुरा
28.	कल्याणसर
29.	गोपालपुरा
	दांतरी
31.	सुनाडिया
32.	तन छापरवाड़ा
33,	सवाई मानसिंहपुरा
34-	रामनगर
35.	भावसा
36.	शार्दूलपुरा
37.	श्योसिंहपुरा
38.	सामलपुरा
39.	हरीपुरा
40.	बाधपुरा
41.	मातरडा

210

1	2
42.	कांचरोदा
43,	रोजड़ा
44.	माल्यावास
45.	सूरसिंहपुरा
46.	भाजीपुरा
47.	आकोदा
48.	पालवास
49.	खेडीराम
50.	हिरनोदा
51.	महेशवास
52.	ढाणी बोराज
53.	ढोढा
54.	आसलपुर
55.	बाढ़ मथुरादास
56.	बोबा
57.	चंदपुरा
58.	बुधजी का बास
59.	चक बुधजी का बास
60.	ढाणी चंदपुरा

1	2
61.	बामनियावास
62.	डाकनियावास
63.	कवरपुरा
64.	खेड़ी अलूफा
65.	आइदान का बास
66.	बस्सी झाझड़ा
67.	गुढ़ा कुमावतान
68.	रामपुरा
69.	सरदारपुरा
70.	नरायणा

बाड़मेर जिले में लिफ्ट सिस्टम द्वारा पेयजल व्यवस्था

81. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से बाड़मेर जिले की किस-किस तहसील को लिफ्ट द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा ? पानी कहां से लिफ्ट किया जायेगा ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के कुल कितने ग्राम इससे कब तक लाभान्वित हो पायेंगे एवं इस हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है ?

(3) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल एवं चरागाह विकास हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है ? बाड़मेर जिले में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है। क्या यह पर्याप्त है ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त योजना में जन सहयोग लेकर यथा शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के अन्तिम छोर के किसी स्थान से जैसलमेर/बाड़मेर तक के लिए एक नई लिफ्ट नहर ले जाने के लिए प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। यह नहर 8 कि.मी. चौड़ी पट्टी में सिंचाई करने के लिए और इस क्षेत्र की पेयजल एवं अन्य उपयोगों के जल की आपूर्ति के लिए होगी। इस नहर का सर्वे होना अभी बाकी है। सर्वे के बाद ही यह कहा जा सकता है कि यह बाड़मेर जिले की किस-किस तहसील को जल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(2) यह सूचना सर्वे के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी।

(3) सातवीं योजना के लिए इन्दिरा गांधी नहर के लिए 262 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसका कुछ भाग चरागाह क्षेत्रों में जल उपलब्ध करने के लिए वितरण प्रणालियां बनाने के लिए किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। पेयजल के संबंध में आवश्यक जानकारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ही दे सकता है।

(4) जन सहयोग का सदैव ही स्वागत किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक शालायें पंचायतों के अधीन करना

82. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उच्च प्राथमिक शिक्षण शालायें पंचायतों के अधीन देने की भूतपूर्व सरकार ने घोषणा की थी ?

(2) यदि हां, तो निर्णयानुसार ये शिक्षण संस्थायें कब तक पंचायत प्रशासन को सौंप दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अनेक व्यवहारिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण उच्च प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को पंचायतों के अधीन देने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में आरक्षण

83 श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या सैनिक कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के नियम हैं ?

(2) क्या भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिशत की शत प्रतिशत पूर्ति नौकरियों में आरक्षण देकर की गयी है ? यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में राज्य में कितने भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में रखा गया है ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) राज्य में कितने भूतपूर्व सैनिक ड्राइवरों के नाम राज्य सैनिक बोर्ड के कार्यालय में दर्ज हैं और इन्हें कब तक सरकार रोजगार उपलब्ध करा देगी ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) पिछले एक वर्ष में राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को क्या-क्या सुविधायें (धन्धे) मुहैया करवाई गयी हैं ? कृपया जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों का निम्न प्रकार से आरक्षण है:—

(1) चतुर्थ श्रेणी पन्द्रह प्रतिशत

(2) अन्य साढ़े बारह प्रतिशत

(2) पिछले एक वर्ष में 1818 भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में रखा गया है। जिलेवार सूची 'परिशिष्ट' 'क' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जिलेवार सूची 'परिशिष्ट' 'ख' सदन के पटल पर रख दी है।

(4) सूची 'परिशिष्ट' 'ग' सदन के पटल पर रख दी गई है।

परिशिष्ट "क"

भूतपूर्व सैनिकों को पुनः नियोजन की जिलेवार सूचना

क्रमांक	जिले का नाम	सैनिकों की संख्या जिनको नौकरी दिलाई गई है।
1.	अलवर	15
2	अजमेर	87
3.	बीकानेर	107
4.	भरतपुर	77
5.	चूरू	45
6.	जयपुर	133
7.	जोधपुर	249
8.	झुन्झुनू	699
9.	कोटा	43
10.	नागौर	162
11.	पाली	—
12.	सीकर	75
13.	सवाई माधोपुर	35

1	2	3
14.	उदयपुर	73
15.	बाड़मेर	18
16.	गंगानगर	—
	योग:—	1818

परिशिष्ट "ख"

ड्राइवरों की जिलेवार सूची

क्रमांक 1	जिले का नाम 2	संख्या 3	टिप्पणी 4
1.	अलवर	16	रिक्त रहे पदों की सूचना आने पर रोजगार दिलाने का पूर्ण प्रयास किया जावेगा।
2.	अजमेर	5	
3.	भरतपुर	3	
4.	चूरू	1	
5.	जयपुर	70	
6.	टोंक	4	
7.	जोधपुर	2	
8.	झुंझुनू	26	
9.	बूंदी	1	
10.	नागौर	25	
11.	पाली	1	
12.	सीकर	20	
13.	सवाई माधोपुर	2	
14.	गंगानगर	2	
	योग	178	

परिशिष्ट "ग"

सैनिकों के पुनर्वास हेतु दी गई सुविधाओं (धन्धे) का जिलेवार विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	इण्डेस्ट्रीयल प्लाटंस	मिल्क बौडिंग बूथ	जयवान स्टॉल	नेशन परमिट	फेयर प्राइज शोप	कृषि भूमि आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलवर	—	5	—	—	3	2000 भू. पू सैनिकों को लाटरी पद्धति से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 50000 बीघा भूमि आवंटन की।
2.	अजमेर	—	2	—	3	2	
3.	बीकानेर	4	—	—	—	—	
4.	चूरू	—	—	—	2	—	
5.	भरतपुर	—	—	3	2	8	
6.	जयपुर	—	—	—	7	—	
7.	जोधपुर	—	—	1	2	5	
8.	झुन्झुनू	—	—	—	—	—	
9.	कोटा	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	नागौर	—	—	1	1	-	
11.	पाली	—	—	—	—	-	
12.	सीकर	—	—	1	1	-	
13.	सवाईमाधोपुर	—	—	—	—	-	
14.	उदयपुर	—	—	—	—	-	
15.	बाड़मेर	—	—	—	—	-	
16.	गंगानगर	—	—	—	—	-	
	योग:—	4	7	6	18	18	

गुडामालानी तहसील को बाड़मेर मुख्यालय व धोरीमन्ना पंचायत समिति मुख्यालय से जोड़ना

84. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडामालानी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गुडामालानी तहसील बाड़मेर जिला मुख्यालय व पंचायत समिति मुख्यालय धोरीमन्ना से सीधी डामर सड़क से जुड़ी हुई नहीं है। यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1985-86 में उक्त तहसील को जिला मुख्यालय व पंचायत समिति मुख्यालय से सीधी सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तहसील जाने के लिए जिला मुख्यालय से सिणधरी या रामजी का गोल होकर जाना पड़ता है जिससे करीब 40-50 कि. मी. की ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है एवं पंचायत समिति धोरीमन्ना मुख्यालय हेतु गुडामालानी जाने के लिए करीब 15-20 कि. मी. ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सीधी सड़क का निर्माण आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो इन सीधी सड़कों को कब तक पूरा करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। गुडामालानी तहसील मुख्यालय बाड़मेर जिला मुख्यालय व पंचायत समिति मुख्यालय धोरीमन्ना से सीधी डामर सड़क से जुड़ी हुई नहीं है। वर्ष 1985-86 में इस तहसील को बाड़मेर व धोरीमन्ना से सीधी डामर की सड़क से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) जी हां, यह सही है कि उक्त तहसील जाने के लिये डामर मार्ग जिला मुख्यालय से सिणधरी या रामजी का गोल होकर जाता है एवं पंचायत समिति मुख्यालय धोरीमन्ना से गुडामालानी जाने के लिये 10 कि. मी. अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। फिलहाल सीधी सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हैण्डीक्राफ्ट्स इन्स्टीट्यूशन्स में प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति

85. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) यह सही है कि राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा क्रमांक एफ./139/115-42/सा. वि. प्रशासन 8181/1802, दि 31/7/1982 के अनुसार भारपकर टेलरिंग कॉलेज, बम्बई द्वारा संचालित परीक्षाओं को राजकीय हैण्डीक्राफ्ट, इन्स्टीट्यूट, जयपुर के समकक्ष अध्यापकों की नियुक्ति हेतु माना है ?

(2) इस प्रकार के सरकारी व मान्यता प्राप्त हैण्डीक्राफ्ट इन्स्टीट्यूशन से प्रशिक्षित

(श्री हीरासिंह चौहान)

कितने अध्यापकों को नियुक्ति पंचायत समितियों में दी गई है ? नियुक्त किये गये अध्यापकों की सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 14 जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर इस प्रकार के 63 अध्यापकों को पंचायत समितियों में नियुक्ति दी गई है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	नाम जिला	अध्यापक का नाम
1	2	3	4
1.	राजगढ़	चूरू	1. श्री हरिसिंह
2.	चूरू	चूरू	2. ,, हरफूल सिंह
3.	सुजानगढ़	चूरू	3. ,, भागीरथदास
			4. ,, उम्मेदखां
			5. ,, रोशनअली
4.	लक्ष्मणगढ़	अलवर	6. ,, रमनलाल
			7. ,, पदम चन्द मिश्रा
			8. ,, विमलचन्द यादव
			9. ,, मुरारीलाल शर्मा
			10. ,, सरजीवन लाल
5.	थानागाजी	अलवर	11. ,, साधुराम
6.	रैणी	अलवर	12. ,, भौरेलाल
			13. ,, रामचरण
			14. ,, प्रकाशचन्द्र
7.	रामगढ़	अलवर	15. ,, चेतराम जाट
8.	खण्डसार	सवाईमाधोपुर	16. ,, अब्दुल सलीम
			17. ,, रमेशचन्द्र शर्मा
			18. ,, धन्नालाल गूजर
			19. ,, सुरेन्द्र सिंह
			20. ,, प्यारेलाल कोली
			21. ,, बद्रीलाल

1	2	3	4
			22. श्री दुर्गाशंकर
			23. ,, लक्ष्मण प्रसाद शर्मा
			24. ,, कमलेश कुमार
			25. ,, सुरेन्द्र कुमार
			26. ,, मोतीलाल बैरवा
9.	करौली	सवाईमाधोपुर	27. सुश्री सन्तोष पाठक
			28. श्री अशोक कुमार
			29. ,, सतीशचन्द
			30. ,, शिवदयाल गुप्ता
			31. ,, कैलाशचन्द
			32. ,, मो. रफी
			33. ,, रामगोपाल
			34. ,, बाबूलाल
10.	सपोटरा	सवाईमाधोपुर	35. ,, बनवारीलाल
			36. ,, रामप्रसाद शर्मा
			37. ,, गोपालकृष्ण शर्मा
			38. ,, सुश्री सावित्री देवी
11.	बामनवास	सवाईमाधोपुर	39. ,, श्री प्रेमशंकर शर्मा
			40. ,, रामचरण धाकड़
			41. ,, गिरधारी लाल
12.	गंगापुर	सवाईमाधोपुर	42. ,, जगन्नाथसिंह
			43. ,, मोहनलाल जोशी
13.	निवाई	टोंक	44. ,, दामोदर प्रसाद पारीक
14.	हिण्डोली	बूंदी	45. ,, दीनदयाल जाट
15.	बाली	पाली	46. ,, रमेशचन्द

1	2	3	4
			47. श्री उमराव सिंह
16.	पाली	पाली	48. ,, सुगनचन्द
17.	सोजत	पाली	49. ,, छाजूराम
18.	कपासन	चित्तौड़गढ़	50. श्रीमती आशादेवी
19.	भूपालसागर	चित्तौड़गढ़	51. श्री शिवनारायण राजौरा
			52. ,, शफी मोहम्मद
20.	भरनोद	चित्तौड़गढ़	53. ,, वरदीशंकर जोशी
			54. ,, माधवलाल कुम्हार
			55. ,, उदयलाल बारबर
			56. ,, शिकरण शर्मा
			57. ,, रामप्रसाद शर्मा
21.	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	58. ,, मोहनलाल माली
			59. ,, छगनलाल माली
			60. ,, गगन प्रकाश
			61. ,, जगदीश प्रसाद शर्मा
			62. ,, जगदीश प्रसाद
			63. ,, जगदीश प्रसाद

224

चावल पर लेवी

86. श्री मोहन छंगाणी (फलौदी)

श्री नाथूसिंह (टोडाराय सिंह) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1984-85 के खरीफ सीजन में सुपरफाइन, फाइन एवं कॉमन किस्मों के चावलों के अतिरिक्त बासमती चावल पर भी लेवी लगाने हेतु भारत सरकार के निदेश प्राप्त हुए थे ?

(2) क्या यह सही है कि सितम्बर, 1984 में ही भारत सरकार से प्रस्तावित आदेश जारी करने की सहमति प्राप्त हो गई थी और इस आदेश में चावल मिलों और थोक व्यापारियों से 50 प्रतिशत की दर से लेवी वसूल करने का प्रावधान था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आदेश राज्य सरकार द्वारा 20-4-1985 को जारी किया गया जब तक सीजन समाप्त हो गया था ?

(4) क्या यह सही है कि आदेश जारी करने में विलम्ब के कारण सरकार बासमती चावल लेने से वंचित रही और चावल मिलों और थोक व्यापारियों ने बासमती चावल बहुत ऊंचे भावों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाया ? इससे राज्य सरकार को कुल कितना नुकसान उठाना पड़ा ?

(5) क्या सरकार ने इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि सितम्बर, 1983 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को चावल की लेवी से सम्बन्धित कोई आदेश भेजे गये थे ? यदि हां, तो वे क्या आदेश थे ? कृपया आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1984 द्वारा सामान्य चावल पर 50% तथा बासमती चावल पर 25% लेवी लगाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान की थी।

(3) चावल पर लेवी लगाने का आदेश दिनांक 20-4-1985 को जारी किया गया। चावल लेवी अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर एवं जनवरी महिनों में अधिक तथा बाद के महिनों में कम प्राप्त होती है। चावल लेवी सीज़न अक्टूबर से सितम्बर तक मानी गयी है।

(4) राज्य सरकार का निर्णय मार्च, 1985 में होने से आदेश जारी करने में विलम्ब अवश्य हुआ परन्तु इससे राज्य सरकार को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा क्योंकि चावल की लेवी पुराने आदेशों के तहत निरन्तर वसूल होती रही है। 1983-84 में अक्टूबर से जून तक 42331 टन

(खाद्य एवं रसद मंत्री)

लेवी वसूल हुई थी, परन्तु इस वर्ष 1984-85 में अक्टूबर से जून तक 45241 टन चावल लेवी वसूल हो चुकी है।

(5) वासमती पर लेवी लगाने का मामला आलोच्य अवधि में राज्य सरकार के पास लम्बी अवधि तक विचाराधीन रहा, अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) जी नहीं।

जयपुर स्थित गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रशासकों की नियुक्ति

87. **श्री मानिक च द सुराना** (लूणकरणसर)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में कुल कितनी पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं तथा इनके दफ्तर कहां कहां स्थित हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने जयपुर की गृह निर्माण सहकारी समितियों पर प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय किया था ? यदि हां, तो कितनी सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त किया जाने वाला था ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार अपने उपरोक्त निर्णय को क्रियान्वित कर पाई ? यदि हां, तो जयपुर की कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों पर राज्य सरकार का प्रशासक कार्यरत है तथा कब से ?

(4) कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों ने राज्य सरकार के विरुद्ध दीवानी अदालतों से निषेधाज्ञा प्राप्त करके राज्य सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त किये जाने के निर्णय को क्रियान्वित नहीं होने दिया था ? कृपया ऐसी सहकारी समितियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) सहकारी समितियों द्वारा किये गये ऐसे दीवानी दावों में क्या राज्य सरकार एक में भी सफलता प्राप्त कर सकी ? यदि हां, तो किसमें ?

(6) कितनी समितियों में प्रशासक की नियुक्ति के बाद चुनाव कराये गये हैं ?

(7) प्रशासक की नियुक्ति के बाद कितनी समितियों की जांच हुई है ? क्या क्या गड़बड़ी किस-किस समिति में पाई गई है, तथा उक्त अनियमितताओं के दोषियों को क्या सजा दी गई है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर नगर में कुल 215 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत है सूची मय उनके पंजीकृत कार्यालय के पते जो वर्तमान रेकार्ड में उपलब्ध हैं, सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां, 45 गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश पंजीयक को दिये गए थे। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां, 9 गृह निर्माण सहकारी समितियों में जनवरी, 83 से प्रशासक कार्यरत हैं।

(4) 26 समितियों में प्रशासक नियुक्ति के आदेशों के विरुद्ध दीवानी अदालतों से निषेधाज्ञा प्राप्त करके प्रशासक नियुक्त किए जाने के निर्णय का क्रियान्वन नहीं होने दिया। सूची सदन के पटल पर रख दी गई।

(5) न्यायालय में विचाराधीन मामलों में से 24 में अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त करवा ली गई है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(6) उपरोक्त 45 समितियों में से 25 में चुनाव करवा लिए गए हैं।

(7) प्रशासक की नियुक्ति के बाद एक समिति अरविन्दनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि, की जांच पूर्ण हो चुकी है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

गृह निर्माण सहकारी समितियां, जयपुर (शहर)

क्र.सं.	नाम गृह निर्माण सह. समिति	दफ्तर का पता
1	2	3
1.	पंजाबी हा. को. सी. लि.	गली न. 1, राजापार्क, जयपुर।
2.	चांदपोल रिफूजी शोप कीपर को. ओ. हा. सो.	चांदपोल बाहर, रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।
3.	जयपुर रिफूजी को.ओ.हा.सो.	गीता भवन, आदर्श नगर, जयपुर।
4.	ब्रह्मपुरी ,, ,,	श्री श्याम भार्गव, ब्रह्मपुरी, जयपुर।
5.	वर्मा दि स. परसंन ,,	वर्माजी कालोनी, सेठी कालोनी 59, जयपुर।
6.	पंजाबी रिहबिलेशन ,,	श्रीमति शकुन्तला भार्गव सेवा सदन आदर्श नगर, जयपुर।
7.	जर्सनुर पुरुषार्थी ,,	टौंक फाटक, शहीद का गट्टा, जयपुर।
8.	सिंधी को. हा. सो. लि.	शिवमार्ग, बनी पार्क, जयपुर।
9.	सहकारी मित्र गृ.नि.सह. लि.	जमना नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
10.	मित्र गृह नि. सह. समि. लि.	अजमेर रोड, जयपुर।
11.	आदर्श ,,	प्रशासक के पास चार्ज है।
12.	सुदर्शनपुरा ,,	प्रशासक ए.आर. के पास चार्ज है।
13.	जय अम्बे ,,	चार नं. डिस्पेन्सरी, सोडाला रोड, जयपुर।
14.	बडोदिया बस्ती ,,	स्टेशन रोड, रजिस्ट्रार कार्यालय के पीछे, जयपुर।
15.	बस्सी सीताराम कच्ची बस्ती गृह निर्माण सह. समिति लि.	झोटवाड़ा, जयपुर।

(228)

1	2	3
16.	भारत भवन निर्माण सस. लि.	टौंक रोड, वसुन्धरा कोलोनी, जयपुर।
17.	बन्धु ,, ,,	नारी का नाका, जयपुर।
18.	जगजीवन गृ. ,, ,,	टौंक फाटक, जयपुर।
19.	श्रीकृष्ण गृ. ,, ,,	नारी का नाका, जयपुर।
20.	न्योजगजीवन ,, ,,	दरबार स्कूल तोपखाना, देश का रास्ता, जयपुर।
21.	बजाज नगर हा.सो. को.लि.	शहीद का गट्टा, टौंक रोड, जयपुर।
22.	जवाहर पुरी ,,	जनता बाजार, जयपुर।
23.	किसान ,, ,,	टौंक फाटक, जयपुर।
24.	लालालाजपत राय ,,	नाहरी का नाका जयपुर।
25.	श्रोम शिव ,, ,,	बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग, जयपुर।
26.	विश्वकर्मा ,, ,,	सेक्टर नं. 2, नाहरी का नाका, जयपुर।
27.	जयपुर हसनपुरा बी ,,	हसनपुरा बस्ती सोडाला रोड, जयपुर।
28.	श्रानन्द भवन गृ.नि.सस. लि.	गांधी नगर मोड़, जयपुर।
29.	श्रम्बेश्वर गृ.नि.स.स लि.	श्रम्बेश्वर नगर सोनलाल।
30.	बदनपुरा फकीरों की डूंगरी गृ. निर्माण सह.स. लि.	दैनिक नवज्योति, स्टेशन रोड, जयपुर।
31.	जलमहल के. हा सो.लि	खजाने वालों का रास्ता, जयपुर।
32.	श्ररविन्द नगर ,,	पांच माईल रोड, जयपुर।
33.	भुवनेश्वरी भ.नि.स.स.लि.	गोकुल चन्द स्टेनो, संस्कृत डाईरेक्टर का पीए.
34.	बस्ती सीतारामपुरा भवन नि.सह.समिति लि.	खातीपुरा रोड, जयपुर।

1	2	3
35.	मोजी हा.को.सो.लि.	प्लाट नं. 207, आदर्श नगर, जयपुर।
36.	सिविल लाईन्स गृ.नि.स.स.लि.	डेरी फार्म. सिविल लाइन्स, जयपुर।
37.	जयपुर हा. बिल्डिंग को. सो. लि.	प्रेम टेलर्स के सामने, जवाहर नगर, जयपुर।
38.	महेशनगर गृ.नि.स.स.लि.	लक्ष्मी मंदिर के पीछे, टोंक फाटक, जयपुर।
39.	रामनगर भवन निर्माण स.स.लि.	पुरोहित जी गली, स्टेशन रोड, जयपुर।
40.	मालवीय नगर हा.को.सो.लि.	जवाहर लाल नेहरु रोड, मालवीय नगर, जयपुर।
41.	ऐवरेस्ट को.हा.सो.लि.	लालकोठी, जयपुर।
42.	श्री गणेश को. ,,	अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर।
43.	इन्द्रा नगर गृ,ह.नि.स.स.लि.	इन्द्रा कालोनी. नाहरी का नाका, जयपुर
44.	सुभाष सिन्धी कालोनी को.हा. सो.लि.	ए-3, किसान मार्ग, नेताजी सुभाष चन्द्र नगर, जयपुर।
45.	हीरा को.ह.सो.लि.	एम.डी. रोड, जयपुर।
46.	जयजवान् गृ.नि.सस.लि.	वीरचन्द लुहाड़िया व लक्ष्मीनारायण, गलता रोड, जयपुर।
47.	रामराजपुरा गृ.नि.स.स.	रामराजपुरा, जयपुर।
48.	अम्बेड़कर ,,	कच्ची बस्ती, जयपुर।
49.	दी शिवा को.हा.सो.लि.	रामनगर कोलोनी, अजमेर रोड, जयपुर

230.

1	2	3
50.	गोपालपुरा गृ.नि.स.स.लि.	ग्रादर्श गर्ल्स स्कूल, जयपुर । (शिवाड़ हाऊस)
51.	मंदरामपुरा ;,	मंदरामपुरा, ग्रजमेर रोड, जयपुर ।
52.	विकास भवन नि.स.स.लि.	गांधी नगर मोड़, जयपुर ।
53.	स्वर्णकार गृह नि.स.स.लि.	श्याम सुन्दर सोनी, हनुमानजी का रास्ता, जयपुर ।
54.	करतारपुर ,,	सीकर होटल, मुरारी लाल
55.	वाबारामदेव ;,	सिरोहीयान का भवन, जयपुर ।
56.	भेरो ;,	खातीपुरा रोड, जयपुर ।
57.	श्रीलक्ष्मी गृ.नि.स.स.लि.	चौड़ा रास्ता जयपुर ।
58.	भाकरोटा स्कीम पेज नं. I स.स.	भांकरोटा, ग्रजमेर रोड, जयपुर ।
59.	डिस्ट्रीक्ट स्पेशल ब्रांच को. हा.सो.	जलेबी चौक, जयपुर ।
60.	टेलीफोन एम.हा.को सो.	टेलीफोन भवन, जयपुर ।
61.	श्रीरामपुरा को.हो.सो.लि.	वनस्थली मार्ग, जयपुर ।
62.	लक्ष्मी नगर गृ नि.स.स.लि.	इन्द्रा नगर, जयपुर ।
63.	जयपुर मेटल एण्ड इलेक्ट्रीक्ट हा.सोसायटी लि., जयपुर ।	जयपुर मेटल एण्ड इलेक्ट्रीकल्स, लि. जयपुर ।
64.	गुलाबीनगर गृ.नि.स स.लि.	रामगंज बाजार. जयपुर ।
65.	शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ नि. स.स.	झोटवाड़ा, जयपुर ।
66.	ग्रपोलो नगर के.हा.सो.लि.	सवाई मानसिंह स्टेडियम के पीछे, जयपुर
67.	मोतीभवन गृ नि.स.स.लि	पुलिस ग्रकादमी के सामने, जयपुर ।

1	2	3
68.	श्रीछत्रपति गृ.नि.स.स.लि.	झोटवाड़ा, जयपुर ।
69.	प्रतापनगर ,,	महाराणा प्रताप, नाहरा का नाका, जयपुर ।
70.	कृष्णपुरा गृ.नि.स.स.लि.	हल्दिया भवन, गांधी नगर रोड, जयपुर.
71.	गोविन्द गृ.नि.स.स. लि.	गोविन्द नगर, आमेर रोड, जयपुर ।
72.	न्यू पिंक सीटी गृ.नि स.स.लि.	राजदीप होटल, बापू बाजार, जयपुर ।
73.	शंकर भवन गृ.नि.स.स.लि.	नाहरी का नाका, जयपुर ।
74.	स्वास्तिक ,, ,,	धामाणी मार्केट, जयपुर ।
75.	संयुक्त ,, ,,	कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर ।
76.	नवजीवन गृ.नि.स.स.लि.	जालुपुरा रोड़लिंक एम. आई. रोड जयपुर ।
77.	खुदा वादी सोनारा ,,	झोटवाड़ा अमानीशाह रोड, शास्त्री नगर, जयपुर ।
78.	जनता हा.को.सो.लि.	खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर,
79.	पथिक भवन नि.स.स.लि.	सोढाला रोड, जयपुर ।
80.	न्यू लाईट हो.को.सो.लि	रहम मंजिल, अजमेरी गेट जयपुर ।
81.	गवर्मेंट एम्पलाईज को.हा.सो.लि.	डिग्गी हाऊस, जयपुर ।
82.	रामजीपुरा को.हा.सो.लि.	जवाहर नगर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ।
83.	महालक्ष्मी गृ.नि.स.स.लि.	नाथ आदर्श, चौड़ा रास्ता, जयपुर ।
84.	नेशनल को.हा.सो.लि.	जौहरी बाजार, जयपुर ।
85.	राज. सक्रेटेरियट एम.हा.सो.लि.	सचिवालय, जयपुर ।
86.	माडर्न हा.स.स.लि.	जनता कालोनी, जयपुर ।

1	2	3
87.	दी महावीर हा.को.सो.लि.	बजाज नगर, जयपुर।
88.	महालेखाकार कर्म.नि.स.स.	महालेखाकार कार्यालय, जयपुर।
89.	श्री 108 भवन नि.स.स.लि.	बी-46, बापू नगर, गणेश मार्ग, जयपुर।
90.	दी जयपुर इण्ड्रीयल बैंक स्टेट को.आ.सो.लि.	इण्डस्ट्री. को. बैंक लि. जयपुर।
91.	महाराज गोपालपुरा गृ. नि.स.स.	सिविल लाइन्स, जयपुर।
92.	मालवीय नगर कच्ची बस्ती गृ.नि सहकारी स. लि.	मालवीय नगर स्कीम, जयपुर।
93.	श्रीलक्ष्मीनारायणपुरी म.नि. स.स	गायवाली का रास्ता, गलता रोड, जयपुर।
94.	जयपुर भवन नि.स.स.लि.	भारतीय भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर।
95.	हथरोई गढ़ी गृ.नि.स.स.लि.	बनीपार्क, जयपुर।
96.	जयपुर दाहिमकि गृ.स.स.लि.	सांकियो का रास्ता, किशनपोल, बाजार जयपुर।
97.	मीणा कालोनी गृ.नि.स.स	टोंक फाटक, जयपुर।
98.	फोरेस्ट एम.को.हा.सो.लि	वन भवन, सचिवालय के पास, जयपुर।
99.	विद्युत अभियन्ता गृ.नि सस.	पावर हाऊस, जयपुर।
100.	नव गृ.नि.स.स.लि.	सी-183, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
101.	जय चामुण्डा गृ.नि.स.स.	कालवाड़ हाऊस, जयपुर।
102.	सह.विभाग कर्म.गृ.नि.स.स.	सहकारी विभाग, जयपुर।
103.	बसन्त बहार सिंधी, को.हा. सो.लि	दुर्गापुरा जयपुर।

1	2	3
104.	इन्कम टेक्स गजीटेड ग्राफिर्स को. हा.सो. लि.	ग्रायकर भवन, जयपुर
105.	इन्कम टेक्स नानजेड ,,	डिग्गी हाऊस, जयपुर।
106.	कीर्ती नगर गृ.नि.स.स. लि.	कीर्ती नगर, सोढाला, जयपुर।
107.	इन्द्रपुरी गृ.नि.स.स. लि.	गांधी नगर मोड़, जयपुर।
108.	नानकपुरी ,,	गोबिन्दरायजी का रास्ता, खरादियों की मस्जीद के पास, जयपुर।
109.	गुलाबबाडी भ.नि.स.स.	ग्रजमेर रोड, जयपुर।
110.	सैनकालोनी गृ.नि.स.स. लि.	पीपलेश्वर महादेव के मन्दिर के सामने, सेन कालोनी पावर हाऊस रोड, जयपुर।
111.	दी कृष्णा को.हा.सो.लि.	शास्त्री नगर, जयपुर।
112.	तोपखाना देश गृ.नि.स.स.	ग्रजमेर रोड, सोडाला, जयपुर।
113.	मीचूवाल ,,	वेनी पार्क, जयपुर।
114.	सिन्धु ,,	बाबा ह.च. मार्ग, जयपुर।
115.	माधव नगर ,,	गांधी नगर मोड़, जयपुर।
116.	नानकपुरी ,,	श्री भागीरथ सिंह खासा कोठी, जयपुर।
117.	राजहंस ,,	गांधी नगर मोड़, जयपुर।
118.	पहाड़गंज ,,	सूरजपोल गलता दरवाजा, जयपुर।
119.	गांधी ,,	डी.पी.जी. के बंगले के सामने, जयपुर।
120.	स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया एम.स.स.	स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया, सांगानेरी गेट, जयपुर।
121.	श्रीरामकोलोनी गृ.नि.स.स.	शनिचरजी मंदिर के पास सिंधी केम्प, जयपुर।

2-34

1	2		3
122.	अशोकपुरा	,,	जमना डेरी न्यू सांगानेर रोड, जयपुर। (मनमोहन शर्मा म. नं. 107) सोडाला चौकी।
123,	शिवाजी गृ.नि.स.स.		आगरा रोड, जयपुर।
124.	महाराणा प्रताप नगर गृ.नि. स.स.		नाहरी का नाका, जयपुर।
125.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड, जयपुर आफिसर हा.सो.		एस.बी.बी,जे. हैड आफिस, तिलक मार्ग, जयपुर।
126.	श्रीरामपुरी गृ.नि.स.स.लि.		कृष्ण कुमार, रामजीपुरा, जयपुर।
127.	बुनियादी विकास गृ.नि.स.स.		गांधी नगर, जयपुर।
128.	बरकत कालोनी,	,,	बरकत कालोनी, पोलोविक्ट्री के पीछे, जयपुर।
129.	लाखाजी की ढाणी	,,	लाखाजी की ढाणी, जयपुर।
130.	पटेलनगर	,,	नाहरी का नाका, , जयपुर।
131.	कुवेश्वर महादेव	,,	22 गोदाम, जयपुर।
132.	सुन्दर	,,	धामाणी मार्केट, जयपुर।
133.	लक्ष्मण डूंगरी	,,	दिल्ली बाई पास, गलता रोड़, लक्ष्मण डूंगरी, जयपुर।
134.	फतेहनगर	,,	फतेहनगर तक, जयपुर।
135.	राजेन्द्र नगर	,,	राजेन्द्र नगर तक, जयपुर।
136.	अमृतपुरी विकास	,,	गांधी नगर मोड़, जयपुर।
137.	श्यामपुरी लक्ष्मीनारायणपुरी गृ.नि.स.स.लि.		श्यामपुरी कच्ची बस्ती, जयपुर।

1	2	3
138.	दयानन्दपुरी गृ.नि.स.स.	दयानन्दपुरी, जयपुर ।
139.	बलाई बस्ती ,,	नाहरी का नाका, बलाई बस्ती, जयपुर ।
140.	प्रेमनगर ,,	प्रेम नगर, नाहरी का नाका, जयपुर ।
141.	रामदेवपुरी ,,	टीबा गपमान घाटगेट, जयपुर (नायकान)
142.	विजय गृ.नि.स.स.लि.	नाहरी का नाका, जयपुर ।
143.	जय बैंक कर्मचारी ,,	एस.बी.बी.जे. चौड़ा रास्ता, जयपुर ।
144.	नागरिक ,,	जौहरी बाजार, जयपुर ।
145.	रिजर्व बैंक हा.को.सो.लि.	जालुपुरा, जयपुर ।
146.	जालुपुरा गृ.नि.स.स.लि.	,,
147.	जयपुर जिला कर्म. ,,	डिग्गी हाउस, जयपुर ।
148.	हथरोई बावड़ी ,,	हथरोई बावड़ी, जयपुर ।
149.	जेल कर्म. ,,	सेन्ट्रल जेल, जयपुर ।
150.	श्यामपुरी ,,	श्रीरामगोपाल, श्यामपुरी, जयपुर ।
151	सूरजपोल गृ.नि.स.स.लि.	सूरजपोल, जयपुर ।
152.	जैन कालोनी ,,	श्रीनेमीचन्द्र ढढ्ढा मार्केट, जयपुर ।
153.	पुरानी वस्ती कालोनी ,,	रामकिशन पुरानी बस्ती, जयपुर ।
154.	हसनपुरा ,,	हसनपुरा, जयपुर ।
155.	दयाल भवन ,,	बड़ोदिया वस्ती स्टेशन के पास, जयपुर ।
156.	करतारपुरा ,,	मोहम्मदशफीक, करतारपुरा, जयपुर ।
157.	सीकर हाऊस ,,	सीकर हाऊस, जयपुर ।
158.	रघुनाथपुरी ,,	श्री कृष्ण शर्मा, रघुनाथपुरी, जयपुर ।

1	2		3
159.	सूरजनगर	गृ.नि.स.स.लि.	सूरजनगर, जयपुर ।
160.	शांति नगर	,,	जहूर मोहम्मद का मकान, शास्त्री नगर, अजमेर रोड, जयपुर ।
161.	संतोषनगर	,,	नाटाणियों का बाग, अजमेर रोड; जयपुर ।
162.	धन्नादास बगीची	,,	धन्नादास बगीची सेन्ट्रल जेल के पीछे, जयपुर ।
163.	लालकोठी	गृ.नि स.स. लि.	अशोक कुमार, लालकोठी, कच्ची बस्ती, जयपुर ।
164.	शिवशंकर	,,	शिवशंकर कच्ची बस्ती, जयपुर ।
165.	विवेकानन्द	,,	विवेकानन्द कालोनी कचारा बस्ती, बूचर खाना, घाटगेट, जयपुर ।
166.	नृहंसिहपुरी	,,	टीबा नायकान का, आगरा रोड, जयपुर
167.	गणपत	,,	22 गोदाम भंवरलाल का मकान, जयपुर
168.	सुदामा	,,	सूखा कुआं नाहरी का नाका, जयपुर ।
169.	हसनपुरा सी	,,	हसनपुरा, जयपुर ।
170.	मेजर खन्ना	,,	सिंधी पंचायत धर्मशाला के पास, जयपुर ।
171.	इन्द्रा श्रमिक	,,	नाहरी का नाका, जयपुर ।
172.	लोकनायक	,,	लोकनायक व्यास कोलोनी, जयपुर ।
173.	बेधपुरी	,,	नाहरी का नाका, जयपुर ।
174.	नवयुवक	,,	व्यास कालोनी, नाहरी का नाका, जयपुर ।
175.	नेहरू	,,	कुमावत बस्ती, अजमेर रोड, जयपुर ।

1	2		3
176.	मुख्य सोढाला	गृ.नि.स.स.लि.	न्यू सांगानेर रोड, जयपुर ।
177.	आजाद	,,	आजाद बस्ती, नाहरी का नाका, जयपुर ।
178	स्वामी कच्ची बस्ती	,,	कान्ति चन्द्र रोड, जयपुर ।
179.	गौत्तम बुद्ध	,,	कच्ची बस्ती 22 गोदाम, जयपुर-6
180.	शिवनगर	,,	कैलाशपुरी, मुस्लिम स्कूल के पीछे, जयपुर ।
181.	बेरिया बस्ती	गृ.नि.स.स.	नाहरी का नाका, जयपुर,
182.	टैगोर नगर	,,	कच्ची बस्ती, 22 गोदाम, जयपुर ।
183.	केलाशपुरी	,,	मुस्लिम स्कूल के पीछे, जयपुर ।
184.	वैकुण्ठनगर	,,	कच्ची बस्ती, आगरा रोड, जयपुर ।
185.	सुतरखाना	,,	हरिजन बस्ती, जनता कालोनी, जयपुर ।
186.	वर्मा	,,	बर्मा गृ.नि. कच्ची बस्ती, नाहरी का नाका, जयपुर ।
187.	शिवशक्ति	,,	नाहरी का नाका, जयपुर ।
188.	सीतारामपुरी	,,	अजमेर रोड, जयपुर ।
189.	महात्मा गांधी	,,	श्रीछीतरलाल महात्मा कच्ची बस्ती, जयपुर ।
190.	गोरधनपुरी	,,	सूरजपोल, जयपुर
191.	मन्डीखटीकन	,,	4 दरवाजा खटीकों की मण्डी, जयपुर ।
192.	अवधपुरी	,,	,,
193.	टापू कालोनी	,,	पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर ।
194.	शांति	गृ.नि.स.स. लि.	नायक बस्ती, नाहरी का नाका, जयपुर ।

238

1	2	3
195.	जीवन ज्योति कर्म गृ.नि.स.स.	हरिशंकर शास्त्रीजी का मकान, निर्मला के पास तोपखाना, जयपुर ।
196.	मदनमोहन मालवीय गृ.नि.स.स.लि.	राजापार्क गली नं. 4 चढ़ा का मकान, जयपुर ।
197.	सरस्वती हरिजन ,,	घाटगेट, जयपुर ।
198.	गलताघाटी ,,	राष्ट्रीय राजमार्ग, जयपुर ।
199.	इन्द्रा गृ.नि.स.स. लि.	कामा हाऊस के आगे, अजमेर रोड, जयपुर ।
200.	अमृतपुर भ.नि.स.स. लि.	आगरा रोड, अंकुर सिनेमा के पास, जयपुर ।
201.	श्रीमहावीर नगर गृ.नि.स स.	एफ. 742, गांधी नगर जयपुर ।
202.	स्वास्तिक ,,	म.न. 1074, मोदियों का चौक, झालानियों का रास्ता, जयपुर ।
203.	रेल्वे मैंस हा. को. सो. लि.	डिविजन आफिस, रेल्वे स्टेशन रोड, जयपुर ।
204.	आर. एस. ई. बी. आफिसर्स ग्रुप हा.को. सो.लि.	997, ट्रांसफारमर चौराहा, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर ।
205.	फौजी गांव गृ.नि.स.स. लि.	म.न. 179, कलवाड़ा हाऊस, जालूपुरा, जयपुर।
206.	चित्रगुप्त को.हा सो. लि.	ए.आर.सी.एस. कार्यालय जयपुर।।
207.	गणेश ,,	,,
208.	झूलेलाल ,,	,,
209.	सिन्धी बृहमक्षत्री, ,,	,,

1	2		3
210.	हरिजन आदर्श बस्ती	,,	ए.आर.सी.एस. कार्यालय, जयपुर ।
211.	राज. स्टेट मोटर गैराज	,,	,,
212.	पंजाबी डिस्पलेश परसन	,,	,,
213.	विनोबा गृ.नि.स.स. लि.		,,
214.	हरिनगर	,,	,,
215.	फोरेस्ट व्यू.	,,	,,

जयपुर नगर की गृह निर्माण सहकारी समितियों की तालिका जिनमें राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रशासक नियुक्त किए गये –

1.	भारत भवन	गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
2.	बन्धु	,,
3.	जगजीवन	,,
4.	श्रीकृष्ण	,,
5.	ज्योति जगजीवन	,,
6.	बजाज नगर	,,
7.	जवाहरपुरी	,,
8.	किसान	,,
9.	लाला लाजपतराय	,,
10.	ओम शिव	,,
11.	विश्वकर्मा	,,
12.	जयपुर हसनपुरा बी.	,,
13.	आनन्द भवन	,,
14.	अम्बेश्वर	,,
15.	बदनपुरा फकीरों की डूंगरी	,,
16.	जल महल	,,
17.	अरविन्द नगर	,,
18.	भुवनेश्वर	,,
19.	बस्सी सीतारामपुरा	,,
20.	श्री मौजी	,,
21.	सिविल लाइन्स	,,
22.	जयपुर हाउसिंग बिल्डिंग	,,
23.	महेश नगर	,,
24.	रामनगर	,,
25.	मालवीय नगर	,,

1	2
26. एवरेस्ट	गृ. नि. स. सं. लि.
27. श्री गणेश	,,
28. इन्द्रा नगर	,,
29. सुभाष सिन्धी	,,
30. हीरा	,,
31. जय जवान	,,
32. रामराजपुर	,,
33. अम्बेडकर	,,
34. दी शिवा	,,
35. गोपालपुरा	,,
36. मदरामपुरा	,,
37. विकास भवन	,,
38. स्वर्णकार	,,
39. करतारपुरा	,,
40. वावारामदेव	,,
41. भैरव	,,
42. दी लक्ष्मी	,,
43. भाकरोटा स्कीम पेज नं. 1	,,
44. डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच	,,
45. टेलीफोन एम्पलाईज	,,

(242)

सूची जिन गृह निर्माण समितियों द्वारा 1-1-83 के आदेश के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया :

1	2	3
1.	विश्वकर्मा	गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
2.	भैरव	,,
3.	सुभाष सिन्धी	,,
4.	मौजी	,,
5.	अम्बेडकर	,,
6.	अरविन्दनगर	,,
7.	बाबा रामदेव	,,
8.	बस्सी सीतारामपुरा	,,
9.	दी शिवा	,,
10.	अम्बेश्वर	,,
11.	जगजीवन	,,
12.	हीरा	,,
13.	स्वर्णकार	,,
14.	जवाहरपुरी	,,
15.	आनन्द भवन	,,
16.	करतारपुरा	,,
17.	किसान	,,
18.	जलमहल	,,
19.	लक्ष्मीगृह	,,

1	2	3
20.	ओम शिव	गृह निर्माण सहकारी समिति
21.	बासबदनपुरा	,,
22.	भारत भवन	,,
23.	विकास	,,
24.	सिविल लाइन्स	,,
25.	इन्द्रा नगर	,,
26.	गणेश	,,

जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा दायर मामलों में निषेधाज्ञा खारिज कराई गई उनकी सूची

1	2	3
1.	भारत भवन	गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
2.	ज्योति जगजीवन	,,
3.	जवाहरपुरी	,,
4.	किसान	,,
5	ओम शिव	,,
6.	विश्वकर्मा	,,
7.	आनन्द भवन	,,
8.	अम्बेश्वर	,,
9.	बास बदनपुरा	,,
10.	जल महल	,,
11.	बाबा रामदेव	,,
12.	लक्ष्मी	,,

244

1	2	3
13.	अरविन्द नगर	गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
14.	बस्सी सीताराम पुरा	,,
15.	मौजी	,,
16.	सिविल लाइन	,,
17.	गणेश	,,
18.	सुभाष सिन्धी	,,
19.	हीरा	,,
20.	अम्बेडकर	,,
21.	विकास भवन	,,
22.	स्वर्णकार	,,
23.	करतारपुरा	,,
24.	दी शिवा	,,

अरविन्द नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि०, की जांच अन्तर्गत धारा 70 कराये जाने पर पाई गई अनियमिताओं का विवरण :—

समिति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।

कोरम अपूर्ण होते हुए भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें सदस्यता समाप्ति कृषि भूमि की खरीद बिक्री के मामलों के निर्णय थे। अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा अवैधानिक तरीके से भूमि का क्रय-विक्रय किया गया, जो उपनियमों के विपरीत कार्य था। समिति का रिकार्ड भी अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित मन्त्री को नहीं दिया गया।

———

246

जालोर जिले में जवाई नदी के तटबन्धन से हानि

88. **श्री भगराज चौधरी** (आहोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि ज़िला जालोर में ग्राम आहोर-मेसवाड़ा के निकट जवाई नदी के तट को बांध लिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जवाई नदी के तट को इस स्थान पर बांध लिया जाने के कारण नदी के कुदरती बहाव का पानी गांव वादनवाडी, मीठड़ी वगैरह करीब 20 गांवों में आना रुक गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस कुदरती पानी के बहाव के रुक जाने के कारण उक्त वर्णित गांवों के हजारों कुए सूखने की स्थिति में हो गये हैं ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार पानी के कुदरती बहाव में इस रुकावट को शीघ्र हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जवाई नदी का कुदरती बहाव पूर्ववत ही है।

(3) ऐसी सम्भावना प्रतीत नहीं होती।

(4) जवाई नदी के कुदरती वहाव में कोई रुकावट नहीं है।

जयपुर नगर की सड़कों का रख-रखाव

90. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर नगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रति वर्ष नई सड़कें बनाने व उनकी मरम्मत पर खर्च करने का प्रावधान है ?

(2) नगर की कौन-कौन सी सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन हैं और नगर के प्रमुख बाजारों की पटरियों की मरम्मत करने का कार्य क्षेत्र किसका है ?

(3) क्या यह सही है कि चौकड़ी तोपखाना देश स्थित खजाने वालों का रास्ता, संसार चन्द्र रोड, झोटवाड़ा रोड व बनीपार्क क्षेत्र की सम्पूर्ण सड़कों की हालत जीर्णशीर्ण है ? यदि हां, तो क्या इन्हें इस वर्ष ठीक कराने का विचार है ?

(4) क्या यह सही है कि केन्द्र द्वारा बाढ़ सहायतार्थ राशि में से 3 करोड़ रुपये की धनराशि का नगर की मुख्य सड़कों पर डामर कार्य करने के लिये जो प्रावधान था वह खर्च नहीं हुआ है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जयपुर शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नई सड़कें बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। बनी हुई सड़कों की मरम्मत आदि का प्रावधान है।

(2) सा. वि. विभाग के अधीन जो सड़कें हैं उसकी सूची 'क' संलग्न है। पटरियों की मरम्मत का कार्य क्षेत्र नगर परिषद का है।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की साधारणतया हालत ठीक है और धन राशि की उपलब्धि के अनुसार मरम्मत समय-समय पर की जाती है और इस वर्ष भी सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर मरम्मत की जावेगी।

(4) जी नहीं, मुख्य सड़कों पर डामर के कार्य के लिये केवल 93.25 लाख का प्रावधान था वह यह राशि पूर्णतया व्यय हो चुकी है।

सूची 'क'

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की सूची जिनकी देखभाल की जाती है

1	2
1.	सिविल लाइन रोड्स
2.	मुर्दाखाना रोड्स
3.	टोंक रोड (एम. आई. रोड से अशोका मार्ग क्रोसिंग)
4.	अशोका मार्ग क्रोसिंग से नारायण सिंह चौराहा
5.	रामबाग सर्किल ट ब्रिज तक
6.	सवाई रामसिंह रोड
7.	जे. एल. मार्ग टू सांगानेर सर्किल
8.	रामनिवास से एम. आर. ई. सी.
9.	एम. आर. ई. सी. रेल्वे क्रोसिंग
10.	रेल्वे क्रोसिंग टू आमेर होटल
11.	पुलिस ममोरियल से आगरा रोड क्रोसिंग
12.	रामनिवास बाग की सड़कें
13.	स्टेशन रोड
14.	संसार चन्द्र रोड
15.	टाल रोड
16.	रेल्वे स्टेशन से लेवल क्रोसिंग
17.	पी. डब्ल्यू. डी. आफिस से रावलजी का बंधा
18.	जेकब रोड
19.	चर्च रोड
20.	भगवानदास रोड
21.	भवानी सिंह रोड फ्राम रामबाग से सोडाला चौराहा

1	2
22.	सरदार पटेल मार्ग
23.	शिवाजी नगर 22 गोदाम
24.	जमनालाल बजाज मार्ग टू 22, गोदाम सर्किल
25.	जमनालाल बजाज मार्ग फ्राम रेल्वे क्रोसिंग टू सचिवालय
26.	रामसिंह रोड
27.	न्यूकालोनी रोड
28.	जालुपुरा रोड
29.	गांधीनगर रोड
30.	लिंक रोड इन फ्रन्ट आफ हास्पिटल स्टेशन रोड
31.	कांग्रेस कमेटी रोड
32.	सोमानी बिल्डिंग रोड
33	वनस्थली मार्ग रोड
34.	मोतीलाल अटल रोड
35.	राजधानी होटल रोड
36.	फस्ट लिंक रोड
37.	द्वितीय लिंक रोड
38.	तृतीय लिंक रोड
39.	पार्क स्ट्रीट नं. 1
40.	पार्क स्ट्रीट नं. 2
41.	संजय मार्ग
42.	गोपाल वाड़ी रोड
43.	ओल्ड पोस्ट आफिस रोड
44.	पावर हाऊस रोड
45.	पावर हाउस से नला पावर हाऊस रोड
46.	हटवाड़ा रोड

1	2
47.	निर्माण मार्ग
48.	पारीक कालेज रोड (लिंक रोड)
49.	बनीपार्क रोड
50.	जगदीश मार्ग
51.	भ्रगु मार्ग
52.	प्रभु मार्ग
53.	कान्ती नगर रोड
54.	हाथी बाबू मार्ग
55.	कान्ती चन्द रोड
56.	सरकुलर रोड
57.	ताम्बी मार्ग
58.	माधोसिंह रोड़
59.	फस्ट लिंक रोड आफ शिव मार्ग
60.	घीया मार्ग
61.	द्वितीय लिंक रोड आफ शिव मार्ग
62.	कालीदास मार्ग
63.	बर्फखाना रोड
64.	लिंक रोड आफ कालीदास मार्ग
65.	आकर मार्ग
66.	तुलसी मार्ग
67.	टैगोर पथ
68.	बिहारी मार्ग
69.	बैंक रोड (जिलाधीश)
70.	देवी मार्ग

1	2
71.	दुर्गा मार्ग
72,	बसंत मार्ग
73.	कोशल्या मार्ग
74.	लिंक रोड ग्राफ वंसल मार्ग
75.	विहारी मार्ग
76.	कैलाश मार्ग
77.	गंगापथ
78.	बैंक रोड ग्राफ गंगापथ
79.	कवीर मार्ग
80.	शिव मार्ग
81	मीरा मार्ग
82.	टोडरमल मार्ग
83.	लिंक रोड ग्राफ टोडरमल मार्ग
84.	विवेकानन्द मार्ग
85.	होस्पिटल मार्ग
86.	पृथ्वीराज मार्ग
87.	महावीर मार्ग
88.	गोखले मार्ग
89.	कमला मार्ग
90.	लाजपथ मार्ग
91.	सरोजनी मार्ग
92.	मालवीआ मार्ग
93.	भगतसिंह मार्ग
94.	चितरंजन मार्ग
95.	कृष्णा मार्ग

1	2
96.	सहदेव मार्ग
97.	सरस्वती मार्ग
98.	अरविन्द मार्ग
99.	केशव पथ
100.	दुर्गा मार्ग
101.	दुर्गादास पथ
102.	चितरंजन मार्ग
103.	पंचशील मार्ग
104.	गौतम मार्ग
105.	लिंक रोड आफ सुभाष मार्ग
106.	सुभाष मार्ग
107.	आजाद मार्ग
108.	तिलक मार्ग
109.	सुरेन्द्र मार्ग
110	अशोका मार्ग
111.	रमेश मार्ग
112.	सुरेश मार्ग
113.	लिंक रोड बिटवीन सरदार पटेल मार्ग टू अजमेर रोड
114.	हवा सड़क रोड
115.	सांगानेर सोढाला रोड
116.	टौंक रोड टू गोपालपुरा
117.	अप्रोच रोड टू सुशीलपुरा
118.	मोतीडूंगरी जगतपुरा रोड
119.	खातीपुरा रोड (रेल्वे स्टेशन से एन. बी. सी.)
120.	गांधी नगर सर्किल से झालाना की खान

253

(८८९)

अतारांकित प्रश्न संख्या 71 की सूची

गत पांच वर्षों में जयपुर शहर व जिले में पकड़े गये वन अपराध केसेज वर्ष, स्थान व अपराध की प्रकृतिवार सूची :

पकड़े गये	1980-81			1981-82			1982-83			1983-84			1984-85			योग
	वन क्षेत्र में अवैध कटाई व छंगाई	वन क्षेत्र में अवैध चराई	बिना टी. पी. के वन उपज का परिवहन	वन क्षेत्र में में अवैध कटाई व छंगाई	वन क्षेत्र में अवैध चराई	बिना टी. पी. के वन उपज का परिवहन	वन क्षेत्र में अवैध कटाई व छंगाई	वन क्षेत्र में अवैध चराई	बिना टी. पी के वन उपज का परिवहन	वन क्षेत्र में अवैध कटाई व छंगाई	वन क्षेत्र में अवैध चराई	बिना टी. पी. के वन उपज का परिवहन	वन क्षेत्र में अवैध कटाई व छंगाई	वन क्षेत्र में अवैध चराई	बिना टी. पी. के वन उपज का परिवहन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
र :—																
जपोल, रेंज, जयपुर	7	3	20	57	—	22	52	4	49	26	8	44	62	17	13	384
गानेर ,,	—	7	48	—	—	52	—	34	66	—	46	45	—	13	7	318
टगेट ,,	5	15	27	7	23	31	9	27	32	10	28	35	8	30	38	325
लाना ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	30	24	3	4	14	93
का घाटीगेट रेंज अजमेर	—	—	—	25	—	3	40	—	8	20	—	5	30	8	2	141
हाना ,,	24	—	66	45	—	32	47	—	17	27	—	34	24	—	20	336
हरी का नाका ,,	—	—	—	7	—	—	20	4	—	20	5	—	30	5	—	91
ोग "अ"	36	25	161	141	23	140	168	69	172	121	117	187	157	77	94	1688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
शहर के बाहर के नाके :															
1. बांसखों रेंज जयपुर	8	14	2	2	14	2	11	25	4	6	23	29	—	—	—
2. लालसोट रेंज लालसोट	15	16	4	102	46	4	25	23	5	49	54	4	47	46	1
3. लांका रेंज लालसोट	6	4	1	13	6	1	9	12	2	17	35	4	12	2	—
4. बांदीकुई रेंज लालसोट	11	4	—	18	15	—	2	—	—	24	15	4	21	18	6
5. सामोद रेंज आमेर	8	—	—	8	—	6	13	—	—	13	—	—	16	—	1
6. कुन्डा रेंज आमेर	20	22	30	30	16	15	32	25	29	30	10	20	25	10	40
7. कूकस रेंज आमेर	40	13	—	42	9	—	50	56	2	60	27	—	47	11	—
8. अचरोल रेंज आमेर	6	—	3	12	3	3	7	3	—	4	—	—	30	15	—
9. मैंड रेंज बैराठ	10	6	—	21	3	1	18	7	4	12	4	—	36	6	—
10. शाहपुरा रेंज बैराठ	2	5	15	7	8	25	20	6	15	18	11	10	5	—	10
11. मनोहरपुर रेंज बैराठ	10	2	18	12	6	15	15	10	9	35	11	—	16	7	3
12. बीलवाडी रेंज बैराठ	40	20	—	70	15	—	90	25	5	9	5	—	40	12	—
13. आंतेला रेंज बैराठ	12	2	—	17	9	—	30	5	2	7	4	—	18	3	—
14. विराटनगर रेंज विराटनगर	60	20	10	55	25	7	90	24	—	25	8	5	32	15	—
15. बधा रेंज रामगढ़	25	5	5	52	5	—	40	12	—	27	3	—	30	2	—
16. रायपुर रेंज रामगढ़	25	5	—	35	—	—	30	12	1	35	2	—	35	6	—
17. रायसर रेंज रामगढ़	13	2	—	12	7	2	16	1	—	29	—	—	16	5	—
18. डिगोता रेंज रामगढ़	—	—	—	—	—	—	15	1	—	22	5	—	24	6	—
योग "ब"	311	140	88	508	187	81	513	227	78	422	217	76	450	164	61
महायोग :—	347	165	249	649	210	221	681	296	250	543	334	263	607	241	155

जंगल के अवैध कटान में लिप्त अथवा जंगलों की सुरक्षा करने में शिथिलता बरतने में दोषी पाये गये कर्मचारियों की सूची :—

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	दण्ड जो दिया गया	दोष का विवरण
1	2	3	4
1.	श्री रविकुमार शर्मा क्षेत्रिय	3 वेतन वृद्धियां संचित प्रभाव से रोकी गई	राष्ट्रीय राज्य मार्ग 11 पर अनाधिकृत छंगान
2.	श्री रतन लाल यादव वन रक्षक	"	"
3.	श्री अब्दुल शकूर वन रक्षक	1 वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी गई।	पेड़ों का अवैध छंगान
4.	श्री छोटू सिंह वन रक्षक	1 वेतन वृद्धि संचित प्रभाव से रोकी गई	पेड़ों का अवैध कटान
5.	श्री छोटू सिंह वन रक्षक	सर्विस रोल वार्निंग दी गई।	अवैध छंगान
6.	श्री रामजी लाल वन रक्षक	1 वेतन वृद्धि संचित प्रभाव से रोकी गई।	अवैध कटान

1	2	3	4
7.	श्री राम प्रसाद वन रक्षक	परिनिंदा का दण्ड दिया गया।	अवैध छुंगाई
8.	श्री फरीद खां वन पाल	सर्विस रोल वार्निंग दी गई।	अवैध छुंगान
9.	श्री मदन सिंह वनपाल	परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	कटान

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न सं. 75 का विवरण

उद्देश्यवार एवं पंचायत समितिवार बाढ़ प्रभावित लाभान्वित परिवारों की संख्या व राशि बाबत सूचना

मद		बामनवास		बोली		खण्डार		स. माधोपुर	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं	राशि	सं.	राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कूप पुनःनिर्माण	12	3750	56	24250	33	9750	4	1000
2.	भूमि कटाव	18	10375	414	209124	122	54204	—	—
3.	पशु मृत्यु	—	—	—	—	—	—	26	29710
4.	कृषि यन्त्र	125	31250	481	120266	—	—	94	23000

257

1		2	3	4	5	6	7	8	9
5.	ग्रामीण दस्तकारी	27	2000	—	—	—	—	—	—
6.	कृषि आगत	—	—	670	1,35476	72	18033	—	—
7.	एनीकट	—	—	1	50000	—	—	—	—
8.	व्यवसाय परिवर्तन	—	—	—	—	—	—	27	41600
	योग	182	47375	1622	539116	227	81987	151	95310

परिशिष्ट - 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 76 का परिपत्र

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Special Schemes Organisation

(Credit-Division)

No. F6(11)FR/Agri/XI/81 Dated, Jaipur December, 1981

CIRCULAR

Sub :-Guidelines for extending coverage and rehabilitation of the flood affected families in rural areas.

Government sanction for providing subsidy and financial assistance for rehabilitation of the flood affected families have already been given by this Department sanction of even number dated 19.11.1981 and Rs. 277.13 lacs have been allocated to the flood affected districts in the State.

As the matter of rehabilitation of the families suffered huge losses under the flood devastation is of great urgency, it has become necessary to provide them rehabilitation benefits on a time bound basis in a systematic manner so that all the families can be benefitted within a shortest possible time. Broad guidelines for this purpose are therefore indicated below :-

Identification of Femilies :

(1) Identification of families and details regarding the losses suffered by them was undertaken by the Revenue Department immediately after the occurrence of floods and a consolidated position was communicated to the district authorities regarding the number of families affected, land damaged, number of wells damaged/

260

silted, pumpsets damaged/washed away, houses washed away/ damaged, animals washed away, and other similar items. Family-wise lists on the basis of which above informations were sent by the Tehsildars to the Collectors must be readily available in the Tehsils.

(2) Final lists of identification would be got cyclostyled with the details of assistance required in proforma Annex-I by the concerned Tehsildars and copies would be sent to all financing bank, Vikas Adhikaries, officers of Agri./A. H. Deptt. and other concerned, voluntary agencies operating in the area before 20.12.81 and identicards in proforma-II would also be issued by the Tehsildars before this date and got distributed through Patwaries.

(3) The Director of Agriculture would alert the entire extension/Field/Machinery under him to assist BDO's in extension advise each family regarding a suitable cropping pattern and preparation technical details/estimates in each case while preparing their loan applications.

Organisation of Loaning Camps :

(4) The BDOs. would convene a meeting of all the financing institutions, all branch managers of PACS, VLWs, VEWs, SMS, Agr. Deptt. and other field staff and Patwaries between 21st to 30th Dec., 1981 and to fix up the dates for loaning camps to be organised at different places in respect of the commr. banks in the adopted villages and PLDBs in consultation with bank officers. As regards the areas to be covered by PACS, identification lists of the respective villages would be handedover to the Managers of PACS who would prepare applications themeselves without organising any loan application camps.

(5) The concerned banks with the help of VEWs/VLWs and patwaris would prepare composite loan application for all the

purposes for which assistance is required by a particular family in respect of only the loan component and would also prepare a separate application for subsidy component as per scales prescrided in the same loaning camps.

(6) The BDOs would make entry of the loan applications and the subsidy applications prepared in the camps in their control register and would forward the loan applications on the same day on the spot to the financing banks with his recommendation and subsidy application would be sent by them to the DRDAs for sanction. The same control register prescribed for the purpose of IRDP would be used for this purpose also.

(7) The "no due" certificate also would be obtained on the spot in the camps or in a separate meeting to be convened at the Panchayat samiti HQs immediately after loan applications preparation camps are over.

(8) The loan application preparation camps would be organised and completed between 1st to 15th Jan., 1982.

(9) The financing institutions would sanction all the applications received by them before 20.1.82. On receipt of sanction letter the authority slip would be immedietely issued by the PD, DRDA for operating SB a/c which should be opened immediately with the concerned participating branches for drawal of subsidy by the banks at the time or advancement of loans.

(10) Where ever loan applications have already been prepared subsidy in all such cases would be transferred to the concerned bank and it should be ensured simultaneously that the advances are made in all such cases before 20.1.82 so that advancement in fresh applications to be prepared in camps can start from 20.1.82 onwards.

Execution of Work :

(11) Execution of work in respect of land reclamation, desilting and repair of pumpsets etc. may be done by the cultivators themselves where in such cases loans and subsidy would be given to them in two instalments after verifying progress of execution as per usual procedure of banks prevailing in the field.

(12) Alternatively wherever possible Raj. Agro. Industries Corpn. (RAIC) may undertake this work for which on receipt of completion certificate in respect of each cultivator the loan and subsidy amount available with the banks would be directly passed on to the RAIC under advice to DRDAs.

(13) In case of execution being done by the voluntary agencies with their own contribution, the subsidy amount would be passed on to the voluntary agencies by the DRDAs on receipt of completion certificate of works in respect of each beneficiary from the concerned voluntary Agencies, under intimation to the Rajasthan Gramin Vikas Samiti (SSO) Jaipur.

Supply of Compost/Inputs :

(14) The supply of compost would be done by the RAIC by opening their Depots at the suitable points and they should supply the compost to the cultivators on the basis of permits issued by the concerned banks in case of persons taking loans for this purpose or by BDOs in cases of cash purchase.

(15) In all such cases where the reclamation of land would be done by the cultivators themselves, the subsidy amount for the total cost of reclamation including compost treatment would be given to them in the form of compost and not in cash. The RAIC would be entitled to get payment of the subsidy amount on

submission of claims to the concerned DRDAs on the basis of permits issued by the BDOs in accordance with the subsidy eligibility in each case.

(16) In case of RAIC, supplying compost/inputs on the basis of permits issued by the banks the entire cost including loan and subsidy would be claimed by them from the concerned banks The latter (Banks) would get "Authority slip" for drawal of subsidy on their sanction of campost/input loans from the DRDAs.

(17) In the case of voluntary Agencies, they would also get compost/inputs at subsidised rates from RAIC Depots on the basis of permits obtained by them from BDOs as per eligibility of each cultivator. The balance amount in such cases would be paid by them on behalf of the cultivators.

(18) The amount of assistance to be provided for the repair & pumpsets replacement of damaged/lost agri. implements and tools and raw materials etc. in case of artisans would be paid directly to the concerned beneficiaries by the DRDAs through the BDOs because loan component would not be tagged with such assistance.

(19) Assistance to farmers who have lost their agri. land and would be changing their occupations from agri. to allied activities would however be tagged with the loans and similarly in case of subsidy assistance for replacement of cattle killed in the floods would also be provided with the loans through banks in the usual procedure prescribed under the IRDP.

(20) The above procedure and instructions be strictly followed at all levels in the field and programme of rehabilitation of flood affected families be executed on a time bound basis in such a way

(264)

that the entire Govt. assistance made available during the current financial year, is utilised before the close of March, 1982.

Sd–
(R.S. Kumat)
Secretary
Spl.Scheme & IRD

Copy for needful compliance to ;

1. Collector/Project Director,DRDA. Jaipur/Tonk/S.Madhopur/Nagaur/Sikar/Bharatpur.
2. All Tehsildars/vikas Adhikaris of the above Distts.........
3. General/Asstt. G.M./Regional Manager/Chairman/BOB/ UCO Bank/SBBJ/PNB/Jaipur Nagaur Anchlik Bank/ Shekhawati Gramin Bank/Alwar Bharatpur Gramin Bank...........................
4. M. D., Rajasthan Agro-Industries Corporation, Jaipur.
5. Secy. Rajasthan Gramin Vikas Avam Punarwas Samiti, SSO, Jaipur.
6. Director of Agri./Animal Husbandry/Sheep & Wool/ RCS, Raj. Jaipur.
7. M. D., RACB/RSLDB, Nehru Bazar, Jaipur.

Sd/
(R. S. Kumat)
Secretary, SSO

Copy also submitted for information and needful action to :-

1. Agri. Production Secy/Secy., Relief Deptt./Corporation/ Animal Husbandry/Director Panchayat & Development.
2. P. S. to Minister Agri./CS/DC & S/Secy., SSO.

Sd/-
(Bhagirath Sharma)
Project Director (Credit)

265

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न स. 78 की सूची

वर्ष 84-85 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत व्यय सीमा के अन्तर्गत की गई राशि का आवंटन

क्र.सं.	नाम जिला	चारा परिवहन		पशु पोषण केन्द्र		पशु पोषण शिविर		पीने के पानी प्रदाय की व्यवस्था	
		राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	अलवर	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	बांसवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बाड़मेर	–	–	–	–	56,250	18.3.85	75,000	20.3.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	भरतपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	भीलवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	बीकानेर	50,000	18.3.85	–	–	90,000	18.3.85	75,000	20,3.85
8.	बून्दी	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	चित्तौड़गढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	चूरू	–	–	–	–	56,250	18.3.85	50.000	20 3.85
11.	धोलपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	डूंगरपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	गंगानगर	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	जयपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	जैसलमेर	–	–	–	–	90,000	18.3.85	75,000	20.3.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	जालौर	–	–	–	–	45,000	18.3 85	–	–
17.	झालावाड़	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	झुन्झूनू	–	–	–	–	–	–	46,000	20.3.85
19.	जोधपुर	–	–	–	–	90,000	18.3.85	85,000	20.3.85
20.	कोटा	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	नागौर	–	–	–	–	22,500	18.3.85	90,000	20.3.85
22.	पाली	–	–	–	–	–	–	50,000	20.3.85
23.	स. माधोपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	सीकर	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	सिरोही	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	टौंक	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	उदयपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	राज. डेयरी फैड.	–	–	225,000	18.3.85	–	–	–	–
	योग—	50000/-		X2250000/-		450,000/-		546,000/-	
केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत व्यय सीमा		50000/-		500000/-		100,000/-		546,000/-	

%नोट — पशु पोषण केन्द्र हेतु अनुदान राशि रु 22,50,000/-का आवंटन प्रबन्धक, राजस्थान डेयरी फैडरेशन, जयपुर को जिला अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर के लिये किया गया है।

वर्ष 1985-86 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत व्यय सीमा के अन्तर्गत की गई राशि का (राशि लाखों में)
आवंटन

क्र.सं.	नाम जिला	चारा परिवहन		पशु पोषण केन्द्र		पशु शिविर		साण्ड सहायता	
		राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	शिविर	राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	–	–	X	–	–	–	–	–
2.	अलवर	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	बांसवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बाड़मेर	0.50	11.6.85	X	–	0.625	17.4.85	0.05	17.4.85
5.	भरतपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	भीलवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	बीकानेर	0.50	11.6.85	–	–	1.00	17.4.85	0.10	17.4.85
8.	बून्दी	–	–			–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	चित्तौड़गढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	चूरू	–	–	X	–	0.625	17,4.85	0.05	17.4.85
12.	धौलपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	डूगरपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
13,	गंगानगर	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	जयपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	जैसलमेर	0.30	11.6.85	X	–	1.00	17.4.85	0.10	17.4.85
16.	जालौर	–	–	–	–	0.50	17.4.85	0.05	17.4.85
17.	झालावाड़	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	झुन्झुनू	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	जोधपुर	0.30	11.6.85	X	–	1.00	17.4.85	0.10	17.4.85
20.	कोटा	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	नागौर	0.40	11.6.85	X	–	0.25	17.4·85	0.05	17.4.85
22.	पाली	–	–	X	–		–	–	–
23.	सवाई माधोपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	सीकर	0.20	11.6.85	–	–	–	–	–	–
25.	सिरोही	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	टौंक	0.20	11.6.85	–	–	–	–	–	–
27.	उदयपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	डेयरी फैडरेशन	–	–	50.00 45.00	17.4.85 3.6.85	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज.	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	2.40	–	95.00	–	5.00	–	0.50	–
केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित व्यय सीमा		5.00		5.50	50.00	5.00		0.50	

नोट (1) X पशु पोषण केन्द्र हेतु अनुदान राशि रु. 95.00 लाख आबंटन प्रबन्धक, राज. डेयरी फैडरेशन, जयपुर जिला अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, पाली तथा सीकर के लिए किया गया है।

वर्ष 1985-86 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत व्यय सीमा के अन्तर्गत की गई राशि का आवंटन

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम जिला	पीने के पानी प्रदाय की व्यवस्था कुए गहरे कराना		पोषाहार		असहाय सहायता	
		राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक
	1	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	2.00	11.6.85	—	—	0.106	3.6.85
2.	अलवर	—	—	—	—	—	—
3.	बांसवाड़ा	2.00	24.5.85	×	—	0 107	3.6.85
4.	बाड़मेर	1.25	4.5.85	×	—	0.350 0.117	9.5.85 3.6.85
5.	भरतपुर	—	—	—	—	—	—
6.	भीलवाड़ा	2.00 1.50	4 5.85 24.5.85	—	—	0.267	3.6 85

273

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	बीकानेर	1.25	4.5.85	×	--	0.200	3.6.85
8.	बून्दी	1.50	1.7.85	—	--	0.200	3.6.85
9.	चित्तौड़गढ़	—	—	--	--	—	—
10.	चूरू	1.50	4.5.85	X	--	0.267	3.6.85
11.	धौलपुर	--	--	—	--	--	--
12.	डूंगरपुर	--	--	--	--	--	--
13.	गंगानगर	--	--	--	--	0.060	3.6.85
14.	जयपुर	1.50	24.5.85	--	--	0.107	3.6.85
15.	जैसलमेर	1.25	4.5.85	X	--	0.133	3.6.85
						0.070	15.6.85
16.	जालौर	0.50	4.5.85	X	--	0.266	3.6.85
		1.50	24.5.85	X			
		0.50	11.6.85	X			

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	झालावाड़	—	—	—	—	0.106	3.6.85
18.	झुन्झुनू	0.04	4.5.85	—	—	0.200	3.6.85
19.	जोधपुर	1.15	4.5.85	X	—	0.267	3.6.85
		1.50	24.5.85	—			
20.	कोटा	—	—	—	—	—	—
21.	नागौर	1.10	4.5.85	X	—	0.267	3.6.85
22.	पाली	1.50	4.5.85	X	—	0.200	3.6.85
23.	स.माधोपुर	—	—	—	—	0.107	3.6.85
24.	सीकर	0.50	4.5.85	—	—	0.107	3.6.85
25.	सिरोही	—	—	—	—	0.033	3.6.85
26.	टोंक	2.00	4.5.85	—	—	0.106	3.6.85
		1.50	11.6.85	—			

275

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उदयपुर	2.00	4.5 85	—	—	0.107	3.6.85
		1.50	24.5.85	—			
28.	निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विकास	—	—	7.00	4.6.85	—	—
	योग :	31.04	—	7.00		3.75	
केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित व्यय सीमा		29.45	7.00			5.00	

नोट :—X पोषाहार कार्यक्रम में 7.00 लाख रु. का आवंटन निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग, जयपुर को जिला बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जालौर, नागौर, पाली, जोधपुर, एवं सीकर के लिये किया गया है।

Tentative Allotment of funds under advance plan assistance during samvat year 2041 for the period from 1.4.1985 to 31.7.1985

		RURAL SECTOR								URBAN SECTOR			
		Augmentation of R.W.S.S.		Acceleration of plan works in drought affected areas		Rejuvenation of damaged HP/TSS			Energisation of Idle T.W.		Augmentation of Urban W.S.S.		Extension of water facilities in S. C./S. T. Basties
Sr. N.	Name of district	No. of Village	Amount (Lakhs)	No. of Villages	Amount (Lakhs)	No. of Villages	No. of H. P.	Amount (Lakhs)	No. of Village	Amount (Lakhs)	No. of Town	Amount (Lakhs)	Amount (Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Ajmer	8	41.50	—	—	—	—	—	—	—	4	16.10	1.20
2.	Banswara	—	—	—	—	20	49	5.20	—	—	2	1.50	1.20
3.	Barmer	23	104.50	4	15.10	5	8	0.80	3	6.00	3	1.80	1.80
4.	Bhilwara	6	2.30	—	—	2	7	0.76	—	—	7	5.60	0.50
5.	Bikaner	41	64.20	—	—	—	—	—	18	6.00	3	1.50	0.50
6.	Bundi	2	2.30	1	1.40	20	55	5.80	—	—	5	3.00	0.50
7.	Churu	28	20.50	6	6.40	17	45	4.80	8	5.50	11	18.30	4.30
8.	Ganganagar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	Jaipur	50	38.00	12	18.00	69	112	11.40	7	6.00	19	53.50	19.00
10.	Jaisalmer	4	6.80	9	21.00	9	12	1.40	3	4.00	2	—	1.20
11.	Jalore	30	91.00	3	20.00	4	11	1.10	—	—	3	2.10	4.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	Jhalawar	3	2.30	1	1.00	52	67	7.20	—	—	6	4.30	0.50
13.	Jhunjhunu	24	6.00	2	0.70	10	23	2.40	1	1.80	6	4.30	0.50
14.	Jodhpur	55	47.20	3	12.00	29	32	3.20	13	19.40	4	48.00	0.80
15.	Nagaur	82	68.00	20	30.00	20	30	3.20	3	1.80	7	3.10	1.20
16.	Pali	80	48.20	3	6.00	40	38	4.00	7	3.60	10	3.50	2.20
17.	S. Madhopur	3	4.50	—	—	60	132	13.70	1	1.00	—	—	—
18.	Sikar	9	4.50	9	4.10	30	69	7.20	1	1.15	9	9.10	2.50
19.	Sirohi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	Tonk	4	5.50	8	11.00	21	69	7.20	—	—	5	3.00	0.90
21.	Udaipur	18	20.70	6	3.30	70	116	12.00	—	—	9	1.30	1.80
	Total :—	470	548.00	87	150.00	478	875	91.36	65	56.25	115	180.00	45.00

Dy. Secretary to the Govt.
Relief Deptt., Raj., Jaipur.

Tentative allotment of funds under advance plan Assistance during samvat year 2041 for the period from 1.4.1985 to 31.7.1985.

Exploration/Despending/Rural sector/Wells/Tube wells.

S. No.	Name of district.	No. of Villages	Amount (Rs. in lacs)
1	2	3	4
1.	Ajmer	—	—
2.	Banswara	—	—
3.	Barmer	8	1.75
4.	Bhilwara	10	1.95
5.	Bikaner	45	8.75
6.	Bundi	—	—
7.	Churu	40	7.50
8.	Ganganagar	—	—
9.	Jaipur	4	0.75
10.	Jaisalmer	25	4.50
11.	Jalore	9	1.80
12.	Jhalawar	—	—
13.	Jhunjhunu	7	1.50
14.	Jodhpur	11	3.75
15.	Nagaur	25	4.50

280

1	2	3	4
16.	Pali	20	3.75
17.	Sawaimadhopur	—	—
18.	Sikar	2	0.75
19.	Sirohi	—	—
20.	Tonk	—	—
21.	Udaipur	4	0.75
	Total :—	210	42.00

Sd.
Dy Secretary to the Govt.
Relief Deptt., Raj., Jaipur.

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न सं. 79 की सूची

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कठमूर के विद्युतिकृत/स्वीकृत ग्रामों की सूची ।

विद्युतिकृत ग्राम मार्च 85 तक

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
1.	महलावता	5/9/276
2.	बहरामपुर	275
3.	डोरोली	273
4.	समूची	278
5.	दातिया	283
6.	रामपुरा पाटन	315
7.	खोखर	321
8.	नांगला माधोपुर	269
9.	दारौदा	277
10.	गारू	225
11.	अडुवा	221
12.	मसारी	222
13.	नाटोज	228
14.	खेड़ली उर्फ नूनिया	229
15.	बसेढ़	215
16.	बाडल	157
17.	जाडला	158
18.	कालवाडी	265

1	2	3
19.	मनखोर	264
20.	बहतुकला	181
21.	घोसराना	284
22.	रोनीजाथाना	285
23.	सालवाड़ी	282
24.	जहाटू	263
25.	साजनपाडा	288
26.	बादसू	287
27.	बलदेवपुरा	118
28.	तसई	92
29.	तुसारी	93
30.	मानखेड़ा	106
31.	कठूम्बर	165
32.	रेला	172
33.	हनीपुर	166
34.	ढाकरोली	103
35.	हुल्याना	94
36.	सामोली	104
37.	मेंथना	102
38.	खेडली रेल	277
39.	सोंखर	271
40.	सोंखरी	267
41.	खेडली (टाउन)	4
42.	नाहर खाहरा	239
43.	टोडा	154

1	2	3
44.	गंजपुर नूरपुर	159
45.	जागरू	235
46.	खेडसा रंगपुरी	236
47.	रानोली	114
48.	सहजपुर	4
49.	हरसाना	241
50.	बिछगांव	256
51.	नारनाल खुर्द	292
52.	सेहरा	296
53.	काली पहाड़ी	298
54.	सुनारी	299
55.	झालाटाला	301
56	नारनाल कला	302
57.	गोठारा	303
58.	विडारका	304
59.	अन्तापाडा	305
60.	खेडा मंगलसिंह	306
61.	अमरपुर	307
62.	पहरावटी	308
63.	भीखाखेड़ी	309
64,	जेतुपुर	310
65.	पखार	311
66.	साइपुर	312
67.	अजीतपुर	110
68.	पहाड़ी	109

284

1	2	3
69.	इन्द्रावली	112
70.	बिसल	90
71.	सिराहड़ा	113
72.	रेटी	167
73.	टीकरी	95
74.	बडीका	164
75.	चक तापसी	100
76.	सांकरोली	108
77.	टीटपुरी	111
78.	रेटा	171
79.	घीवड़ी	169

285

स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
1.	रानोता	5/9/173
2.	ईथरोता	163
3.	इसरोती	162
4.	बेरका	175
5.	भोजपुरा	177
6.	खेड़ामेदा	176
7.	पाटवा	161
8.	सलेमपुर	160
9.	दयालपुर	107
10.	मथुराहेड़ा	89
11.	नागला मतवा	91
12.	इटोला	115
13.	राजपुर	116
14.	हनुमन्ता	88
15.	बमनपुरा	87
16.	तिगरिया	84
17.	रामनगर	86
18.	बुलाहेडी	85
19.	बायडा	83
20.	मानपुर	105
21.	खेरली उर्फ रेला	174
22.	दूघेरी	170

1	2	3
23.	बड़का	168
24.	पिसई	99
25.	बराड़ा	96
26.	भदीरा	98
27.	सोंख	97
28.	तिलकपुर	257
29.	बसेडी	293
30.	उछर	294
31.	मुकन्दपुरा	300
32.	भूर पहाड़ी	295
33.	भावतपुरा	297
34.	मुन्डजोडी	240

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न स. 87 की सूची

'क'

1. एप्रोच रोड टू मावता जोब नं. 111/537/एम.एन.पी./ पी/79-80
2. अपग्रेडेशन बी, टी. घूघरा लाड़पुरा भूडोल श्रीनगर रोड 9 कि.मी. जोब नं. 733/537/एम एन.पी./84-85
3. नसीराबाद गोदेरी रोड ल. 10 कि मी. जोब न. 754/537/एम. एन. पी./ प्लान/84-85
4. गनेडा सराय से भगवानपुरा वाया मोतीसर सूरज कूडु 12 कि.मी. जोब नं. 537/एम.एन.पी./84-85

'ख'

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्ष 85-86 में आवंटित राशि
1.	अपग्रेडेशन बी.टी. घूघरा लाडपुरा भूडोल श्रीनगर रोड 9 कि.मी. ।	70000
2.	नसीराबाद गादेरी रोड ल. 10 कि.मी.	70000
3.	गनेडा की सराय से भगवानपुरा वाया मोतीसर (सूरज कुंड 12 कि.मी.)	70000
4.	एप्रोच रोड टू मावता	2,50,000 मांग की गई है ।

268

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न सं· 90 की सूची

सूची 'अ'

क्र. सं. 904

क्रमांक	सम्बन्धित अभियन्ता का नाम	कार्यालय का नाम	चोरी पकड़ने की तारीख
1	2	3.	4
1.	श्री ए. आर. भण्डारी	अधिशाषी अभियन्ता, पी.एल.सी.सी..हीरापुरा	22.6.1983
2.	श्री डी. के. शुक्ला	कोटा थर्मल परियोजना	24.5.1985
3.	श्री हर लाल विश्नोई	,,	,,
4.	श्री आर के. गुप्ता	,,	,,
5.	श्री मुकेश गर्ग	,,	,,
6.	श्री एस. एल. मीणा	,,	,,
7.	श्री त्रिपुरारी माथुर	,,	,,
8.	श्री एम. पी. विजय	,,	,,
9.	श्री राधेश्याम	,,	,,
10.	श्री विपिन माथुर	,,	,,
11.	श्री पूरण मल शर्मा	,,	,,
12.	सुरेन्द्र कुमार	,,	,,
13.	श्री बदरी लाल मीणा	,,	,,
14.	श्री आर. डी. बुक्कल	,,	,,
15.	श्री एस. के. तिवाड़ी	,,	,,
16.	श्री राजवीर सिंह	,,	,,
17.	श्री आर. एस. मीणा	,,	,,

1	2	3	4
18.	श्री जनेश जैन	कोटा थर्मल परियोजना	24.5.1985
19.	श्री शम्भू सिंह	,,	,,
20.	श्री विरेन्द्र कुमार अग्रवाल	,,	,,
21.	श्री के. एल. माथुर	,,	,,

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न सं. 95 का आदेश

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Finance (Gr. 2) Department

NOTIFICATION

No. F17 (77) FD (Gr. 2)/82-II

Dated Jaipur, the 29.3.1985

Sub : **Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1983.**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Articles 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan is pleased to make the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1983, namely:--

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Amendment Rules, 1985.

2. They shall be deemed to have come into force with effect from 1.4.1985.

3. In the Rajasthan Civil Service (Revised Pay Scales) Rules, 1983–in Section 'B'–Schedule II–

Government Secretariat–after the existing entry at S. No. 4, the following new entries at S. No. 5 to 10 shall be inserted, namely :–

1	2	3	4
4.	Peon/Jamadar/Daftri	10/–	The grant of these special pays shall be subject to the following conditions :–
5.	Lower Division Clerk.	15/–	1. The employees of Government Secretariat who are already in receipt of special pay allowed under heading "Government Secretariat and Governor Secretariat" shall not be entitled to the grant of these special pays in addition.
6.	Upper Division Clerk/Assistant Stenographer and Personal Assistant.	20/–	2. The special pay would only be admissible to the regularly appointed staff who have completed 3 year of service including period of ad-hoc service and not to those who have been appointed on urgent and temporary/ad-hoc basis.

291

292

1	2	3	4
7.	Section Officer/Senior Personal/ Assistant.	30/–	3. Grant of special pay to the staff members would be subject to review of their work after every three years and in case in such a review, two annual appraisal reports do not fall in the category of 'good' and above, the special pay will be discontinued till he ful fils this criteria in the next review. The grant of special pay for the first time will shall also be after such a review. 4. Review of work shall be done by the committees specially constituted for the purpose by the Government in the Department of personnal. 5. In case of class iv servants in such a review if adverse observation regarding conduct have not been communicated durnig two years of the three years period under review, special pay would be admissible.
8.	Assistant Secretary to Government and Private Secretary to Commissioners/ Secretaries to Government	50/–	
9.	Deputy Secretary to Government belonging to Rajasthan Secretariat Service.	100/–	

1	2	3	4
			6. in case of promotion to higher posts, special pay of the lower post drawn by him immediately before promotion shall be admissible during the first three years of promotion. special pay with the higher post would be admissible after review on serving for three years.

By order of the Governor.

(S.S. Parnami)
Deputy Secretary to Govt

Copy forwarded to :–

1. All Secretaries to Government.
2. All P. S. to Ministers/State Ministers/Deputy Ministers.
3. All Sections of the Secretariat.

4. All Heads of Departments.
5. All Treasury Officers.
6. Coditication Section (O&M) with 7 copies.
7. Accountant General, Rajasthan, Jaipur (150 copies).
8. VidhiRachana Sangthan for Hindi Translation.

Copy also to the :–

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
2. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
3. Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur.
4. Secretary, Lokayukth Sachivalaya, Jaipur.
5. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 25 extra copies for Subordinate Legislative Committee.

(S. S. Parnami)
Deputy Secretary to Govt.

(RPS. 83, 21/85)

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न सं. 103 की सूची

राजस्थान में पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 16 पर्यटक सूचना केन्द्र संचालित हैं। जिनकी जिलेवार सूची निम्न प्रकार है –

1. अजमेर
2. चित्तौडगढ़
3. उदयपुर व हवाई अड्डा डबोक (उदयपुर)
4. जोधपुर
5. जैसलमेर
6. आबू पर्वत (जिला सिरोही)
7. सवाई माधोपुर
8. बून्दी
9. कोटा
10. भरतपुर
11. अलवर
12. जयपुर—सिन्धी कैम्प, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, जयपुर एवं आमेर।
13. बीकानेर।

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न सं.106 की सूची

क्र.सं	क्वाटर नं.	अधिकारी एवं कर्मचारी का नाम जिन्हें आवंटन किया गया है।	रिक्त रहने के कारण
1.	1	रिक्त	क्वाटर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है।
2.	2	श्री प्रभू लाल धावाई सहायक कृषि अधिकारी	—
3.	3	श्री लक्ष्मी लाल, सब-इन्सपेक्टर पुलिस	—
4.	4	श्री मोहम्मद इस्तायन पटवारी	—
5.	5	श्री रामेश्वर लाल सोलंकी जलदाय विभाग	—
6.	6	श्री कालू सिंह, जीप चालक पंचायत समिति, कपासन	—
7.	7	रिक्त	जीर्ण—शीर्ण अवस्था में खाली है।
8.	8	रिक्त	,, ,,
9.	9	रिक्त	,, ,,
10.	10	रिक्त	,, ,,
11.	11	रिक्त	,, ,,
12.	11	रिक्त	विकास अधिकारी का पद रिक्त रहने के कारण।